Saturday, 26th August, 1995

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 26 अगस्त, 1995

के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का

शुद्धि - पत्र

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | बाद | बाद् |
| 6 | नीचे से 14 | श्री आसकर फर्नांडीज | श्री ऑसकर फर्नान्डीज |
| 14 | 8 | श्री राम देव राव | श्री रामदेव राम |
| 23 | 14 | मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी | मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी |
| 37 | 12 | श्री कड़िया मुंडा का लोप कीजिए । | |
| 50 | 1 | श्री निर्मल कान्ति चटजी | श्री निर्मल कान्ति चटर्जी |
| 130 | 10 | नाक | नाम |
| 206 | 18 | पुपाजल | पुपाजल |

## विषय सूची

दशम माला खंड : 44, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक : 16, शनिवार, 26 अगस्त, 1995/4 भाद्र, 1917 (शक)

| विषय | कालम |
|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | 14-17 |
| विधेयकों पर अनुमति | 17-18 |
| लोक लेखा समिति | |
| एक सौ नौंवा प्रतिवेदन - प्रस्तुत | 18 |
| अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति | 18 |
| बावनवां और त्रिपनवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत | |
| श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति | |
| (i) सत्रहवां प्रतिवेदन | 19 |
| (ii) कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत | 19 |
| शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति | |
| (i) उन्नीसवां प्रतिवेदन | 19 |
| (ii) कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत | 19 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | 19-20 |
| बोस्निया - हर्जेगोविना की स्थिति | |
| श्री प्रणव मुखर्जी | 19-20 |
| सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित | |
| निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक 1995, | 21-24 |
| संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 (नौवीं सूची में संशोधन) राज्यसभा द्वारा यथापारित | 25-33 |
| विचार के लिए प्रस्ताव | |
| खंड 2 और 1 | 33-40 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| डा. जगन्नाथ मिश्र | 40-49 |
| संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पैंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक | 49-50 |
| संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक (छठी अनुसूची को असम राज्य पर लागू करना) | 50-71 |
| राज्य सभा द्वारा यथापारित | |
| विचार के लिए प्रस्ताव | |
| श्री पी.एम. सईद | 50-52 |
| श्री द्वारिका नाथ दास | 52-53 |
| श्री किरिप चालिहा | 53-55 |
| श्री सैयद शहाबुद्दीन | 55-56 |
| डा. जयन्त रंगपी | 56-58 |
| श्री मणि शंकर अय्यर | 58 |

श्री उद्‌व बर्मन 58-60
श्री बालिन कुली 60-61
श्री सत्येन्द्र नाथ ब्रहम चौधरी 61-62
प्रो. एम. कामसन 62-64
श्री मुही राम सैकिया 64
श्री राम विलास पासवान 64-65
श्री सूरज मंडल 65-66
श्री याइमा सिंह युमनाम 67
श्री इन्द्रजीत गुप्त 67-69
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी 69
श्री पी.एम. सईद 69-71

खंड 2 और 1 71

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी.एम. सईद - 72

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 73-113

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों को रोकने के लिये उठाये गये कदम के संबंध में संकल्प 73-87
श्री के.वी. तंग्काबालू 74-81
श्री सत्यदेव सिंह 81-87

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के संबंध में 87-113
श्री चित्त बसु 87-92
श्री मंजय लाल 92-94
श्री हन्नान मोल्लाह 94-99
श्री के.पी. रेड्डया यादव 99-103
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 103-111
श्री सैयद मसूदल हुसैन 111-113

नियम 377 के अधीन मामले 113-116

(एक) केरल को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य घोषित करने की आवश्यकता
श्री पी.सी. चाक्को 113-114

(दो) गुजरात में बनासकांठा के सीमावर्ती क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता
श्री हरिसिंह चावड़ा 114

(तीन) उत्तर प्रदेश के हरदोई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पनबिजली का उत्पादन करने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक 114-115

(चार) भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता
श्री सनत कुमार मंडल 115-116

**नियम 193 के अधीन चर्चा**

| | |
|---|---|
| जैन आयोग की स्थिति/दर्जा | 118-202 |
| श्री अर्जुन सिंह | 118-139 |
| | और 199-202 |
| श्री जसवन्त सिंह | 122 |
| | और 140-147 |
| श्री आर. प्रभु | 148-154 |
| श्री मणि शंकर अय्यर | 154-163 |
| श्री शरद यादव | 165-175 |
| श्री अमल दत्त | 176-180 |
| श्री मोहन रावले | 180-181 |
| श्री भोगेन्द्र झा | 181-184 |
| श्री अजित पांजा | 184-191 |
| श्री हरि किशोर सिंह | 190-194 |
| श्री पी. चिदम्बरम | 194-199 |
| **विदाई उल्लेख** | 203-206 |
| **राष्ट्र गीत** | 206 |

# लोक सभा

शनिवार, 26 अगस्त, 1995/4 भाद्र 1917 (शक)
लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री पी.जी. नारायणन** (गोविचेट्टि पालयम) : महोदय, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। ।(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक के बाद ही किसी दूसरे को बोलने की अनुमति दूंगा।

**श्री पी.जी. नारायणन :** अध्यक्ष महोदय, मैं मलेशिया सरकार की हिरासत में हुई 5 पाँच भारतीयों की मृत्यु संबंधी गंभीर मुद्दे की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शक तो यही होता है कि वे शायद मार दिये गये हो। मुझे यह पता चला है कि ये मौतें पन्द्रह दिन पहले हुई थी। मलेशिया की सत्ता ने भारतीय उच्चायोग को सूचित तक नहीं किया यह विस्ना सम्मेलन का घोर उल्लंघन है।

महोदय, मेरी मांग है कि विदेश मंत्री को इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए और हमें मलेशिया सरकार की हिरासत में हुई पाँच भारतीयों की मृत्यु के संबंध में जबरदस्त विरोध जताना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री कालका दास** (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, दिल्ली किराया कानून के संबंध में यहां पहले भी चिंता व्यक्त की गई थी। अब उस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गये है। सदन में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दोनों पक्षों को सुनकर उसमें कोई उचित रास्ता निकाला जाएगा ताकि दोनों को सुविधा मिले, दोनों को एतराज न हो। मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसा कोई अध्यादेश लाये या ऐसा तरीका निकाले ताकि कानून में संशोधन हो यह बात व्यक्त की गई थी, और ठीक भी थी कि यह जल्दी में हुआ और सब तरफ की भावनायें नहीं सुनी गई क्योंकि वह पिछले सत्र का आखिरी दिन था। अच्छी तरह से हम उस बात को नहीं रख पाये थे। शीला कौल जी ने जो वक्तव्य रखा था और जिस पर बहस हुई थी, हम उनका क्लेरिफिकेशन भी नहीं मंगा पाये थे क्योंकि वह आखिरी आइटम था। गृहमंत्री जी ने कहा था कि यह विषय संसद देखेगी, इसलिए असेम्बली को नहीं जा सकता। हमने मांग की थी कि यह दिल्ली का विषय है, इसलिए विधान सभा को जाए और लोगों से राय ली जाए। क्योंकि यहां पर आधी शक्ति मिली हुई है और लैण्ड एंड बिल्डिंग्ज दिल्ली प्रशासन के पास नहीं है इसलिए उसको पार्लियामेंट देखती है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में जल्दी में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। मुझे मालूम है कि जब यहां से बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्ताक्षर होने के बाद एक तरीका निकाला जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, दोनों पक्षों को सुना जा सकता है और ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिससे दोनों पक्षों को राहत मिले। सरकार ऐसा कोई रास्ता बनाये, ऐसी कोई समिति बनाए या अध्यादेश के द्वारा सदन में लाये तो उचित रहेगा।

**[अनुवाद]**

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे की चर्चा में मैं भी उनके साथ हूँ क्योंकि पूरे दिल्ली शहर में विरोध व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर दो दिवसीय बन्द मनाया गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गये है। किरायेदार हमसे मिलने के लिए पंक्ति में आ रहे है। वे बड़े नाखुश है। पिछली बार मैंने भी सुझाव दिया था कि यदि यह घटना अटलनीय है तो माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाये जाये और उसके हस्ताक्षर के बाद कम से कम इसे कार्यान्वित नहीं किया जाये। गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री इस मत से सहमत हो गये थे कि जो भी इसमें सम्बन्धित है उनसे चर्चा करेंगे और आवश्यक संशोधन करेंगे।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह अपना वादा निभाये तथा सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाये। जब सभी आवश्यक संशोधन हो जाए तभी दिल्ली किराया (संयत्रण) अधिनियम को कार्यान्वित किया जाए।

**[हिन्दी]**

**श्री नितीश कुमार** (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में कावर झील की स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने लगभग 20 साल पहले यह निर्णय लिया कि कावर झील को पक्षी विहार के रूप में परिणत किया जायेगा और 5 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से उसको विकसित करने की योजना भी बनायी गई। लेकिन उसमें कुछ काम हुआ बाद में रूक गया। आज स्थिति यह है कि जो हजारों एकड़ में फैली हुई झील है उससे पर्यावरण संतुलन में भी मदद मिलती है। आज उस झील के पानी को अनधिकृत रूप से निकाला जा रहा है और वहां की सरकार की कोई दिलचस्पी पक्षी विहार में नहीं रह गई है। वहां 59 किस्म की प्रवासी पक्षी आते है और देशी पक्षी भी है। वहाँ मछुआरों को मछली मारने की पहले छुट थी वहाँ झील से पानी निकाला जा रहा है और उस जमीन पर प्रभावशाली लोग कब्जा करते जा रहे है। इससे एक तरफ पर्यावरण का असंतुलन पैदा होगा और दूसरी तरफ जो पक्षी विहार की योजना थी वह खटाई में पड़ जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि पक्षी विहार को कायम रखा जाए और उसके विकास की जो योजना बनाई थी उसको कार्यान्वित किया जाए। . . . . (व्यवधान)

**श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर)** : माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण मंत्री जी ने कि सफाई कर्मचारियों या सिर पर मैला ढोने के विषय में एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 हजार रुपये की धनराशि ऋण के रूप में सफाई कर्मचारियों को दी जाती है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 20 हजार रुपये से ज्यादा इनको ऋण नहीं दिया जाता है। इस 20 हजार में भी 10 हजार सरकारी अधिकारी अथवा बैंक अधिकारी आ जाते है और 10 हजार रुपये का ऋण ही उनके पल्ले पड़ता है। जो छूट का पैसा है वह भी इधर-उधर हो जाता है। मैं मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर 50 हजार रुपये सफाई कर्मचारियों को सही मायने में देना है तो वित्त निगम के द्वारा ही दिया जाए ताकि उसकी छूट और ऋण का पैसा उनको मिल सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इन्होंने कहा है कि जो केन्द्र पर शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको 150 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। मान्यवर, यह भी बिलकुल गलत है। मैं जबसे आयोग का सदस्य बना हूं हिन्दुस्तान के कौने-कौने में गया हूं, कही भी मैंने एक भी सेन्टर ऐसा नहीं देखा जहां पर किसी कार्य की ट्रेनिंग दी जाती हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको भी देखा जाए और कहां-कहां सेन्टर रखे गए है ताकि इनको ठीक से ट्रेनिंग दी जा सके।

मान्यवर, यह सुझाव देने के लिए मैंने अपना नोटिस दिया था कि एक तो ऋण इनको वित्त निगम के द्वारा दिया जाए और दूसरा इनको ट्रेनिंग की जो राशि है वह भी सही मायने में मिलनी चाहिए।... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया। आप बार-बार रिपीट कर रहे है। आप बैठ जाइये। श्री रवि राय जी।

**श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा)** : अध्यक्षजी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के सिलसिले में सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। इस हाउस में और दूसरे हाउस में भी स्टार टी.वी. ने "निक्की टूनाइट" प्रोग्राम के तहत महात्मा गांधी जी के बारे में जो भद्दी टिप्पणी की गई थी।

उसके बारे में चर्चा हुई थी और सरकार ने वायदा किया था, वचन दिया था कि स्टार टी.वी. के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आगामी 2 अक्टूबर को हम लोग और सारा राष्ट्र गांधी जी की 125 वीं जन्म-तिथि मनाने जा रहा है। उस वक्त लोक सभा सैशन में नहीं होगी। इसलिए मैं आज आप के जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि गांधी जी के पोते तुषार गांधी और उनके रिश्तेदारों ने बार-बार ऐलान किया है, जिनके बारे में किसी तरह का शुबहा करने का सवाल नहीं उठता, कि वे 2 अक्तूबर से सत्याग्रह करेंगे क्योंकि जिस तरीके से गांधी जी के बारे में स्टार टी.वी. द्वारा पूरे हिन्दुस्तान में प्रचार और प्रसार किया गया, उससे न केवल गांधी जी का अपमान हुआ है बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है। चूंकि सरकार ने वचन दिया था, इसलिए आज सारे देश के लोग पूछ रहे है कि उसके बारे में सरकार ने क्या किया?

इसलिए मैं आप के जरिए सरकार से कहना चाहता हूं क्योंकि इस समय मंत्रीमण्डल के कई सदस्य सदन में मौजूद है, रामलखन सिंह यादव जी है, जगन्नाथ मिश्र जी है, प्रणब बाबू है, उनमें से दो मंत्री राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले चूके है, कि वे अपने विवेक को जगाकर गांधी जी के बारे में स्टार टी.वी. ने जो कुछ कहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि आगामी 2 अक्टूबर को तुषार गांधी को सत्याग्रह न करना पड़े वरना सारे हिन्दुस्तान के माथे पर एक धब्बा लग जाएगा और लोग कहेंगे कि गांधी जी के रिश्तेदार ही गांधी जी के बारे में चिंतित है, सरकार और राष्ट्र उनके बारे में नही सोचता है। इसलिए सदन के आखिरी दिन, मैं निवेदन करता हूं कि स्टार टी.वी. के खिलाफ जो कार्यवाही की जा सकती है, वह करनी चाहिए।

[अनुवाद]

**डा० मुमताज अंसारी (कोडरमा)** : महोदय, बिहार एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। जहां तक खनिज संसाधनों, वन संसाधनों तथा अन्य संसाधनों की दृष्टि से बिहार बड़ा धनी राज्य है लेकिन इतना धनी होने के बावजूद वह गरीब है। विरोधाभास होते हुए भी यह देश के उस हिस्से में अस्तित्वमान है। दिनांक 3 जून, 1988 को पिछड़ा क्षेत्र विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने पूरे देश में एक सौ विकास केन्द्रों की पहचान की थी। जहाँ तक बिहार का संबंध है हाल ही में भारत सरकार ने वहां छह विकास केन्द्रों के लिए मंजूर किए थे। लेकिन यह बड़े दुःख और हैरानी की बात है कि अब तक केवल छः विकास केन्द्रों की पहचान की गई है तथा उन छः विकास केन्द्रों में से केवल दो के लिए ही भारत सरकार ने मंजूरी दी है। और भारत सरकार ने भी इसे मान लिया है कि जो नीति बनाई गई है वह एक सामान्य नीति है और कम से कम 25 करोड़ अथवा 30 करोड़ रुपये इन सभी विकास केन्द्रों के लिए मंजूर किये जायेंगे। लेकिन प्रत्येक विकास केन्द्र अर्थात बेगुसराय तथा हजारी बाग जिलों के लिए केवल 15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है। जहां तक अन्य 4 विकास केन्द्रों जो छपरा, दरभंगा तथा अन्य स्थानों में स्थापित किये जाने है, का संबंध है, उनके लिए अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सूर्यनारायण यादव, आप बिहार में बाढ़ की स्थिति के संबंध में बोल सकते है।

**डा० मुमताज अंसारी** : अत: सरकार केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज रही है और सरकार केन्द्र सरकार द्वारा रखे गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए तैयार है। और अब यह केन्द्र सरकार की मर्जी है। अत: मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृप्या अपना स्थान ग्रहण करें। और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री यादव

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो इश्यू को रेज करने के लिए नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : बिहार में फ्लड सिचुएशन के बारे में ही बोलिए।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : अध्यक्ष महोदय, हम लोग बिहार के बाद प्रभावित इलाके से आते है। अभी एक महीने से बिहार में बाढ़ की विभीषिका बहुत जोरो से है और खासकर कोसी प्रमण्डल सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के इलाके पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित है। सहरसा और सुपौल में कई गांव कटाव की चपेट में आ गये है। कहीं भी अभी तक राहत के कार्य चालू नहीं किये गये। मैंने कई बार अपने क्षेत्र के बारे में स्थिति का पता लगाने के लिए सम्पर्क स्थापित किया और इस बीच में एक बार मुझे जाने का मौका भी मिला। मैंने स्वंय वहां राहत कार्य चालू कराने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय, वहां लोग अभी तक तबाह है और ऋण की वसूली जोरों से की जा रही है। लोग बाढ़ से मर रहे है और सरकार रिलीफ नहीं दे रही है, नाव नहीं दे रही है उल्टे वसूली जोरों से की जा रही है और लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सिर्फ राहत कार्य चलाये और ऋण वसूली के कार्य को तत्काल बंद कर दें।

**श्री राजेश कुमार** (गया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 108 कोयला खाने बंद पड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के कोयला मंत्री के बीच में 1994 में एक समझौता हुआ था कि 14 खानों को किस्तों में चलाया जाएगा। बिहार सरकार की जितनी टर्म्स एंड कंडीशन्स थी, उसने केन्द्रीय सरकार को भेज दी है, लेकिन अभी तक 14 खानें भी चालू नहीं की गई है और न कोई आदेश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार में जो 108 कोयला खानें बन्द है और जो 14 खानों को किस्तों में चलाने का एग्रीमेंट केन्द्र सरकार के साथ हुआ था, उनको चालू करने का आदेश दिया जाए।

**डा. परशुराम गंगवार** (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत, जो उत्तरप्रदेश में है, उसमें आजादी की प्राप्ति के बाद बंगाली लोग बड़ी संख्या में जब हिन्दुस्तान आये थे, तो उनको वहां बसाया गया था और उन बंगालियों को बड़ी संख्या में तराही क्षेत्र में रहने और खेती करने के लिए जगह दी गई। आज 45 साल के बाद भी उनको उस भूमि का भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया है। उनसे वह भूमि समय समय पर छीन ली जाती है और फिर वापस दे दी जाती है। वहां पर वोटर लिस्ट बनी, उसमें से भी उनके नाम काट दिये गये। वे हरिजन है और उनको हरिजन होने का फायदा केवल पढ़ाई के समय ही मिलता है अर्थात् उनको यह सुविधाए पढ़ाई के क्षेत्र में तो मिलती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र जैसे ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर या बैंक इत्यादि से ऋण की सुविधायें हरिजन होने के अधार पर नहीं मिलती है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उनको पढ़ाई से लेकर हरिजन होने की सभी सुविधायें जमीन में, कर्ज में और अन्य बातों में दी जाएं और अभी तक उनको जो भूमि का अधिकार नहीं है, वह भी गलत है। उनको जिस भूमि को वे जोतते है, उस पर उनको अधिकार दिया जाए।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह होगा कि बिहार में अभी तक एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है जबकि इस संबंध में कई बार बिहार के कई माननीय सदस्यों ने इस और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। मगर दुखद स्थिति यह है कि बार-2 आग्रह करने के बाद भी बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि जो ऐतिहासिक एवं प्राचीन विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के हर क्राइटीरिया को फुलफिल करता है, मगर आज तक उस को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे और बिहार के पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनायेंगे। हमारा आपसे यही निवेदन है।

[अनुवाद]

**श्री आसकर फर्नांडीज** (उडुपी) : मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ मेरे जिला मंगलूर में मलेरिया फैल गया है और पूरे 15 हजार लोग इससे ग्रस्त है और लगभग 25 लोग मर गये है।

मैं सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इस खतरे को रोकने के तरीके और साधन ढूंढने के लिए और लोगों को मौत से बचाने के लिए शिकंजे तुरन्त मंगलूर में एक दल भेज दें।

[हिन्दी]

**श्रीमती सरोज दुबे** (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दिये जाने की और आकर्षित करना चाहती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के प्रचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और अग्रणी शिक्षा के रूप में विश्वविख्यात है। इसने देश को बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, शीर्षस्थ राजनेता, विधिविशेषज्ञ और साहित्यकार दिये है तथा पूर्व का आक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति यह है कि वहां व्यवस्था नाम की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोई चीज नहीं रह गई है।

विश्वविद्यालय परिसर में असजकता का माहौल है। अध्यापकों के अभाव में कक्षायें निश्चित रूप से नहीं चल रही है। सत्र भी निश्चित न होने से विश्वविद्यालय अपनी गरिमा को खोता जा रहा है। संसाधनों के अभाव में पुस्तकालय का आधुनिकीकरण न होने से छात्र-छात्राओं में बड़ी निराशा है। छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं के अभाव में छात्र-छात्राओं को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी जो नये तरीके से खोले गये विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई है लेकिन गौरवशाली इतिहास रखने वाले और पूर्व का आक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बराबर उपेक्षा की जा रही है अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अविलम्ब केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और उसकी गरिमा को बरकरार रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाए।

**श्री राम पूजन पटेल** (फूलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरोज दुबे जी ने जो प्रस्ताव रखा वो सरकार से मांग की, वह वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वहां के छात्र काफी दिन से आंदोलन कर रहे है। यहां तक कि दिल्ली में भी आकर उन लोगों ने धरना दिया। परंतु आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिसकी ख्याति विश्व के विश्वविद्यालयों में से अहम स्थान रखती है, उसे अभी तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं घोषित किया गया। सरकार भी बार-बार कहती है कि इस पर विचार किया जायेगा। हम लोगो ने भी पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया है। अतः इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करके वहां की जो समस्यायें है, उसको हल करें।

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की दो ऐतिहासिक धरोहर ऐसी है, जिनके रख-रखाव पर आरकियोलोजी सर्वे ऑफ इंडिया ध्यान नहीं दे रही है और उनमे से एक सासाराम ने शेरशाह सूरी का मकबरा है और दूसरा भोजपुर जिले में आरा हाउस है जहां 1857 में वीर कुंवर सिंह जी का हैडक्वार्टर था। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे आरकियोलोजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इन दोनों ऐतिहासिक स्थानों के रख-रखाव की व्यवस्था अच्छी तरह से करे ताकि उनको देश की धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सके।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में राजघाट परियोजना, जो कि भारत सरकार के देख रेख में बन रही है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिस पहाड़ी पर यह बांध बन रहा है, उससे एक किलोमीटर की दूरी पर ग्रेनाइट पत्थर की खदान काटी जा रही है। लगभग 100 फुट नीचे से यह पत्थर निकाला जाता है और जब उसमें विस्फोट किया जाता है तो बांध के ऊपर भी हलचल हो जाती है। अगर इस बांध को नुकसान हो गया तो देश की बहुत बड़ी क्षति होगी। अतः इसकी जांच कराकर उन खदानों को बंद कराया जाये।

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो उससे पहले मैं सलेम की घटना के संबंध में, जिसमें एक दलित लड़की की पानी पीने के अपराध में आंख निकाली गयी थी, के संबंध में सरकार ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। उस पर कुछ कार्यवाही हुई है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि इस अंतिम दिन सरकार की तरफ से कोई जवाब आ जाये तो अच्छा होगा।

दूसरा मैं सरकार का ध्यान UPSC की परीक्षाओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने लिखा है व विरोधी पार्टी के नेता सहित सभी पक्ष के 108 सदस्यों ने भी लिखा है कि 1992 में UPSC की परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक हुआ था।

उसके बाद ऐग्जामिनेशन भी हुआ और सी.बी.आई. की तरफ से जांच भी की गई। सी.बी.आई. ने भी अपनी रिपोर्ट में उसे सही पाया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोट में भी गया। सुप्रीम कोट ने भी सरकार से कहा, चूंकि विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है, इसलिए सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इसी तरह से एक घटना 1990 में हुई थी जिसमें 1992 में विद्यार्थियों को एक चांस दिया गया था। इसमें विद्यार्थियों का कसूर नहीं है। जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए, वह काफी दुखद है खासकर यू.पी.एस.सी. के ऐग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो यह और भी दुखद है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसमें एक लाख विद्यार्थी प्रभावित है और उन लोगों की भी मांग है कि उनको एक चांस 1995 में दिया जाए। इस संबंध में 108 संसद सदस्यों ने भी लिखा है, सब पार्टी के टॉप लीडर्स ने भी सरकार से आग्रह किया है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते है कि 1992 में जो यू.पी.एस.सी. का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसके एवज में 1995 में विद्यार्थियों को एक चांस देने का कष्ट किया जाए। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए जितनी जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेकर घोषणा करेगी उतनी जल्दी उन छात्रों के हित में अच्छा होगा।

**प्रो. प्रेम धूमल** (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल बहुत अच्छी हुई है परन्तु भारी वर्षा और बादल फटने के कारण सड़कों की हालत बहुत खराब है। सरकार वहां पर सेब उत्पादकों को ट्रक उपलब्ध करवाने में असफल रही है जिसके कारण उनकी फसल सड़ रही है और सड़के इतनी टूट चुकी हैं कि नेशनल हाईवे में भी ट्रक ठीक तरह से नहीं चल सकते। जो ट्रक

अन्दर के क्षेत्रों में जा रहे है, वे सेब उत्पादकों से मनमाने पैसे मांग रहे है। आप जानते है कि सेब की फसल एकदम तबाह हो जाती है। फल उत्पादकों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। उन्हें ट्रक उपलब्ध करवाने में केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री पी.जी. नारायणन :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पासवान ने अपने भाषण के प्रारम्भ में घोटाले का जिक्र किया था। हमने बताया है कि समुचित कार्यवाही की गई है (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, मैंने पहले ही बताया दिया है कि सरकार ने कार्यवाही की है। मैं यहां मंत्रालय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कार्यवाही की गई है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राज नारायण** (बासगांव) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में भारतीय उर्वरक निगम के 4 कारखानें है - पहला रामागुंडम जो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा तालचर जो उड़ीसा में है, तीसरा बिहार के सिन्दरी में है और चौथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। गोरखपुर का खाद कारखाना 10 जून, 1990 को एक सामान्य दुर्घटना में बन्द हो गया था। तब से कर्मचारी, अधिकारी बराबर पत्र देकर सरकार से मांग कर रहे है कि हमें 50 करोड़ रुपये मुहैया करवाए जाएं ताकि इस कारखाने को चलाया जा सके। वर्तमान समय में 65 करोड़ रुपये की मांग उन्होंने की है। इस कारखाने के चलने से प्रति वर्ष 152 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। कर्मचारियों, अधिकारियों का कहना है कि 22 करोड़ रुपये का लाभ प्रतिवर्ष देंगे। राजनैतिक निर्णय लेकर कारखाने को चालू नहीं किया जा रहा है जबकि रामागुंडम का कारखाना इससे कम उत्पादन करता था लेकिन वह प्रधानमंत्री के प्रदेश का है इसलिए इसको रुपये देने का निश्चय किया गया है, सिन्दरी का कारखाना मंत्री महोदय के क्षेत्र में है इसलिए उसको रुपये देने का निर्णय किया गया और तालचर का कारखाना उड़ीसा में है वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उसे भी रुपये देने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस कारण भेदभाव की नीति अपनाकर उसे रुपया नहीं दिया जा रहा जबकि उसमें 1598 कर्मचारी कार्यरत है और एक लाख अन्य लोग उससे जुड़े हुए है। वे भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को निर्देश करें कि वह भेदभाव की राजनीति त्यागकर गोरखपुर के खाद कारखाने को भी रुपये देने काम काम करें। इस पर मंत्री जी से वक्तव्य लिया जाए।

केवल राजनैतिक कारण लगाकर उस कारखाने को बंद किया जा रहा है। कई बार पूर्वांचल के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से और मंत्री महोदय से मिला, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप भी बोल रहे है और वह भी बोल रहे है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये, बहुत लोग बोलने वाले है। सब एक विषय पर ही नहीं बोले।...

(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : श्रीमन्, हम तो एक मिनट में... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा। केवल श्री राज नारायण का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होगा।

आप उनको बोलने दीजिए, उनको पहले कम्पलीट करने दीजिए।

(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े कृपालु है वह बोल चुके है, उनकी मदद में हम खड़े है।

हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक की पूरी आपूर्ति गोरखपुर के खाद कारखाने में होती थी। पिछले पांच वर्ष से गोरखपुर का उर्वरक का कारखाना बन्द है, वहां मजदूर बेहाल है और वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही है। मैं भारत सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि भारत सरकार तीन उर्वरक कारखानों को खोलने के लिए वित्तीय इमदाद दे सकती है तो गोरखपुर के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि उस कारखाने को खुलवाने के लिए सड़क पर उतरे, भारत सरकार को मजबूर करें? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस तरह का स्पष्ट आश्वासन दे कि इस वर्ष भारत सरकार इतनी वित्तीय मदद करेगी कि गोरखपुर का भी खाद कारखाना शीघ्रातिशीघ्र शुरू हो जाए और इस वर्ष से यूरिया की आपूर्ति गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को उस कारखाने से हो। यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ।

**श्री हरि किशोर सिंह :** अध्यक्ष जी, मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, फिर दूसरे लोगों के सबजैक्ट्स रह जाते है।

**श्री हरि केवल प्रसाद** (सलेमपुर) : यह महत्वपूर्ण सवाल है, जो आज सदन में आया है। मंत्री जी ने स्वतः भेदभाव किया है और अब तो भेदभाव का आरोप भी लग गया। (व्यवधान). . . .

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जायेगा। केवल श्री रामनिहोर राय का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री रामनिहोर राय** (रौबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष तौर से अपने जनपद मिर्जापुर, वाराणसी और भदौही, जो कि कालीन का क्षेत्र है, दरी का क्षेत्र है, जिन कालीनों से, दरियों से भारतवर्ष में विदेशों से कई करोड़ों रुपये की प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा आती है, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ।

इस षडयंत्र में अपने देश के भी कुछ कठपुतली संस्था के संयोजक, विशेष रूप से श्री कैलाशपति सत्यार्थी द्वारा संचालित एक संगठन एसोसिएशन फॉर वालेण्ट्री एक्शन एवम् बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नाम से इस षडयंत्र में सबसे आगे है।

जर्मनी के श्रम मंत्री, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उप महानिदेशक श्री नायर के साथ दो तीन महीने पूर्व भारत आये थे और भदौही, मिर्जापुर और वाराणसी के कालीन एवम् दरी बनाने वाले क्षेत्र का सात-आठ घण्टे का दौरा किया और इस कथित दौरा करने के उपरान्त वाराणसी के ताज गंगेज होटल में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपमहानिदेशक द्वारा आयोजित डिनर मीटिंग में, जिसमें कालीन उद्योग के कुछ निर्माता एवम् मोर्चा के प्रतिनिधियों एवम्...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब श्री हाराधन राय बोलेंगे तथा उनका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)

(व्यवधान)... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

**अध्यक्ष महोदय** : आप जो पढ़ रहे है, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइये, आपका हो गया।...

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हाराधन राय, आप बोलिये, सिर्फ आपका रिकाड पर जायेगा।

[अनुवाद]

**श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बड़े महत्वपूर्ण तथ्य की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ महोदय, मैं कोयला पट्टी क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ। यह कहते हुए मुझे दु:ख होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत कोयले की खानों में कोयला सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महाप्रबन्ध निदेशक (खान सुरक्षा) ने कोयला पट्टी क्षेत्र के 46 मौजाओं असुरक्षित घोषित कर दिया है जबकि प्राधिकारी अभी तक सुरक्षा नियमों पर ध्यान दिये बिना ही कोयला निकालने में लग रहे है। लाखों लोगों को क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। कोयला मंत्री ने इन विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने का आश्वासन तथा वचन दिया है। वस्तुत: इस संबंध में सभा में एक पैकेज की घोषणा हुई है। किंतु इन लोगों में पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सरकार सांसद के भीतर ही अपने वादों और आश्वासनों से मुकर गई है। प्रस्ताव के अनुसार एक एकड़ तक जमीन रखने वाले व्यक्ति को 20 वर्ष के लिए 400 रुपये की राशि प्रतिमाह दी जानी थी। और एक एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले को 20 वर्ष के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जानी थी। इसके अतिरिक्त घर छोड़ने वाले व्यक्तियों को अपना घर बदलने के लिए 2 हजार रुपये तथा उसके नये अल्पकालिक आवास के लिए 5 हजार रुपये दिये जाने थे। लेकिन इन वायदों तथा आश्वासनों की अब उपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हालांकि क्षेत्र को असुरक्षित घोषित किया गया है फिर भी इसे स्थायी तौर पर समुचित उपाय करने के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही।

महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा ये बड़े संकट में फंसे है और आपके माध्यम से सरकार को उनकी दशा जाननी चाहिए। महोदय, सरकार ने तथा प्रभावित क्षेत्र के लिए स्थायी रूप से सुधार के उपाय करने का वादा किया था। उसने इसे प्रदूषण सहित बनाने का भी वादा किया था। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है और सरकार अपने वादों से मुकर गयी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक व्यापक अधिनियम बनाने के लिए कहा है ताकि इन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकें। केन्द्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इन लोगों के लिए पुनर्वास तथा रोजगार हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए। केन्द्र सरकार ने सभा में आश्वासन दिया था कि वह स्थायीकरण, भूमिसुधार तथा वृक्षारोपण के लिए उपगत सारे व्यय वहन करेगी तथा क्षेत्र को प्रदूषण रहित बनायेगी। यदि केन्द्र सरकार संसद में दिये गये आश्वासन के अनुसार आवश्यक निधि तथा बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायेगी तो राज्य सरकार पुनर्वास के लिए तैयार है। यह मेरी मांग है और सरकार से मेरा आग्रह है कि वह अपने वादे को निभाये।

**श्री सुब्रत मुखर्जी** (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार भारत-बंगलादेश सीमा के माध्यम से बंगलादेश को खाद्यान्न, चावल और अन्य चीजों का निर्यात कर रहा है तथा निर्यात के लिए जो स्थान चुना गया है वह भौगोलिक तौर पर पहाड़ी क्षेत्र है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 से लगभग 75 किलोमीटर दूर है तथा इसका एक

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** मूलत: बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हिस्सा राजमार्ग है तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार का सम्पर्क मात्र है। महोदय 30 मीट्रिक टन माल से लदे 200 से 300 ट्रक इस मार्ग पर चलते है तथा इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग से पहाड़ी क्षेत्र तक की सड़क टूट गई है। महोदय, मेरी मांग है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए तथा इसे सुदृढ़ किया जाए।

दूसरा मुद्दा यह है कि उन राज्यों से अनाज बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। जो कि खाद्यान्नों की कमी वाले राज्य है। महोदय, हालांकि वहां पंजाब, गुजरात, हरियाणा आदि के व्यापारी है परन्तु यह व्यापारी पश्चिम बंगाल से चावल तथा खाद्यान्न खरीद रहे है तथा उसका बंगलादेश को निर्यात कर रहे है। इस कारण चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे है जो चावल 6 अथवा 7 रुपये प्रति किलो बिकना चाहिए था वह आजकल 12 रुपये प्रतिकिलो ग्राम की दर पर बिक रहा है।

अत: दोनों ही समस्याऐं विकट है तथा मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपयुक्त कदम उठाये ताकि राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जा सके। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करता हूँ कि बंगलादेश को निर्यात किये जाने हेतु चावल पश्चिम बंगाल से न खरीदा जाये।

[हिन्दी]

**श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** (शिमला) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में 3 जिले सिरमौर, शिमला और सोलन आते है। जैसा अभी हमारे हिमाचल प्रदेश के साथी ने कहा कि इस बार अधिक बारिश होने के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र शिमला में जहां सेबों की खेती अधिक होती है वहां सारे सम्पर्क मार्ग टूट गये है हालत यह हो गयी है कि लोगों की जाने भी चली गयी है और कई पशु भी मरे है।

बहुत भारी क्षति हुई है मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह इसका मुकाबला कर सकें। मैं मांग करता हूँ कि कम से कम 20 करोड़ रुपया सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश की सरकार दिये जाये, ताकि वह काम पूरा हो सके।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिले के 3 प्रमुख जिलों से मिलकर बना है। ये तीनों जिले गरीबी ओर भूखमरी से बराबर त्रस्त है। इस सदन में 1953 में गहमरी जी ने वहां के लोगो की गरीबी का वर्णन किया था और उन्होंने इस सदन में रोते हुए कहा था कि वहां का आदमी गोबर से अन्न निकाल कर रोटी खाता है वहां पर इस समय जवाहर रोजगार योजना अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमारी सरकार की योजना थी, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां 3 वर्ष में 705 करोड़ रुपये का विकास का काम हुआ। यदि मौके पर देखा जाए तो वहां पर 200 करोड़ रुपये का विकास का काम भी नहीं हुआ है। 3 वर्षों में 5 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना थी, वृक्षारोपण के जरिए। यदि आप मौके पर देखें तो पाएंगे कि 500 पेड़ भी नहीं है। 5 सड़के वहां पर कागजों में बनाई गयी है। इस ओर बार-बार राज्य सरकार का ध्यान खींचा गया, लेकिन राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है।

मैं आपके आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच कराये और वहां पर जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को तत्काल रोका जाये।

**श्री राम देव राव** (पलामू) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पलामू और कहवा जिला आता है, जहां हर वर्ष सूखाड़ हो जाता है। इस वर्ष भी सूखाड़ हो चुका है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि वहां पर राहत कार्य चलाया जाये और मजदूरों का पलायन होने से रोका जाये तथा उन्हें रोजी रोटी दी जाए।

[अनुवाद]

**श्री लाईता उम्ब्रे** (अरूणाचल पूर्वी) : मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेरे बोलने से हर बार वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अपने साथ किये जा रहे इस अन्याय को मैं सहन नहीं कर सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखें जायेंगे।

---

11.41 म.पू.

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1994-95 के इस प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : महोदय, श्री एस.बी. चव्हाण की ओर से मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8139/95)**

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (रोड विंग) (ग्रुप 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1994**

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जल भूतल परिवहन मंत्रालय (रोड विंग) (ग्रुप "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1994, जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 166 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8140/95)**

**भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय, श्री मुकुल वासनिक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8141/95)

**राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन एवं कार्यकरण की समीक्षा आदि**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (महिला तथा बाल विकास विभाग) श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :-

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8142/95)

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन अधिसूचनाएं आदि**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में (उपमंत्री कुमारी शैलजा)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 607 जो दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 12 के खण्ड (2) (एक) के उपखण्ड (घ) और (ङ) तथा खण्ड (2) (दो) में कतिपय संशोधन किए गये है।

(दो) सा.का.नि. 133 जो 18 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परीक्षा संचालय तथा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश के खण्ड (5) के उपखण्ड (1) और (3) के उपबंधों में कतिपय संशोधन/परिवर्धन किये गये है।

(तीन) सा.का.नि. 134 जो 18 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परीक्षा संचालन तथा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश के खण्ड (5) (1) के उपखण्ड (क) से (घ) में कतिपय संशोधन/परिवर्धन किये गये हैं।

(चार) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अधीन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाया गया मास्टर आफ फिलॉस्फी संबंधी अध्यादेश जो 18 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8143/95)

(2) नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत नागालैण्ड विश्वविद्यालय (कठिनाईयों का निवारण) आदेश 1995, जो 5 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 499(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8144/95)

(3)(एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8145/95)**

(5)(एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8146/95)**

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8147/95)**

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8146/95)**

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8146/95)**

(7) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8148/95)**

(9)(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 8149/95)**

---

**11.42 म.पू.**

## विधेयकों पर अनुमति

**महासचिव :** महोदय, मैं 1 अगस्त, 1995 को सभा को दी गई सूचना के बाद से संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1995
2. कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1995
3. संघ उत्पादक शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1995
4. अतिरिक्त उत्पादक शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1995
5. दिल्ली किराया विधेयक, 1995

---

**11.43 म.पू.**

## लोक लेखा समिति
## एक सौ नौवां प्रतिवेदन

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) :** महोदय, मैं "विमान का अविवेकपूर्ण रूप से पट्टे पर लिया जाना" के बारे में लोक लेखा समिति (दसवी लोक सभा) का एक सौ नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**11.43½ म.पू.**

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

## बावनवां तथा तिरपनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) :** महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग) भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अधिवक्ता पैनल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवी लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बावनवां प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय-गैर-सरकारी क्षेत्र रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तिरपनवां प्रतिवेदन।

---

11.44 म.पू.

[अनुवाद]

**श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति**

**सत्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश**

**श्री अजय मुखोपाध्याय** (कृष्ण नगर) : महोदय, मैं बाल श्रम उन्मूलन के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

---

11.45 म.पू.

**शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति**

**उन्नीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश**

**श्री सुधीर गिरि** (कन्टाई) : महोदय, मैं शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के 'राष्ट्रीय आवास नीति, मई-1992' के संबंध में चौथे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

---

11.45½ म.पू.

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

**बोस्निया-हर्जेगोविना की स्थिति**

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : हाल ही के सप्ताहों में अनेक घटनाओं ने पुर्व युगोस्लाविया के बोस्निया और अन्य हिस्सों में चल रही लड़ाई के दु:खद परिणामों को पुन: रेखांकित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की ये आशाएं, कि इस क्षेत्र में मेलमिलाप और शांति की स्थापना करना सम्भव होगा, अभी तक बेबुनियाद साबित होती रही है। युद्ध विराम, जिससे सराजेवो और अन्य नगरों के नागरिकों के जीवन के कई महीनों तक रक्षा हुई थी और उनमें आशा का संचार हुआ था, भंग हो गया है और लड़ाई पुन: शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिन क्षेत्रों को रक्षा प्रदान की जा रही है। उन पर सिलसिले वार हमलों से तथा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापकों को बंधक बनाये जाने से इस संकट में नये और भयानक आयाप ही नहीं जुड़े है बल्कि उनसे भविष्य के लिए अशुभकारी और खतरनाक मिसाले भी कायम हुई है। लड़ाई का क्षेत्र उत्तरोत्तर व्यापक हो रहा है और इससे अधिक व्यापक लड़ाई की काली छाया फिर मंडराने लगी है जिसका प्रभाव समग्र यूरोप की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है।

भारत सरकार इन घटनाओं पर गम्भीर चिन्ता और खेद के साथ निगाह रखती रही है। जातीय-संहार, बल प्रयोग द्वारा लोगों को जाने के लिए मजबूर करना तथा अन्य अत्याचार किसी भी सभ्य समाज में निर्दनीय तो है ही, पूर्णतया अस्वीकार्य भी है। बोस्निया-हर्जेगोविना में इस का मुख्य शिकार जनता और विशेष रूप से कतिपय जातीय समूह रहे है। यह स्पष्ट है कि सैन्य समाधानों का अनुसरण निरर्थक ही नहीं बल्कि निष्फल भी है। भारत सरकार का मानना है कि केवल औचित्य पूर्ण, न्याय संगत और सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य राजनीतिक समाधान ही स्वीकार्य स्थायी समाधान हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र और संपर्क दल को चाहिए कि वे कोई व्यवहार्य राजनीतिक समाधान खोजने के लिए अपने प्रयास जारी रखें, भले ही इस समय यह कार्य कितना भी दुष्कर प्रतीत क्यों न हो। यद्यपि इस प्रकार का समाधान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक नहीं ढूंढ पाया है फिर भी परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इसकी तलाश जारी रखना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति में इस आशय के प्रश्न उठाये जाते रहे है कि क्या संयुक्त राष्ट्र शांति बहाल कर सकेगा और इस लड़ाई के समाधान की दिशा में कोई कारगर योगदान दे सकेगा। इस प्रकार हवाई कार्यवाही और शस्त्र प्रतिबंध उठाने जैसी कार्यवाहियों के लिए दबाव अवश्य बढ़ेगा और इस विकल्प का केवल उस स्थिति में ही सहारा लिया जा सकता है जब खून-खराबे और हत्याओं के रूकने का कोई आसार नजर नहीं आता हो। इसका मतलब पूर्व युगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की पूर्णत: समाप्ति है। हमारा मानना है कि यह एक नकारात्मक घटना होगी जिससे लड़ाई बढ़ेगी तथा और हत्या तथा खून-खराबे होंगे।

**श्री ई. अहमद** (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं बोस्निया-हर्जेगोविना के संबंध में भारत के रूख के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अन्यथा हम इस पर चर्चा जारी रख सकते थे।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : अभी संवैधानिक विधेयक लिये जाने है। कृपया उस पर जोर न दें।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कल हम विधेयक पारित नहीं कर पाये थे। अब इसको लेते है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। बाद में बिल्कुल आखिर में, यदि आप ऐसा समझे कि सब कुछ निपटाया जा चुका है तो 6 बजे आप इसे ले सकते है।

अब, पुर:स्थापित किए जाने हेतु विधेयक।

---

11.49 म.पू.

## नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक*

[हिन्दी]

**कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने वाले विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** (गढ़वाल) : महोदय, इस पर मेरी एक आपत्ति है।

**अध्यक्ष महोदय** : किस बात पर आपत्ति है ?

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : यदि आप मुझे एक या दो मिनट की अनुमति दे तो विधेयक के पुर:स्थापन से पहले, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा।

महोदय, यह विधेयक पुन:स्थापित किया जा रहा हैं।

[हिन्दी]

हमको इसके इंट्रोडक्शन में कोई एतराज नहीं है। यह अच्छा बिल है, हम इंट्रोडक्शन में इसके लिए व्यवधान नहीं डालना चाहते है। लेकिन आज एक वक्तव्य सरकुलेट किया गया, जिसके अनुसार दो दिन का समय न देने के लिए इन्होंने हमको एक वजह दी है।

जो वक्तव्य दिया गया है, इसमें लिखा गया है, यह 1991 का बिल है, जब इसको वापिस लेने को कहा गया था, तब यह आश्वासन दिया गया था कि इसको संसद के इस सत्र के दौरान लाया जायेगा। एक तो मंत्री महोदय इंट्रोड्यूज करने से पहले बताएं कि यह आश्वासन कैसे दिया गया था और क्या यह संभव नहीं था कि आप दो दिन का समय देते। यह बार-बार की आदत हो गई है कि सदस्यों को दो दिन का समय नहीं दिया जाता। आप बार-बार हमारी अनदेखी कर रहे है, दूसरी चीज जो वह शब्दावली है, इसमें लिखा है कि यह आवश्यक है कि विधेयक को प्रस्तुत करके इस पर विचार किया जाए और लोकसभा द्वारा 26 अगस्त 1995 को पारित किया जाए। लेकिन कार्यसूची में कुछ और लिखा हुआ है। यदि इस बिल को पारित करना है तो यह क्या हो रहा है कृप्या इंट्रोडक्शन के पहले समझाइये।

[हिन्दी]

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, लेबर वैलफेयर की स्थाई समिति में भी इसको विचार के लिए रखा गया, जबकि या प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि कोई भी बिल प्रस्तुत करने से पहले स्थाई समिति में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इंट्रोडक्शन के बाद करते है।

[अनुवाद]

**श्री मणि शंकर अय्यर** (मईला दुतुराई) : चूंकि इसे विश्वास है कि पूरा सदन... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह पुर:स्थापन के लिए है। आप कृप्या कार्यसूची पढ़ लें।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : महोदय, चूंकि मुझे विश्वास है कि पूरा सदन भारतीय समाज के अत्यधिक निसहार्य वर्ग, जिनकी राज्य के प्रति अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, के लिए किए जा रहे इस अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय का समर्थन करता है, तथा आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह केवल इस विधेयक को पुर:स्थापित ही न करें अपितु जब हम अन्य प्रस्तावों पर सांय 6 बजे चर्चा निपटा लें, उसके बाद इस विधेयक पर भी विचार करने तथा इसे पारित करने हेतु प्रस्ताव पेश करें।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यद्यपि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि बिल पारित किया जाए, लेकिन एजेन्डा में केवल इंट्रोडक्शन की बात की गई है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कैसे किया जा सकता है?

**श्री राम नाईक** : उन्होंने ऐसा कहा है। एजेन्डा में नहीं दिखाया गया है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री महोदय द्वारा यह स्टेटमेंट देने के बाद भी मैं आपने सिर्फ इंट्रोड्यूज करने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन शाम को ऐसा न हो कि कहीं से यह बात आ जाए कि इसको पास करना है।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यसूची में जो लिखा है वह अंतिम है। जो बिल इतने दिनों से पड़ा है। तो उसके लिए दो दिन का नोटिस देने में क्या दिक्कत थी। ठीक है कि हाउस एकमोडेट करता है, सभी एकमोडेट करते है लेकिन हमेशा के लिए यह बात नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसके समर्थन का मंत्री का इरादा अच्छा है और इसी कारण वह ऐसा करने का प्रयास कर रहे है। यदि कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई हो तो उसे समझा जा सकता है।

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 26 अगस्त, 1995 में प्रकाशित राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल पुर:स्थापन के लिए है। अगले सत्र में इसे पारित किया जाएगा।

**श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य** (जादवपुर) : हम विधेयक का समर्थन करेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। परन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे सत्र के बिल्कुल आखिर में लाया गया है। हम इस पर पुर्नविचार करना चाहेंगे...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिए केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, हम भी समय का सदुपयोग नहीं कर रहे है। हमें यह समझना चाहिए।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : इस भारतीय पुर्नवास परिषद संबंधी अधिनियम पर भी पुर्नविचार करना होगा (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कृप्या बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : अध्यक्ष महोदया, पारित शब्द इसमें कैसे आ गया?

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, उन्होंने लिखा है, हमने तो नहीं लिखा है। इन असेंशियल चीजों पर झगड़ा टाइम गवा कर असेंशियल चीजों को आप पास नहीं करवा पाते है, इट इज वैरी डिफीकल्ट। अगर किसी को रिसपोसिबिलिटी शेअर करना है तो सब को करनी पड़ेगी, किसी एक पर रिसपोसिबिलिटी नहीं आयेगी।

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : कल 10 बजे तक बैठ कर 7 बिल पास करवाये है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :-

> "कि एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री सीताराम केसरी** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

**श्री सोमनाथ चट्टर्जी** (बोलपुर) : कतिपय मुद्दों का उल्लेख किया गया था तथा आपने भी एक टिप्पणी की थी। परन्तु मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया? कम से कम सदन से क्षमा याचना तो करनी चाहिए थी।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। इस तरह के विधेयक को पारित कराने में उनकी इच्छा, सदस्यता तथा उत्साह की मैं प्रशंसा करता हूँ। यदि कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई है तो यह हम सबकी जिम्मेदारी हैं।

[हिन्दी]

**श्री कालका दास** : इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस को हल्के तरीके से आखिरी दिन में लाए है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्रीमती गिरिजा देवी** (महाराजगंज) : यह आवश्यक है कि कोई प्रकियात्मक बाधा न हो। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मैं उनसे कुछ भी पूछने वाला नहीं हूँ।

(व्यवधान)

---

**अध्यक्ष महोदय** : नियम 377 के अधीन अभी मामले नहीं लिए जायेंगे।

**श्री लाईता उम्ब्रे** (अरूणाचल पूर्वी) : महोदय, मैंने सूचना दी थी।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी सूचना आपको मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन फिर भी मैं आपको अनुमति देता हूँ।

(व्यवधान)

**श्री लाईता उम्ब्रे** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या है? जरा बताइए।

**श्री लाईता उम्ब्रे** : महोदय, मैं मात्र यह कहना चाहता था कि अरूणाचल प्रदेश के लोगों की सचमुच ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वह चीन जाएं अथवा वहां की यात्रा करे फिर भी दुर्भाग्यवंश उनमें से अरूणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अथवा सरकारी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में चीन जाने हेतु वीसा के लिए आवेदन करता है तो चीनी दुतावास अरूणाचल के लोगों को वीसा देने से मना कर दिया जाता है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसे शून्य काल के दौरान उठाया जा सकता है। आप भी इसका समर्थन कर रहे है।

(व्यवधान)

**श्री लाईता उम्ब्रे** : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

व्यवधान

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैं आपको अनुमति देता हूँ।

(व्यवधान)

**श्री लाईता उम्ब्रे** : मुझे बीच में रोके नहीं। (व्यवधान)

आप नहीं चाहते कि इस माननीय सभा में मैं अरूणाचल के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करूं। मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष पीठ इसमें हस्तक्षेप करें। उन्हें सहयोग करना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, मैं इस बात से नाराज हूँ। मैंने अनेक बार सूचना दी है, उसके बावजूद भी मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। जो बात मैं कहना चाहता था वह यह है कि हो सकता है कि चीन से हमारे संबंधों में धीरे-धीरे सुधार के कारण विदेश मंत्रालय अथवा भारत सरकार ऐसा कोई विरोध जाहिर नहीं करना चाहती जिससे कि संबंधों पर असर पड़े लेकिन फिर भी हमें लोगों की भावनाओं को समझना

चाहिए और यही कारण है कि मैंने इसे उन लोगों का जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ को चुनौती दिये जाने या अपमान किये जाने के रूप में लिया है।

चीन अरूणाचल प्रदेश को अपने अंग होने का दावा कर रहा है लेकिन मैं इस सभा में पहले भी कह चूका हूँ कि अरूणाचल प्रदेश के इतिहास से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह कभी भी चीन के अधीन रहा है। तिब्बत से हमारा संबंध रहे है और कारोबार भी होता रहा है। जहां तक चीन का संबंध है उसने तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात उसने अरूणाचल प्रदेश पर दावा करना शुरू कर दिया। न जाने सरकार इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है। वस्तुत: महिला शिष्ट मंडल के किसी भी सदस्य को नहीं भेजा जाना चाहिए था, सम्पूर्ण महिला शिष्ट मंडल द्वारा इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए था। शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों के कुछ सदस्यों अथवा किसी व्यक्ति को वीसा देने से अस्वीकार क्यों किया गया? अरूणाचल प्रदेश कोई विवाद ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। मेरी राय में अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, और रहेगा। यदि भविष्य में चीन द्वारा अरूणाचल के किसी भी व्यक्ति को वीसा नहीं दिया जाता है तो हमारे समस्त शिष्टमंडल द्वारा इसका विरोध किया जाना चाहिए तथा चीन की यात्रा भी विरोध स्वरूप रद्द कर देनी चाहिए।

---

12.07 म.पू.

**संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक**

**(नौवीं सूची में संशोधन)**

**राज्यसभा द्वारा यथापारित–जारी**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक (नौवीं अनुसूची में संशोधन) पर चर्चा करेंगे।

दीर्घायें खाली कर दी जाएं

अब, दीर्घायें खाली हो गई है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

12.08 म.प.

**लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।**

**पक्ष में**

**मत विभाजन संख्या 1**

अंसारी, डा0 मुमताज
अकबर पाशा, श्री बी0
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अन्तुले, श्री ए0आर0
अनवर श्रीमती के. पदमश्री
अयूब खां, श्री
अहमद, श्री ई0
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उमराव सिंह, श्री
उम्ब्रे, श्री लाईता
ओडेचार, श्री चनैया
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कमल नाथ, श्री
करेहुला, श्रीमती कमला कुमारी
कामसन, प्रो0 एम0
काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालियापेरूमल, श्री पी0पी0
काले, श्री शंकर राव दे0
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी0के0
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम0
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती
कैनिथी, डा0 विश्वनाथम
कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कोली, श्री गंगा राम
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खनोरिया, मेजर डी0डी0
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) चन्द
खां, श्री सुखेन्दु
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगवार, डा0 परशुराम
गगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपीनाथ
गहलौत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गिरि, श्री सुधीर
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोपालन, श्रीमती सुशीला

गमांग, श्री गिरिधर
गौतम, श्रीमती शीला
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी0
चाको, श्री पी0सी0
चार्ल्स, श्री ए0
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चिंता मोहन, डा0
चौधरी, स्क्वैड्न लीडर कमल
चौधरी, डा0 के0वी0 आर0
चौधरी, श्री पंकज
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
छोटे लाल, श्री
जनार्दनन, श्री एम0आर0 कादम्बूर
जसवन्त सिंह,
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाटव, श्री बारे लाल
जीवरत्नम, श्री आर0
जेना, श्री श्रीकान्त
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन0
संगकाबालु, श्री के0वी0
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
थामस, श्री पी0सी0
थिटे, श्री बापू साहिब
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दीवान, श्री पवन
देवरा, श्री मुरली
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धर्मभिक्षम, श्री
नंदी, येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नारायणन, श्री पी0जी0
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पाडियन, श्री डी0
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री रामपूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा0 (श्रीमती) पद्मा
पवार, डा0 वसंत
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री शिवराज वी0
पाटिल, श्री उत्तमरव देवराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी0
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल
पायलट, श्री राजेश
पासवान, श्री सुकदेव
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के0
प्रमाणिक, श्री आर0आर0
प्रसाद, श्री वी0 श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री बी0एल0 शर्मा
फारूक, श्री एम.ओ0एच0
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बाला, डा0 असीम
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भड़ाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी0
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मरबनिआंग, श्री पीटर जी0
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस0
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
माडे गौडा, श्री जी0
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्री प्रमथेश
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के0एच0
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरूगेसन, डा0 एन0
मूर्ति, श्री एम0वी0 चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के0एम0
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन सिंह, श्री
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल
यादव श्री रामलखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, डा0 एस0पी0
राज नारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुंधरा
राठवा, श्री एन0जे0
राम, श्री प्रेमचन्द
राम बाबू, श्री ए0 जी0 एस0
रामसिंह, श्री
राय, श्री रवि
राय, श्री राम निहोर
राय, श्री लाल बाबू
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री पी0वी0 नरसिंह
राव, राम सिंह, कर्नल
राव, श्री वी. कृष्ण
रावत, प्रो0 रासा सिंह
रावल, डा0 लाल बहादुर
रेड्डी, श्री एम0जी0
रेड्डी, श्री बी0एन0
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो0 सावित्री
लवली आनन्द, श्रीमती
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, कुमारी विमला
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वान्डायार, श्री के0टी0
वासनिक, श्री मुकुल
शंकरानन्द, श्री बी0
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा0 महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी0बी0
शिवरामन, श्री एस0
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सईद, श्री पी0एम0

सब्बुवार्ला, श्री विजयराम राजू
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
साक्षी जी, डा०
सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिल्वेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री सत्यदेव
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंहदेव, श्री के०पी०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुब्बाराव, श्री थोटा
सुर, श्री मनोरंजन
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोडी, श्री मानकुराम
सोरेन, श्री शिबू
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री जी० वेंकट
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

**विपक्ष में**

**कोई नहीं**

**अध्यक्ष महोदय :** मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार रहा :-

पक्ष में = 336 **

विपक्ष में - कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :-

पक्ष में :- सर्वश्री पूर्णो ए. संगमा, रघुनन्दन लाल भाटिया, अरविन्द नेताम, पी.वी रंगय्या नायडू, श्रीमती बासवा राजेश्वरी, कुमारी शैलजा, सर्वश्री राम लाल राही, एम. बागा रेड्डी, मोहन लाल झिकराम, के. राममूर्ति टिंडिवनाम, बी.एम. मुजाहिद, बी.के. गुडाडिन्नी, श्री बल्लभ पाणिग्रही, इम्चालम्बा, मणि शंकर अय्यर, अनवरी बासवराज पाटिल, जंगवीर सिंह, ए. वेंकट रेड्डी, नारायण सिंह चौधरी, जी. गंगा रेड्डी, संतोष मोहन देव, परसराम भारद्वाज, श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ, सर्वश्री माणिकराव होडल्या गावीत, डा. पी. वल्लल पेरूमान, सर्वश्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, गुरूदास कामत, असलम शेर खां, ए. प्रताप साय, हरीश नारायण प्रभु झांट्ये, तारा सिंह, श्रवण कुमार पटेल, प्रफुल पटेल, विश्वेश्वर भक्त, डा. आर. मल्लू, सर्वश्री केवल सिंह, भवानी लाल वर्मा, आस्कर फर्नान्डीज, उदय सिंह राव गायकवाड़, डा. कृपासिन्धु भोई, सर्वश्री गुलाम मोहम्मद खां, रामव अवध, शिव शरण वर्मा, सूर्य नारायण यादव, लक्ष्मण सिंह, भेरू लाल मीणा, सुभाष चन्द्र नायक, हरचन्द सिंह, गुरचरण सिंह [illegible], राम बदन, अभय प्रताप सिंह, चित्त बसु, भोगेन्द्र झा, अमल दत्त, रूपचन्द पाल, श्रीमती गीता मुखर्जी, सर्वश्री सी. श्रीनिवासन, बी. राजारवि वर्मा, रामाश्रय प्रसाद सिंह, सूरज मंडल, मारूति देवराम शेल्के, प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती, सर्वश्री उदय प्रताप सिंह, तरित वरण तोपदार, सुब्रत मुखर्जी, हाराधन राय, जितेन्द्र नाथ दास, रूपचन्द मुरमु, सैफुद्दीन चौधरी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राम विलास पासवान, सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस सलीम, नीतीश कुमार, संतोष कमार गंगवार, छेदी पासवान, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री मंजय लाल, राम प्रसाद सिंह, डा. जयन्त रंगपी, सर्वश्री मुही राम सैकिया, राजेश कुमार, महेन्द्र बैठा, डा. फैयाजुल आज़म, सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, रामपाल सिंह, प्रो. प्रेम धूमल, सर्वश्री राम नाईक, कालका दास, रूद्रसेन चौधरी, प्रो. रीता वर्मा, सर्वश्री मंगलराम "प्रेमी", हरिसिंह चावड़ा, रामदेव राम, द्वारका नाथ दास तथा राम नारायण बैरवा (97)

**तथापित शुद्धि पर्चियों की गणना करने के बाद अन्तिम परिणाम इस प्रकार रहा :-

पक्ष में : 240+97 = 337

विपक्ष में कोई नहीं

**कुछ माननीय सदस्य :** महोदय, इलैक्ट्रोनिक मशीन कार्य नहीं कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्य कर रही है। आप को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि बटन उचित तरीके से दबाये। कम से कम मेरे पास इसका प्रमाण पत्र है। कि यह सही काम कर रही है और सुबह ही इसकी जांच भी की गई है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यालय से प्राप्त प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि लोकसभा कक्ष में लगायी गयी स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली की सुबह ही जांच की गई तथा यह पाया गया कि यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यही कारण है कि मैंने सचिवालय के अधिकारियों से यह जांच करने को कहा है कि किसने और कैसे यह प्रमाणपत्र जारी किया हम इसकी जांच करेंगे।

अब, सदन में खंडवार विचार आरम्भ होगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि अनेक माननीय सदस्य बाहर इंतजार कर रहे है। अतः दीर्घायें फिर से खाली करायी जाएं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब दीर्घायें खाली हो गयी है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

12.30 म.प.

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ :**

**पक्ष में**

**मतविभाजन संख्या 2**

अंसारी, डा0 मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी0

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द

अब्दुल गफूर, श्री

अयूब खां, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरूणाचलम, श्री एम0

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री ई0

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इम्बालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरल

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

ओडियार, श्री वनैया

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कमल नाथ, श्री

करेडुला, श्रीमती कमला कुमारी

कामत, श्री गुरूदास

कामसन, प्रो0 एम0

काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कालकादास, श्री

कालियापेरूमल, श्री पी0पी0

काले, श्री शंकर राव दे0

कासु, श्री वेंकट कृष्ट रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी0के0

कुमार, श्री नीतीश

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुली, श्री बालिन

कुसमरिया, डा0 रामकृष्ण

कृष्ण स्वामी, श्री एम0

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती

कैनिथी, डा0 विश्वनाथम

कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कोली, श्री गंगा राम

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) चन्द्र

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु

खुर्शीद, श्री सलमान

गंगवार, डा0 परशुराम

गहलौत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गिरि, श्री सुधीर

गुडाडिन्नी, श्री बी0के0

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गमांग, श्री गिरिधर

गौतम, श्रीमती शीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी0

चाको, श्री पी0सी0

चार्ल्स, श्री ए0

चालिहा, श्री किरिप

चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चावडा, श्री हरि सिंह

चिंता मोहन, डा0

चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल

चौधरी, डा0 के0वी0 आर0

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रूद्रसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
छोटे लाल, श्री
जनार्दनन, श्री एम0आर0 कादम्बूर
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
झां, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन0
तंगकाबालु, श्री के0वी0
तारा सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
थामस, श्री पी0सी0
थिटे, श्री बापू साहिब
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रामसुन्दर
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दीवान, श्री पवन
दुबे, श्रीमती सरोज
देवरा, श्री मुरली
देवी, श्रीमती विभू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमल, प्रो0 प्रेम
नंदी, येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा

नाईक, श्री राम
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पाडियन, श्री डी0
पवार, श्री हरपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री रामपूजन
डा0 (श्रीमती) पद्मा
पवार, डा0 वसंत
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी0
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचौला, श्री वी0आर0 नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के0
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, प्रो0 आर0आर0
प्रसाद, श्री वी0 श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री बी0एल0 शर्मा
प्रेमी, श्री मंगलराम
फारूक, श्री एम0ओ0एच0
बंसल, श्री पवन कुमार
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा0 असीम
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा0 कृपासिन्धु

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनतकुमार
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
महतो, श्री शैलेन्द्र
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री जनार्दन
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री प्रमथेश
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के०एच०
मुरूगेसन, डा०एन०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मैथ्यू, श्री पाला के०एम०
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव श्री रामलखन सिंह
यादव, श्री सूर्यनारायण
राज नारायण, श्री
राजरविवर्मा, श्री०बी०
राजे, श्रीमती वसुंधरा
राठवा, श्री एन०जे०
राम अवध, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
राम बाबू, श्री ए०जी०एस०
रामसिंह, श्री
राय, श्री राम निहौर
राय, श्री लाल बाबू
राय, श्री हाराधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
राव राम सिंह, कर्नल
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावल, डा० लाल बहादुर
राही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के०पी०
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री एम०जी०
रेड्डी, श्री बी०एन०
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लवली आनन्द, श्रीमती
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, प्रो० रीता
वर्मा, श्री शिव शरण
वान्डायार, श्री के०टी०
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी०बी०
शिवरामन, श्री एस०
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शल्के, श्री मारूति देवराम
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी०एम०
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू
सरस्वती, श्री योगानन्द
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
साक्षी जी, डा०
सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या
साय, श्री ए० प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिल्वेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामप्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंहदेव, श्री के0पी0

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

सोडी, श्री मानकूराम

सोरेन, श्री शिबू

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

स्वामी, श्री जी0 वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

**विपक्ष में** – कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 355

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**खंड 2 विधेयक का अंग बना।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :-

**पक्ष में :** सर्वश्री पी.वी. नरसिंह राव, बलराम जाखड़, ए.आर. अन्तुले, मुकुल वासनिक, अजित पांजा, तरूण गगोई, एडुआर्डो फैलीरो, मल्लिकार्जुन, आर.एल. भाटिया, श्रीमती बासवा राजेश्वरी, सर्वश्री पवन सिंह घाटोवार, कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी, कुमारी विमला वर्मा, सर्वश्री प्रतापराव बी. भोंसले, के. राममूर्ती टिंडिवनाम, बी.एम. मुजाहिद, श्रीबल्लभ प्राणिग्रही हरिलाल ननजी पटेल, अन्वरी बसवराज पाटील, जंगबीर सिंह, जी. माडे गौडा, ए. वेंकट रेड्डी, नारायण सिंह चौधरी, जी. गंगा रेड्डी, संतोष मोहन देव, परसराम भारद्वाज, श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ, सर्वश्री माणिकराव होडल्य गावीत, एल. अडईवलराज, सत्यपाल सिंह यादव, डा. पी. वल्लल पेरूमान, सर्वश्री आर. जीवरत्नम, श्रीमती के. पदमश्री अनवर, सर्वश्री श्रवण कुमार पटेल, प्रफुल पटेल, विश्वेश्वर भगत, दत्ता मेघे, श्रीमती संतोष चौधरी, डा. आर. मल्लु, ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, सर्वश्री केवल सिंह, स्वरूप उपाध्याय, बी. शंकरानंद, शिव चरण माथुर, श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर, सर्वश्री नाथू राम मिर्धा, इन्द्र जीत, ओस्कर फर्नान्डीज, गोविन्द चन्द मुंडा, उदयसिंहराव गायकवाड़, धर्मपाल सिंह मलिक, गुलाम मोहम्मद खां, गोपी नाथ गजपति, थोटा सुब्बाराव, सुभाष चन्द्र नायक, हरचन्द सिंह, राम बदन, अभय प्रताप सिंह, पी.जी. नारायण, इन्द्रजीत गुप्त, अमल दत्त, सी. श्रीनिवासन, सूर्य नारायण सिंह, सत्यगोपाल मिश्र, सूरज मंडल, विजय कुमार यादव, पूर्ण चन्द्र मलिक, याईमा सिंह युमनाम, प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती, सर्वश्री उदय प्रताप सिंह, तेज नारायण सिंह, एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार, धर्मभिक्षम, प्रेम चन्द राम, जितेन्द्र नाथ दास, रूपचन्द मुरमु, सत्येन्द्र नाथ ब्रहमो चौधरी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मोहन सिंह (देवरिया) रवि राय, हन्नान मोल्लाह, डा. एस.पी. यादव, हरि किशोर सिंह, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार गंगवार, श्रीमती गिरिजा देवी, सर्वश्री मंजय लाल, राजेश कुमार, नरेश कुमार बलियान, डा. जी.एन. कनौजिया, सर्वश्री मोहन रावते, सुरेन्द्र पाल पाठक, राम नरेश सिंह, डा. फैयाजुल, सर्वश्री शिव राज सिंह चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, कड़िया मुण्डा, श्रीमती महेन्द्र कुमार, सर्वश्री सत्य देव सिंह, भगवान शंकर रावत सोमभाई पटेल, राम टहल चौधरी, द्वारकानाथ दास, दत्तात्रेय बंडारू, गभाजी मंगाजी ठाकुर, मेजर डी.डी. खनौरिया, सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, राम नारायण बेरवा, अरविन्द त्रिवेदी और डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे, विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

**[हिन्दी]**

**ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री (श्री जगन्नाथ मिश्र) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

''कि विधेयक पारित किया जाए''

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय :** विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह

संविधान (संशोधन) विधेयक है, अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा। दीर्घायें खाली कर दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं :-

प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाए"

12.49 म.प.

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ।**

**पक्ष में**

**मतविभाजन संख्या 3**

अंसारी, डा0 मुमताज
अकबर पाशा, श्री बी0
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल0
अन्तुले, श्री ए0आर0
अनवर, श्रीमती के. पदमश्री
अमरपाल सिंह
अब्दुल गफूर, श्री
अयूब खां, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरूणाचलम, श्री एम0
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अहमद, श्री ई0
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्रजीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उमराव सिंह, श्री
उम्ब्रे, श्री लाईता
ओडियार, श्री चनैया
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
करेडुला, श्रीमती कमला कुमारी
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो0एम0
काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालकादास, श्री
कालियापेरूमल, श्री पी0पी0
काले, श्री शंकर राव दे0
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी0के0
कुमार, श्री नीतीश
कुमालमंगलम, श्री रंगराजन
कुली, श्री बालिन
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
कृष्ण स्वामी, श्री एम0
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती
कैनिथी, डा0 विश्वनाथम
कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कोली, श्री गंगा राम
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खनोरिया, मेजर डी0डी0
खन्डूरी, मेजर जनरल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुर्शीद, श्री सलमान
गंगवार, डा0 परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपीनाथ
गामीत, श्री छीतूभाई
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी0के0
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गमांग, श्री गिरिधर
गौतम, श्रीमती शीला
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
घाटेवार, श्री पवन सिंह
[illegible]वर्ती, प्रो0 सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी0
चाको, श्री पी0सी0
चार्ल्स, श्री ए0
चालिहा, श्री किरिप
चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चावडा, श्री हरिसिंह

चिदम्बरम, श्री पी0
चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल
चौधरी, डा0 के0वी0 आर
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री रूद्रसेन
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
चौहान, श्री चेतन पी0एस0
छोटे लाल, श्री
जंगबीर सिंह, श्री
जनार्दनन, श्री एम0आर0 कादम्बूर
जसवन्त सिंह, श्री
जाखड़, श्री बलराम
जाटव, श्री बारे लाल
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर0
जेना, श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के0 राममूर्ति
टोपे, श्री अंकुशराव
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन0
संगकाबालु, श्री के0वी0
तारा सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित वरण
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
थामस, श्री पी0सी0
थिटे, श्री बापू साहिब
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री अमल
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी, श्रीमती विभू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धूमल, प्रो0 प्रेम
नंदी, येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री मृत्युंजय
नारायणन, श्री पी0जी0
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पाडियन, श्री डी0
पवार, श्री हरपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री उत्तमभाई हरजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री वृशिण
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा0 (श्रीमती) पद्मा
पवार, डा0 वसंत
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी0
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल
पाणिग्राही, श्री श्रीवल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोल्ला, श्री वी0आर0 नायडू

पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, प्रो० आर०आर०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री बी०एल० शर्मा
प्रेमी, श्री मंगल राम
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फारूक, श्री एम०ओ०एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बैरवा, श्री राम नारायण
बैठा, श्री महेन्द्र
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भौंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिंधु
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
महतो, श्री शैलेन्द्र

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
माडे गौडा, श्री जी०
माथुर, श्री शिवचरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री रामनिवास
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री प्रमथेश
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी०एम०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनियप्पा, श्री के०एच०
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरूगेसन, डा० एन०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के०एम०
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम कृपाल
यादव श्री रामलखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, डा० एस०पी०
यादव, श्री शरद
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा० जयन्त
राजनारायण, श्री
राजरवि वर्मा, श्री बी०
राजे, श्रीमती वसुंधरा
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
राठवा, श्री एन०जे०
राम अवध, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
राम बदन, श्री

राम बाबू, श्री ए.जी.एस.
रामसिंह, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री राम निहोर
राय, श्री लाल बाबू
राय, श्री हाराधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री पी0वी0 नरसिंह
राव, राम सिंह, कर्नल
राव, श्री वी0 कृष्ण
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो0 रासा सिंह
रावले, श्री मोहन
राही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के0पी0
रेड्डी, श्री ए0 वेंकट
रेड्डी, श्री एम0 बागा
रेड्डी, श्री एम0जी0
रेड्डी, श्री बी0एन0
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो0 सावित्री
लवली आनन्द, श्रीमती
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, प्रो0 रीता
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री शिव शरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वान्डायार, श्री के0टी0
वासनिक, श्री मुकुल
शंकरानन्द, श्री बी0
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा0 महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी0बी0
शिवरामन, श्री एस0
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शल्के, श्री मारूति देवराम
शैलजा, कुमारी
श्रीनिवासन, श्री सी0
संगमा, श्री पूर्णो ए0
सईद, श्री पी0एम0
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा0 गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
साक्षी जी, डा0
सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या
साय, श्री ए0 प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिद्धार्थ, श्रीमती डी0के0 तारा देवी
सिल्वेरा, डा0 सी0
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, डा0 छत्रपाल
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री रामनरेश
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्री सत्यदेव
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंहदेव, श्री के0पी0
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुब्बाराव, श्री थोटा
सुर, श्री मनोरंजन
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सैकिया, श्री मुहीराम
सैयद, श्री शहाबुद्दीन
सोढी, श्री मानकुराम
सोरेन, श्री शिबू
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

स्वामी, श्री जी0 वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हरचन्द सिंह, श्री

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसदूल

**विपक्ष में** - कोई नहीं

**अध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :-

पक्ष में : 325

विपक्ष में : कोई नहीं।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :- सर्वश्री कमलनाथ, डा0 चिन्ता मोहन, सर्वश्री अनवरी बसवराज पाटिल, जी0 गंगा रेड्डी, अशोक गहलाते, विलास मुन्तेमवार, माणिकराव, होडल्या गावीत, सत्यपाल सिंह यादव, केवल सिंह, उदयसिंह राव गायकवाड़, मोती लाल सिंह, गुलाम मोहम्मद खां, खेलन राम जांगडे, सूर्य नारायण यादव, आनन्द अहिरवार, सुभाषचन्द्र नायक, सूर्य नारायण सिंह, सूरज मंडल, ब्रह्मानन्द मंडल, उदय प्रताप सिंह, मेजर जनरल आर0जी0 विलियम्स, सर्वश्री तेजनारायण सिंह, एस0एस0आर0 राजेन्द्र कुमार, धर्मभिक्षम, प्रेमचंद राम, जितेन्द्र नाथ दास, रूपचंद मुरमु, सतेन्द्रनाथ ब्रहम चौधरी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, धीश चन्द्र दीक्षित, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री राजेश कुमार, नरेश कुमार बालियान, डा0 जी0एल0 कनौजिया, सर्वश्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, डा0 फैयाजुल आजम, सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, रामपाल सिंह, दत्तात्रेय बंडारू और पंकज चौधरी (40)

**12.50 म.प.**

## संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक

**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा विधेयक संसद सदस्यों के वेतन के बारे में है, यदि हम निःशक्तता से संबंधित विधेयक को न लें और यदि हम उसे स्थायी समिति को सौंपना चाहते है तो इस तरह से उस विधेयक को लेना उचित नहीं होगा, यदि सभी सदस्य सहमत हों तो हम इसे अगले सत्र में लेंगें। इसलिए इसे स्थायी समिति को सौंपा जाए.

(व्यवधान)

**श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी (दमदम)** : उससे भी पहले विधेयक की पुर:स्थापन अवस्था पर मैंने ध्यान दिलाया था कि विधेयक उद्देश्य और कारण एक दिशा में है......(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृप्या यह आवश्यक नहीं है, हम इसे स्थायी समिति को सौंप रहे है, इसे वापस आने दीजिए फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हम मद संख्या 15 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें निःशक्तता विधेयक, पेंशन विधेयक और इन सभी को स्थायी समिति को सौंपे बिना नहीं ले रहे है।

...(व्यवधान)

**श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी** : महोदय, कौन सी स्थायी समिति?.. ..(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नियमों का अध्ययन करूंगा, और निश्चित करूंगा कि इन्हें किस समिति को सौंपा जाना है।

---

**12.52 म.प.**

## संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक (असम राज्य पर छठी अनुसूची का लागू होना)

### राज्यसभा द्वारा यथापारित

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक को लेंगे :

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0एम0 सईद)** : महोदय, श्री एस0बी0 चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि भारत के संविधान में, असम राज्य को उसके लागू होने में, और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये"

महोदय, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में काफी विचार विमर्श के बाद संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायन्त जिला परिषदों के गठन का उपबंध किया है। स्वायन्त जिला परिषद जनजातीय लोगों को निचले स्तर पर योजना के माध्यम से विकास में निर्णायक भूमिका देकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए नवीन संवैधानिक व्यवस्था की छठी अनुसूची के अन्तर्गत गठित स्वायन्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि, वन, झूम कृषि, सिंचाई, शहर और ग्राम प्रशासन तथा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसी सामाजिक प्रथाओं के क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

पहले छठी अनुसूची असम, मेघालय और मिजोरम प्रत्येक में तीन

जिलों पर लागू होती थी। बाद में 1984 में छठी अनुसूची को त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर भी लागू किया गया था, तथा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया था। जहां तक मिजोरम और त्रिपुरा का संबंध था उसके बाद 1988 में छठी अनुसूची में और संशोधन किया गया।

इन संशोधनों के माध्यम से, इन राज्यों के राज्यपालों को, स्वायत्त जिला परिषदों पर राज्य सरकारों के समग्र नियन्त्रण को कम करने के उद्देश्य से स्वायत्त जिला परिषदों के कतिपय कृत्यों के संबंध में अधिक स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई थी। तथापि, ये संशोधन असम और मेघालय पर लागू नहीं किए गये थे।

असम में कर्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिलों पर संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत शासन किया जाता है, के प्रतिनिधि संगठन उक्त अनुसूची के अन्तर्गत उपलब्ध स्वायत्ता की मात्रा से असन्तुष्ट हैं। इसलिए, वे अधिक स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार तथा इनमें से कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्यों के बीच बातचीत के कई दौर हुए थे और अन्ततः 1 अप्रैल, 1995 को असम सरकार तथा इन संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में उक्त दोनों परिषदों को अतिरिक्त कार्यकारी तथा विधायी शक्तियां प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि विशेष रूप से परिषदों को सौंपे गये विषयों के संबंध में, जैसा कि छठी अनुसूची के पैरा 20-बी.बी. में उपबन्ध किया गया हैं, असम के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग को पुनः परिभाषित किया जाए। प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत, असम के राज्यपाल, के लिए पता लगाएं गये मामलों के संबद्ध में अपनी स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग से पूर्व संबंध स्वायत्त परिषदों से परामर्श करना होगा।

समझौता ज्ञापन का इन दो जिलों की जनजातीय जनसंख्या द्वारा अधिकांशतया स्वागत किया गया है। इस ज्ञापन को दोनों जिलों की कर्बी, डिमासा, हमार तथा कुकी जैसी जनजातियों द्वारा ठीक दिशा में कदम समझा गया था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर विभिन्न स्थानों पर बहुत खुशियां मनाई गई थी।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पीछे एक प्रमुख विचार असम राज्य की एकता को प्रभावित किये बिना छठी अनुसूची के अन्तर्गत उक्त दो जिलों के जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना रहा है। उक्त विधेयक का उद्देश्य असम में दो स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना है। इसमें अतिरिक्त विधायी शक्तियों के प्रयोग का उपबंध किया गया है। इसमें मिजोरम तथा त्रिपुरा की तरह राज्यपाल द्वारा अधिक स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग का उपबंध किया गया है। और इसमें ऐसी शक्तियों के प्रयोग में परिषदों से परामर्श का उपबंध किया गया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैं संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 की छठी अनुसूची को सभा के द्वारा विचार करने तथा पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान का, असम राज्य को उसके लागू होने में, और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

**श्री द्वारका नाथ दास** (करीम गंज) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। ये स्वायत्त परिषद में छठी अनुसूची के अंतर्गत बनायी गयी थी और मेरे विचार से यह विधेयक जनजातीय लोगों, विशेषकर कर्बी अंगलौंग तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के लोगों के विकास में काफी सहायक होगा। मेरे विचार से, ये दोनों जिले आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए है, मेरे विचार से जहां तक उनकी शिक्षा का संबंध है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रतिशत 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है और जहां तक महिलाओं का संबंध में उनका 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः स्वायत्त जिला परिषदें कर्बी जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में काफी सहायक होगा।

मेरे विचार से, इन स्वायत्त जिला परिषदों के अन्तर्गत कर्बियों की संस्कृति, उनके नृत्य तथा उन गीतों का विकास होगा।

जहां तक कृषि का संबंध है, पहले ये जनजातीय लोग झूम खेती किया करते थे।

लेकिन आजकल वनों की कटाई के कारण वास्तव में इस जनजातीय के कम से कम 10 प्रतिशत लोग भूमिहीन हो गए है। अब कहीं झूम खेती नहीं होती और इसलिए स्वायत्त जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक भूमिहीन व्यक्ति है।

उन्हें कृषि का विकास करना है। एक स्वायत्त परिषद अवश्य होनी चाहिए जो कर्बी तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र में कृषि का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मैं कर्बी तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र गया हूँ। मैंने पाया कि विशेषकर ये कर्बी लोग तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र के लोग अन्य जनजातिय लोगों की तुलना में अधिक पिछड़े है। अतः मैं यह महसूस करता हूँ कि कर्बी तथा कछार पहाड़ी क्षेत्र की यह स्वायत्त जिला परिषद, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य तथा अन्य का विकास करने में काफी सहायक होगी।

मैं उनकी कृषि का उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने पाया कि वहां कम से कम 12-13 प्रतिशत लोग भूमिहीन है।

इसलिए मैंने असम सरकार को कई बार लिखा था कि इन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन आज तक 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोग भूमिहीन है।

इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि कर्बी अंगलोंग का यह स्वायत्त जिला निश्चित रूप से अपनी कृषि का विकास करने के लिए भूमि प्रदान करेगा, जिसकी उन्हें काफी प्रतीक्षा है।

इसके अतिरिक्त उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र असम का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र भी है। अत: उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र का यह स्वायत्त जिला इन नार्थ कछार लोगों के साथ न्याय करेगा।

लेकिन मैं यहां भी यह महसूस करता हूं कि एक बात यह भी है कि जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, इस स्वायत्त पहाड़ी जिले की स्थिति अन्य जिलों से काफी खराब है। मेरे विचार से इस समय नौ स्वायत्त जिला परिषदें हैं। लेकिन उनमें से कर्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति अन्य स्वायत्त जिलों की स्थिति से अधिक खराब है। इसलिए हम स्वायत्त पहाड़ी जिलों की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए और इसी कारण से असम सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए ताकि कर्बी स्वायत्त पहाड़ी जिलें तथा उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र जिले की वित्तीय स्थिति अच्छी बने। अन्यथा उनकी वित्तीय स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं यह महसूस करता हूं कि वे कर्बी जातीय तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जाति के लिए कुछ नहीं कर रहे है।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि हम अखंड भारत के सिद्धान्त का अनुसरण करते है। यहाँ कर्बी अंगलोंग तथा नार्थ कछार हिल्स में गैर-कर्बी तथा गैर-कछार पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं इस स्वायत्त जिला परिषद से अनुरोध करता हूं कि ये गैर कर्बी तथा गैर कछार लोग वहाँ सम्मान के साथ रहने चाहिए क्योंकि यहां कर्बी अंगलोंग में, कई कुकी, नागा, बंगाली तथा हिन्दुस्तानी लोग भी है। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि कर्बी की इस स्वायत्त जिला परिषद को साथ ही इन गैर कर्बी लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। और नार्थ कछार पहाड़ी जिलों को गैर कछार लोगों के साथ न्याय करना चाहिए।

अत:, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ताकि स्वायत्त पहाड़ी जिलों के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकें।

1.00 म.प.

**श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) :** अध्यक्ष महोदय, असम के कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार जिले को स्वायत्तशासी बनाये जाने की दीर्घकालिक समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पहल का मैं स्वागत करता हूं।

जैसा कि आप सभी जानते है आदिवासी लोगों जो कि एक समय न तो पहाड़ी लोगों में और न ही मैदानी लोगों में गिने जाते थे, के लिए व्यापक स्वायत्तता की मांग को लेकर इन क्षेत्रों में भारी विद्रोह किया गया था।

कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार असम के अभिन्न अंग है और आदिवासी लोगों सहित उन क्षेत्रों के लोगों ने असमी साहित्य, संस्कृति और असमी लोकनीति के विकास में व्यापक योगदान दिया है। असम के लोगों तथा कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पर्वतीय लोगों के बीच कभी कोई विरोध नहीं रहा। मेरे विचार से स्वायत्तता की उनकी मांग सरकार में और अधिक भागीदारी, निचले स्तर पर उनके कल्याण को लेकर है जो उनके विचार से उचित तरीके से नहीं हो रहा है। इसके पीछे उनकी एक विकेन्द्रीकृत शासन की इच्छा थी न कि असम के लोगों की मुख्य धारा से अलग होना। वास्तव में, मैं कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पर्वतीय नेताओं को इस बात की बधाई देता हूं कि अपने पूरे आंदोलन के दौरान वे उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी तथा गैर आदिवासी तथा उन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों के बीच एकता को सुदृढ़ करने में सफल रहें।

मैं कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र के नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने इस गहन समस्या के समाधान में आम सहमति बनाई, जिसके अभाव में एक समय समुदाओं के बीच अलगाव तथा कटुता की भावना उत्पन्न हो रही थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सम्मानजनक और प्रशासननीय ढंग से इस समस्या का समाधान किया। वास्तव में, कर्बी अंगलोंग के सदस्य जो हमारे सामने बैठे है, ये उस आंदोलन के एक नेता थे और अब भी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य है। संगठनों से अवश्य कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है लेकिन मेरे विचार से वे उतनी गम्भीर न होकर महज राजनीतिक प्रकृति की है। ये कर्बी अंगलोंग के गैर कर्बी लोगों तथा उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्रों के गैर कछार पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने के बारे में है। मैं समझता हूं कि इसका समाधान किया जा सकता है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा कि श्री द्वारका नाथ दास ने उल्लेख किया है, कि उत्तरी कछार पर्वतीय तथा कर्बी अंगलोंग में उभर रहे युवा नेतृत्व में उन्हें उचित न्याय मिलेगा।

सरकार से मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि असम एक लघु भारत है। अत: असम में हो रहे सामाजिक तथा राजनीतिक विरोध का असर एक दिन संपूर्ण भारत पर होगा।

स्वायत्तता और एकीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुच्छ राजनीतिक हितों तथा अल्पकालिक फायदों में पड़कर हम मामले की गहनता की अनदेखी न कर दें। इस सन्दर्भ में विभिन्न राजनीतिक प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न समयों पर किये गये कार्यों से कटुता तथा अलगाव की भावना पैदा होती है। जिसे थोड़ी सी बुद्धिमता का उपयोग कर तथा देश के विभिन्न पक्षों के बीच थोड़ी सी समझदारी और सहयोग से दूर किया जा सकता है।

अन्त में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक से कर्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र में लोगों की स्थिति सुधारने के लिए और अधिक अवसर मिलेंगे। मैं उनके

लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूं।

**श्री सैयद शहाबुद्दीन** (किशनगंज) : महोदय, विक्रेन्द्रीकरण की प्रक्रिया जिसके लिए हम संविधान के प्रति वचनबद्ध है, कि दिशा में लाये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

आज सम्पूर्ण विश्व जातिवाद की चपेट में है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वर्षों तक दबाया जाता रहा जातिवाद आज हमारे देश में और पूरे विश्व में फिर से सिर उठा रहा है।

जैसा की श्री किरिप चलिहा ने कहा है कि सरकार और प्रशासन में भागीदारी की समानता और अधिकार की उनकी इच्छा की पूर्ति की जाए जिससे कि वे अपना ध्यान रख सकें तथा अपनी मर्जी का मालिक हो सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी उनकी भावनाओं का आदर कर रहे है तथा उनकी इन जायज आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संविधान के अंतर्गत हम उनके लिए लचीलापन और सामंजा-मता कायम कराने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं केवल दो मुख्य बातें करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि हम अभी भी विभिन्न स्थितियों से जुझ रहे है तथा अभी भी हम एक विश्व व्यापी तथा एक साकल्यवादी भारत के सपने को साकार नहीं कर पाये है। मेरे विचार से हम सभी स्तरों पर पंचायत स्तर से उच्च स्तर तक स्वायत्तता देने के लिए वचनबद्ध है इसलिए, प्रत्येक जातीय एकक को इसकी संघनता क्षेत्र और इसकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। हम यहां एक विशेष समस्या जो, मेरे विचार से बाद में अत्यधिक जटिल हो जाएगी के समाधान हेतु एक विशेष योजना बनाने की कोशिश कर रहे है। असम के नक्शे में पहले ही अनेक पैबंद लग चुके है जिसे आप आसानी से नहीं पहचान सकते तथा विभिन्न मंचों के बीच हमने शक्तियों को जिस प्रकार बांटा है, चाहे आप उन्हें स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद अथवा स्वायत्त जिला परिषद अथवा मात्र जिला परिषद तथा पंचायती राज्य संस्थान कहें, इससे भ्रांतियां ही उत्पन्न होती है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें। हम ऐसा नहीं चाहते कि छोटे एककों को भारी अवसंरचना से भर दिया जाए वह कायम नहीं रख सकते। मैं उदाहरण नहीं देना है। अतः, हमारी एक ऐसी धारणा होनी चाहिए कि भारत राज्यों का एक संघ हो लेकिन प्रत्येक राज्य संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जिलों का एक संघ हो और प्रत्येक जिला प्रखंडों अथवा खंडों का एक संघ हो और प्रत्येक खंड पंचायतों का एक संघ हो और प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट शक्तियां उस स्तर पर उन लोगों को दी जानी चाहिए जहां उनका इस्तेमाल किया जा सके ताकि उस क्षेत्र में प्रत्येक समूह अर्थात उस क्षेत्र में बहुल्य जाति वाले लोग यह महसूस कर सके कि अपने मामलों में उनकी बात पूरा महत्व रखती है।

इसके पश्चात मैं समस्या के अन्य एक पहलू पर चर्चा करूंगा। दूसरा पहलू यह है कि हम इसकी कैसी भी सीमा निर्धारित कर लें पर उस क्षेत्र में कुछ अन्य जातियां भी हो सकती है। चाहे पंचायत स्तर हो अथवा खंड स्तर हो अथवा जिला स्तर हो, हम उस विशेष क्षेत्र में बहुलता में रहने वाले जातीय लोगों के दावों का विशेष ध्यान रख रहें है पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस क्षेत्र में रह रहे अन्य जातीय लोगों की वैधानिक आकांक्षाओं की पूरी तरह रक्षा की जाए। संवैधानिक ढांचा ऐसा ही बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अन्य जाति के लोगों का उल्लेख नहीं है जो उस जिले में अल्पसंख्यक हो सकते है। उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए? मुझे उम्मीद है कि जिला परिषद और विभिन्न निकायों के गठन में अन्य जाति के लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा और उनका प्रतिनिधित्व भी अन्य नागरिकों के भांति ही होगा जिससे वे भी उसमें भागीदारी कर सकेंगे।

जैसे की मिजोरम में गैर-मिजो लोग है, नागालैण्ड में गैर-नागा, उसी तरह कर्बी क्षेत्रों में भी गैर-कर्बी लोग है और इसलिए मेरा अनुरोध है कि भले ही उस क्षेत्र के शासन में कर्बी लोगों का वर्चस्व हो परन्तु गैर कर्बी के लोगों को भी जायज स्थान मिले। ऐसा करना देश के हित में, हमारे संविधान की भावना तथा राष्ट्र संघों और अन्य निकायों के माध्यम से पूरे विश्व में व्याप्त व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप होगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं श्री दास का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि इस निकायों का गठन तब तक अर्थहीन रहेगा जब तक आप उन्हें कागजी शक्तियां देते रहेंगे। आपको उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे वे अपने लिए वास्तव में कुछ कर सकें तथा यह महसूस कर सकें कि अब वे वह सब कर रहे हैं जो विगत में उन्हें प्राप्त नहीं था। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि ढांचागत विक्रेन्द्रीकरण के साथ-साथ कुछ वित्तीय अन्तरण भी किया जाये।

इन शब्दों के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**डा० जयन्त रंगपी** (स्वशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं, असम की पूरी जनता तथा विशेष रूप से असम की 10 लाख आदिवासी जनता की ओर से भारत सरकार के गृहमंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने वाले इस विधेयक से कर्बी अंगलोंग स्वशासी जिला परिषद तथा उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिला परिषद का दर्जा बढ़ाकर उन्हें और अधिक वित्तीय तथा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाएगी तथा साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका भी बढ़ेगी।

महोदय, मैं इस सभा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को इस विधेयक की पृष्ठभूमि से संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा। यह विधेयक 9 साल तक चले शांतिपूर्ण आंदोलन के फलस्वरूप आ पाया है। इस विशेष आंदोलन से पूरा राष्ट्र अवगत नहीं है क्योंकि सामान्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई आंदोलन राष्ट्रीय दृश्य पर तभी पहुंचता है जब वह आम-तौर पर सशस्त्र आंदोलन अथवा हिंसक आंदोलन का रूप ले चुका होता

है। परंतु कर्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पहाड़ी के लोगों ने इस स्वशासी परिषदों का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष किया तथा मांग की। पूरी सभा को, तथा पूरे राष्ट्र को स्मरण होगा कि जब भी कोई हिंसक, सशस्त्र अथवा अलगाववादी आंदोलन हुआ है, उसने असम के सभी क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिया है। चाहे यह उल्फा द्वारा किया गया हो अथवा किसी अन्य अलगाववादी गुट द्वारा, या कोई अन्य सशस्त्र आंदोलन हो, वह कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों की सीमाओं में से शुरू हुआ है।

यह इसलिए है क्योंकि हम, इन पहाड़ी जिलों के लोग कतिपय नैतिक मूल्यों, लोकतंत्र तथा शांतिपूर्ण जन आंदोलन में विश्वास रखते हैं। यह अत्यधिक स्वागत योग्य संकेत है कि भारत सरकार ने भी इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सद्राशयतापूर्ण ढंग से लिया है तथा परिणामस्वरूप यह विधेयक लाया गया है।

मुझे अभी भी याद है इस आंदोलन के एक नेता तथा भागीदार के रूप में हमने सर्वप्रथम 17 जुलाई, 1987 को भारत सरकार के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को एक ज्ञापन दिया था। तब से हमने काफी लंबे समय तक समझाने बुझाने तथा बातचीत का प्रयास किया तथा इनके परिणामस्वरूप यह विधेयक आया है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा गृहमंत्री, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के उन सभी अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक को लाने में सहयोग दिया। हम इस विधेयक को लाने में सभी विपक्षी दलों तथा राष्ट्रीय दलों द्वारा दिये गये समर्थन के लिए भी आभारी है।

यह एक सर्वसम्मत विधेयक है तथा असम विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने इसका एकमत से समर्थन किया है तथा गृहमंत्री की उपस्थिति में असम सरकार तथा आंदोलनकारी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की पुष्टि की है।

मुझे आशा है कि समझौता ज्ञापन को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा क्योंकि इसी के आधार पर संविधान में यह संशोधन किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन के कुछ हिस्से को असम सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसे अभी भी कार्यरूप दिया जाना शेष है। मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि समझौता ज्ञापन के जिस अंश को असम सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है उसे असम सरकार द्वारा यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। अन्यथा हमें आशंका है कि इस विशेष समझौते को भी अन्य समझौतों की तरह, चाहे वह बोडो समझौता हो अथवा असम समझौता, कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। अतः हमें आशा है कि भारत सरकार सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इसे पूर्णतः तथा ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं सभी राजनीतिक दलों तथा विशेषतः भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय का इस समस्या के समाधान में उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

**श्री मणि शंकर अय्यर** (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र डा० जयन्त रंगपी को यह आश्वासन देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारा देश इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें बधाई देना चाहता है। डा० रंगपी इसके लिए पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहे थे तथा यह गांधीवादी आंदोलन का एक सजीव उदाहरण है। वह हमारी बधाई के पात्र हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को ज्ञापन दिए जाने के बारे में उनके द्वारा किये गये उल्लेख पर मुझे खुशी है क्योंकि हम उसी समय से राज्य की सीमाओं को तोड़े बिना राज्य में स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए - क्षेत्रीय, जिला, अथवा अन्यथा - स्वशासी परिषदों की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक को असम के मुख्यमंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलता के साथ उपयोग किया है। मैं अनुशंसा करता हूं कि जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में भी इसका उपयोग किया जाए।

महोदय, मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करता हूं। दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद के उद्घाटन के लिए जब मैं श्री राजीव गांधी के साथ गया था तथा जब हम हेलीपैड से शहर की तरफ जा रहे थे तब राजीव जी एक तिब्बती केन्द्र पर अचानक रूक गए तथा श्री सुभाष घीशिंग से पूछा कि क्या वह इस केन्द्र पर पहले कभी आ चुके हैं। तब वह उन्हें केन्द्र के अन्दर ले गये तथा वहां उन्होंने उससे (श्री घीशिंग से) कहा : "जिस तरह आप गोरखाओं को बंगालियों से समस्याएं पेश हो रही हैं उसी तरह आप यह सुनिश्चित करें कि इन सूक्ष्म अल्पसंख्यक तिब्बती समुदाय को आपसे कोई परेशानी पैदा न हो।" यही अनुरोध मैं अपने मित्र डा० जयंत रंगपी से करते हुए उन्हें बधाई देता हूं तथा असम राज्य को बधाई देता हूं। भारत के इन लोगों की इस महान अभिलाषा को पूरा करने के लिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं। कामना करता हूं कि अपनी-अपनी विभिन्नताओं को बनाए रखने के अधिकार के साथ हम सब संगठित रहें।

**श्री उद्धव बर्मन** (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, श्री सईद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। मेरे सहयोगियों ने बताया है कि इस विधेयक का आशय पूर्वोत्तर स्थित स्वशासी परिषद की शक्तियों में विस्तार करना है।

महोदय, जैसा कि यह सभा भी जानती है असम में काफी संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग आतंकवाद और उग्रवाद का रास्ता अपना रहे हैं तथा कुछ लोग जन समर्थन प्राप्त करने हेतु लोकतांत्रिक रास्ता अख्तियार कर रहे है। इस मामले में कर्बी लोगों का प्रयास स्वागत योग्य है। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आतंकवाद अथवा उग्रवाद का सहारा नहीं लिया।

महोदय, सभा यह भी जानती है कि असम एक सम्मिश्र राज्य है।

राज्य में विभिन्न भाषायी समुह तथा विभिन्न आदिवासी समुह, जैसे कर्बी, बोडो तथा अन्य, रहते है। वहां कर्बी आंगलौंग तथा उत्तरी कछार स्वशासी जिला परिषदे कार्यरत हैं। वहां विभिन्न आदिवासी रहते हैं जिनकी अलग-अलग संस्कृति तथा भाषाएं हैं। अब ये आदिवासी न केवल अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते हैं अपितु वे अपनी पहचान को भी बनाए रखना चाहते हैं। अपनी इस लोकतांत्रिक आकांक्षा के कारण वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि स्वशासी परिषदों की अधिकारिता में वृद्धि करने हेतु यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। हम सभी जानते है कि कर्बी आंगलांग तथा उत्तरी कछार की स्वशासी जिला परिषदें सन् 1992 से भली-भांति कार्यरत है। विकास प्रक्रिया के दौरान अब ये पाया गया है कि उन क्षेत्रों तथा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के सामाजिक व आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने हेतु इन स्वशासी जिला परिषदों को प्रदान की गई शक्तियां पर्याप्त नहीं रह गई है।

स्वशासी जिला परिषदों के कार्यकरण के अनुभव से कर्बी और दीमा लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि इन स्वशासी जिला परिषदों को और शक्तियां प्रदान की जाएं। शुरू में इस मांग का प्रतिरोध किया जा रहा था। परंतु अब जनता लोकतांत्रिक अभियान के द्वारा कर्बी अंगलौंग तथा उत्तरी कछार में स्वशासी जिला परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की इस मांग का समर्थन कर रही हैं

महोदय, इन लोगों को अपने लक्ष्य को पाने हेतु एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अन्तत: एक सही रास्ता निकल आया और एक समझौता ज्ञापन हुआ और उस समझौता ज्ञापन के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। अत: मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विधेयक से न केवल करबिस और डिमासस के विकास में मदद मिलेगी अपितु इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक एकता के सूत्र में बांधने में भी मदद मिलेगी।

महोदय, अधिकांश करबिस आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए है तथा उनका साक्षरता रिकार्ड भी अच्छा नहीं है। वे बहुत गरीब लोग है। करबिस ही नहीं अपितु अन्य जनजातियां भी बहुत गरीब है। मुझे आशा है कि अब अन्य जनजातियों की समस्याओं पर समुचित ध्यान दिया जाएगा ताकि उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकते लोगों विशेषत: जनजातीय लोगों के असंतोष का फायदा न उठा पाये। न केवल करबिस लोगों की समस्याओं को निपटाने हेतु कुछ तरीके निकाले जाए अपितु जनजातीय लोगों के अन्य वर्गों की समस्याओं को निपटाने के लिए भी तरीके खोजे जाए, ताकि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके तथा उन्हें राष्ट्र जीवन की मुख्यधारा में लाया जा सकें। जनजातीय लोगों की संस्कृति तथा मौलिक विशेषताओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

अत: मुझे आशा है कि इस क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने से लोकतंत्र तथा लोगों की एकता मजबूत होगी। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि असम एक संयुक्त राज्य है और करबिस उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत है - तो यह देखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये कि जनजातियां तथा गैर-जनजातियां इस क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूँ।

**श्री बालिन कुली** (लखीमपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक जिसके माध्यम से संविधान की छठी अनुसूची का असम के दो पर्वतीय जिलों में विस्तार किया जा रहा है का समर्थन करता हूँ। यह उस क्षेत्र के करबिस तथा डिमासस लोगों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग थी। उम्मीद है कि असम के इन दो पर्वतीय जिलों में छठी अनुसूची के विस्तार से उस क्षेत्र के लोगों की आशाएं तथा आकांक्षाए पूरी होगी यह भी उम्मीद है कि उस क्षेत्र के विकास की गति तेज होगी और वहां लम्बे समय से चला आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा।

महोदय, मेरे कुछ दोस्तो ने यहा कहा कि यह आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलाया जा रहा था। यह गांधीवादी तो आंदोलन नहीं था। यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। बहुत से कांग्रेसीजन वहां मारे गये। आन्दोलन के नेता यहां मौजूद है। उनके नेतृत्व में इन दो पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत से कांग्रेसी जन अपनी जाने गवा बैठे। यहां तक कि उस क्षेत्र के कांग्रेसीजनों ने इस आन्दोलन का समर्थन किया था। लेकिन उन्होंने गांधीवादी तरीके से इसका समर्थन किया था। अत: महोदय, उस क्षेत्र का हिंसात्मक आंदोलन छठी अनुसूची के विस्तार के साथ समाप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं उस क्षेत्र के आन्दोलन के नेता करजिसों के नेता, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से एक एक बात का अनुरोध करूंगा कि गैर जनजातियों अल्पसंख्यकों - भाषायी तथा धार्मिक दोनों - और गैर पर्वतीय जनजातियाँ जो वहां रह रही है के हितों को सुरक्षित रखा जाए। यह देखने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, कि उनकी संस्कृति इस विधेयक के माध्यम से कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रही है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि छठी अनुसूची के विस्तारण से उस क्षेत्र के लोग स्वत: विकसित नहीं होंगे। लोगों की आशाओं तथा आकाक्षाओं को पूरा करनें के लिए तथा उस क्षेत्र में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के हेतु पर्याप्त धन अवश्य आबंटित किया जाना चाहिए क्योंकि बगैर धन के शक्ति से कुछ नहीं होगा।

ये दो पर्वतीय जिले असम के सबसे पहले स्वायत्तशाली जिले है। फिर भी ये दोनों पर्वतीय क्षेत्रों का उन दावों जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में जिनका कार्य जिला परिषद ने पूरा नहीं किया है, विकसित नहीं हैं।

इन क्षेत्रों को मात्र शक्तियां देकर विकसित नहीं किया जा सकता है। उस क्षेत्र के नेताओं को चाहिए कि वे लोगों का सही और साफ

ढंग से नेतृत्व करें। आजादी के तुरंत बाद इन दो पर्वतीय जिलों को स्वायत्तशासी जिला परिषदें नसीब हुई। तब भी यह इतने विकसित नहीं हुए जितनी की आशा थी। पर्वतीय क्षेत्रों के नेताओं को उन क्षेत्रों के विकसित न होने के कारण ढूंढने चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से पुन: दोनों पर्वतीय जिलों के विकास हेतु पर्याप्त धन आबंटित करने की अपील करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मचौधरी** (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995 का समर्थन करता हूं।

इस संदर्भ में यह बताता हूं कि आजादी से पहले के समय में असम राज्य की जन जातियों विशेषत: पर्वतीय क्षेत्रों की जनजातियों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। पर्वतीय क्षेत्र और सीमांत क्षेत्रों को (1) जनजातीय क्षेत्रों (2) अपवर्जित क्षेत्रों तथा (3) आशिंक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन रखा गया है।

भारत सरकार के अधिनियम के अनुच्छेद 92(1) के अधीन न तो कोई केन्द्रीय और न ही कोई प्रान्तीय कानून इन अपवर्जित अथवा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों पर लागू होते थे। केवल गर्वनर ने भारत के गवर्नर-जनरल की सहमति से इन क्षेत्रों के अच्छे प्रशासन तथा शांति हेतु कानूनों का विस्तार किया। अत: हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इन क्षेत्रों के लिए तत्कालीन कानूनी ढांचे को जायज सम्मान देने हेतु भारत के संविधान में छठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया था।

काफी लम्बे अर्से से यह महसूस किया जा रहा था कि जनजाति के लोगों की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सभी व्यवस्थायें अपर्याप्त है। समय-समय पर परिषदों के रोजमर्रा के प्रशासन में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप की शिकायतें हमें देखने को मिलती थी। आंदोलन और विरोध होता था। जबरदस्त आंदोलन होते थे तथा अंत में प्रथक राज्य किये जाने की आवाजें उठती थी। अंत में उत्तरी पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम, 1971 ने असम को भागों में विभाजित कर दिया और जिला परिषदों से यह कट गया। हुआ यह कि उस समय कर्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार हिल्स को असम में रहने के लिए राजी किया गया और उन्हें अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देने का वायदा किया गया।

अत: उन्हें दिये गये वादे के अनुसार कर्बी अंगलोंग जिला काऊंसिल तथा नार्थ कछार हिल्स जिला कौंऊसिल के लोगों ने संविधान की धारा 244क के अधीन इसे स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। आंदोलन के वर्षों बाद 1985 से चर्चाएं तथा वार्ताएं होती रही तथा कर्बी अंगलोंग तथा नार्थ कछार हिल्स के नेताओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और जिला कौंऊसिलों को और विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियां देकर स्वायत्तशासी जिला कौंऊसिल का दर्जा दिये जाने पर सहमत हो गये। चूंकि आंदोलन के नेता तथा सरकार भी इसे स्वायत्तशासी दर्जा दिये जाने पर सहमत हो गये, मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे सरकार जनजातीय लोगों के प्रति सद्भावना से गयी है।

ऐसे समय में यह जरूरी था कि जब असम के जनजातीय लोग जनजातियों के सामाजिक मुख्य धारा में विलमन के मौलिक दर्शन के प्रति आक्रामक हो गये थे। उन्होंने इस सिद्धान्त पर शक करना भी शुरू कर दिया था कि उनको सामाजिक मुख्य धारा में लाने के नाम पर उनकी भाषा, संस्कृति तथा पहचान खतरे में डाल दी गयी है। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन किया।

मैं केवल एक मिनट लूंगा। अत: सभा में यह विधेयक लाकर जनजाति के प्रति सद्भावना से असम के जनजातीय लोगों को अच्छा संदेश मिलेगा ताकि वे यह महसूस करें कि वे भी भारतीय संस्कृतियों के बगीचे में फूलों जितने मनमोहक हैं।

यहां मैं चाहता हूं कि आप भी इस चर्चा में सम्मिलित होकर इस आशय के कुछ शब्द कहें कि असम के मैदानी भागों की जनजातियां भी ऐसा ही महसूस कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका भाषण संशोधन तक ही सीमित रहना चाहिए। आप इन चीजों का इतिहास दोहराते नहीं रह सकते। ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

**श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधरी** : मैं एक पंक्ति का जिक्र करूंगा। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा बोडो लैंड स्वायत्तशासी परिषद गठित हुई है। बोडो समझौता हुआ है। सभा समझौते पर असम सरकार तथा आंदोलन के नेताओं ने हस्ताक्षर किये है। मिसिंग समझौता तथा कुछ अन्य समझौते भी हुए है ये सभी समझौते हुए है लेकिन इन समझौतों को व्यापक रूप से तथा सच्चे अर्थों में कार्यान्वित किया जाये ताकि जनजातियां अपने को विदेशी महसूस न करें वे यह महसूस न करे कि हमने दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली में केवल बंदुक का गर्जन ही सुना जा सकता है।

यह भावना नही होनी चाहिए। आखिर असम जनजातीय लोगों की भूमि है। यदि जनजातियां मर जाएगी तो फिर क्या असम अथवा असम के लोग जीवित रह सकते है?

**अध्यक्ष महोदय** : यह असम पर एक शोध-निबंध है। यह संशोधन पर केवल वक्तव्य नहीं है।

**श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म चौधरी** : इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रो० एम. कामसन बोलेंगे, यह आवश्यक नहीं कि सदस्य अपनी बात दोहरायें।

**प्रो० एम. कामसन** (बाहय मणिपुर) : महोदय, धन्यवाद, मैं असम के कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी जिले की जिला परिषदों

में सुधार लाने वाले इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूँ। यद्यपि इन दो परिषदों का गठन काफी पहले हुआ था किंतु शक्ति और धन की कमी के कारण वे अपने उद्देश्यों को साकार करने में प्रभावी नहीं हो पायी है। अतः उनकी स्थिति को सुधारने के लिए मेरे विचार से इस विधेयक को लाना बहुत ही उचित दृष्टिकोण है। मैं संबंधित मंत्री श्री पी.एम. सईद को भी इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जिला परिषद का मंच बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान के निर्माताओं, हमारे देश के महान नेताओं ने इन बातों पर विचार किया था और विशेषकर पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में उन्हें संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित किया था। उस समय उन्हें आसाम के नाम से जाना जाता था। इसलिए संविधान में अवधारित आशाओं, आकाक्षाओं और विचारों को पूरा और साकार करने के लिए हमें आज तक प्रयास करने पड़ रहे है। इसलिए इस संबंध में यह विधेयक एक कदम आगे है। मैं जिन लोगों ने इसे प्राप्त किया तथा जिस सरकार ने इसे दिया, को बधाई देता हूँ। महोदय इस समय भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जिन्होंने इसे स्वीकार किया और माननीय मंत्री जो इस विधेयक के प्रभारी है। श्री पी.एम. सईद को स्मरण कराना चाहता हूँ कि अन्य जगहों विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाहय मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र का भी ऐसा ही मामला है, वहां के लोग विगत 20 वर्षों से छठी अनुसूची को लागू होने के लिए उपबंध बनाने की मांग कर रहे है। 1984 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब वे गृहमंत्री थे, ने इस संबंध में एक आश्वासन दिया था, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90 प्रतिशत भाग है जो 20 हजार वर्ग किलोमीटर है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से नागालैण्ड और त्रिपुरा से भी बड़ा है वहां के लोग भी इस प्रकार के स्वशासन की मांग कर रहे है, यहां एक बात नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि मणिपुर का यह पहाड़ी क्षेत्र न तो पांचवी अनुसूची में है और न ही छठी अनुसूची में इसे जोड़ दिया गया है, हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र या तो पांचवी अनुसूची में या छठी अनुसूची में होने चाहिए, इसलिए मैं इस अवसर का उपयोग सरकार को एक बात का स्मरण कराने के लिए कर रहा हूँ, पिछले सत्र में भी मैंने नियम 377 के अधीन मामले के माध्यम से इस मामले को उठाने की कोशिश की थी। आपने इसे सत्र के आखिरी दिन अन्तिम क्षण पर रखा।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा सभी सदस्यों के साथ होता है, अब कृपया अपनी बात पर आइये।

**प्रो० एम० कामसन** : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को स्मरण कराना चाहता हूँ कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को भी संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग पर ध्यान दें ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक उस बात में आनन्द लेता हूँ जो घटी हुई है। अब अपनी बात पर आईये।

**प्रो० एम० कामसन** : मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मणिपुर पहाड़ी राज्य को एक मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र स्वायत्त परिषद बनाने को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग पर ध्यान दें।

**श्री मुही राम सैकिया** (नोगोंग) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि कार्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ जिले के लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इसके दूरगामी परिणाम में मील का पत्थर होंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ।

मेरा निवेदन है कि सरकार को इस विधेयक को मात्र कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रखना चाहिए, चूंकि विधेयक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरःस्थापित किया गया है इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विगत समय में हमने देखा कि सरकार ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये थे जैसे असम समझौता, बोडो समझौता, मिशिंग समझौता, आदि। ये सभी समझौते कागजों तक सीमित रहे और उन्हें पूरा नहीं किया गया था। आसाम समझौते पर नौ वर्ष पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे, किंतु उस समझौते की स्थिति क्या है? इसी तरह इस समझौते के बारे में भी लोगों के मन में शंका है कि यह मात्र कागज़ी कार्यवाही होगी या वास्तव में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए धन की कमी का बहाना न बनाये।

महोदय, मेरे विचार से यह विधेयक जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े इलाकों की विभिन्न क्षेत्रों की मांगों यथा-शिक्षा, कृषि, संस्कृति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की उनकी काफी पुरानी मांगों को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा ताकि वे अपने को राष्ट्रीय मुख्यधारा का अंग समझें। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो छठी अनुसूची के अन्तर्गत उत्तरी कछार और कर्बी अंगलौंग को मिलाकर औटोनैमस कौंसिल की स्थापना का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक-दो बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसा सरकार को मालूम है यह समझौता एक अप्रैल 1995 को हुआ था उसके अनुसार यह लाया गया है और उसके अन्तर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट

और औटोनौमस स्टेट डिमांड कौंसिल (ए.एस.डी.सी.), इन तीनों के विचार-विमर्श के बाद यह समझौता हुआ था और उसके तहत जो लैजिस्लेटिव और गवर्नर की पावर हैं वे तो इसके अन्दर देने की बात कही गई है, लेकिन जो एक्जीक्यूटिव पावर का मामला है, उस समझौते के अंदर जो कहा गया है, उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है जिसके अनुसार 30 एडीशनल डिपार्टमेंट देने की बात है, वह हिस्सा अभी तक बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि अनुसूचित जनजाति का मामला है और चूंकि हम लोग अपने समय में इसको डील कर रहे थे और जब गरीब का मामला आता है तो उसको हर दृष्टि से दबाने की कोशिश की जाती है और हर लैवल पर उसको संघर्ष करना होता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह ट्राइबल का इश्यू है, इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि आपने पहले भी बोर्डो अकार्ड किया था, ढाई साल हो गए हैं,

**अध्यक्ष महोदय :** पासवान जी, रिपीटीशन हो रहा है।

**श्री राम विलास पासवान :** सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्राबल्म लैंड की है। यह लैंड का मामला है। उनकी लैंड छीनी गई है। एनक्रोचमेंट किया गया है और जब तक हम उस लैंड को नहीं लौटाते हैं तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता है और जब लैंड लौटाने की बात आती है, तो सरकार, चाहे किसी की भी हो, वह सरकार चुप्पी साधने की बात करती है। इसी प्रकार से डीलिमिटेशन आफ कांस्टीट्यूएंसीज का मामला है। इन सारी चीजों को देखकर काम करना है और सबसे पहली बात यह है कि हम सरकार से यह जरूर चाहेंगे कि सरकार इस बात की गारंटी करे कि वह समय पर चुनाव करवाएगी।

इसलिए मैंने बोडो के बारे में कहा है क्योंकि ढ़ाई साल हो गये हैं और चुनाव नहीं हुए हैं और न ही वह एग्रीमेंट, जो उनके साथ रिकार्ड किया गया था, उसे लागू करने का काम किया गया। इसके बाद फिर वही न हो इसलिए सरकार की जो भी मंशा है कि अधिक से अधिक पावर देकर और उसको लागू करवाने का, इलेक्शन हो आदि उन सारी प्रक्रियाओं को आप देखें कि इनको कड़ाई से लागू किया जाये। मैं समझता हूँ कि यदि इस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो निश्चित रूप से ट्राईब्लस के मन में खासकर नार्थ ईस्ट और असम में जो ट्राईब्लस है, विभिन्न जाति व समुदाय के लोग है, उनके मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत करने में यह विधेयक सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सूरजमंडल, सूरजमंडल जी कृपया संक्षेप में बोलिये और किसी बात को दोहरायें नहीं।

**श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल का हम लोग स्वागत करते है क्योंकि 48 साल के बाद सरकार महसूस कर रही है कि सत्ता का विक्रेन्द्रीकरण होना चाहिए। जब यह देश आजाद हुआ था तो गांधी जी का उद्देश्य था..

**अध्यक्ष महोदय :** आप हमें इतना पीछे मत लेकर जाइये। आप पेजेंट बिल पर बोलिये।

**श्री सूरज मण्डल :** अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग इस बारे में कहते हैं लेकिन करते बहुत देर से हैं। लोगों को अगर न्याय मिलना है तो किसी नुकसान से पहले मिलना चाहिए। असम का, कारवीलोन का एक बार याद है और मुझको बताया गया कि इनकी जो चुनी हुई औटोनोमस कौंसिल थी, उसको राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। उनको कोर्ट में जाना पड़ा तथा कोर्ट के द्वारा स्टे हुआ। जिस प्रकार से राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कहती है कि हमारे अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए तो राज्यों के अधिकार को सेफ रखने के लिए एक सरकारी कमीशन बनाया गया। जो औटोनोमस कौंसिल बन रहा है, वह चाहे असम का है, झारखंड का हो या गोरखा का हो, उसी तरह से अगर केन्द्र सरकार को सत्ता के विक्रेन्द्रीकरण में विश्वास है तो इस तरह से जो औटोनोमस कौंसिल इलेक्टेड होगी, उसके अधिकार का हनन न हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह का कोई कमीशन बनाया जाये। भारत सरकार यह औटोनोमस कौंसिल बनाकर राज्य सरकार के जिम्मे पूरे वित्तीय अधिकार छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि वह अपने उद्देश्य में सफलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए अधिकार मिलना चाहिए ताकि कुछ आय हो, सोर्स ऑफ इन्कम के मामले में फ्री मिलना चाहिए। जबकि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं देती है जिसके कारण स्कीम लागू नहीं हो पाती। मैचिंग फण्ड के बारे में सवाल आता है। अगर उनको अपनी आय का स्रोत नहीं होगा तो वह सैंट्रल की स्कीम काम नहीं कर सकती। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह होगा कि आपने अपनी इस संस्था को बनाया है तो जो भी केन्द्र सरकार की आर्थिक मदद उस इलाके में होनी चाहिए, वे उनको सीधी मिलनी चाहिए। सीधे मिलने से उनको वह समय पर मिलेगी और वह जल्दी खर्च कर सकता है। अगर नहीं होगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने से वह स्कीम देर से होगी।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

**श्री सूरज मण्डल :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने और उनको जो लेजिस्लेटिव पावर दी गयी है, उसके लिए मैं गृह मंत्रालय और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इनकी आगे और भी उदार नीति होगी ताकि सत्ता का विकेन्द्रकरण हो और ट्राईब्लस लोगों को लाभ मिल सकें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : हां, श्री याइमा सिंह, जो श्री याइमा सिंह बोलेंगे वही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा।

(व्यवधान)*

**श्री याइमा सिंह युमनाम** (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है। मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यपाल की भूमिका काफी बड़ी होगी। मुख्यमंत्री की भूमिका भी काफी बड़ी होगी, राज्यपाल को सुलह और समझौते की भूमिका करनी होगी और चूँकि मुख्यमंत्री को इस परिषद के कारण अपनी कई विधायी और कार्यकारी शक्तियों को त्यागना पड़ रहा है इसलिए वह इस विधेयक के उपबंधों को सहानुभूतिपूर्वक कार्यान्वित करवाने खुश नहीं होंगे, यही हमारी शंका है। इसलिए सभा और आपके माध्यम से हम इन एजेन्सियों से अपील कर रहे है कि इस विधेयक के उपबंधों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करवायें।

दूसरी बात यह है, मेरे विचार से यह विधेयक उत्तरी कछार और पूर्वी कार्बी आंगलोंग संयुक्त क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। हमने उन्हें कई प्रशासनिक और विधायी शक्तियां प्रदान की है, यदि ये दोनों परिषद सहमत हो जाएं तो इन्हे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने में क्या अन्तर पड़ता है, यही मेरा प्रस्ताव है।

मैं इस विचार का भी समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सुविधायें दी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इसे दोहराना आवश्यक नहीं है।

**श्री याइमा सिंह युमनाम** : मैं सहमत हूँ कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अनुदानों के रूप में धन देना चाहिए न कि बराबर धनराशिया या अन्य बातों की तरह।

अन्त में मेरा मुद्दा यह है कि चूंकि जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना है अत: मणिपुर राज्य के जनजातीय क्षेत्र जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, की छठी अनुसूची की सुविधाओं का हकदार है, इसलिए मैं मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची में लाने के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूँ।

आपके द्वारा घंटी बजाने से पूर्व मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, आपकी बात स्पष्ट हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : धन्यवाद महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा, सर्वप्रथम इस विधेयक के लिए मेरी पार्टी के तहेदिल से समर्थन को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कीजिए और यद्यपि देर ही फिर भी मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूँ। परन्तु एक कहावत है कि "देर आये दुरस्त आये", कई वर्षों बाद हमारे देश के बहुत अधिक और लम्बे समय से उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र को स्थानीय स्तर तक विकेन्द्रीकरण की संवैधानिक परिधि में लाया जा रहा है।

महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ, पहला, मुझे विश्वास है कि कर्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी जिले की 30 सदस्यीय परिषद में 26 सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा और चार सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, मैं नहीं जानता कि इस उपबंध का क्या प्रयोजन है, एक सदस्य यहां शंका व्यक्त कर रहे थे कि इससे गैर जनजातीय लोगों के हितों को अच्छी तरह देखभाल नहीं की जायेगा। किंतु इस विधेयक में व्यवस्था है कि ये चार स्थान आरक्षित नहीं होंगे। वे गैर जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं है किंतु आरक्षण का कुछ प्रावधान किया जा सकता था, यदि वे कुछ स्थानों को विशेषकर गैर जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहते है तो वे ऐसा कर सकते है, किंतु वैसा नहीं किया जा रहा है, सभी 30 स्थान अनारक्षित है, कोई भी उन स्थानों के लिए निर्वाचित या नाभा निर्दिष्ट किया जा सकता है। सदस्यों का नाम-निर्देशन किसी विशेष समुदाय या किन्हीं खास लोगों तक सीमित नहीं है, इसलिए वास्तव में यह मेरी समझ में नहीं आया कि इस विशेष उपबंध का क्या प्रयोजन है, यदि वे गैर-जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करना चाहते है तो वे कुछ स्थानों को उनके लिए आरक्षित रखने का उपबंध बना सकते है, अन्यथा यह अच्छा होगा कि सम्पूर्ण परिषद निर्वाचित हो। यह अधिक लोकतान्त्रिक होगा और मेरे विचार से इस क्षेत्र के लोग इस मांग के लिए दबाव डाल रहे थे किंतु उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

दूसरा, यह बहुत अच्छी बात है कि एक और सूची बनने वाली है, अब विषयों की चार सूचियां होगी, केन्द्रीय सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची के अलावा एक परिषद सूची भी होगी, स्वाभाविक रूप से इस बात पर विवाद या मतभेद हो सकता है कि इस सूची में कौन से विषय सम्मिलित किये जाने चाहिए किंतु जैसा हम जानते है कानून और व्यवस्था इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, उन्होंने इस बात को बहुत चाहा था किंतु मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय कानून और व्यवस्था को परिषद सूची में सम्मिलित करने के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा।

उदाहरण के लिए, जनजातीय भूमि के इस हस्तांतरण के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था, हमारे देश के कई क्षेत्रों में यह आम बात है। जनजातीय लोगों से जो भूमि छीन ली गई थी उसे वापस करने की शक्ति अब कर्बी आंगलौंग और उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र के नये प्रबंधन को दे दी गई है। इस पर्वतीय परिषद को जनजातीय लोगों से गलत ढंग से या अवैधानिक रूप से या बलपूर्वक छीनी गई भूमि और उसे उन्हें वापिस करने के बारे में छानबीन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूरी व्यवस्था में एक ही कमी है कि यदि वे कतिपय भूमि वापस करने का निर्णय लेते भी है तो यदि उनकी मदद के लिए पुलिस बल या कोई कानून या आदेश देने वाली एजेंसी नहीं है तो उसे वे लागू कैसे करेंगे?

यह व्यवस्था केवल कागज पर ही रह जाएगी। वे यथार्थ में इसे लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस जनजातीय भूमि पर जो लोग पहले से ही कब्जा किये हुए है, उसको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संघर्ष होने के आसार है जो हिंसा, तनाव आदि का रूप ले सकते है।

अत: मैं समझता हूँ कि सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि वे इस विषय को परिषद की सूची में शामिल करने तथा परिषद को जनजातीय लोगों से छीनी गई भूमि का पता लगाने का अवसर देने पर सहमत हो गये है लेकिन वे भूमि को कैसे वापस लेंगे, क्योंकि उनके पास स्वयं की कोई एजेंसी, पुलिस बल नहीं है, और यदि राज्य उन्हें अपेक्षित पुलिस बल नहीं प्रदान करता है तो वे इस व्यवस्था को कतई लागू नहीं कर सकते हैं?

एक या दो अन्य मुद्दे है। मैं और समय लेना नहीं चाहता। कुल मिलाकर, यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूँ कि यह आम आंदोलन की शुरूआत है जो अब पूरे देश में फैल रहा है। मुझे आशा है यह और व्यापक रूप से फैलेगा। हम हमेशा से यही अनुनय विनय करते रहे है कि इस देश की एकता को बनाये रखने का एक ही तरीका है कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया जाए। बलपूर्वक सभी लोगों को कठोर प्रशासन के अंतर्गत लाने के प्रयास से कोई एकता नहीं होने वाली है अपितु इससे फूट और वैमनस्य और बढ़ेगा। इसलिए, विविधता में एकता की दृष्टि से, हम इस संवैधानिक संशोधन के पीछे छिपी भावना का बहुत अधिक समर्थन करते हैं। मैं इससे प्रसन्न हूँ, हम हृदय से इसका समर्थन करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय, प्रत्येक सदस्य ने इसका समर्थन किया हैं

**श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) :** महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करती हूँ। जहां तक उस क्षेत्र में रह रहे गैर जनजातीय लोगों की सुरक्षा का संबंध है, मैं माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ, सरकार को जनजातीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करती हूँ।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद ) :** अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती भण्डारी सहित सभी पन्द्रह सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने हृदय से इस विधेयक का समर्थन किया है। वस्तुत:, कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बुद्धिमता से यह तय किया था कि विधेयक को बिना बहस के पारित कर दिया जाएगा। राज्यसभा में भी हमने ऐसा ही किया। वहां लगभग सभी 15 सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। उन्होनें कुछ सुझाव भी दिये है।

पहला सुझाव वित्त के बारे में है। वित्त के बारे में, 1 अप्रैल, 1995 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार जिसके आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया था, यह पूर्णत: उसी के अनुरूप है, प्रत्येक बजट वर्ष के आरम्भ में, राज्य सरकार परिषदों को दी जाने वाली धनराशि के बारे में बतायेगी, वे इस पर अच्छी तरह विचार करेंगे और तदानुसार योजना बनायेंगे और तत्पश्चात बजट पारित करेंगे। कुछ सीमा तक, 25 प्रतिशत निर्धारित की जाती है और वह राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

**श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) :** क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे कि केन्द्र इन परिषदों से विकास की संसाधनों से तुलना कराने का आग्रह नहीं करेगा क्योंकि धनराशि केन्द्र ने दी है?

**श्री पी.एम. सईद :** इन दो जिलों को छठी अनुसूची में लेने की यह व्यवस्था जनजातीय नेताओं और असम सरकार के बीच विकसित सामंजस्य पूर्ण संबंधों के कारण है। वस्तुत: यह एक व्यवस्था है और हम इन जनजातियों को एक साथ लाने के लिए बीच में आए। कर्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार जिलों के नेताओं और असम सरकार को एक साथ लाया गया और गृह मंत्री के स्तर पर कई बैठकें और समझौते किए गए। यह अब मुख्यतया राज्य और संबंधित जिले की जिम्मेदारी है। धनराशि राज्य के बजट से दी जायेगी। निश्चय ही जनजातियों के लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। इसलिए, ऐसा ही वहां भी किया जायेगा।

विस्तार में जाये बिना, विधेयक की प्रमुख विशेषता यही है, अभी तक राज्यपाल को मुद्दों के बारे में परिषद से परामर्श करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन विधेयक की छठी अनुसूची में पैरा 20ख जोड़ा गया है जिसके तहत राज्यपाल को परिषद से परामर्श करना अनिवार्य हो गया है। यह एक विशेषता है। दूसरी गैर-जनजातीय लोगों के हितों के बारे में है जिसका कई सदस्यों ने जिक्र किया है। उस सीमा तक, गैर-जनजातीय लोगों में से नामांकन किया जाएगा। इस पर भी सहमति हो गई है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया हैं।

**श्री पी.एम. सईद :** इसका उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन हमने इसकी व्यवस्था की है मुझे पता है कि जब डा० रंगपी और अन्य नेताओं का असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हुआ था, उन्होंने इसका उल्लेख किया था और उन्होंने केन्द्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया था तब उन्होंने यह हमें बताया था। उन्हें समुचित सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा और उनके समुदाय से नामांकन के बारे में ध्यान रखा जायेगा, ये ही विशेषताएं जिनके बारे में मैं बताना चाहता था।

मेरे मित्र प्रो० कामसन ने कुछ बातें कही हैं।

**श्री हरि किशोर सिंह :** पुलिस बल के बारे में आपका क्या विचार है?

**श्री पी.एम. सईद :** आप जानते है कि वर्तमान में समझौता ज्ञापन

में पुलिस बल पर सहमति नहीं हुई है, असम सरकार और जनजातीय नेताओं के बीच समझौते पर पहुंचने के बाद ही विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था। यह समझौता ज्ञापन 1 अप्रैल, 1995 को हुआ था। इस पर भी डा० रंगपी मेरी बात से सहमत होंगे कि इस पर आम सहमति नहीं हो पाई थी। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रत्येक सदस्य ने इस पहलू पर चर्चा की है। यह बहुत अच्छा विचार है। अधिकाधिक शक्तियां पहले ही दे दी गई है। 15 और विषय विधानसभा को दिये जाने है और इसके साथ ही 30 अतिरिक्त विषय भी विधानसभा को दिये जाने वाले है। यह इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** बोडो के साथ बात करें, उसके साथ क्यों नहीं बात करते हैं।

[अनुवाद]

**श्री पी.एम. सईद :** यह विधेयक की सीमा के बाहर है। मेरे मित्र, श्री पासवान असम्बद्ध विषयों को इस समय न उठायें। इस अच्छे परिवेश में, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस विधेयक को पारित करें ताकि इसे विधान बनाया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि असम पर लागू किये जाने हेतु भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**अध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक पर खण्डवार विचार प्रारम्भ किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय विधेयक को पारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

**श्री पी.एम. सईद :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य :** अब 377 ले लें।

**अध्यक्ष महोदय :** वह आखिर में लिया जायेगा।

2.00 म.प.

[अनुवाद]

अब हम क्या करें? क्या चर्चा आरम्भ की जाए अथवा भोजन अवकाश हेतु कार्यवाही स्थगित कर दी जाए?

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि यह 6.00 म.प. पर लिया जाए ताकि प्रवाह बना रहे। अन्यथा, आधे घंटे की चर्चा के पश्चात अगर गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ हो जाता है तो इसको पुनः लिये जाने पर श्रंखला बिगड़ जाएगी। इसके अलावा, मेरी बात को यहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। ...(व्यवधान)

यदि ऐसा है तो प्रत्येक के निवेदन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री अथवा माननीय गृह मंत्री सभा में उपस्थित नहीं रहते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** तब हम इसको 6.00 म.प. पर ले सकते हैं?

**श्री अर्जुन सिंह :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। इसको 6.00 म.प. पर लिया जायेगा क्योंकि जैसा कि आपने कहा है अन्यथा आधे घंटे की चर्चा के पश्चात और विचार-विमर्श को रोकने के कारण उसके प्रवाह में बाधा पड़ेगी।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा दोपहर के भोजन हेतु स्थगित होती है और 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होगी।

2.01 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 3.30 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

---

3.35 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 3.35 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

श्री के० प्रधानी।

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति**

**पैंतालीसवां प्रतिवेदन**

**श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा 23 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

3.36 म.प.

[अनुवाद]

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में संकल्प - जारी**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में 16 दिसम्बर, 1994 को श्री सत्यदेव सिंह द्वारा पेश किये गए संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ की जायेगी।

इस विषय पर चर्चा हेतु 6 घंटे का समय आबंटित किया गया था। इसके पूर्व 5 घंटे 42 मिनट तक चर्चा हो चुकी है और सिर्फ 18 मिनट ही शेष है।

इस पर क्या श्री प्रधान जी बोलना चाहेंगे?

**श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) :** महोदय नहीं।

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़) :** महोदय, इस पर चर्चा हेतु कृपया समय को बढ़ा दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री सत्यदेव सिंह।

**श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) :** महोदय, मैंने इस विषय पर अपने निवेदन पहले ही कर दिये हैं। सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये।

**प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) :** मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंग्का बालू) :** महोदय, अगर कोई अन्य माननीय सदस्य बोलने का इच्छुक नहीं है तो मैं वाद-विवाद का उत्तर देता हूं।

**श्री सत्यदेव सिंह :** अगर कोई अन्य माननीय सदस्य बोलने का इच्छुक है तो आप इसे अवसर दीजिए। सम्भवत: श्री नीतीश कुमार इस पर बोलना चाहते है।

**श्री पी०सी० चाको (त्रिचूर) :** श्री नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका दिया जाए।

**श्री नीतीश कुमार :** मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं?

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री नीतीश कुमार जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

**श्री नीतीश कुमार :** महोदय नहीं। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा जारी रहे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है, अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री के.वी. तंग्का बालू :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लिया है और विशेषत: श्री सत्यदेव सिंह को इस संकल्प को लाने तथा चर्चा को आरम्भ करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, चर्चा को आरम्भ करते हुए उन्होंने सभा को बताया कि देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति क्या रवैया रहा है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार :** यह बिल लाए तो मुलायम सिंह जी थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री मायावती हो गई, मुलायम सिंह जी हट गए तो इनका इंट्रेस्ट समाप्त हो गया है, नहीं तो और आगे बात चलती।

**श्री सत्यदेव सिंह :** श्री नीतीश कुमार जी, 'रेजोल्यूशन' लाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का परिवर्तन संभव हुआ है।

3.41 म.प.

**(श्री शरद. दिघे पीठासीन हुए)**

[अनुवाद]

**श्री के.वी. तंग्का बालू :** महोदय, माननीय सदस्यों ने विशेषत: सभा का ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के बलात्कार, छेड़खानी, महिलाओं को तंग किये जाने की घटनाओं की तरफ आकर्षित किया है और सरकार से आग्रह किया है कि भारत के संविधान के तहत वह आवश्यक कदम उठाये और सुधारात्मक उपाय करें। महोदय, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समुदाय के लोगों पर अभी भी विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे है और उनके ऊपर प्रभावशाली सामाजिक समूहों द्वारा भी अत्याचार किया जा रहा है।

पूर्व में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग

अत्याचार और बेइज्जती की पीड़ा को चुपचाप सहन करते थे। परन्तु, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और शिक्षा के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता बढ़ने के कारण वर्तमान में यह लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं और शोषणात्मक प्रथाओं जैसे छुआछूत का विरोध करने लगे हैं।

हम सभी जानते हैं कि इनकी प्रमुख कठिनाई भूमि के संबंध में है और दूसरी कठिनाई कृषि समुदाय के अधिकांश लोगों विशेषतः कृषि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किया जाना है। पूरे देश में भूमि मालिकों के समुदाय और अग्रणी जातियों शोषक है। प्रत्येक राज्य में यह हो रहा है। महोदय, सरकार इस संबंध में ऐसी घटनाओं के ऊपर माननीय सदस्यों की चिन्ता से पूरी तरह सहमत है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गये है। अत्याचार करने वालों के खिलाफ कठोर दंड के लिए एक विशेष विधान अर्थात् अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत, मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए लगभग सभी राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम का व्यापक प्रचार भी किया गया है।

अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से प्रवर्त्तन प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये है। इस अति महत्वपूर्ण अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी अधिकारियों वाली समितियों का गठन किया गया है। महोदय, अत्याचार पीड़ितों को पर्याप्त राहत प्रदान करने तथा उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था की गयी है। नियम बनाने के पश्चात दिनांक 31.3.1995 के भारत के राजपत्र में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 को अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास के मानदंडों में और वृद्धि की गयी है।

महोदय, अपने न्यायालय के अनुभव के कारण हमने राहत के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप दिया गया है और राज्य सरकारों के लिए राहत के आशिंक भुगतान को निश्चित समय सीमा के तहत करना आवश्यक कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, अपमान प्रताड़ना और परेशान किए जाने के मामले में राहत की 25 प्रतिशत राशि न्यायालय में अभियोग-पत्र दाखिल करने से पहले पीड़ितों को दी जाती है और शेष अभियोग सिद्ध होने की स्थिति में। इसी प्रकार से, किसी महिला का शील भंग करने के मामले में 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सीय परीक्षण होने के पश्चात् दी जायेगी और शेष 50 प्रतिशत राशि मुकदमे का निर्णय होने अथवा दोष सिद्ध होने के पश्चात् दी जायेगी।

भारत सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को 50:50 आधार पर सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान 6.50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 7.06 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। वर्ष 1994-95 के लिए 6 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के मुकाबले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 9.75 करोड़ रुपये दिये गये थे। वर्ष 1995-96 के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा पर हम लगातार निगरानी रख रहे हैं और साथ ही राज्य सरकारों से निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है :

(1) अत्याचार के मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जायें और शीघ्र निपटान के लिए देरी के कारणों की जांच की जाये।

(2) अत्याचारों के मामलों में गवाहों को उचित सुरक्षा और भत्ते प्रदान किये जाये।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति प्रमाणित निष्ठा और सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को उनकी आयु को ध्यान रखे बिना अत्याचार बहुत क्षेत्रों में तैनात किया जाये।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा उच्च वर्गों के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्रों तथा जहां आवश्यक हो, वहां अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए जिला अधिकारियों के माध्यम से निगरानी रखी जाए।

इन चार उपायों के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और समय-समय पर हम जिलाधीशों से रिपोर्ट प्राप्त करते रहते हैं और हमारे मंत्रालय में एक ऐसा तंत्र है कि जब भी कभी कोई घटना घटती है तो उन्हें 12 घंटों के भीतर उस घटना की रिपोर्ट देनी होती है। जिला अधिकारी हमारे मंत्रालय के सीधे संपर्क में होते हैं। मेरे मंत्रालय का एक अलग प्रकोष्ठ है। जब भी हमें सूचना मिलती है, उसी क्षण उसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाता है और मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं और वे इस मामले में अपनी ओर से अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, जब कभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार का कोई मामला इस मंत्रालय के नोटिस में लाया जाता है, तो हम केवल सूचना ही प्राप्त नहीं करते बल्कि पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल उपाय करते हैं। हाल ही के एक मामले में, सलेम जिले के कटनायकनपट्ट, गांव की एक दलित लड़की को अंधा बना दिया गया था। यह मामला मैंने

स्वयं मुख्य सचिव तथा संबंधित जिलाधीश के साथ उठाया और हमारे व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण संबंधित अध्यापक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की गई। मैं व्यक्तिगत रूप से अस्पताल गया और डॉक्टरों से बातचीत की और आज, महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस लड़की की दृष्टि वापस आ गयी है। साथ ही हमने उन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की है। इसी प्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सीताराम केसरी बिहार गये थे, जहां 6 जुलाई को 6 लोगों की हत्या कर दी गयी थी। इसी प्रकार के हाल ही में दुबारा उन्होंने बिहार का, जहां अनुसूचित जाति के लोगों के विरूद्ध अत्याचार का एक मामला था, दौरा किया था। उन्होंने उस स्थान का दौरा किया और व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित किया था। प्रशासन उन अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करे और तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पीड़ितों, विधवाओं के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए हमने अपने विभाग से बिहार राज्य के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। यह एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनायें दोबारा घटित हों। इसीलिए हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि राज्य सरकारें उचित और औपचारिक उपाय करें जिससे ऐसे स्थानों पर जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अत्याचारों का शिकार नहीं हों मैं इस सभा के सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों, उनके सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा करने और उनके सर्वांगीण विकास के प्रति वचनबद्ध है।

उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई वर्षों से पर्याप्त धनराशि का आवंटन करके विभिन्न योजनाये कार्यान्वित की जा रही है। मैं कुछ उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूँ। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 और 1993-94 के बीच 281.76 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई, जिनमें से 74.37 लाख परिवार अनुसूचित जातियों के थे और 59.14 लाख परिवार अनुसूचित जनजातियों के थे।

इसी प्रकार, वर्ष 1985-86 और 1993-94 के बीच इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 16,45,952 आवासों का निर्माण करने के लिए 1957.67 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दिये गये हैं।

पुनः, ग्राम निर्माण योजना, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू किया गया था, के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से लेकर आज तक 2189 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 6,97,819 कुएं बनाये गये और उन्हें विशेष रूप से उन्हें ही दिया गया था। ये कुछेक उदाहरण मैं सभा में पेश करना चाहता था।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की ऐतिहासिक और दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कृषि आय के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अतः स्वतंत्रता की बात मुख्य रूप से कृषि से संबंधित क्षेत्रों से शुरू की जानी चाहिये। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमारे देश में 50.58 एकड़ अतिरिक्त भूमि 48.87 लाख लोगों में वितरित की गई है। 48.87 लाख लाभप्राप्तकर्ताओं में से लगभग 36 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 14 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से चुने गये थे। केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार और राज्यों द्वारा इन अनवरत उपायों के गठन और उनके कार्यान्वयन के कारण ही आज अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अपनी स्थिति में सुधार कर सकी हैं। छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर 1994-95 की अवधि तक 3.32 करोड़ अनुसूचित जाति के परिवारों और 1.40 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान की गई है ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें।

वर्ष 1994-95 में ही एस.सी.पी. परिव्यय 4311 करोड़ रुपये था और टी.एस.पी. परिव्यय 3057 करोड़ रुपये था, जो कुल राज्य योजना परिव्ययों का क्रमशः 10.97 प्रतिशत तथा 8.37 प्रतिशत था।

महोदय, इन सभी उपायों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास करना और उन्हें अन्य लोगों के बराबर लाना है ताकि वे हमारे समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित कर रही है ताकि उन्हें देश का शासन चलाने में उचित हिस्सेदारी मिल सकें। महोदय, संसद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है।

मंडल के मामले में फैसला के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध था। इस माननीय सभा के सर्वसम्मति से वह एतिहासिक विधेयक पारित किया और उन्हें खुश किया। यह पर्याप्त नहीं है और हम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास का इस तरह का कार्य जारी रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के हमारे भाई अलग-अलग न रहें या यह महसूस न करें कि उन्हें उपेक्षित किया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में वे हमारे साथ हैं। वे इसका हिस्सा होना चाहिए। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है।

छठी पंचवर्षीय योजना में एस.सी.पी. को 72,127 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में एस.सी.पी. के लिए 36,799 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार टी.एस.पी. ट्राइबल-सब-प्लान के लिए 1993-94 में 21,950 करोड़

रुपए निर्धारित किए गए थे। इस सभी उपायों से दीर्घकाल में एक अत्याचार मुक्त समाज की स्थापना होनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। हम जितना भी धन निर्धारित करते हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी पर जितना भी धन खर्च किया गया है, वह उन तक पहुंचना चाहिए।

मुझे मालूम है कि हाल ही में कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय आरोप लगाए थे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि इन सब तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हमारी इच्छा स्पष्ट है। हम यह सुनिश्चित करने के इच्छुक है कि देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को सभी अधिकार मिलें और इसका कारण यह नहीं है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं बल्कि यह है कि वे हमारा अंग हैं। यदि किसी माननीय सदस्य को ऐसी कोई आशंका है कि हम अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो के लोगों के विकास के इच्छुक नहीं हैं तो यह गलत है। हम निरन्तर उनकी सहायता कर रहे हैं और केवल सहायता ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें सरकार से पूरी सहायता मिले। यह हमारा कर्त्तव्य है।

जैसा कि मैंने आरंभ में उल्लेख किया था, हमारी सरकार इस पर निरंतर रूप से निगाह रखे हुई है और उस पर विचार कर रही है।

**सभापति महोदय :** आप और कितना समय लेंगे?

**श्री के.वी. तंग्काबालू :** मैं लगभग पांच मिनट लूंगा।

यह प्रक्रिया जारी रहेगी। जहां कहीं भी अत्याचार होते हैं उन्हें हमारे ध्यान में लाया जाता है। मेरा मंत्रालय इस बात का ध्यान रखता है कि समुचित सम्पर्क बनाया जाए, समुचित कार्रवाई की जाए और इस तरह से हम अत्याचारों को निरन्तर रोकना चाहते हैं।

हमारी सरकार अत्याचार बहुल जिलों की भी निगरानी कर रही है। हमने ऐसे 48 जिलों का चयन किया है जिनमें बार-बार अत्याचार किए जा रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कर्त्तव्यनिष्ठ और अच्छी सेवा रिकार्ड वाले अधिकारियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समाहर्ताओं और पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक के बतौर या निम्न स्तर पर तैनात किया जाए ताकि वे प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकें और अत्याचार बार-बार न होने पाएं। विशेष रूप से समाज कुल मिलाकर इस तरह के अपराध नहीं कर रहा है अर्थात एक वर्ग को दूसरे के विरूद्ध खड़ा नहीं कर रहा है। यह हमारी प्रतिबद्धता है और हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ अन्य समुदायों के साथ रहें।

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी को सरकार से और जनता से संरक्षण मिले। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि वे अलग-अलग न पड़ें, उनके साथ इस तरह का अन्याय न हो। इस सभा को, संसद सदस्यों की और देश की जनता को और हम सब को अपने लोगों को यह बताना चाहिए कि उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए।

इस तरह से यदि हम मिलकर उसी लगन और उत्साह से काम करें, तो सरकार के प्रयासों से और रूचि से आबंटित धन का समाज की बेहतरी के लिए समुचित ढंग से उपयोग किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि देश में अत्याचार मुक्त समाज की स्थापना हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को इस प्रस्ताव पर इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

4.00 म.प.

मैं उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूँ।

**श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

**सभापति महोदय :** किससे? निर्धारित समय समाप्त हो गया है। हम समय पन्द्रह मिनट और बढ़ा देते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों पर जब एट्रौसिटीज होती है, लोग मारे जाते हैं, उनके घर जल जाते है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 10 हजार रुपए तक रखे गये है ताकि उन्हें कम्पैन्सेट किया जा सके, क्या इस राशि में बढ़ोत्तरी करके ऐसी व्वस्था की जा सकती है कि जिस व्यक्ति का घर जल जाए, उसे 3 लाख रुपये का घर बनाकर दिया जाए और दो लाख रुपये उसे ऐसे ही दिये जाये। क्या इस बारे में सरकार सोच रही है। इससे सचमुच एट्रौसिटीज घटेंगी। दूसरी बात है कि आज शैड्यूल्ड कास्ट के लोग यह ढूंढते हैं कि उनका सेवियर कौन है। जो नाम आपने लिया और जो काम आपने बताया है, क्या आप बता सकते हैं कि सचमुच उससे कितने लोग लाभान्वित हुये। अभी जो व्यवस्था है, उसे छोड़कर क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इन लोगों पर एट्रौसिटीज कम हों। इस बारे में सरकार क्या सोचती हैं?

[अनुवाद]

**श्री के.वी. तंग्काबालू :** माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। पहले मुआवजा 10,000 रुपए था। बहुत से माननीय सदस्यों की पुरानी मांग पर हमने इसे बढ़ाया है। सरकार मुआवजा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

माननीय सदस्य को भली भांति ज्ञात है और वह पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं।

मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की हर बैठक में वह इस मुद्दे को उठाते है।

मुझे यह घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस मुद्दे के बारे में काफी गंभीर है। हमें भी वक्त के साथ चलना चाहिए। हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और आने वाले दिनों में जल्द ही कोई घोषणा करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री सत्यदेव सिंह :** सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं कुछ बातें मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिस आधार पर 16 दिसंबर को मैंने यह रिजौल्यूशन इस माननीय सदन में रखा था, उसकी भावना से वे जरूर अवगत होंगे। यह विषय बहुत गम्भीर है। आज भी अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखने का प्रयास किया। वैसे तो हमारे सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिनके मन में इस बारे में थोड़ी सी चिन्ता भी है, स्वाभाविक रूचि है, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि वे इस पर अपने विचार रखें।

मैंने 16 दिसम्बर को जब यह रिजौल्यूशन हाउस में इनीशियेट किया, उस समय भी मैंने कहा था कि यह बड़ी भारी त्रासदी है, बड़े दुख का विषय है कि कोई भी सत्र ऐसा नहीं जाता जिसमें इन लोगों पर, महिलाओं पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचार की कहानी न छपती हो या अत्याचार न होते हो। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस गम्भीर विषय पर अपने विचार प्रकट किये तथा सरकार, सारे देश और इस माननीय सदन का ध्यान इस समस्या के तत्काल निदान की तरफ आकृष्ट किया और बल दिया।

माननीय मंत्री जी, आप जानते हैं कि देश में सामान्य अपराध होते रहे है और होते रहेंगे। जब से मनुष्य पैदा हुआ है, अपराध भी उसके साथ पैदा हुए हैं। आप अपनी पीठ भले ही ठोकते रहें कि कांग्रेस शासन ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है, आपने कुछ आंकड़े भी रखे है लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सदन आपके बयान से संतुष्ट नहीं है। आंकड़े किसी का पेट नहीं भर सकते। आप यहां आंकड़े देकर अत्याचार की मर्यादा और अत्याचार के अपराध को सीमित नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिवार के साथ ऐसा होता है, वही उसको भोगता है।

सभापति महोदय, अपराध होते है, हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, घर भी जलाए जाते हैं, खलिहान काटे जाते हैं, जमीनों पर भी कब्जा होता है, लेकिन ये अपराध सामान्य रूप से होते है और कई दूसरे कारणों से भी होते है। कई बार आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी अपराध बढ़ जाते हैं, लेकिन यह अपराध जो हो रहा है, यह ऐसी व्यवस्था के कारण हो रहा है जिसका स्थान किसी भी सभ्य समाज में नहीं है और जिस समाज में यह स्थान बना रहेगा वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ये अत्याचार उन पर सिर्फ इसलिए होते है कि वे दलित हैं, वे गरीब हैं, वे पिछड़े हैं, वे महिलाएं हैं, इस नाते उनके ऊपर अत्याचार हो, उन्हें नंगा कर के घुमाया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए और ये अपराध तब और भी गम्भीर हो जाते हैं जब ये अपराध एक विचित्र मानसिकता से, एक विचित्र परिवर्तित टेस्ट के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए इनके लिए जितनी भी सजा दी जाए वह कम है। इस प्रकार के अपराध जब प्रकाश में आते हैं और इनकी ओर पूरे विश्व का ध्यान जाता है तो इससे कोई बहुत अच्छी छवि हमारे देश की नहीं बनती है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम इसे नहीं कर पाए है।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार की बात इस देश में कहीं और उन्होंने ईमानदारी से हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी पीढ़ी से जुड़ा हुआ कोई है, तो वह महात्मा गांधी थे। डा. अम्बेडकर ने भी उनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन महात्मा गांधी तो दलित वर्ग से न होकर भी, उन्होंने उनके मर्म को, उनकी पीड़ा को समझा और उनके मन में उनके प्रति एक अच्छी भावना थी और आज अगर हम कुछ करना चाहते है, तो महात्मा गांधी जी के पदचिह्नों पर चलें क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी कथनी और करनी में अन्तर न करें।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने पढ़ते समय यह कहा था कि इस रिजोल्यूशन में मैंने उत्तर प्रदेश की बात कही थी, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने जब इसे प्रस्तुत किया था, तो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार का नाम भी लिया था। नीतीश कुमार जी कहे थे कि इस मामले में अब मेरी रूचि नहीं रह गई है। इसलिए मैं पहले आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक मैंने कोई मात्र डिबेट के लिए ही प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि हम जिस प्रदेश से आते है, जिस जिले से आते हैं वहां भी अत्याचार होता है और इसलिए वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। जो अत्याचार करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस गांव में उस मोहल्ले में रहने वाले लोग भी इसको बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। तो मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए इसलिए विशेष रूप से कहा। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह तो पूरे देश में होता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि पूरे देश में होता है, लेकिन अगर पूरे देश में होता है, तो मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार का ही नाम क्यों लिया, इसके लिए मेरा सीधा सा सरल उत्तर था। आज तो वहां सुश्री मायावती जी की सरकार बन गई है। एक दलित महिला की सरकार है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी संरक्षण में, राजनीतिक पोषण में और बिहार के अंदर राजनीतिक संरक्षण में ये अत्याचार होते रहे और जो लोग अत्याचार करते रहे, उनको वहां की राजनीतिक सरकारों ने, वहां की राजनीतिक व्यवस्था ने पुष्ट किया, उनको सहयोग दिया, उनको बल दिया। इसलिए मैंने विशेष रूप से अपना उल्लेख

बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित किया। आज ईश्वर की कृपा है, आज दानव राज उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। सुश्री मायावती जी की सरकार वहां आई है।

**(व्यवधान)**

मान्यवर, मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

**श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : वहां तो मनु की सरकार है।

**श्री सत्यदेव सिंह :** अच्छा मनुवादी सरकार वहां बनी हुई है आप यह कहना चाहते हैं, तो क्या आपकी आपत्ति इस बात पर है कि वहां सुश्री मायावती जी की सरकार है?

**श्री अनिल बसु :** नहीं है।

**श्री सत्यदेव सिंह :** यदि आपकी आपत्ति नहीं है, तो कृपया इस बात को रिकार्ड पर आने दीजिए। इस प्रकार के कमेंट करके आप यह संदेश मत दीजिए कि आप उसका विरोध करते है। मैं जानता हूँ कि आप विरोध करते हैं और आप उससे सुखी नहीं है। **(व्यवधान)**

**श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** (कैसरगंज) : सभापति महोदय, ये ऊंच-नीच की बात यहां नहीं करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** आप चेयर को एड्रेस करिए। आगे बोलिए। त्रिपाठी जी, आप बैठ जाइए।

**श्री सत्यदेव सिंह :** मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए पांच मिनट के लिए मेरा सहयोग कर दें। मैं यह मानता हूँ कि इस बात को लेकर यहां पर कोई भी सदस्य इस बात के लिए सहमत नहीं है। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** आप चेयर को एड्रेस करिए। आपस में बात मत कीजिए और अपनी स्पीच को जारी रखिए।

**श्री सत्यदेव सिंह :** सभापति महोदय, मैं तो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय सभापति जी, ये सभी हमारे मित्र है। इनमें से कुछ चाहते हैं कि मैं बोलूं और कुछ चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : सभापति जी, हम लोग सुनना चाहते हैं। जहां तक गंभीरता का सवाल है वहां आप खुद देखिये कि सारे बेंच खाली हैं और आप इधर देखिये। यहां केवल शैड्यूल्ड कास्टस और शीड्यूल्ड ट्राईब्स के मेम्बर्स तथा उनके मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन बीच में हम सब यहां बैठे हुए हैं ... **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री ए. चार्ल्स** (त्रिवेंद्रम) : हम अनुसूचित जाति के संसद सदस्य नहीं हैं।

**श्री पी.सी. चाको :** श्री सत्यदेव सिंह जी, हम अनुसूचित जाति के नहीं हैं, हम यहां है... **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यदेव सिंह :** सभापति जी, उधर जो माननीय सदस्य मौजूद हैं, अभी जो दूसरा रेजोल्यूशन आने वाला है, उसकी सहायता के लिए मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते समय यह कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्स प्रिवेनशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 18 जो है, वह संविधान की धारा 21 के विरूद्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह जो सेक्शन लगाया गया है, वह किन कारणों से लगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी अपराध में वह धारा वंचित नहीं है जो हरिजनों के लिए है। इसमें यही कहा गया है :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्य को बलपूर्वक घृणित पदार्थ खिलाया जाता है या पिलाया जाता है।

यह हो रहा है और इसलिए कानून के अंदर यह धारा है। आज 45 वर्ष के बाद भी हरिजनों को मैला खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। पुलिस थानों के अंदर पिलाया जाये...**(व्यवधान)** इससे बड़े अपराध और क्या हो सकते हैं? इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना पड़ा इसलिए सदन में उसकी चर्चा नहीं हो सकती लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का कहा कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को एनटीसिपेटरी बेल नहीं दी जायेगी। हम समझते है कि सदन को इसका स्वागत करना चाहिए। वे ऐसे कानून बनाये जिससे इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, उनमें कोई एनटीसिपेटरी बेल न हो। इसमें आगे कहा गया है :-

**[अनुवाद]**

जबरदस्ती उसके कपड़े उतारना और घुमाना दूसरी बात है। दूसरी बात गलत तरीके से काम लेना, उसे बंधुआ मजदूर बनाना, उसे मतदान करने के लिए बाध्य करना या अपनी इच्छा से मतदान न करने देना।

**[हिन्दी]**

मेरा ख्याल है कि मार्क्सवादी पार्टी के जो लोग सहमत होंगे कि अगले चुनाव में उनको वोट देने दिया जाये। लज्जा भंग करना यह तो होता है लेकिन यह महिला दलित है इसलिए उसका मोडेस्टी आउट रेज किया जाये। विभिन्न कारणों से किया जाये, बुरे तरीके से किया जाये। यह बात बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखते हुए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस न्यायालय के फैसले को, हालांकि यह फैसला छोटा होगा क्योंकि यह सिर्फ एनटीसिपेटरी बेल से संबधित है और यह इस बात तक सीमित है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना क्या फैसला दिया।

**[अनुवाद]**

मैं समझता हूँ कि समाज के किसी वर्ग के प्रति अत्याचार और ऐसे घृणित व्यवहार को रोकने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है।

[हिन्दी]

मान्यवर जब तक बंधुआ मजदूर रहेंगे, एग्रीक्लचर लेबर रहेंगे, भट्टी पर लोग काम करते रहेंगे तब तक उनके साथ बलात्कार होता रहेगा। उनके साथ एट्रोसिटी होती रहेगी। इसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे स्मरण है कि जब हमारी पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस तरफ मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा यह मानना था कि मात्र छोटे-छोटे काम करके आप दलितों का उद्धार नहीं कर सकते। दलित के उद्धार के लिए आज आवश्यकता यह है कि वे शिक्षित हो, सिर्फ नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस देश की सम्पत्ति में उनकी हिस्सेदारी चाहिए, देश के खेत में उनकी हिस्सेदारी नही चाहिए, व्यापार में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हमने इक्नोमिक टेलीविजन प्रोग्राम के अंतर्गत यह कहा था कि अगर कोई दलित ट्रक लेना चाहते है, टैक्सी लेना चाहते है, भट्टा चलाना चाहते है तो वह सिर्फ 7 परसेंट एकत्र करे और शेष पूंजी की गारंटी सरकार देगी क्योंकि आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते है। बौन्डेड लेबर को 10-12 रुपए की मजदूरी दे दें। किसी की हत्या हो जाए, किसी का अपमान हो जाए तो 100 या 50 रुपए दे दें तो उससे दलितों के उत्पीड़न को समाप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी बल्कि इस प्रकार से और भी प्रलोभन हो रहा है। इस प्रकार एट्रोसिटीज एक्ट का दुरूपयोग आपसी झगड़ों में, फर्जी मुकद्मों में फसाने में हो रहा है। हमारे जिले में एक ऐसा भी मामला आया था कि परिवार के लोगों ने ही इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलने वाला है।

ये सारे खतरे भी इसके साथ जुटे हुए है। इसलिए मेरी मांग है कि आपने जो प्रोग्राम रखे हैं, आपने कहा कि हम पेमैंट ऑफ वेजेस को ठीक करने जा रहे हैं, आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और आप उससे संतुष्ट है। इसके साथ ही आपने दूसरे आंकड़े भी दिए कि जिसके ऊपर अत्याचार हुए है, उनके लिए 1993-94 में 6.50 करोड़ रुपए कम्पैनसेशन देने के लिए रखे थे। उसमें एक्चुअल ऐक्सपैन्स 7.07 करोड़ हुआ, 1994-95 में 6 करोड़ रुपये की राशि थी, उसके बजाए 9.75 करोड़ रुपये स्टेटस को कम्पैनसेशन के लिए दिए। 1995-96 में 12 करोड़ रुपए ऐनटीसिपेटेड हैं। आपने जो आयाम बताए हैं, सरकार की नीति बताई है, सरकार का दर्शन बताया है, सरकार की कार्यवाही बताई है तो उसमें यह राशि घटनी चाहिए, यह बढ़ क्यों रही है। यह इसलिए बढ़ रही है कि अत्याचार बढ़ रहे है और इसलिए आप ज्यादा पैसा देने का प्रावधान करते जा रहे है। आपके कार्यकाल में यदि यह राशि शून्य हो गई होती तो मैं समझता कि इस देश में राम राज्य आ गया है, तब आप अपनी पीठ ठोकते और मैं मानता कि हां, कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है। 45-50 वर्षों से आप यहां शासन कर रहे है, दलितों का वोट लेते रहे हैं, दलितों की दुहाई देते रहे है, गरीबी हटाओ करते रहे है, उसके बाद भी आज सदन में इस प्रकार का रैवोल्यूशन लाया जाए और उस पर बहस चले, यह हमारे और आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है।

आपने आई.आर.डी.पी. और इंदिरा आवास योजना की बात कही। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की बातें होती होंगी। आपने इंदिरा आवास में इतना रूपया खर्च कर दिया। क्या हो रहा है? यहां पर सदन में कई बार इस सवाल को उठाया गया कि आई.आर.डी.पी. योजना, इंदिरा आवास योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि जिनको आप देना चाहते हैं, आपके पास आंकड़े आ जाते है कि उनको दे दिया, इतने घर बन गए, इतने दलितों को स्थान मिल गया लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मैदान में कुछ और बात है। दूसरी बात जमीन के बटवारे में जो पट्टे दिये जा रहे है, वे इतने खराब ढंग से दिये जा रहे है कि आज 50 प्रतिशत पट्टों में कब्जा नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति कागज का टुकड़ा लेकर बिहार को राजधानी पटना में एम.पी., एम.एल.ए. के पीछे घुमता है। सन् 82, 84, 92 के पट्टो पर आज कब्जा नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति दिनभर की दिहाड़ी मारता है, दलालों को पैसा देता है, पट्टे लेने के लिए भ्रष्टाचार होता है, कानूनगो लेता है, तहसीलदार लेता है, एस.डी.एम. लेता है। उसके बाद उसको कागज का एक टुकड़ा दिया जाता है और वह कागज का टुकड़ा उसके कब्जे में कभी नहीं आता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। इस प्रस्ताव के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया।

[हिन्दी]

**श्री सत्यदेव सिंह** (बलरामपुर) : यह इमोशनल ईशू भी हैं और हमारे देश की राजनीतिक प्रतिभा से संबंधित है, सदन की मर्यादा से संबंधित है। यदि आप दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहेंगे तो इस देश की एकता और अखंडता को भी चोट पहुंचने वाली है। यह देश को कमजोर करने वाला काम है। इसलिए हमको इस मामले में गम्भीर होकर सोचना पड़ेगा।

मैं मंत्री जी और सरकार से इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि यह मन की मानसिकता नहीं है, आपके और हमारे दिमाग की मानसिकता है, हरिजन उत्पीड़न की मानसिक विकृति है और इस विकृति को रोकने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, समन्वय की नीति अपनाई जानी चाहिए, और जो लोग इन दोनों से मानने वाले नहीं है, उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। इन तीनों का जब तालमेल बिठायेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, समाज को उन अपराधियों से अवगत करवायेंगे तभी देश का विकास हो पाएगा। आंकड़ों और पैसा खर्च करने मात्र से देश का विकास नहीं होगा।

आपने मुझे अपने कुछ विचार रखने का अवसर दिया, मैं समझता

हूँ कि पूरा सदन मेरी इस भावना से अवगत होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दें कि वह इस मामले में ठोस कदम उठाये। आप स्वयं संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन समाज संतुष्ट नहीं है, देश संतुष्ट नहीं है। घटनाएं चाहे किसी भी प्रदेश में हो, कांग्रेस शासित प्रदेश में हो या बी.जे.पी. शासित प्रदेश में हो, वे अपमानजनक हैं और समाज में उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी दल या राजनैतिक व्यवस्था में यह हो रहा है तो यह सबका अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, सदन का अपमान हो रहा है, मानवता का अपमान हो रहा है, कुल मिलाकर देश का अपमान हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा उसके लिए आग्रह कर रहे हैं?

**श्री सत्यदेव सिंह** : महोदय, मैं निःसन्देह अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ परन्तु मैं अपना विरोध वापस नहीं ले रहा हूँ।

मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ।

**सभापति महोदय** : क्या सभा श्री सत्यदेव सिंह द्वारा रखे गये संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है?

**कई माननीय सदस्यगण** : जी हां।

**सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।**

**सभापति महोदय** : अब हम अगले मद अर्थात श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा 26 मई, 1995 को प्रस्तुत संकल्प को लेत हैं।

श्री चित्त बसु जी।

---

## सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार के बारे में संकल्प - जारी

4.20 म.प.

**(श्री पीटर जी. मरबनिअांग पीठासीन हुए)**

**श्री चित्त बसु (बारसात)** : महोदय, मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूँ।

**सभापति महोदय** : इस मद के लिए तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था और हम अब तक 2 घण्टे 32 मिनट का समय ले लिया है और केवल 2 मिनट शेष रह गये हैं।

**श्री चित्त बसु** : महोदय, तब समय और बढ़ाया जाना चाहिए। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। इस संकल्प में कतिपय कई रणनीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक रूग्णता बढ़ रही है। इस संकल्प में उठाया गया दूसरा मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों और कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किये जाने के संबंध में है। इस संकल्प में उठाया गया तीसरा मुद्दा रूग्ण इकाईयों के पुनरूद्धार और चौथा मुद्दा समग्र रूप से राष्ट्र के हित से संबंधित है।

महोदय, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती हुई रूग्णता का संबंध है, मैं चाहता हूँ कि सरकार यह आश्वासन दें कि हामरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना त्वरित आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गई है। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र को रूग्ण और खण्डित हो जाने देते हैं तो इससे देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास रूक जाएगा। अतः सरकार से मेरी यह अपील है कि सरकार को खुले तौर पर घोषणा करनी चाहिए अथवा नीतिगत वक्तव्य जारी करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के एकक कब और कैसे खण्डित हो जाएंगे अथवा इन्हें बन्द या समाप्त होने दिया जाएगा जैसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

महोदय, देय राशि का भुगतान नहीं करना एक दण्डनीय अपराध है। महोदय, यदि आप एक गैर-सरकारी सदस्य के रूप में आपके पास काम कर रही नौकरानी अथवा किसी कर्मचारी को मजदूरी और वेतन का भुगतान नहीं करते हैं तब आपको न्यायालय में घसीटा जा सकता है। चूककर्ता को दण्डित करने के लिए विशिष्ट कानून बने हुए हैं।

सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिए। अन्य निजी क्षेत्र के नियोजकों को सरकार के नियोजक रूप से सबक लेना चाहिए। यदि सरकार नियोजक होने के नाते स्वयं कर्मचारियों को वैद्य एवं न्यायोचित वेतन का भुगतान नहीं कर पाती है तो मैं नहीं जानता कि सरकार को कौन दण्डित करेगा। परन्तु मुझे यह देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ है और धक्का लगा है कि स्वयं सरकार देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही है। मेरी अपील है कि इस बात का पता लगाया जाये कि क्या विश्व के किसी सभ्य देश में ऐसा होता है। कोई भी सभ्य देश ऐसा नहीं होने देगा।

मैं चाहता हूँ कि इस आशय की विशेष घोषणा की जानी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सभी कामगारों और किसानों को संपूर्ण देय राशि का भुगतान तुरन्त किया जाए। सरकार ने इन रूग्ण उद्योगों से सभी बजटीय समर्थन वापस लेने की नीति अपना रखी है। बजटीय समर्थन की आवश्यकता इसलिए होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। यदि शीर्षस्थ प्रबन्धकों के कुप्रबंधन के कारण भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन के कुछ मामले होते हैं और एकक रूग्ण हो जाते है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कर्मचारियों को दण्डित किया जाये।

मैं चाहता हूँ कि इस आशय की विशिष्ट नीतिगत घोषणा की जानी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन सभी उपक्रमों को जिनको

चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय समर्थन दिया जाता रहा है, उनका भी शीघ्र पुनरूद्धार किया जाये।

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि संबंधित मामलों को औद्योगिक और वित्तीय पुन:निर्माण बोर्ड को सौंप दिया जाता है। मेरे कुछ साथी बी.आई.एफ.आर. को औद्योगिक अंत्येष्टि अधिकार बोर्ड (बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फ्युनरल राईट्स) के रूप में परिभाषित करते है। यदि सरकार द्वारा इसे रणनीति के रूप में नहीं लिया जाता तो शायद मैं इस मामले को नहीं उठाता और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ होता औ न ही धक्का लगता। क्या सरकार इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारपूर्ण तथा निन्दनीय नीति का अनुसरण कर सकती है जिसके अनुसार जब भी रूग्णता की स्थिति उत्पन्न होती है वे एकक के पुनरूद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं? आज कर्मचारी बहुत जागरूक हो गये हैं। वे परियोजना के पुनरूद्धार के लिए कार्य करते हैं। मैं भी मजदूर संघ के कर्मचारियों में से एक हूं। श्रमिक स्वंय को पुनरूद्धार की प्रक्रिया के लिए सदा तैयार रखते है। श्रमिक कभी-कभी कम वेतन लेकर भी यह समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं कि कुछ वर्षों तक के लिए वे कम वेतन लेंगे ताकि जिस एकक में वे काम करते हैं, वह बन्द न हो जाए और सरकार ने यह नीति अपना रखी हैं कि यदि एकक रूग्ण है तो वह भाड़ में जाए। यदि एकक रूग्ण है तो उसे बी.आई. एफ.आर. को सौंप दिया जाना चाहिए जिसे मेरे एक साथी ने उचित रूप से औद्योगिक अंत्येष्टि अधिकार बोर्ड की संज्ञा दी है। यह राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। यदि यह राष्ट्र के हितों के खिलाफ है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यह उस तथाकथित नई आर्थिक नीति का भाग है जिसे सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के दबाव में स्वीकार किया है। इस नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? मैं केवल तीन अथवा चार मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करूंगा। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का विखंडन कर, उनकी यही नीति है, उसका निजीकरण किया जाए। दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई बजटीय समर्थन नहीं दी जाए और यदि किसी तरह का बजटीय समर्थन दिया जा रहा है तो इसे निरन्तर उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान में कोई निवेश नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, सरकार की इस नई नीति का आशय सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करना हैं।

महोदय, मेरे पास समय नहीं है और मैं जानता हूं कि आप मुझे बोलने के लिए और समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों पर थोड़ी दया कीजिए। हमने सार्वजनिक क्षेत्र में ही 1,46,000 करोड़ रुपये निवेश किये हैं। वह आपका धन है। वह उसका धन नहीं है। वह मेरा धन है। वह उसका धन है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है और आप को सरकार और एक मंत्री की हैसियत से इस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन आप विश्वासघात कर रहे हैं। आप जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। आप जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को नष्ट और विखंडित कर रहे हैं। मैं इसी बात पर बल दे रहा हूं। आपकी नीति विदेशी अभिकरणों के आदेशों पर बनी नीति है। आपने यह अपराध किया है और कर रहे हैं यह एक ऐसा अपराध है जो राष्ट्र के हित को बेचने के बराबर है। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है। आपने पूर्व में इस सभा द्वारा बनायी गई आर्थिक नीति से पूर्ण विपरीत आर्थिक नीति बनाई है। मैं 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्धरण देता हूं। यहां पर पूर्ण नीति को पूरी तरह से बदला गया है। इससे बड़े साम्राज्यवादी देशों के बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को देश पर अपना अधिकार जमाने का अवसर मिल जाता है। इससे देश के सामने आर्थिक दासता का खतरा उत्पन्न हो गया है। आर्थिक दासता सांस्कृतिक दासता को जन्म देती है और सांस्कृतिक दासता, देश की पराधीनता को जन्म देती है। मेरे पास इस नीति का खंडन करने के लिए और अपना रोष प्रकट करने के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। महोदय, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पास अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : जनता मतदान द्वारा अपना रोष प्रकट कर सकती है।

**श्री चित्त बसु** : यही एक मात्र तरीका है और जनता इसका उपयोग करने लगी है और आगे भी करती रहेगी और इसी कारण हम सजग भी रहते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई अर्थ्यपूर्ण नीति का क्या परिणाम रहा? बेरोजगारी बढ़ गयी है। मेरे पास इसके आंकड़े है। इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में जानते हैं। इसके परिणामस्वरूप छटाई में वृद्धि हुई है। इससे निर्धनता बढ़ी है। इस नीति के परिणामस्वरूप औद्योगिक संबंध भी बिगड़ गये है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैंने पाया है कि इस आर्थिक नीति में औद्योगिक संबंधों में आवश्यक परिवर्तन लाने की परिकल्पना भी की गई है और वह भी कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों के आदेश पर। जैसा कि कल संकेत किया गया था, यह आर्थिक नीति हमारी अपनी कानूनी व्यवस्था पर हावी हो गई है। वे भूमि सुधार परियोजना जैसी परियोजनाओं को खोखला कर देना चाहते है। वे चाहते है कि भूमि की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अत: यह केवल देश के कुछ लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करने का सवाल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं इस मामले में इस प्रकार अपना रोष प्रकट नहीं करता। सवाल तो देश की स्वाधीनता, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभुता का है।

मैं कतिपय विशिष्ट सुझावों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं लेकिन मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक रूग्ण उपक्रम के पुनरुद्धार की एक प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के सहयोग से और

परामर्श करके शुरू की जानी चाहिए।

ऐसा होना ही चाहिए। एक नीति संबंधी वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक रुग्ण एकक की अपनी नवीनीकरण प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। साथ ही इस बात का भी हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा नवीनीकरण परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है। कर्मकारों की ओर से मैं यह कहता हूँ कि हम हर संभव यह प्रयास करेंगे, यहां तक कि हम अपने वेतन को त्याग सकते हैं, कानूनी देय को कम कर सकते हैं। हम कारखानों में काम करना चाहते हैं, हम संस्था को बचाना चाहते हैं, हम सरकारी क्षेत्र के एकको को बचाना चाहते है क्योंकि सरकारी क्षेत्र का नाश देश की स्वतंत्रता आर्थिक आत्म-निर्भरता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नाश है इसके अतिरिक्त इन रूग्ण उद्योगों की देखभाल के लिए हमारे पास एक उद्योग मंत्रालय भी है। यही उद्योग मंत्रालय वर्तमान में रूग्ण उद्योगों की देख-रेख कर रही है। उद्योग मंत्रालय को उद्योगों के ओर विकास तथा त्वरित औद्योगिकरण हेतु प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहां तक रूग्ण उद्योगों का संबंध है तो इसकी देखरेख हेतु एक अलग मंत्रालय होना चाहिए जिससे कि इन पर ध्यान रखा जा सके ताकि मंत्रालय और सरकार का ध्यान केन्द्रीत हो सके, ताकि रूग्णता को रोका जा सके और रूग्ण एकक का नवीनीकरण भी सरकार के लिए एक आवश्यक मुद्दा बन सकें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष हेतु बजट का भी प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए 500 करोड़ रुपये अथवा कुछ अधिक धन रखा गया है। लेकिन इस धन का उपयोग कैसे होता है यह कोई नहीं जानता इसलिए इस सभा की मांग है कि इसमें क्या सफलता मिली है अथवा क्या प्रगति हुई है तथा राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष के अधीन मिले धन को कैसे व्यय किया गया है, कैसे व्यय किया जा रहा है अथवा कैसे व्यय किया जाएगा, के बारे में बतलायें। पूर्ण-व्यापार, पुर्ण नियोजन तथा अन्य उद्देश्य, जिसके लिए कोष बनाया गया था, के संबंध में क्या हुआ।

तीसरा तथा अंतिम सुझाव स्वैच्छिक अवकाश योजना से संबंधित है। सरकार कर्मचारियों तथा मजदूरों को स्वैच्छिक अवकाश योजना के अधीन कुछ सहायता लेने के लिए बाध्य कर रही है।

इसका कोई दिशा निर्देश, कोई मानदंड नहीं है। छोटे कारखानों के गरीब मज़दूरों को बहुत कम दरों पर स्वैच्छिक अवकाश योजना को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिन कारखानों में मजदूर संघ का कुछ बोलबाला है वहां दरें कुछ ऊंची है। अत:, यदि आप महसूस करते हैं कि किसी एकक का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता तो नवीनीकरण योजना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति कारखाना छोड़कर बाहर जाता है तो इसके लिए एक न्यायोचित, वैधानिक मुआवजे का प्रबंध किया जाना चाहिए तथा इस मुआवजा को नियोक्ता और प्रबंधकों पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुआवजा दर कतिपय स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सांविधिक प्रावधान किया जाना चाहिए।

महोदय, यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के मजदूरों, जो बदकिस्मत हैं और जिन्हें महीनों मजदूरी नहीं मिलती, को कुछ राहत मिल सकेगी। महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ पर इस बात का ध्यान रखें कि मैं जो कह रहा हूँ वह उन गरीब मजदूरों के बारे में है जिनकी रोजी-रोटी आपके द्वारा छीनी जा रही है। याद रखिए, यदि आप इस बात को याद नहीं रखेंगे तो उस राज्य के लोग इस सरकार के भविष्य का फैसला करेंगे। हम इस मुद्दे से निपटने को तैयार है चाहे भले ही हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े क्योंकि इससे छूटकारा पाने अथवा इस सरकार से न्याय पाने का यही एक तरीका है।

धन्यवाद और एक बार पुन: मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी जी द्वारा पेश किया जाना संकल्प का समर्थन करता हूँ तथा इस कठिन परिस्थिति में इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री मंजय लाल** (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सुदर्शन राय चौधरी को धन्यवाद देता हूँ कि वह महत्वपूर्ण संकल्प यहां लाये हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें उन्होंने 4 बातों को दर्शाने का काम किया है। पहला, रूग्ण सरकारी उपक्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा, मजदूरों को बकाया नहीं मिल रहा है, तीसरा इन इकाईयों को पुनर्जीवित करके नहीं चलाया जा रहा है, चौथा इनके कर्मचारियों को बकाया कैसे मिले, इन चार समस्याओं को इन्होंने इसमें लाने का काम किया है।

महोदय, रूग्ण सरकारी जो उद्योग है, सरकार द्वारा ही वे सब उद्योग नहीं चलाये गये हैं। अधिकांश उद्योग जो सरकार के कंट्रोल में हैं, वे रूग्ण उद्योग हैं। वे निजी उद्योगपति चलाते हैं। सरकारी बैंकों के पैसे को गबन करने के लिये, उस के सामान को ले जाकर दूसरी जगह दूसरा कारखाना खोलने के लिए, मजदूरों को पैसा पचाने के लिये वे अपने कारखाने को सिक डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरे उद्योग चलाते हैं। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार रूग्ण उद्योगों को लेती हैं। केन्द सरकार कोई अस्पताल घर नहीं है जो निजी पूंजीपति के रूग्ण उद्योग को लेकर चलाने का काम करें। केन्द्र सरकार जिन रूग्ण उद्योगों को लेती है, उसके साथ-साथ यदि वह उस व्यक्ति के निजी उद्योग वाले के जो अच्छे उद्योग है, उनको भी एक साथ ले ले तो कोई पूंजीपति उद्योग को जल्दी रूग्ण डिक्लेअर नहीं करेगा। इससे मजदूरों को पैसा भी मिल जाएगा और उद्योग रूग्ण डिक्लेअर भी नहीं होगा। इसलिये सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिये। इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन लाने की जरूरत हो तो उसको ला कर मालिकों

के रूग्ण उद्योगों के साथ अच्छे निजी उद्योग को हम लें। हम अस्पताल नहीं चलाते हैं, उनके अच्छे उद्योग भी लें। इससे वे अपने उद्योगों को रूग्ण डिक्लेअर नहीं करेंगे।

महोदय, जो निजी उद्योग चलाते है, उनके रूग्ण उद्योग को हम ले लेते हैं और उसको ले कर हम घाटा दिखाते जा रहे हैं। निजी उद्योग बिहार में बहुत हैं बहुतों को वहां सरकार ने ले लिया है लेकिन वे घाटे में चल रहे हैं। ऐसे उद्योगों को उनसे नहीं लेना चाहिये। अगर लेना चाहिये तो दोनों को लेना चाहिये, रूग्ण और अच्छे।

केन्द्र सरकार की जो अशोक पेपर मिल दरभंगा में है, वहां हजारों मजदूर काम करते थे। आज वह उद्योग रूग्ण पड़ा हुआ है। सरकार को वह मिल खुलवानी चाहिये। नैशनल रिन्यूवल फंड की बात चलती है। वहां करोड़ों नहीं अरबों रुपया पड़ा हुआ है। गोल्डन हैंडशेक की पालिसी मजदूरों के लिये निकाली जाती है। कहने के लिये वहां मजदूरों को ट्रेनिंग देकर दूसरे उद्योगों में लगाया जाता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। देश भर में कई सैंटर खुले हुए है। जिन मजदूरों को गोल्डन हैंडशेक का लालच देकर हटाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने की बात है। 8 उद्योग केन्द्र ट्रेनिंग के लिए खुले हुए है लेकिन कहीं से भी मजदूरों को ट्रेनिंग दे करके नये उद्योग में नहीं लगाया गया। मैं चाहूँगा जो नेशनल रिन्यूवल फंड का रुपया है, जो रूग्ण उद्योग है, उनको चालू करने के लिए उसमें से पैसा ले करके इनको चलाना चाहिये।

महोदय, रूग्ण उद्योग जो सीधे डिक्लेअर कर देते है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। मजदूरों की मैनेजमेंट में साझेदारी, श्रमिकों का व्यवस्था में प्रबंधन का इंतजाम करा कर हम उद्योगों को चलायें। इससे उनकी यूनियन के लोग, मजदूर नेता लोग उसको लेने के लिए तैयार रहते है और उनसे हम पूछते भी नहीं है, सीधे रूग्ण डिक्लेअर कर देते है कि यह कारखाना रूग्ण हो गया। इससे मजदूरों की दशा खराब होती है और देश का उत्पादन भी घटता है। देश की गरीबी बढ़ती है, क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ती है। हमारे यहां डालमिया नगर में कई उद्योग हैं और वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हैं। ये सारे उद्योग रूग्ण कर दिये गये हैं और वहां लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं। इस तरह से पूंजिपतियों के पास जो सरकारी पैसा रहता है, मजदूर किसान, रिक्शा, ठेला चलाने वाले सभी गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और पूंजीपति उस बैंक के पैसे को ले करके अपने कल-कारखाने चलाते हैं और उसको सिक, दिवालिया करके छोड़ देते है। उससे सारा सरकारी पैसा भी हजम होता है और सरकार उन मिलों को घाटे में लेकर चलाती है। मजदूरों की यूनियन और उनके नेता से राय भी नहीं ली जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो सिक इंडस्ट्री डिक्लेअर करना चाहता है और सरकार उनको ले लेती है, इसको सरकार को नहीं लेना चाहिये। सरकार उनके अच्छे उद्योगों को ले जिससे कि उनको आगे सिक डिक्लेअर करने की कोई हिम्मत न कर सके। देश के कल्याण और श्रमिकों की भलाई और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे साथी ने चार समस्याओं में से एक समस्या यह बतायी है कि रूग्ण उद्योगों को सरकार जल्दी चलाये, नहीं तो वहां की यूनियन से बात करके और मजदूरों को लाकर कम पैसे में चलाया जा सकता है। मजदूर कम मजदूरी लेकर काम करेंगे। क्योंकि 'कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है।'

आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनको नेशनल रिन्यूवल फंड में जो ट्रेनिंग दे करके फिर इनको लेने का काम है तो इनको अच्छी तरह से लगाने का काम करें और रूग्ण पुनर्जीवित करके कर्मचारियों की भलाई करें, इनके बकाया का भुगतान करें। मैं देखता हूँ कि बिहार में भी हजारों मजदूर रूग्ण उद्योग घोषित करने के उपरान्त मर रहे हैं, इनके बच्चे मर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** अब तक तीन घंटे लग चुके हैं लिस्ट में अभी नौ सदस्यों के नाम और हैं।

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : महोदय, आप सब को 5-5 मिनट दीजिए।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** हम कितना समय बढ़ाएं। क्या सदन यह चाहता है कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

**कुछ माननीय सदस्य :** हाँ।

**सभापति महोदय :** ठीक है। आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

**श्री मंजय लाल :** इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चारों मुद्दे इसमें उठाये गये है, इनको पूरा करने के लिए इस रेजोल्यूशन को पास किया जाए और सरकार को जिम्मेदारी के साथ इन चारों मुद्दों का समाधान करना चाहिए

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं रूग्ण सरकारी उपक्रमों को पुनर्जीवित करने हेतु श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा लाए गए इस संकल्प के लिए अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। रूग्ण सरकारी उपक्रमों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या पर मेरे सभी साथियों द्वारा व्यक्त चिंता के साथ मैं भी अपने को जोड़ता हूँ।

सरकारी क्षेत्र की लगभग 238 इकाइयों में से 54 को पहले ही 'हिट-लिस्ट' में रख दिया गया है तथा कुछ और को भी रखा जाएगा। रूग्ण उद्योगों के ब्यौरों तथा उनकी समस्याओं आदि के बारे में, मेरे से पहले बोलने वाले मेरे सहयोगियों ने कई बातें कहीं हैं तथा सुझाव भी दिए हैं। मैं इस समस्या को एक दूसरे नजरिए से देखता हूँ।

दरअसल मैं अपने मित्र एवं माननीय मंत्री को शिक्षित करना चाहता हूं – एनरॉन के तरीके से नहीं क्योंकि एनरॉन महाराष्ट्र में एक अलग ही तरीके से शिक्षित कर रहा है – अपितु मित्रतापूर्ण ढंग से।

मेरा निवेदन यह है यदि हम ब्रिटिश राज के दौरान भारत के औद्योगिकरण के इतिहास को देखें तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकारी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को देखें तो हमारा क्या कर्त्तव्य बनता है। तब हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। हम भारत की जनता है तथा सारी दुनिया माताओं के प्रति आभारी हैं, तथा हम अपनी माताओं की वजह से ही दुनिया में आए हैं। परन्तु क्या आप यह मानते हैं कि जब माता बूढ़ी हो जाए तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? यह अमानवीय है, असभ्यता है तथा कोई इस बात पर सहमत नहीं होगा कि सरकारी क्षेत्र के मामले में ऐसे कदम उठाएं जाएं क्योंकि सरकारी क्षेत्र उपक्रम भारतीय उद्योगों की जननी है।

उन दिनों हमारे यहां परम्परागत पुराने उद्योग थे। जब अंग्रेज लोग आए तो उस साम्राज्यवादी ताकत ने सस्ते कच्चे माल तथा सस्ती मजदूरी का दोहन करके अधिकाधिक लाभ उठाना चाहा। उनका वास्तविक उद्देश्य यही था। जब वे यहां आए तो उन्होंने यहां पर धन-संपदा को देखा तथा वे इसका फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए, उन्होंने हमारे परम्परागत उद्योगों को नष्ट कर दिया। महोदय, आप जानते हैं कि उन्होंनें किस प्रकार हमारे बुनकरों के हाथ काट दिए थे। एक समय था जब हम विश्व की सर्वोत्तम मलमल का उत्पादन किया करते थे।

इसे बंद करने हेतु ब्रिटिश वासियों ने उस समय उन बुनकरों के अंगूठे काट दिए थे क्योंकि वे अपने वस्त्र उद्योग स्थापित करना चाहते थे। हमारा परम्परागत वस्त्र उद्योग बर्बाद हो गया। उन्होंने इसकी पुनः इस तरह शुरूआत की। वे भारत आये और उन्होंने उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्हें भारत से कोई लगाव नहीं था। अतः उन्होंने कतिपय स्थानों यथा कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, समुद्री पत्तनों के आस-पास उद्योग स्थापित किए और उन्होंने पूरे देश भर में शिलांग और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में कहीं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया। साम्राज्यवादी ऐसा नहीं कर सकते है। ब्रिटिशवासियों ने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों को चुना और कतिपय क्षेत्रों में उद्योग लगाये। आप लोगों ने देख लिया है कि उद्योग की यह असमानता उस समय से शुरू हुई और यह आज भी जारी है। हम औद्योगिकीकरण की असमानता की रट लगा रहे हैं। ब्रिटिशवासियों ने यह औद्योगिकीकरण शुरू किया था। लेकिन उन्होंने यह अपने स्वार्थ के लिए किया था। आपको मालूम है क्या हुआ। हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग बगैर औद्योगिकीकरण के रह गया। हमारे परम्परागत उद्योग भी उन विदेशी दुश्मनों ने बर्बाद कर दिए।

इसके आगे जो हम देखते हैं वह उन औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़ने के विषय में है और उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने भारत के नक्शे पर रेल लाइनें बिछा दीं। इससे पहले हमारे यहां कोई रेल लाइनें नहीं थीं। जब रेल लाइनें बिछ गयी तब इस विश्व के महान विचारकों में एक विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा था :-

"भारत में रेल आधुनिक उद्योग की अग्रगामी है।"

जहां कहीं तक रेलें जायेंगी, उद्योग विकसित होगा और यह पूरे देश में फैलेगा। उद्योग फले-फूलेगा। सहयोगी उद्योग भी विकसित होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन रेल लाइनों के विस्तार के परिणामों को देखने के बाद उसी कार्ल मार्क्स ने कहा कि रेल भारत के लिए बेकार हो गयी है। आशा थी कि औद्योगिकीकरण बढ़ेगा लेकिन जब उन्होंने यह पाया कि यह तो नहीं बढ़ा तो उन्होंने कहा कि यह औद्योगिकीकरण की दृष्टि से भारतीयों के लिए बेकार हो गयी है। स्थिति यह है। लेकिन ये तो साम्राज्यवादी ताकतों की गतिविधियां थीं। भारत वर्ष के प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं था। ...(व्यवधान)

समाजशास्री मार्क्स ने समाज को देखा और देखने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ...(व्यवधान) दुर्भाग्य से अंग्रेज शासकों के दिनों से ही असमानता की यह प्रवृत्ति हम बनाये रखे हैं।

आप जानते है कि आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनायी थी। हमारे संविधान में सरकार को औद्योगिकीकरण करने का निर्देश नहीं दिया गया। हमारे संविधान तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में लघु उद्योगों का जिक्र तो है लेकिन औद्योगिकीकरण का कोई जिक्र नहीं है। प्रारम्भ में हमने सोचा था कि लोग धन लगायेंगे तथा उद्योग पनपेगा। लेकिन हुआ क्या? कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ। हमें धन कहां से मिलेगा? अतः सरकार ने लोगों द्वारा चुकाये गये कर की राशि को लगाने का निर्णय लिया। यही भारत में निवेश का स्रोत है। आजादी के बाद हमने सोचा कि निजी क्षेत्र में पनपेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब सरकार यह निर्णय लेने के लिए विवश हो गयी कि सार्वजनिक निवेश जरूरी है।

यह हमारे उद्योग की शुरूआत थी। सरकार ने लोगों पर कर लगाये। उस धन के एक भाग का निवेश किया गया और सरकारी क्षेत्र की इकाईयां विकसित होनी शुरू हो गयीं। जिसके कारण हमारी दोहरी नीति बनी – निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र। लेकिन अवसंरचना संबंधी उद्योग में निजी क्षेत्र धन नहीं लगायेगा, केवल सरकार ही अधिक धन लगायेगी। वास्तव में, सरकार उन क्षेत्रों में धन लगायेगी जहां बड़ा निवेश आवश्यक है तथा अवसंरचना विकास की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने धन लगाया। यह नीति पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कार्यान्वित की थी। लेकिन इस सरकार की नयी आर्थिक नीति के प्रस्ताव को इस नाम से चिढ़ हो गई है।

5.00 म.प.

अतः पण्डित नेहरू ने इस नीति को पेश किया तथा उसे

कार्यान्वित किया। सरकारी क्षेत्र का विकास हुआ और इस नीति के माध्यम से हमारी ऊर्जा, खानों, इस्पात तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों अर्थात मिश्रित नीति का विकास हुआ। लेकिन 45 वर्षों के बाद अब इस सरकार ने उस नीति को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया है। सरकारी क्षेत्र ने हमारी औद्योगिकीकरण की आधारशिला रखी थी और उस असमानता को दूर करने का लक्ष्य बनाकर देश का विकास किया गया। अब यह देखने में आया है कि इस सरकार ने उस नीति को तिलांजलि दे दी है तथा यह उद्योग अब हमारा लक्ष्य है। आप जानते हैं कि हम उन लोगों की सलाह ले रहे हैं जो हमारे मित्र नहीं हैं। वे जानते हैं कि यदि हम अपने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को विकसित करेंगे तो हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र तथा स्वावलम्बी हो जायेंगे। अत: वे बड़ी विदेशी शक्तियां हमें निरस्त्र तथा पूर्णत: उन पर निर्भर बनाना चाहती हैं। उनका व्यापार करने का उद्देश्य यही है। व्यापार में उनकी कोई मित्रता नहीं है जो कुछ हमने बनाया है वे उसको विखंडित करने का हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं कि आप सरकार चलायें। आप व्यापार की बात क्यों करते हैं। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आप सेना तैयार करें चाहे कामगारों तथा लोगों को मारे पीटें, जो चाहे करें लेकिन व्यापार करना एकदम भिन्न बात है। यह केवल व्यापारियों का काम है। वे यह सलाह तीसरी दुनिया के देशों को बेचते हैं तथा तीसरी दुनिया के देशों के सत्तारूढ़ दल इस नीति को खरीद रहे हैं और इस प्रकार वे अपना आधार खो रहे हैं। अत: महोदय यह मेरी समालोचना है यह अपनी खुद की मां की हत्या करने जैसा है। हमारा मूल उद्योग अर्थात सरकारी क्षेत्र हमारे देश के बाहरी दुश्मनों की सलाह पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार के हालात हैं। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इतिहास को न भूलें। कोई भी राष्ट्र जो अपना इतिहास भूल जाता है वह दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। हमें ब्रिटिश युग के उन 200 वर्षों को नहीं भूलना कि औद्योगिकीकरण का विकास किस प्रकार हुआ और आजादी के बाद कैसे हमने अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास किया तथा हमारे पूर्वजों ने क्या किया और अब हम उस नीति को अलविदा कह रहे हैं। यही मेरी चिन्ता का कारण है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बात पर विचार करें तथा सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ तथा नियंत्रित करने हेतु उनके पास जो शक्ति तथा संसाधन मौजूद हैं उन्हें जुटायें और इस प्रकार हम अपनी आजादी के आधार तथा नींव को मजबूत करें।

महोदय, हम 54 सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के हालात पहले ही देख चुके हैं। अनेक सदस्यों ने इसकी सूची भी रखी है। उन इकाइयों का विस्तार से विवरण नहीं कर रहा है। मेरा तो केवल सरकार से यही निवेदन है कि वह इससे पहले अपने सरकारी क्षेत्र को नष्ट करें तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के समक्ष संमर्पन करें और बाद में इन पर निर्भर बने। इस नई आर्थिक नीति के नाम इस नीति पर पुनर्विचार करें।

आपको मालूम है कि आजादी के बाद भारी उद्योग के क्षेत्र में हमारे देश में 22 से 25 प्रतिशत तक मशीनों का उत्पादन होता था तथा 75 प्रतिशत मशीनों को विदेशों से आयात किया जाता था लेकिन 1970 के शुरू के दशक में सरकारी क्षेत्र द्वारा निभायी गई भूमिका के बाद हमने यह देखा कि हमने 75 प्रतिशत मशीनों का उत्पादन किया तथा केवल 25 प्रतिशत मशीनों का आयात किया।

इसका मतलब है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने हमें आधार प्रदान किया है। सरकारी क्षेत्र के परिणामस्वरूप स्थिति में अमल परिवर्तन हुआ। हमने 75 प्रतिशत यंत्र स्वत: तैयार किया और केवल 25 प्रतिशत का ही आयात किया। लेकिन अब वे इस बात से आशंकित है कि यदि हमने बी.एच.ई.एल. और एच.एम.वी. और ऐसे अन्य एककों के कार्य में सुधार कर लिया तो हम उन्नति कर जाएंगे तथा उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और ऐसा होने पर वे अपना माल नहीं बेच पाएंगे। इसलिए, उन्होंने हमें सलाह देना शुरू कर दिया। हमारे मंत्रियों तथा अफसरशाहों ने वहां का दौरा किया और उन्होंने अलग-अलग तरीके से हमें जानकारी दी। वे उनके परिवार और बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा देते हैं। मंत्रियों के बच्चे तथा अफसरशाहों के पुत्र अमरिका तथा लंदन में नि:शुल्क शिक्षा पाते हैं तथा वे भिन्न-भिन्न तरीके से इसका शुल्क अदा करते हैं। उनके नाम विदेशी बैंकों में धन जमा किया जा रहा है तथा ऐसा करके वे देश के मुखियाओं को खरीदते हैं। इस प्रकार सरकार और अफसरशाही में विद्यमान देशद्रोही तत्व अपने आप को समर्पित कर देते हैं और अंतत: सरकारी क्षेत्र का नुकसान करने का निर्णय लेते हैं। महोदय, सरकार के विरूद्ध मेरी यही शिकायत है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें और हमारे सरकारी क्षेत्र उद्यमों की रक्षा करें। सरकार से अनुरोध है कि इसका विकास करें तथा इसे सुदृढ़ करें क्योंकि इससे हमें रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध हुए हैं। निजी क्षेत्र में इसका रोजगार उपलब्ध नहीं होता। ज्यादातर रोजगार सरकारी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी क्षेत्र द्वारा अच्छी मजदूरी तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। लेकिन अब हम इसे असंगति क्षेत्र के हवाले करने जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र से मतलब है कि वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा और अधिकार नहीं होंगे। प्रबन्ध मंडल की मर्जी से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा तथा निकाला जा सकेगा। अत: यदि हम समर्पण करते हैं तो स्थिति ऐसी ही होगी। मैं अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। उद्योगों और रूग्ण उद्योगों के बारे में प्रबंध मंडल की मर्जी से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कामरेड चित्त बसु अपना विचार व्यक्त प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए मैं उन सभी सुझावों को दुहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि मेरे कामरेड द्वारा रखे गए सुझावों को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बचाया जा सकता है और इस प्रकार देश को बचाया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव** (मछली पटनम) : माननीय सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनःजीवित करने संबंधी संकल्प पर बोले हैं। इस विषय पर हम विगत चार पांच वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। देश का कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपा जाए अथवा इसकी महत्ता को कम करके आंका जाए। सभी सरकारी क्षेत्र के पक्ष पर हैं। लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन चार वर्षों में किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है। यदि उनकी छंटनी की जाती है तो श्रमिक संघ द्वारा समझौतों के अनुरूप उन्हें मुआवजा दिया जाता है।

हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रूग्ण नहीं होने दिया जाएगा तथा जहां कहीं भी ऐसे एकक हैं उनको लोकसभा की इच्छा अनुसार बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द किया जाएगा। महोदय, इन महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान का एक मुख्य कारण है। हमें अपने आदर्शों से ही बंध कर नहीं रहना चाहिए, अपितु खामियों का पता कर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जैसा कि श्री हल्लान मोल्लाह ने कहा है यह वास्तविकता है कि जब हमने स्वतंत्रता पायी तब हम अपनी ज्यादातर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते थे। लेकिन अब, स्थिति बदल चुकी है। अब हम अति उन्नत यंत्र को भी निमित करने की स्थिति में है। सौफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अन्य चीजों में काफी प्रगति कर चुके हैं। हमारे देश में दक्षता अथवा विशेषज्ञों की कमी नहीं है। इस दिशा में यदि कोई कमी है तो वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वसनीयता को बरकरार रखना। ये ही समस्या का समाधान करेंगी।

मुख्य समस्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की है। मान लीजिए कि हमने उदारीकण को अपनाते हुए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों अथवा निजी उद्यमियों को हरेक क्षेत्र अर्थात दूरसंचार, ऊर्जा क्षेत्र तथा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है तो इस बात का विशलेषण करना जरूरी हो जाता है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हालत खराब क्यों रहती है तथा वे लगातार घाटे में क्यों चलतीं हैं।

प्रमुख सामाजिक दायित्वों को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा क्षेत्र को लीजिए। जैसा कि सदन द्वारा निर्णय किया गया है मुख्य सामाजिक दायित्वों को पुरा करना भी इस क्षेत्र का कर्त्तव्य है। देश के अनेक विद्युत बोर्ड कृषि में काम आने वाले पम्पसेटों को बिजली की पूर्ति करते है और उस पर लगभग एक करोड़ रुपये की वसूली नहीं करते हैं। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के इस नुकसान की भरपाई हेतु सरकार उचित कदम नहीं उठा रही है। और आप बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से स्पर्धा करना चाहते हैं।

दूसरी बात, श्रम कानून अत्यंत जटिल है तथा यूनियनबाजी का बहुत बोलबाला है। लगभग सभी सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में जरूरत से ज्यादा रोजगार भी दिये गये हैं। जिस पर हमारे संसाधनों का पचास प्रतिशत भाग व्यय होता है। ऐसे नुकसान का कारण हम लोग ही हैं। इसलिए हम अपने उपक्रमों की 'लाभ और हानि' की तुलना बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों अथवा निजी संगठनों से नहीं कर सकते हैं।

अतः, आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामने जो दो मुख्य समस्यायें हैं वे 'सामाजिक दायित्व' तथा 'जरूरत से ज्यादा कर्मचारी' से संबंधित हैं। यह एक वास्तविकता भी है।

मेरे विचार से तीसरी मुख्य समस्या 'जवाबदेही के सिद्धान्त का पालन न करना' है। हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यूनियनों को राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए खुला छोड़ दिया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कोई नियंत्रण नहीं है अब कोई खाता नहीं रखा जाता तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी जवाबदेही को भी त्याग दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन, इसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों ने सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में प्रवेश किया जिससे इस क्षेत्र को लगातार घाटा हो रहा है। यह वास्तविकता है कि किसी ने भी इसकी जांच नहीं की। एककों और मजदूरों के नेताओं की कार्य निष्पादन में दिलचस्पी कम होने के फलस्वरूप ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की देखरेख करने वाले लोगों की किसी भी स्तर पर जांच-पड़ताल नहीं की गई। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुप्रशासन या कदाचार यदि सम्बद्ध मजदूर यूनियन नियंत्रण रखते तो ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती।

इसीलिए महोदय, हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तीन मुख्य समस्याओं के कारण घाटा हो रहा है अर्थात् सामाजिक दायित्व आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की तैनाती तथा भ्रष्टाचार। हमें इन समस्याओं का उन्मूलन करना होगा।

आजकल भारत सरकार ने बजटीय सहायता भी वापस ले ली है। स्वाभाविक है कि वह सार्वजनिक धन से हमेशा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पोषण नहीं कर सकते। अतः अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि एक ओर तो तीव्र गति से निजीकरण हो रहा है तथा दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र तबाह होते जा रहे हैं।

आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि हमें इन दोनों संगठनों को एक स्तर पर लाना होगा। मूल समझौता ज्ञापन में तथा एसोसिएशनों के नियमों में परिवर्तन करके इन्हें निगमित निकाय बनाकर इन्हें यह अनुमति दी जानी चाहिए कि ये आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई, विश्व बैंक तथा विदेशों आदि से उसी प्रकार धन जुटा सकें जिस प्रकार निजी कम्पनियां सार्वजनिक निर्गम जारी कर के पूंजी बाजार में प्रवेश कर रही हैं। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में भी जनता का धन आकर्षित किया जा सकता है। तभी ये वित्तिय रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

महोदय, हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। उदारीकरण की प्रक्रिया तथा विभिन्न श्रम संगठनों को नियन्त्रित करने वाले वर्तमान कानून समानान्तर रूप से नहीं चल सकते। या तो हमें सरकारी उपक्रमों को समाप्त करना होगा अथवा देश में श्रम संगठनों को नियंत्रित करने वाले कतिपय कानूनों को समाप्त करना होगा क्योंकि ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। एक ओर तो निजी कंपनियों, चाहे वह बहुराष्ट्रीय हों या भारतीय पर ऐसे कानून लागू नहीं हैं तथा दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामाजिक दायित्वों को पूरा करने, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा श्रम संगठन कानूनों के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए हैं। अत: जब तक हम श्रम कानूनों को उपयुक्त ढंग से संशोधित नहीं करते तब तक हम सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों को उनके कार्यकरण के प्रति जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह देश के श्रम संगठनों को नियंत्रित करने वाले विद्यमान कानूनों में परिवर्तन करने के लिए एक व्यापक विधान लाए। इन कानूनों में निजी कंपनियों के श्रम संगठनों पर लागू कानूनों के अनुरूप संशोधन किया जाना चाहिए। इससे समानता आएगी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिद्वन्द्विता करने में सहायता मिलेगी। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने तथा उनकी प्रतिष्ठा को पुन: बहाल करने में सहायता मिलेगी। अन्यथा, सरकारी उपक्रमों को बजटीय सहायता न देने के सरकार के हाल के निर्णय से ये उपक्रम तबाह हो जाएंगे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बिना सोचे-समझे निजीकरण करने तथा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने से हम देश का भारी अहित कर रहे हैं। अत: हमें संतुलन बनाना ही होगा, अन्यथा इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा।

महोदय, सरकार ने कतिपय विद्युत उत्पादन एककों के ठेके भारतीय अथवा बहुराष्ट्रीय - निजी कंपनियों को देने का निर्णय किया है। आखिर हो क्या गया है? हमारे देश में बी.एच.ई.एल. तथा एन.टी.पी.सी. जैसे बड़े-2 सरकारी उपक्रम विद्यमान हैं। दक्षता तथा लागत मितव्ययिता की दृष्टि से इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की बराबरी हम विश्व के विकसित देशों के संगठनों से कर सकते हैं। एक करोड़ रुपयों के निवेश से उन्होंने एक मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। अब बी.एच.ई.एल. 2.5 करोड़ रुपयों की लागत से एक मेगावाट के उत्पादन के लिए तैयार है। उन्हें 4 अथवा 5 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया गया है।

बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए जिन कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, वे बी.एच.ई.एल. तथा एन.टी.पी.सी. के इंजीनियरों को 1 लाख अथवा 50 हजार रुपया देने की पेशकश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। कुछ समय पश्चात् हमारे ताप विद्युत स्टेशनों तथा बी.एच.ई.एल. इकाईयों को चलाने के लिए कोई नहीं रहेगा। अंतत: सरकार अथवा किसी देश के लिए यही विकल्प शेष बचेगा कि, "आप कुछ इकाईयों को चला रहे हैं, अत: इसे भी चलाओ" और उन्हें शेष इकाईयां भी अंतरित कर दी जाएंगी। ऐसी स्थिति अवश्य पैदा हो जाएगी।

हम न तो निजीकरण के विरोधी हैं और न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हैं, अपितु हम चाहते हैं कि उनकी जवाबदेही तय की जाए। आप पहले सरकारी उपक्रमों को अत्यधिक बोझ से क्यों लाद देते हैं और उसके बाद उन्हें दक्षता प्राप्त करने तथा मुनाफा कमाने के लिए कहते हैं? आप निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षा दुगनी दरों पर भुगतान कर रहे हैं और उनको श्रम संघ कानूनों तथा अन्य बातों को मनाने के लिए भी बाध्य नहीं करते फिर भी आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तुलना कर रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। यदि धन देने, रोजगार देने अथवा श्रम कानूनों, यूनियनों, बोनस आदि के मामले में दोनों को समान स्तर पर लाया जाए तो मेरा दावा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निजी संगठनों की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करेंगे तथा उनसे अधिक मुनाफा कमाएंगे।

मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता कि कौन सरकार को दोषी मानता है तथा कौन विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह सिद्ध करे कि वह न तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति प्रतिकूल है और न ही वह अनावश्यक रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पक्ष ले रही है...(व्यवधान) उन्हें समान रूप से प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा उनके साथ समान बर्ताव किया जा रहा है। तब भी यदि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बाजार में अपेक्षित स्तर पर खरे नहीं उतरें तब ही हम आपकी इस बात से सहमत होंगे कि उन्हें रूग्ण उपक्रम घोषित किया जाए।

महोदय, हमारे देश में समस्या यह है कि हम परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। हम मात्र सरकार को दोषी करार दे रहे हैं तथा सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। लोग भ्रमित हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सही है अथवा कौन गलत। इस देश में इस समय स्थिति यही है। 90 करोड़ जनता वाले भारत में पूरी तरह से निजीकरण नहीं किया जा सकता। जब लोग यह महसूस करते हैं कि सार्वजनिक सम्पत्ति उनकी अपनी सम्पत्ति है, तभी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जब वे महसूस करते हैं कि भारतीय रेल उनकी अपनी है तभी रेलवे सुरक्षित रूप से चल पाएगी तथा पुलिस के एक सिपाही को भी जरूरत नहीं होगी। जिस क्षण से प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएगी, आप लाखों किलोमीटर की भारतीय रेलों अथवा बड़े इस्पात संयंत्रों या अन्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे।

हमें कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा हो रहा है, किंतु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह मात्र लेखाओं का हेर-फेर है, पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय से हमारे

नेताओं द्वारा किए गए प्रयासों को लोग आज भी याद करते हैं, इस देश के औद्योगिकीकरण के बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरू के इरादों, पूर्वानुमानों और प्रगतिशील विचारों को लोग आज भी याद करते हैं। महोदय, इसलिए हमें इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यदि कोई समस्या है तो इसे जनता के सामने पूरी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएं। सरकार अधिक धनराशि नहीं दे सकती है...(व्यवधान), महोदय आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में जेपोर विद्युत परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं इसे सरल रूप में रखने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि मुझे एक कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है, जिसका वास्तविक मूल्य 2 लाख रुपये है, बैंक अधिकारी मुझे कहते है कि ऋण राशि का 25 प्रतिशत अर्थात 1 लाख रुपये अग्रिम के रूप में जमा करें मैं भी अरूणाचलम से 1 लाख रुपये का ऋण लेता हूं और बैंक में जमा कर देता हूं। बैंक मुझे 4 लाख रुपये का चैक देता है। कार की कीमत मात्र दो लाख रुपये हैं, मैं 2 लाख रुपये कार की कीमत देता हूं और कार खरीद लेता हूं। 1 लाख रुपये का ऋण चुकाने और 2 लाख रुपये कार की कीमत देने के बाद मेरे पास 1 लाख रुपये बच जाते हैं, इस देश में इस प्रकार का निजीकरण चल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कुछ मदों के मामले में हो रहा है सभी मामलों में नहीं।

इसलिए सावधान रहिए, भारतीय जनता इतनी उदासीन नहीं है कि सरकार की हेरा-फेरी को न समझे, भारतीयों का आत्मसम्मान दांव पर लगा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीयता के साथ सामने आइये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी संस्थाओं के बराबर लाइये और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अधिक लाभ कमायेंगे और कार्य कुशल साबित होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वाद-विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़)** : सभापति महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रूग्णता और कर्मचारियों को बकाया, देय आदि धनराशि के बारे में हमारे मित्र श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा पेश किए गए संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रूग्णता हम सभी और सरकार के लिए चिन्ता का विषय है, यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका न केवल हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं अपितु लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को भी प्रभावित करता है, जिससे कि हम जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के इस संकल्प को बहुत पहले अपना लिया था। महोदय, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठ सम्पूर्ण विश्व में थी उन्हें एक समाजवादी के रूप में जाना जाता है, महोदय, जैसा कि आप जानते हैं स्वतंत्रता से बहुत पहले से वे सदैव कांग्रेस से अत्यंत सक्रिय रूप से जुड़े रहे और उन्होंने कांग्रेस के सत्रों की अध्यक्षता की, वे कई वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता से पूर्व भी नियोजन, भूमि सुधार, समाजवाद इत्यादि सभी अवधारणाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रिय थी, कांग्रेस में एक योजना समिति थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1940 में इसके सभापति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी समाजवादी कार्यक्रमों के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया था, इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी विचार नये या स्वतंत्रता के बाद के विचार नहीं हैं, इसका विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दिनों में हुआ, उससे पहले हम अपने मामलों में स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कह सकते थे।

इस वाद-विवाद में भाग लेने के प्रारम्भ में मैं भारत माता और विश्व के महान सपूत पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, महोदय, जैसा कि आप जानते हैं वे आधुनिक भारत के मुख्य निर्माता थे तथा उनके कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई, उनके कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न केवल उच्च प्राथमिकता दी गई अपितु उसके बाद भी उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है।

आज दूसरे पक्ष द्वारा इसकी कुछ आलोचना की जा रही है। मेरे विचार से इस मामले में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस चर्चा में राजनीति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं केवल एक वाक्य में यह कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के पास नैतिक अधिकार नहीं है, मैं इस बात को जोर देकर बार-बार कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को मिश्रित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति, जिन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया है, के लिए कांग्रेस को दोष देने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं पक्के तौर पर यह कह सकता हूं क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल की सरकार है किंतु यह सी.पी.एम. की सरकार है वही वहां पर मुख्य दल है, ग्रेट ईस्टर्न होटल जो एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, उसका क्या हुआ?

**एक माननीय सदस्य** : कुछ भी नहीं हुआ।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : आप उसका विश्लेषण करें, क्या आप उसे बेच नहीं रहे हैं?

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं,

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या आप इसे बेचने की बातचीत नहीं

कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री कितने निजी उद्यमियों का पश्चिम बंगाल में स्वागत के लिए गलीचे बिछाये बैठे हैं, अत: ऐसा मत कहें, मैं इसे गैर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसे राजनीति से ऊपर रखें। उड़ीसा में क्या हुआ? जब वहां जनता दल की सरकार थी तो उन्होंने क्रोम की सबसे अच्छी खानें टाटा को कौड़ियों के भाव दे दी थी इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को कांग्रेस की निंदा करने का नैतिक अधिकार नहीं है, किंतु यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इस बात को महसूस करना चाहिए, हम स्वयं ही एक बहुत ही विचित्र स्थिति में पड़ गए हैं ....(व्यवधान) कृप्या मुझे परेशान न करें।

**श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) :** जहां तक उड़ीसा का संबंध है, सम्बद्ध पक्ष कम से कम एक भारतीय कंपनी तो है, टाटा एक भारतीय कंपनी है और यदि उन्हें कुछ कौड़ियों के भाव कुछ मिल जाता है तो मेरे विचार से हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** मैं ठीक उसी बात पर आ रहा हूँ .....(व्यवधान)

पुन: सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र पर विचार करें तो पता चलता है कि उनमें भारतीय उद्यमी और विदेशी उद्यमी दोनों ही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं लेकिन कुछ लगातार घाटे में जा रही हैं, क्या आप इन दोनों को समान स्तर पर ला सकते हैं? लगातार घाटे में चल रहीं इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए आप क्या करेंगे?

जैसा कि मैंने कहा, निजी क्षेत्र पर विचार करें तो उसमें भारतीय और विदेशी दोनों ही कंपनियां हैं, मैं उर्वरक के संबंध में एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, ऐसा हुआ कि भारतीय बाजार में स्वदेशी उर्वरक की तुलना में अमेरिकी उर्वरक को कम मूल्यों पर बेचा जाता था। क्या आप किसानों को यह कह सकते हैं कि चूंकि यह भारतीय उर्वरक है इसलिए आप इसके लिए अधिक मूल्य दें और इसे ही खरीदें और इस अमेरिकी उर्वरक की उपेक्षा करें? मैं संक्षेप में यह कहता हूं कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह पहला काम है।

लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में भी, हमें ऐसी स्थिति बनानी है जिससे यह निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। हमें देश में एक खास माहौल तैयार करना है। 'हम' से मेरा तात्पर्य राजनीति से संबंधित लोगों, सरकार, कार्य दल, मजदूर संघों, प्रबंध मंडल और कारोबार से जुड़े लोगों से है। ये सभी लोग एक साथ मिलकर बाजार का निर्माण कर सकते हैं जिसमें भारतीय निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धात्मक बन सकें और विश्व बाजार से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। अन्यथा, आज के विश्व में, हम क्या कर पाएंगे? पूर्व सोवियत संघ और चीन को देखें और हमें वास्तविक स्थिति के बारे में बताएं। इस पृष्ठभूमि में, हमें क्या करना है। मैं आपको बता सकता हूं, कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबल समर्थक हूं। लेकिन आज के परिदृश्य में, हमें व्यावहारिक भी होना है।

इसके अतिरिक्त इतनी अधिक मांगे की जा रही हैं, हमें गरीबी से लड़ना है। हमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए काफी मात्रा में धन लगाना है और साथ ही हमें तीव्र औद्योगिक विकास भी करना है। हमें यह धनराशि कहां से मिलेगी? जनता की स्थिति ऐसी है कि हम अधिक कर नहीं लगा सकते। यदि बजट में कर लगाये जाते हैं तो हम सब पूरी शक्ति से इसका विरोध करते हैं।

अत:, ऐसी स्थिति में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पास 237 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम है, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में धनराशि का निवेश किया गया है जो लगभग कुल 1,40,000 करोड़ रुपए हैं। यह बहुत अधिक धनराशि है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गया है। अत: स्वाभाविक है कि इससे आय की आशा भी की जाए। इस सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लोगों का पैसा कहां जा रहा है? यदि इसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं होता है, या यों कहिए कि कम से कम 10 प्रतिशत के लगभग मैं 20 या 15 प्रतिशत नहीं कह रहा हूं - आय की भी अपेक्षा नहीं की जाती तो देश की अर्थव्यवस्था पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मैं आय का उल्लेख कर सकता हूं? यह केवल 2.4 प्रतिशत मात्र है!

यहां जैसा कि मैंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए जाने के बावजूद हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र ने स्वातंत्रयोत्तर काल में मुख्यत: पूंजी पर आधारित बुनियादी सुविधाओं का सृजन भी किया है जो कि निजी क्षेत्र नहीं कर सकता था या वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता। यही मैं कहना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वप्नद्रष्टा थे और उनके पास व्यावहारिक बुद्धिमता भी थी। इसलिए भारत में औद्योगीकरण शुरू करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में एक पिन या सुई का भी निर्माण नहीं किया जाता था, लेकिन आज इतने वर्षों से लागू हमारी औद्योगिक नीति के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र पर पहले से ही बल देने के कारण निजी क्षेत्र आगे आ रहे थे। उस समय बहु-राष्ट्रीय कंपनियां आगे नहीं आ रही थीं। हमें धन का निवेश करना था। आज क्या हो रहा है? विश्व के 15 सबसे अधिक औद्योगिक रूप से विकसित देशों में से हम एक हैं। क्या यह छोटी उपलब्धि है? क्या यह कम उपलब्धि है?

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव :** एक तरफ से आप सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यह अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा था। जो अब इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** मैं इस पर ही आ रहा हूं। यदि आपने स्वयं को ही भ्रमित करने का निश्चय किया है तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ लोग जो स्वयं को भ्रम में डालना चाहते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा है कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबल समर्थक हूं। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि इसने जो महत्वपूर्ण

स्थान प्राप्त किय था इसे जो महत्ता दी गई उसी के कारण हम इस स्थिति में आ सके हैं, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि सार्वजमिक क्षेत्र में जो निवेश किया गया है उसकी तुलना में इससे प्राप्त आय निराशाजनक है।

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** धन्यवाद।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** जी, आपको धन्यवद देता हूँ। आप अपने शक में भी कोशिश कर सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कहा है वह यह है कि निजी क्षेत्र की अवधारणा की मूल धारणा स्वतंत्रता संग्राम से उत्पन्न हुई है, लेकिन क्या हुआ? एक अध्ययन के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्णता के क्या कारण हैं। औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष करीब 52 उद्यमों के मामले हैं। मैं इस अध्ययन के मूल्यांकन से सहमत नहीं हूँ। वे कहते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है और हमारी प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है जैसा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम रूग्ण हो गये हैं, यही मुख्य कारण हैं।

दूसरा कारण जरूरत से ज्यादा लोगों को नियोजित करने का है। कम से कम एक तिहाई कार्यबल अधिक है। यह भी सही है। एक समय हमारा विचार था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्वजनिक क्षेत्र लाभ कमा रहा है या घाटे में जा रहा है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है, उन्हें रोजगार प्रदान करना है और लाभ या हानि के पहलू पर ध्यान दिये बिना इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोगों को नियोजित किया गया। लेकिन यह भी अच्छा नहीं है।

तीसरा एक और कारण भी है जो इस रिपोर्ट में नहीं है और वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुप्रबंधन के बारे में है। मुझे यह अप्रिय बात मजबूरन कहनी पड़ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों ने कई जगहों पर राजाओं, महाराजाओं और औद्योगिक युवराजों आदि जैसा बर्ताव किया है कार्यकारी अधिकारियों में अपने काम से लगाव की भी कमी थी।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है। मैं वह कहूँगा जो हमारे बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं।

**[हिन्दी]**

**"सरकार का माल, दरिया में डाल"**

**[अनुवाद]**

इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु सरकार की होती है तो उन्हें इसमें कोई रूचि नहीं है। अत:, इसे बर्बाद होने दिया जाए। (व्यवधान) आपने पश्चिम बंगाल में सरकार गठित की है। आप दो शासनकालों के भाग भी थे और आप बाहर से समर्थन दे रहे थे। इसलिये, ऐसा मत कहिए, मैं इसे राजनीति से ऊपर समझता हूँ लेकिन आप नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यही पृष्ठभूमि रही है।

पश्चिम बंगाल में, हल्दिया एक जगह है। जहां समतुल्य कोई भी एक उदाहरण शेष विश्व में नहीं पाया जायेगा। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की एक इकाई यहां स्थित है। आपको मालूम है वहां क्या हो रहा है? पन्द्रह से सत्रह हजार के करीब कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं और लगभग 800 करोड़ रुपये का उसमें निवेश किया गया है। उस इकाई को स्थापित हुए एक दशक हो गया है। तथापि, उसकी विशिष्टता यही है कि इसमें एक कण उर्वरक का भी उत्पादन नहीं हुआ है। (व्यवधान) इन सब बातों के बावजूद, गलती के लिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है, किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है। क्या हो रहा है? कर्मचारी निठल्ले बैठे हैं। लेकिन उन्हें वेतन मिल रहा है और उन्हें न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस भी मिल रहा है। उन्हें दो पदोन्नितयां भी मिल चुकी हैं। लेकिन स्थिति वैसी ही है। मेरे विचार से विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं होता होगा। लेकिन हम इसे सहन कर रहे हैं।

**5.42 म.प.**

**(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)**

इस प्रकार है यदि हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यदि भारत सरकार इस इकाई को बन्द करने का निर्णय लेती है तो आप पश्चिम बंगाल में विद्रोह भड़का देंगे।

महोदय, दो दिन पहले, हमारे माननीय वस्त्र मंत्री श्री जी. वेंकट स्वामी सभा के समक्ष रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीकरण) संशोधन विधेयक लाये। उस विधेयक में क्या भावना निहित थी? उस विधेयक में निहित भावना करीब 15 रूग्ण वस्त्र मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की थी और यह इस सरकार के उद्देश्य के बारे में काफी कुछ जताती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और मजदूरों के पक्ष में है। इस तरह सरकार मजदूर-विरोधी और सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नहीं है। सरकार यह कह सकती थी कि हम इन सब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर देंगे।

इसलिए, हमें सामूहिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट स्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धात्मक संतोषजनक ढंग से कार्य करने योग्य बनाया जा सके। औद्योगिक परिदृश में भी चाहे यह सार्वजनिक क्षेत्र हो या चाहे निजी क्षेत्र हो। भारतीय उद्यमी अन्तराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी हो सकते हैं। अत: यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिस पर मैं बल देना चाहता हूँ।

जैसा कि मैंने कहा था, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से यह बताया है कि सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में है और हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द नहीं कर सकते। परन्तु उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का क्या करें जो रूग्ण हो गये हैं और जिनका पुन:उद्धार नहीं किया जा सकता? उन्हें बन्द करना पड़ेगा।

जहां तक कामगारों का संबंध है, समय की मांग निर्धारित

उत्तरदायित्व के साथ एक नई कार्य संस्कृति को अपनाना है। सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकों को उत्तरदायी बनाना होगा। साथ ही, उन्हें अधिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए? अतः, कुछ और शक्तियों तथा स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही, श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की इकाइयां तथा निजी क्षेत्र की इकाइयां दोनों ही हैं। लेकिन जब मैं एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जाता हूँ, उपक्रम की स्थिति जो भी हो, वहां कार्य करने वाला कामगार यह कह सकता है कि यह उसका अपना संयंत्र है, लेकिन एक बहुराष्ट्रीय उद्यम चाहे कितना भी समृद्धशाली हो, चाहे यह टाटा का उद्योग हो अथवा बिड़ला का हो, वहां का एक श्रमिक अपनी छाती पर हाथ रख कर यह नहीं कह सकता कि वह उद्योग उसका है। यह अन्तर है। हमारे जैसे प्रजातंत्र में, जहां हम सभी प्रजातान्त्रिक समाजवाद से जुड़े हुए है, हमें सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है, उदाहरण्या के लिए, मारूति उद्योग। जब मारूति कार भारतीय बाजार में पहली बार आई थी तो किस तरह का विवाद था? लेकिन अब हमें मारूति उद्योग पर गर्व है। देश में आटोमोबाइल उद्योग के आधुनिकीकरण में मारूति उद्योग सहायक रहा है। मारूति से पहले, एम्बेसडर, फियट, बिड़ला, और अन्य उद्योगपति पैसा बना रहे थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लीजिए। देश की समस्त आवश्यकता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरा नहीं किया जाता, लेकिन एक निश्चित सीमा तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब तथा देश के दलित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका है। इसका खाद्यान्न बाजार पर भी प्रभाव पड़ता है।

**श्री अमल दत्त** : मारूति अब सरकारी क्षेत्र में नहीं है।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : जब यह सरकारी क्षेत्र में थी तो उन बैंचों से संबंधित सभी संसद सदस्य उसकी बहुत आलोचना करते थे ....**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : इसका समय समाप्त हो चुका है। एक घंटे के लिए बढ़ाया गया था, क्या और समय बढ़ाया जाये?

**कुछ माननीय सदस्य** : एक घंटा और बढ़ा दें।

**सभापति महोदय** : ठीक है, एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

**[अनुवाद]**

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : अत: मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम नहीं समझना चाहिए। साथ ही, सरकारी उपक्रम एक पवित्र गाय भी नहीं हो सकता। हमें इसे लाभप्रद बनाना है, और उसके लिए, एक नई कार्य संस्कृति विकसित करनी है। उस संदर्भ में, श्रमिकों की भागीदारी आवश्यक है।

श्रमिकों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए। यदि अधिकारियों तथा कामगारों में यह भावना नहीं है, तो यह कठिन होगा। कुछ उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। वे कुछ मौद्रिक सहायता तथा पुनरुद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो वे बाजार से इक्विटी आदि के द्वारा धन भी जुटा सकते हैं।

महोदय, जैसा कि आपने निदेश दिया है, मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। यदि हम धन लगायें, चाहे निजी क्षेत्र में अथवा सरकारी क्षेत्र में, और यदि कोई उद्योग रूग्ण हो जाता है तो यह समग्र हानि है, उत्पादन की हानि, रोजगार की हानि तथा राजस्व की हानि। इन सब का परिणाम राष्ट्र के लिए बहुत कठिन स्थिति होगा। यहां तक की तालाबंदी भी धन की हानि है।

इन शब्दों के साथ, मैं कई रूग्ण इकाईयों के संबंध में बहुत व्यावहारिक पैकेज बनाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आई.डी.बी.एल. साइकिल इण्डिया आदि के मामले हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : ठीक है, महोदय। अन्य पैकेज उर्वरकों के संबंध में हैं। इस संबंध में एक उदाहरण दे सकता हूँ।

**सभापति महोदय** : और उदाहरण नहीं। कृप्या अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : ठीक है महोदय। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। कृप्या मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिए ...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : मैं आप से केवल अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह रहा हूँ।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : मैं जानता हूँ कि मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ तर्क-वितर्क न कीजिए। आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ।

बी.आई.एफ.आर. के समक्ष मामले हैं। इसके समक्ष सभी मामलों को शीघ्र निपटाया जाना है। उर्वरकों के लिए एक पैकेज है। भारतीय उर्वरक निगम की तल्चर में एक यूनिट है। उसमें निकट ही भारी जल की एक अन्य यूनिट है जो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। लेकिन यह उर्वरकों से जुड़ी है। इसका नवीकरण किया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : महोदय, इस भारी जल यूनिट को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए और बी.आई.एफ.आर. को इसमें शीघ्रता करनी है। वहां काफी विलम्ब हो रहा है।

**सभापति महोदय :** अब श्री सैयद मसूदल हुसैन बोलेंगे

(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** श्री मसूदल हुसैन के भाषण अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, एक शायर ने कहा है - हम आह भी करते हैं तो हो जाते है बदनाम, वे कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होता। पाणिग्रही जी कहते हैं कि विपक्ष में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जिनको मारल आथारिटी भी चर्चा करने की नहीं है। आपकी सरकार की करतूत की वजह से पूरे देश के उद्योग का यह हाल है और विशेषकर पब्लिक सैक्टर में। इस बारे में जब चर्चा होती है और जब इसको बचाने की मांग होती है, तो कहा जाता है कि वर्क कल्चर नहीं है। इस वजह से यह सब हो रहा है। मैं दो-चार बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

पब्लिक सैक्टर सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और इसको सही रखने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। यह पूरी की पूरी स्थिति इनकी रौंग पालिसी की वजह से हो रही है। मैनेजमेंट की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनकी नई आर्थिक नीति आई है, नई औद्योगिक नीति आई है। अब यह कोशिश हो रही है, इसको खत्म कर दो और उसको खत्म कर दो। यह सिलसिला हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अब भी कोशिश की जाए, तो कम से कम पचास प्रतिशत उद्योगों को हम बचा सकते हैं, यदि आपकी थोड़ी कृपा हो जाए। जो उद्योग सिक हो गए हैं, यदि उनको आपकी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, तो वे जिंदा हो सकते हैं। वर्कर्स माडूनाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ नहीं हैं। वर्कर्स चाहते हैं कि माडूनाइजेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, लेकिन आपकी नीयत क्या है, क्या आप इस बारे में कुछ ध्यान देते हैं? आपका ध्यान इस बात पर है, जिस उद्योग के पास जमीन है, उस जमीन को बेच दो। फिलहाल आपने एन.टी.सी. के बारे में निर्णय लिया है, बेच कर माडूनाइजेशन करो। मैं पूछता हूं, क्या आपसे सहयोग नहीं मिल सकता था।

जमीन बेचने के बाद अगर किसी कारण से फिर दुबारा वह सिक हो जाये तो क्या रहेगा...(व्यवधान) बंद कर देंगे यही तो आपकी नियत है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आप वर्कर्स के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे स्टेट के अजीत पांजा जी यहां बैठे हुए हैं। वह कुछ दिन पहले बड़े जोश से यहां कह रहे थे कि पहले आप वैस्ट बंगाल में वर्क कल्चर लाइये। मेरी तरफ से गवाह देने वाले भाटिया जी भी यहां मौजूद हैं। आपको मालूम है कि बारासात में एक छोटी सी इंडस्ट्री है, सैंट्रल गवर्नमेंट अंडरटैकिंग हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आप उस डिपार्टमैंट के मिनिस्टर रह चुके हैं। जिस समय आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर थे उस समय बारासात का हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल जो कि बोनस मिल था, सैंट्रल गवर्नमैंट का पब्लिक अंडरटेंकिग है, वह एक साल से बन्द पड़ा हुआ था 60 लाख के घाटे में था कमालुद्दीन साहब से कह कर उसे खुलवाया, 5 महीने काम करने के बाद उन्होंने 60 लाख के घाटे को ही पूरा नहीं किया बल्कि 50 लाख का लाभ भी दिया। वहां की कैजुअल लेबर को आपने अभी तक परमानैंट नहीं किया है। आप इनका एक भी पैसा बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं बल्कि आपने उनकी वर्दी तक उतार ली। ऐग्रीमैंट खत्म हो चुका है, उनके ड्रैस एलाउन्स भी आप नहीं दे रहे हैं। यहां पर भाटिया जी मौजूद हैं। हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन के वर्कर्स को एक साल में परमानैंट करना चाहिए था। आप उसे 5 साल से घसीट रहे हैं। इनसे आप क्या वर्क लेना चाहते है? वी.आर.एस. में कहते हैं कि वर्कर्स का छंटनी हो जाये, वर्कर्स तुम पैसे ले लो और निकल जाओ। आपने 26 परसैंट वर्कर्स को हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन से निकाला है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने कितने मैनेजरों को वी.आर.एस. दी है? आपका मैनेजिरिअल स्टाफ जहां-जहां मौजूद है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आपने वर्कर्स का वर्दी उतार लिया लेकिन मैनेजिरिअल स्टाफ का टेलीफोन बिल, एस.टी.डी., गाड़ी के खर्चे के बारे में कभी आपने चैक किया है? आप वर्कर्स के ऊपर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करते हैं। वर्कर्स काम करने के लिये तैयार हैं लेकिन आपकी उनसे काम कराने की नीयत नहीं है।

महोदय, आप हल्दिया के बारे में कह रहे हैं। यहां भी इस बात को छोड़ा गया। क्या यह स्टेट गवर्नमैंट की पब्लिक अंडरटेंकिग है? हल्दिया का यह पैट्रो कैमिकल है। यह आपका सैमी गवर्नमैंट का अंडरटेकिंग है। आप कहते हैं कि 10 साल से उसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ है। प्रोडक्शन कराने की जिम्मेदारी किस पर थी? पश्चिम बंगाल में केवल एक लैफ्ट फ्रंट गवर्नमैंट है। उसके लिए वहां प्रोडक्शन कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आप इसको नहीं समझेंगे। वहां जो वर्कर्स हैं, आपका टोटल सिस्टम ऐसा हो गया है, वहां एक भी दाना फर्टिलाइजर का 10 साल में नहीं बना। किस लिये नहीं बना, क्या इसके बारे में आप सोचेंगे? आप ही की नीति पर हम चल रहे हैं। आप उसे क्लोज करके वर्कर्स को वहां से हटाना चाहते हैं। जब प्राइवेट सैक्टर सिक हुआ था और आपने उसे लेते समय कहा था कि वर्कर्स की छंटनी नहीं होने देंगे। इसलिये हम इसे ले रहे हैं।

6.00 म.प.

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप छटनी कर देंगे, वहां एक सरकार रहते हुए, ट्रेड यूनियन रहते हुए और सिर्फ सीटू का ही नहीं, वहां पर इंटक का भी ट्रेड यूनियन है, तो वे ट्रेड यूनियन क्या करेगी। आपका इंटक का ट्रेड यूनियन क्या कर रहा है?

बात यह है कि केन्द्र सरकार की इसके बारे में कोई पालिसी नहीं और जहां भी इंडस्ट्रीज सिक हो रही हैं, आप चाहते हैं कि इनको बेच दिया जाए, ये दुबारा पब्लिक सेक्टर में चली जाएं नहीं तो यह खत्म हो जाए, इसके रिअल एस्टेट को बेच दिया जाए और उस जगह विदेशी कंपनियां आ जाएं। आप विदेशी कंपनियों को वैलकम कर रहे हैं। संतोष मोहन देव जी नहीं बैठे हैं, वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी विदेशी कंपनियों को वैलकम कर रही है। हां हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप में और हम में फर्क है। पहला फर्क यह है कि आप जो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार जो कर रही है, उसके सामने मजबूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कोई अलग राष्ट्र नहीं है, वह भी इस देश का एक राज्य है और आपकी नीतियों पर चलने को मजबूर है। आपसे हमने इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पैसा मांगा था, आपने नहीं दिया। तो क्या पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री नहीं लगेगी? दूसरा फर्क यह है और जो सबसे बड़ा फर्क है कि किस चीज की कंपनी बाहर से आएगी। पोटेटो चिप्स की या कंप्यूटर चिप्स की। यह फर्क है और यह सबसे बड़ा फर्क है। कंप्यूटर चिप्स की यदि कोई कंपनी बाहर से आती है, कोई इंडस्ट्री लगाती है, तो उसका हम वैलकम करेंगे।

**सभापति महोदय :** पीएमबी का समय समाप्त हो चुका है, आप अगली बार जारी रखिएगा।

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मुझे एक वक्तव्य देना है, कल, श्री राजेश पायलट ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि वह...

[हिन्दी]

**सभापति महोदय :** आप बाद में अपनी बात कहना। पहले नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

---

6.02 म.प.

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

**(एक) केरल को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य घोषित किये जाने की आवश्यकता**

**श्री पी.सी. चाक्को** (त्रिचूर) : भारत सरकार ने अपने वर्ष 1993-94 के बजट में कुछ राज्यों को औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के रूप में घोषित किया था। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी आदि शामिल हैं। वर्ष 1994-95 के केन्द्रीय बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि भारत सरकार अन्य राज्यों अथवा जिलों को पिछड़ा घोषित करने पर विचार करेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किये गये राज्यों अथवा जिलों को इससे जो लाभ मिला वह यह है कि इन राज्यों में स्थापित किये जा रहे नये औद्योगिक उपक्रमों को पहले पांच वर्षों के लिए आयकर भुगतान से छूट दी गई [illegible] के सभी जिलों को गोवा, पांडिचेरी अथवा हिमाचल प्रदेश [illegible] में औद्योगिक रूप से बहुत कम विकसित समझा जा सकता [illegible]: केन्द्र सरकार को सम्पूर्ण केरल को औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य घोषित करने पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि इस सुझाव पर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर विचार करें।

**सभापति महोदय :**

डा. वसन्त पवार - उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल - उपस्थित नहीं हैं।

श्री गोपी नाथ गजपति - उपस्थित नहीं हैं।

**(दो) गुजरात में बनासकांठा के सीमावर्ती क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री हरिसिंह चावड़ा** (बनासकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात के उत्तरी भाग में पाकिस्तान और राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जिले में बरसात बहुत कम होती है और हर दो वर्ष में एक वर्ष अकाल का होता है। जिले में शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं है तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं।

बनासकांठा औद्योगिक दृष्टि से भी पीछे है। लोग भुखमरी के शिकार बनते जा रहे हैं।

6.05 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पिछड़े हुए जिले के विकास के लिए शेष आर्थिक सहायता का प्रावधान करके औद्योगिक, कृषि विषयक, आरोग्य विषयक एवं शिक्षा के विकास में योगदान दिया जाए।

पाकिस्तान से जुड़े हुए इस विस्तार को सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए। सीमावर्ती योजना में सड़कें बनाई जाएं। शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं और आरोग्य विषयक योजना का लाभ दिया जाए।

**(तीन) उत्तर प्रदेश के हरदोई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पनबिजली का उत्पादन करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता**

**श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** (शाहबाद) : सर, नियम 377 के अधीन सूचना के तहत मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हरदोई,

लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, उन्नाव तथा फर्रूखाबाद जिले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विशाल औद्योगिक संभावनाओं के बावजूद, इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में ऊर्जा स्रोतों की भारी कमी है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत-विद्युत की अनुपलब्धता के कारण ही यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग है।

लघु पन-विद्युत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सम्भवत: सबसे पुराना और सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, जो कि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों में किफायती ढंग से बिजली मुहैया कर सकता है। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र पानी के प्राकृतिक स्रोतों से काफी समृद्ध है। गंगा और गोमती जैसी नदियों के अतिरिक्त अन्य कई छोटी-छोटी नदियां भी इस क्षेत्र में होकर निकलती है। इसके अलावा नहरों का विस्तार भी इस क्षेत्र में समुचित स्तर तक है। इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र में पन-विद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के उपरोक्त जिलों हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, उन्नाव, फर्रूखाबाद आदि में पन-विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें, ताकि यहां की ग्रामीण जनता के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

**(चार) भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर) : महोदय, एक समय पटसन उद्योग रोजगार और संभाव्य विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत हुआ करता था। लेकिन किसी कारणवश, भारतीय पटसन निगम में, जो कि वर्तमान में कच्चे पटसन की खरीद का कार्य संभालता है, मुख्यत: संसाधनों की कमी के कारण इस उद्योग की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। बाजार में पटसन की नई फसल आ जाने के कारण मिलों के स्वामी और व्यापारी मूल्य को कम करने की तैयारी कर रहे थे ताकि जूट उत्पादकों को अपनी फसल विवशतापूर्ण बिक्री के लिए मजबूर किया जा सके। केन्द्रीय मजदूर संघों ने केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध किया है कि कच्चे पटसन की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम को तुरन्त धनराशि जारी करें। वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ मिल मालिकों ने कच्चे पटसन की कमी तथा ऊंचे दामों का बहाना बनाकर अपने मिल बंद कर दिये हैं। कुछ मिलों में कार्य-समय को घटा दिया गया जिससे कर्मचारियों को मजदूरी और अन्य कानूनी लाभों से हाथ धोना पड़ा, भारतीय पटसन निगम को गत दो वर्षों के दौरान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए किसी प्रकार की कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है। इससे नियोजक व्यापारी गुट को लाभ पहुंचा था।

भारतीय पटसन निगम को राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम तथा सरकार से एक बड़ी मात्रा में बकाया राशि मिलनी है। यह राशि काफी लम्बे समय से बकाया राशि के रूप में चली आ रही है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया के संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करें। सरकार को भारतीय पटसन निगम की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

---

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। कल, शून्य काल के दौरान आन्तरिक सुरक्षा के राज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह आज सुबह 1984 दंगों के दोषियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। वह रिपोर्ट कहां है?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है!

(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : उसे सभा की कार्यवाही में रिकार्ड किया गया है।. . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर) : उन्होंने खड़े होकर बीच में इंटरवीन करते हुए कहा कि

[अनुवाद]

जहां तक 1984 के दंगों का संबंध है, लोगों को मारे जाने का संबंध है, वह सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का सारा विवरण देंगे।...(व्यवधान)

**श्री गोपीनाथ गजपति** (बरहामपुर) : महोदय, कृप्या मुझे नियम 377 के अधीन वक्तव्य जारी करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो समाप्त हो गई।

**श्री गोपीनाथ गजपति** : उसमें मेरा नाम था। लेकिन मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हमने दूसरे मद पर चर्चा शुरू कर दी है। अब आप वो मुद्दा नहीं उठा सकते। आप उसे छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सोचता हूँ कि हम नियम 193 के अधीन चर्चा को लेंगे। इसको छोड़कर अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं होगी। जहां तक आपके प्रश्न का संबंध है, मैंने सोचा कि आप मुझसे उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए कह रहे होंगे।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

**अध्यक्ष महोदय :** कम से कम वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है। मैं नहीं जानता कि कार्यालय को मिली है या नहीं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार का क्या जवाब है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या जानना चाहते हैं? किससे जानना चाहते हैं?

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** सभा में आश्वासन दिया गया था। सरकार को यह बात स्पष्ट करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आप किनसे जानना चाहते हो।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बात जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा, सरकार से पूछो।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** यह तो आम प्रथा है*....

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया आप प्रक्रिया का पालन करिए। कृपया, इस प्रकार से बात मत करिए। मैंने सोचा कि आप मुझसे रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए कह रहे हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** आप ऐसा कैसा कर सकते हैं?

आप उसे सभा पटल पर नहीं रख सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप को समझना चाहिए कि किस प्रकार से भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** बात यह है कि उन्होंने आश्वासन दिया था। हम जानना चाहते हैं कि वे इस आश्वासन का क्या करने वाले हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उसके बारे में सरकार से पूछिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** महोदय, आपके जरिये के बिना मैं सरकार से कुछ भी नहीं पूछ सकता।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सरकार की ओर से उत्तर देना चाहता है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** महोदय, मैं संबंधित मंत्री को इस मामले से अवगत कर दूंगा .....**(व्यवधान)**

**प्रो. प्रेम धूमल** (हमीरपुर) **:** कल, मंत्री जी ने वचन दिया था कि सुबह रिपोर्ट को सभा पटल पर रख देंगे .....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** आप पता लगायें कि क्या मंत्री महोदय ने कल सभा में जो वक्तव्य दिया था, क्या वे उसका अनुपालन कर रहे हैं। हमें इसके बारे में बताएं।

**श्री मल्लिकार्जुन :** महोदय, ठीक है।

---

**6.13 म.प.**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

## जैन आयोग की स्थिति/का दर्जा

**श्री अर्जुन सिंह** (सतना) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू में, मैं इस चर्चा की अनुमति देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, शायद इससे सभी को कुछ असुविधा हुई होगी और मैं इस असुविधा के लिए माफी चाहता हूं। माननीय श्री चिदम्बरम यहां बैठे हुए हैं। वे केवल 90 दिनों का उत्तर दे सकते हैं जब से वे उपर्युक्त मामले के प्रभारी बने हैं। मैं समझता हूं कि माननीय महोदय मैं आपके जरिए यह जानने के लिए विधिसम्मत ढंग से अनुरोध कर सकता हूं कि शेष चार वर्षों का उत्तर कौन देगा।

**एक माननीय सदस्य :** आप भी इनमें शामिल हैं।

**रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** यदि वे इसके सीधे प्रभारी अभी बने हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे पहले की घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। जांच आयोग जो कुछ भी कर रहा था, उन्हें इसके बारे में पता है।

**एक माननीय सदस्य :** वह यहां है। इसलिए वे यह कह सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** मेरी टिप्पणियां उत्तर जानने की भूमिका में हैं जो माननीय मंत्री महोदय ने दिया है।

इसलिए, कम से कम तब और उसके बाद यह नहीं कहा जाएगा कि वे केवल 90 दिनों का ही जवाब देंगे और बाकी समय के उत्तर जानने के लिए मुझे किसी और की तरफ देखना पड़े।

महोदय, मैं अपने सीमित ज्ञान और योग्यता से, जो कि बहुत कम है, जो कुछ मैं जानता हूं और जो मेरे विचार से हम में से कई लोग जानते हैं उसे सभा में रखता हूं और कुछ कारणों के कारण हम में से कई नहीं भी जानते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें पूछना चाहिए और मुझे भरोसा है माननीय मंत्री महोदय हम सबको इसके बारे में बताएंगे।

मुद्दों पर बहस करने से पहले मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में इस दुःखद घटना के सभी पहलुओं पर वास्तव में ईमानदारी से ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसी बात से इस प्रयोजनार्थ बरती गई ईमानदारी का पता चलेगा। यदि कुछ अन्य प्रयोजन हैं जो इस एकनिष्ठता से मामले की जांच नहीं होने दे रहे हैं या जो किसी न किसी व्यक्ति, एजेंसी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, तो औचित्य और विधिक आवश्यकता की सीमाओं के अन्दर, मेरे विचार से, इस सभा और इस देश को इसके बारे में जानने का हक है। हम मामलों को किसी के गले नहीं मढ़ सकते हैं, हम मामलों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम टालमटोल नहीं कर सकते हैं और हम गलत प्रचार नहीं कर सकते हैं।

मैं यह इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि कुल मिलाकर जो धारणा बनी है केवल मेरी ही नहीं अपितु सुप्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा जो वर्मा आयोग के प्रमुख थे, उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जजों में से एक, न्यायमूर्ति जैन जिनके बारे में श्री चिदम्बरम ने कल बोला था, एक प्रसिद्ध न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश - अब यदि उन्हें कुछ आशंकाएं हैं और यदि वे आशंकाएं थीं तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे आम आदमी को जानने का पूरा अधिकार हैं क्यों इस तरह की आशंकाओं को विकृत किया जा रहा है और यह सरकार इन आशंकाओं का उत्तर देने के लिए क्या कर रही है।

मैं न्यायमूर्ति वर्मा से बहस शुरू करूंगा। आयोग जिसके वे प्रमुख थे, वर्मा ने अपनी विद्वतापूर्ण रिपोर्ट में, मैं विस्तार में कई अन्य पहलुओं पर नहीं जाना चाहता लेकिन रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण वाक्य जो निष्कर्षों में से एक है, उसका उल्लेख यहां किया जाना चाहिए और सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए, उन्होंने आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री नारायणन की गवाही का उल्लेख किया है। मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"श्री नारायणन श्री गांधी की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट प्रतीत नहीं हुए और उनकी सुरक्षा के बारे में आशंकित थे। लेकिन कुछ गुप्त कारण से वे अप्रभावी थे और आयोग के समक्ष गवाही के दौरान भी उन्होंने चुप रहना पसंद किया। एक उच्च पदधारी की ऐसी असमर्थता व्यग्र करने वाली है और इसके कारणों का पता लगाना चाहिए और शासन व्यवस्था के हित के लिए इसे समाप्त करना चाहिए।"

स्वातंत्र्योत्तर भारत में दु:खद घटनाओं में से यह एकमात्र दुखद घटना घटित हुई है।

जब कोई युवा नेता, जो इस देश का प्रधानमंत्री था - युवाकाल में उसकी हत्या कर दी जाती है - कुछ लोगों का उनकी राजनीति से मतभेद हो सकता है, कुछ लोग उनका चेहरा भी न देखना चाहते हों, इसका कोई महत्व नहीं रहता - लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने देश की लगन से सेवा की और देश को उनसे भविष्य में कुछ और आशाएं थीं।

पहली बात, जिसकी स्वाभाविक रूप से परिश्रम से जांच की जानी चाहिए थी वह थी श्री राजीव गांधी को खतरे की संभावना के बारे में थी, जिस समय कि उनकी हत्या की गई। जैसा मैंने कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन खतरे की संभावना, महोदय, जैसा आप दोनों तरह से जानते हैं - इस माननीय सभा के अध्यक्ष के रूप में और सरकार में उच्च पद धारण करने के कारण - कि आसूचना ब्यूरो केन्द्रीय एजेंसी है जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी सभी उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन और विचार करना और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खतरे की संभावना पर निर्णय लेना है। यह जिम्मेदारी श्री नारायणन के कंधों पर थी और उसी जिम्मेदारी के संबंध में न्यायमूर्ति वर्मा का यह निष्कर्ष है। वस्तुत: यदि हम वर्मा आयोग की समूची रिपोर्ट को देखते हैं तो यह धारणा बनती है कि वह अन्तत: सूचना से नहीं अपितु चुप्पी से अटक गए थे। यह हमें न केवल आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है अपितु तत्पश्चात एक विचित्र घटना घटी है, महोदय, मेरे विचार से कदाचित हमारे न्यायिक इतिहास में पहली बार न्यायमूर्ति वर्मा सरीखे न्यायाधीश ने 15 अगस्त, 1993 को इस देश के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक द इंडिया टुडे को एक साक्षात्कार दिया था। मैं जानता हूं कि इसे पढ़ने में कतिपय सीमाएं हैं लेकिन आपकी अनुमति से क्योंकि मामला इतना गम्भीर है कि, मुझे इसे पढ़ने के लिए कि न्यायमूर्ति वर्मा ने क्या कहा था आपकी अनुमति चाहूँगा, द इंडिया टुडे को एक लम्बे साक्षात्कार में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा - वस्तुत: यह वह है जो समाचार पत्र में दिया गया है - मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाओ।

**उद्धरण :**

प्रश्न : आपने अपने निष्कर्ष को कैसे साबित किया कि आसूचना ब्यूरो ने सूचना को छिपाया था?

उत्तर : सार्वजनिक रिपोर्ट में इस तरह के अत्यधिक संवेदनशील मामले की व्याख्या करना ठीक नहीं है, तथापि सरकार जानती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, यह सब दस्तावेजों में है जो हमने वापस कर दिये।

प्रश्न : क्या आपका निष्कर्ष अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के वरिष्ठ अधिकारी श्री एस.ए. सुब्बैया द्वारा दायर किए गए शपथपत्र पर आधारित है?

उत्तर : जी, हां, सुब्बैया का शपथपत्र उस शपथपत्र के साथ पढ़ें जो उस समय आसूचना ब्यूरो के भूतपूर्व संयुक्त निदेशक, श्री के.एन. ठाकुर ने दायर किया था।

प्रश्न : क्या आपको विश्वास है कि आपने इन शपथपत्रों को अधिक नहीं पढ़ा है?

उत्तर : न्यायाधीश होने के कारण, मैंने पूरी रिपोर्ट में बहुत संयमित भाषा का प्रयोग किया है, जहां कठोर शब्द की आवश्यकता थी वहां मैंने मृदु शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिसूचना ब्यूरो के पास 'स्पष्ट और वाकपटु' सूचना थी, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने इन शब्दों का प्रयोग सावधानी से किया।

प्रश्न : सरकार ने आपके जांच परिणाम को अस्वीकार कर दिया है?......(व्यवधान)

यह केवल सारांश है। यह बहुत बड़ा साक्षात्कार था। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को उद्धृत कर रहा हूँ जो सीधे प्रासंगिक हैं। केवल दो या तीन प्रश्न शेष हैं, महोदय . . . (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इन सब बातों की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकती है, आप सारांश दे सकते हैं इस पर कोई आपत्ति नहीं

करेगा, लेकिन शब्दश: या उद्धरण मुद्दे को कदाचित जटिल बना सकता है।

**श्री अर्जुन सिंह :** यदि यह बात एक प्रमुख व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कही गई है तो मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता। यदि, मैं जो कुछ महसूस करता हूं वह कह दूं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जो उन्होंने कहा है आप कह सकते हैं। बिना उद्धरण दिए उन्होंने जो कुछ कहा है आप उसका सारांश दे सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** यह प्रश्न जिसका उत्तर मैं बाद में दूंगा।

प्रश्न : सरकार ने आपके निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया है।

मुझे खेद है कि इस दल के एक माननीय सदस्य मुझे रोकना चाहते हैं। नेता को ऐसा कहने दिया जाये।

उत्तर : आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरा जांच परिणाम तथ्यों पर आधारित नहीं था। यदि वस्तुत: ऐसा था तो उन्होंने इसे अस्वीकार करने के कारण दिये होते, उनकी चुप्पी यही दर्शाती है कि मेरा निष्कर्ष सही था। छिपाने में लगने के बजाय, सरकार ने मेरे जांच परिणाम को नोट किया होता और सुधारात्मक उपाय किए होते।

केवल एक बात है जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चहाता हूं। प्रश्न यह था:

प्रश्न : श्री एम.के. नारायण ने इस बारे में क्या कहा कि आई. बी. ने सूचना छुपाई थी?

उत्तर : उन्होंने टालमटोल वाले अथवा असंतोषजनक उत्तर दिये थे।

मैंने जो उद्धृत किया है वह वर्मा आयोग रिपोर्ट का अंग है।

महोदय, मुझे पृष्ठभूमि के रूप में यह सब कुछ इसलिये बताना पड़ रहा है क्योंकि आयोग को उस घटना के संबंध में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं में त्रुटियों, गलतियों और कमियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता था जबकि सुरक्षा के लिए मूलत: जिम्मेदार व्यक्ति बिना किसी कारण के चुप रहता है और आयोग के समक्ष भी बोलने के लिये तैयार नहीं है? यह वास्तव में इस बात का सूचक है कि इस अत्यंत दु:खद घटना के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया।

मेरे दोनों तरफ के साथी कहते रहते हैं कि आप सरकार का अंग थे। हां, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं और विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि मैं मंत्रियों के दल का सदस्य था जिसे वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का कार्य सौंपा गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे विचार से वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट दो बार सभा में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसको पुन: देखने का निदेश हुआ था और इसी पृष्ठभूमि में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया था कि इसकी जांच हेतु मंत्रियों के एक दल का गठन किया जाए और इस माननीय सभा को संतुष्ट करने के लिये एक अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करें। मेरे विचार में यह बैठक जून अथवा जुलाई, 1994 में आरम्भ हुई थी। मैं उन पत्रों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब यह सार्वजनिक रिकार्ड का अंग है क्योंकि यह श्री रेड्डी द्वारा मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस के उत्तर में संलग्न हैं। इच्छुक व्यक्ति इनको पढ़ सकते हैं। (व्यवधान) वह आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के अध्यक्ष श्री विजय भास्कर रेड्डी हैं। .....(व्यवधान) देखिये, हम सिर्फ अनुशासन में ही विश्वास नहीं रखते हैं अपितु अपनी जिम्मेदारी में भी विश्वास रखते हैं। अनुशासन जिम्मेदारी के पश्चात होता है और जिम्मेदारी का निर्वाह करने के पूर्व नहीं होता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इस कांग्रेस में?

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं इस सब में नहीं जाना चाहता।

[हिन्दी]

....(व्यवधान) कौन किसको निकालता है, वह जनता तय करेगी।

[अनुवाद]

हमको इसके ऊपर नहीं झगड़ना चाहिये, यह इस वाद विवाद का विषय नहीं है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि इस गंभीर मामले में श्री नारायणन की चुप्पी, जो मैंने उठाई है, मंत्रियों के दल को जांच करनी है...

**श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) :** श्री अर्जुन सिंह जी एक मिनट मैं लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के कथन को काटना नहीं चाहता हूं। उन्होंने एक पूर्व सरकारी अधिकारी का उल्लेख किया है। मेरा मानना है कि सरकारी अधिकारी के राजनीतिक प्रमुख को सभा को उत्तर देना चाहिये। हम एक पूर्व सरकारी अधिकारी की चुप्पी अथवा वाचलता के प्रश्न को नहीं उठा सकते हैं। अपितु अगर माननीय सदस्य यह निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्व सरकारी अधिकारी, चाहे वह आसूचना ब्यूरो या किसी अन्य का प्रमुख उक्त मंत्रालय का अंग है और उसकी चुप्पी उक्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है तो हम उनकी बात से सहमत है। अगर एक ही सरकारी अधिकारी के ऊपर सम्पूर्ण जिम्मेदारी डाली जाती है तो मुझे इस बात में दिक्कत है।

**श्री अर्जुन सिंह :** मुझे खुशी है कि आपने इस मामले में कुछ कहा है। मेरा विचार है कि इन मामलों में मैं आप जितना दक्ष नहीं हूं। यह अच्छा है कि आपने ध्यान केन्द्रित कर दिया है। मैं भी इसी का उल्लेख कर रहा था। मेरे विचार से आई.बी . . . .

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़) :** यह क्या छायावाद है?

**श्री अर्जुन सिंह :** यह छायावाद नहीं है। सवाल यह है कि मैं जिन बातों को कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं।

[हिन्दी]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : उन्होंने मदद कर दी है।

**श्री अर्जुन सिंह** : हां, मदद कर दी है। अंत में सुनियेगा कि मैं क्या कह रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : चव्हाण साहब ने कल क्या बोला?

**श्री अर्जुन सिंह** : कल वाली बात पर तो मैं अभी आ रहा हूं, यह तो आज वाली है। चव्हाण साहब को तो मैं नहीं जानता कि कहां हैं लेकिन अब इन्होंने पूरी रैस्पौंसिबिलिटी ले ली है।

[अनुवाद]

मल्लिकार्जुन जी को धन्यवाद। इसलिये, मुझे किसी की बात की ओट नहीं लेनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि साधारणत: सरकार, जिसके प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव हैं, श्री चिदम्बरम जी के माध्यम से सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

महोदय, अगर श्री राजीव गांधी जी को खतरे के संबंध में वास्तव में जानकारी उपलब्ध थी तो जो व्यक्ति इसके मूल्यांकन के लिये जिम्मेदार हैं तो कम से कम आयोग को उत्तर देना चाहिये था। आयोग को उत्तर न दिये जाने के कारण जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि यह उत्तर क्यों नहीं दिय गया। उनको यह उत्तर सभा में और सभा के बाहर देना चाहिये।

मुद्दा यह है कि आसूचना ब्यूरो के पास मद्रास से लेकर दिल्ली तक उपलब्ध सूचनाओं, पत्रव्यवहार और जानकारी से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि एक दु:खद घटना होने वाली थी। अन्तत:, यह सब वर्मा आयोग के समक्ष भी रखा गया था। यही पृष्ठभूमि है और अब मैं न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग को सुझाए गए कार्यक्षेत्र पर आता हूं।

महोदय, न्यायमूर्ति जैन आयोग का गठन 23 जून, 1991 को किया गया था। तब से यह पूरी मेहनत, न्यायिक तहकीकात और चेतना से कार्य कर रहा है। न्यायमूर्ति जैन ने मुझसे बेहतर बहुत अच्छे ढंग से खुद कई दिक्कतों को सामने रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वास्तव में सरकार असहयोग कर रही है। यह सब बातें आयोग की खुली बैठक में उठाई गई थी और प्रेस में छप चुकी है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूं।

कल माननीय चिदम्बरम जी ने कहा था कि मांगी गई तमाम जानकारी दो शर्तों के अध्यधीन, जो कि उन्होंने एक विशिष्ट वकील के रूप में कहीं है, विशेषाधिकार का मामला और कुछ दस्तावेज अन्य बातों को प्रभावित करेंगे जो कि सार्वजनिक नहीं करने हैं, उपलब्ध करा दी गई है और करा दी जाएगी।

मैं श्री चिदम्बरम जी की अनुमति से सभा को सूचित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को समझने के लिए स्वयं 90 दिन का समय दिया था, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे पास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, श्री अहमद पटेल, द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र है जो कि आयोग में दाखिल किया गया था और जिसमें मेरे विचार से लगभग 25 सुस्पष्ट मुद्दों के संबंध में पूछी गई जानकारी प्रेषित की गई थी। विशिष्ट दस्तावेज मांगे गए थे। इस पत्र में सभी बातें दी गई हैं। मैं यहां पर पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देंगे।

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : क्यों?

**श्री अर्जुन सिंह** : अगर आपकी अनुमति है तो मैं चाहता हूं कि इसको कार्यवाही वृत्तान्त का हिस्सा बनने दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : "क्यों" उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप इसके लिये अनुरोध कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं इसके लिये सिर्फ अनुरोध ही नहीं कर रहा हूं, परन्तु यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक यह एक सत्यापित प्रति है। मैं यह सत्यापित कर सकता हूं कि यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दाखिल किये गए पत्र की प्रति है। मेरी जानकारी के मुताबिक अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्षमा का प्रार्थी हूं – सम्पूर्ण प्रारूप श्री चिदम्बरम जी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था।

**श्री मृत्युन्जय नायक** (फूलबनी) : इस पत्र पर किसके हस्ताक्षर हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैंने कहा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव श्री अहमद पटेल के हैं।

**एक माननीय सदस्य** : कृप्या हमें तिथि बताइये।

**श्री अर्जुन सिंह** : 28 अक्तूबर, 1993...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : जसवंत सिंह जी, यह कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का दस्तावेज नहीं था।

**श्री जसवंत सिंह** : आपने कहा था कि यह अखिल भारतीय कॉंग्रेस समिति का है। इसी वजह से मैंने ऐसा कहा।

**श्री अर्जुन सिंह** : ए.आई.सी.सी. एक दल है।

**श्री जसवंत सिंह** : आपने ऐसा ही कुछ कहा था, दोनों कांग्रेस पार्टियों में अंतर है

**श्री अर्जुन सिंह** : जी नहीं, महोदय। मेरे विचार में आप चर्चा का रूख मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यह निवेदन आपस में एक दूसरे से नहीं बल्कि जैन आयोग से किया गया है। और जैन आयोग से जो निवेदन किया गया है, वह आयोग का एक दस्तावेज है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : दस्तावेज की विषय-वस्तु क्या है? . . . (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** : आयोग के लिए कांग्रेस दल भी एक पार्टी है।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : उसमें खास-खास क्या है, नमूना बताइए?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : चिदम्बरम ने क्या गड़बड़ किया है?

**श्री अर्जुन सिंह** : नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है

[अनुवाद]

जैसा कि श्री चिदम्बरम की स्वीकृति से मैंने कहा है, इस पत्र में जिस जानकारी के लिए कहा गया था, वह वही है, जिसे आयोग को बताने से अब सरकार इंकार कर रही है। महोदय, अब मैं समझ सकता हूं कि उस अनुरोध में बहुत सी बातें लिखी गई थीं जिन पर संभवत: आगे जांच-पड़ताल अथवा विचार करने पर यह पाया गया है कि इन्हें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका कोई प्रबल कारण होना चाहिये। हम आयोग के लिए कोई दस्तावेज तैयार करके उससे पीछे नहीं हट सकते और यह नहीं कह सकते कि ये दस्तावेज हम नहीं दे सकते।

इसकी एक लंबी सूची है। अगर आपको कोई परेशानी न हो, तो मैं इसे पढ़ सकता हूं या सभा पटल पर रख सकता हूं . . . (व्यवधान)

(एक) प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव तथा भारत सरकार के गृह सचिव को यहां पेश होने और निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन भेजे जाएं :

(क) 29 जुलाई, 1987 दिनांकित राजीव-जयवर्धने समझौता।

(ख) श्रीलंका में पुन: शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा भारत सरकार से शांति सेना तैयार करने के अनुरोध सहित रिकॉर्ड।

(ग) वर्ष 1988 से 21 मई, 1991 के बीच श्री राजीव गांधी पर हमला होने की धमकियों के संबंध में (रॉ. केन्द्रीय जांच ब्यूरो, इंटेलीजेंस ब्यूरो इत्यादि) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की रिपोर्ट।

(घ) श्री एम. करूणानिधि की श्री नटेशन तथा श्री काशीनंदन से मुलाकात से संबंधित इंटेलीजेंस ब्यूरो/रॉ. के रिकॉर्ड तथा केन्द्र सरकार की वह गुप्त सूचना जिसे उन तक पहुंचाया गया था और जिसे उन्होंने लिट्टे तक पहुंचाया।

(ङ) 1989 में श्री वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में जनता दल की सरकार का श्री राजीव गांधी से एस.पी.जी. सुरक्षा वापिस लेने संबंधी निर्णय और उन्हीं के आदेश के तहत उन्हें प्रदान की गई वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था।

(च) कांग्रेस अध्यक्ष अर्थात् श्री कमलापति त्रिपाठी, सांसद श्री पी. चिदम्बरम, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों, विधिक प्रकोष्ठ अधिवक्ताओं के समूह, महिला विंग तथा अन्य लोगों द्वारा दिये गये तथा उन्हें प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों के साथ उन पर किसी प्रकार के आदेश या उत्तर, यदि कोई हों।

(छ) वर्ष 1989 से लेकर 21 मई, 1991 तक विभिन्न एजेंसियां जैसे रॉ, सी.बी.आई., आई.बी., विभिन्न राज्यों की गुप्तचर एजेंसियों, इंटरपोल तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को पेश की गई रिपोर्ट और उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों द्वारा पारित आदेश।

(ज) श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के साथ-साथ सरकार द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के ब्यौरे के संबंध में श्री वी.पी. सिंह अथवा गृह मंत्री के संसद और संसद से बाहर दिये गये विभिन्न वक्तव्य।

(झ) वर्ष 1988 से लेकर 1991 तक की अवधि विशेष रूप से तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों, के संबंध में इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ, सी.बी.आई., तथा राज्य खुफिया एजेंसियों के पास उपलब्ध रिपोर्टें।

(दो) वर्ष 1989 से 1990 के बीच श्री वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा श्री राजीव गांधी की सुरक्षा में कटौती करने के संबंध में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सचिव, भारत के राष्ट्रपति को दिये गये अभ्यावेदन तथा उन पर पारित आदेश/कार्यवाही तथा उसके संबंध में किया गया किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार।

(तीन) श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के प्रश्न पर की गई चर्चा से संबंधित संसदीय कार्यवाही प्रस्तुत करने के लिए लोक सभा तथा राज्य सभा के महासचिवों से अनुरोध किया जाये।

(चार) रक्षा सचिव को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने का अनुरोध किया जाये . . . (व्यवधान)

सचिव, तमिलनाडु, सरकार/गृह सचिव, तमिलनाडु, सरकार से निम्नलिखित के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त किये जायें :-

(क) वर्ष 1989 से द्रविड़ मुनैत्र कषगम् की सरकार की स्थापना के रिकॉर्ड। उनके लिट्टे से संबंधों के बारे में एजेंसियों की रिपोर्टें।

(ख) वर्ष 1989 से 1991 की अवधि में श्री राजीव गांधी की सुरक्षा को खतरे के बारे में 1989 से लेकर 1991 तक की एजेंसियों की रिपोर्टें।

(ग) द्रविड़ मुनैत्र कषगम् सरकार की अवधि के दौरान लिट्टे द्वारा तस्करी, आयुध कारखाने चलाने, मादक औषधियों का अवैध व्यापार, कैंप लगाने, वायरलैस सेट संचार केन्द्रों की स्थापना संबंधी गतिविधयों पर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। राजकोष से पुनर्वास योजनाओं या अन्य किसी नाम से तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें धनराशि प्रदान करने का निर्णय।

(घ) जून, 1989 में मद्रास शहर में ई.पी.आर.एल.एफ. के नेता श्री पदमनाभ की हत्या संबंधी रिकॉर्ड। राज्य सरकार द्वारा की गई जांच-पड़ताल।

(ङ) बिना कोई वीसा और अनुमति प्राप्त किये कानून का उल्लंघन करते हुए सांसद श्री गोपालस्वामी श्रीलंका जाकर लिट्टे के

नेता से भेंट और उस पर श्री करूणानिधि तथा केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के रिकॉर्ड।

(च) विशेष रूप से मई, 1991 में तमिलनाडु सरकार और केन्द्र सरकार की एजेंसियों के बीच रिपोर्टों का आदान-प्रदान तथा लिट्टे की गतिविधियों और श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के संबंध में उन पर की गई कार्यवाही।

(छ) 1989 से 1991 के बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम् और लिट्टे के संबंधों के बारे में रिपोर्ट।

(ज) तमिलनाडु में श्रीलंकाई लोगों के पंजीकरण के संबंध में रिकॉर्ड तथा गृह-स्वामियों द्वारा श्रीलंकाई लोगों को मकान किराये पर देने को अधिसूचित करने संबंधी आदेश तथा इस योजना के क्रियान्वयन और रिकॉर्ड।

(झ) तमिलनाडु में लिट्टे के आदमियों द्वारा किये गये विभिन्न अपराधों और गिरफ्तारियों से संबंधित किसी प्रकार के रिकॉर्ड।

महोदय, मगर आप चाहते हैं, तो मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहूँगा और सभा का अधिक समय नहीं लूंगा...(व्यवधान)... इसमें आगे कहा गया है :-

"21 मई, 1991 को या उसके आसपास श्रीपेरम्बुदूर में क्या कोई बम-निरोधक दस्ता या जासूसी कुत्तों का दस्ता लाया गया था या फिर इसे जानबूझकर मद्रास हवाई अड्डे पर ले आया गया था या फिर इसे जानबूझकर मद्रास हवाई अड्डे पर ले आया गया था, इसके संबंध में राज्य सरकार को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा जाये।"

इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और अगर आपकी अनुमति हो तो माननीय सदस्य इसे देख सकते हैं।

मेरी शिकायत यह है कि ये अनुरोध इसलिए किये गये थे कि आयोग ऐसी स्थिति में आ सके कि वह कोई स्पष्ट निर्णय ले सके। अब अनुरोध करने के बाद भी अगर कोई न कोई बहाना लगाकर वही दस्तावेज आयोग को नहीं भेजे जाते तो यही मेरी शिकायत का विषय है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष कौन था?

**श्री अर्जुन सिंह** : मैं समझता हूँ हमें किसी अप्रसांगिक बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

**श्री हरि किशोर सिंह** : आप अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव द्वारा दिए गए दस्तावेज को उद्धृत कर रहे हैं। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव किसने नियुक्त किया? अध्यक्ष आप थे।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। आपके दल में भी ऐसा होता है। जब तक कि आप स्वत: नियुक्त नहीं हो जाते।..(व्यवधान)...

**श्री हरिकिशोर सिंह** : आप झिझक क्यों रहे हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं केवल यही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : अर्जुन सिंह जी, आप थक गए हैं।

**श्री अर्जुन सिंह** : हम थकने वाले नहीं हैं, नीतीश कुमार जी।

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : तारीख कितनी थी?

**श्री अर्जुन सिंह** : 28 अक्तूबर, 1993 की बात है।

महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह अनुरोध मुख्य रूप से मंजूर किया गया था। यह आयोग के अभिलेखों से संबंधित है। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि हर एक अनुरोध के संबंध में क्या आदेश दिए गए हैं। मुख्यत: ऐसा किया गया था।

विशेषाधिकार का प्रश्न आता है जैसा कि श्री चिदम्बरम ने कहा है। यद्यपि मैं वकील नहीं हूँ, मैंने कानून पढ़ा है लेकिन इसे अपना पेशा नहीं बनाया, फिर भी मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से और निश्चित रूप से श्री चिदम्बरम की योग्यता मुझ से कहीं अधिक है कि उनकी बात मेरी समझ से परे है। लेकिन थोड़ा बहुत कानून मैं जो जानता हूँ उसके आधर पर मैं कह सकता हूँ कि जी हां, विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है। वह अभियोजन, या बचाव पक्ष या किसी भी अन्य का न्यायालय में विशेषाधिकार है। लेकिन विशेषाधिकार मंजूरी का अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं होता जो इसके लिए आवेदन करता है।

यहां पर ऐसा लगता है कि विशेषाधिकार का दावा करना, और इसका निर्णय करना दोनों भूमिकाएं सरकार ने आपने पास ले ली हैं। अन्यथा जिन दस्तावेजों को आयोग के समक्ष रखे जाने का अनुरोध किया गया था उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? मैं उन दस्तावेजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो भेजे गए हैं। लेकिन दस्तावेज न भंग कर वह विशेषाधिकार मान लेना जो है ही नहीं, यह कैसी बात है, मैं नहीं समझता कि श्री चिदम्बरम कहेंगे कि यह अधिकार है।

महोदय, अंत में अनेक हिचकों के बाद जब आयोग ने अपनी सुनवाई शुरू की, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिनकी प्रचार माध्यमों में काफी चर्चा हुई, 10 फरवरी, 1994 को मंत्रिमंडल के सामने जैन आयोग को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव आया जिसकी अब हर एक को अच्छी तरह से जानकारी है।

इस पर सहमति नहीं हुई थी, मैं इसके कारण यहां नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस पर सहमति नहीं थी। एक माह के अन्तर्गत श्री मुश्ताक अहमद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बहुत से आधारों पर अनुरोध किया था कि आयोग को समाप्त किया जाए। उस याचिका पर सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने आयोग को समाप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कतिपय शर्तें निर्धारित की थी। उच्च न्यायालय ने कतिपय

स्पष्ट मार्गनिर्देश निर्धारित किए कि जुलाई 1987 से पहले के सभी मामलों पर आयोग गौर नहीं कर सकता है और जुलाई, 1987 के पश्चात के सभी मामलों पर आयोग गौर कर सकता है। इसे सभी ने अर्थात आयोग ने, सभी परिषदों ने और केन्द्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया था, मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता हूँ कि श्री मुश्ताक अहमद की क्या हैसियत थी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर आज प्रासंगिक भी नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश स्वीकार कर लिया गया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह कौन है?

**श्री अर्जुन सिंह** : मुश्ताक अहमद नाक का एक व्यक्ति है।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : जब नाम लिया है और जानते हो तो कुछ बताइए।

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त** : क्या आप उन्हें जानते हैं?

**श्री अर्जुन सिंह** : हर एक के पीछे जाकर उनका पता लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

महोदय, उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिए जाने के बाद प्रश्न यह है कि सरकारी वकील ने जैन आयोग को एक आवेदन पत्र दिया था कि इस याचिका पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक आयोग को अपनी कार्यवाही रोक देनी चाहिए। जिसका मतलब यह है कि क्या न्यायालय इसे समाप्त करने के आदेश देना चाहता है या नहीं, न्यायालय के इस आदेश के बाद सरकारी वकील का आवेदन पत्र जैन आयोग को दिया गया था।

महोदय, मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आयोग को केवल जुलाई 1987 के बाद की घटनाओं पर गौर करना चाहिए। सरकारी कारणों से इस बारे में अब कोई विवाद नहीं है जो हम सब को मालूम है। हर एक को इस प्रयास में दृढ़ क्यों रहना चाहिए कि उस आदेश के बावजूद इस आयोग को समाप्त किया जाए। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को उस मामले में अन्तरायक बने जाने के लिए आग्रह करना पड़ा और व उस मामले में अन्तरायक है। यह तथ्य रह गए हैं कि आज जैन आयोग के समक्ष जांच चल रही है और उस विभाजक रेखा कड़ाई से पालन किया जा रहा हैं

महोदय, अब मैं 90 दिन की छूट पर आता हूँ जो श्री चिदम्बरम के छूट के दिन थे। मैं मानता हूँ कि वह एक दृढ़ विश्वासी योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं और वे दिया गया कोई भी काम बहुत सावधानी से करते हैं। प्रश्न यह है कि इन 90 दिनों के दौरान कतिपय घटनाएं हुई।

[हिन्दी]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इनको ज्यादा सर्टिफिकेट देंगे तो गड़बड़ नहीं होगी।

[अनुवाद]

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, चर्चा समाप्त होने के बाद मैं उनकी सुरक्षा के लिए उन सभी प्रमाण-पत्रों को वापस ले लूंगा।

[हिन्दी]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अच्छा लगा।

[अनुवाद]

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, आयोग ने केन्द्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को साक्ष्य के लिए आयोग के समक्ष पेश होने के लिए 27, 28 और 29 जुलाई तिथियां निर्धारित की हैं।

उन्होंन शपथ पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। लेकिन उसके पक्ष और आयोग महसूस करते हैं कि उन्हें भी आना चाहिए और साक्ष्य देना चाहिए। इस बात पर सहमति भी हो गई थी। तदनन्तर अब जैसा कि श्री चिदम्बरम् को स्पष्ट करना पड़ा कि किसके सुझावों और आदेशों से यह आभास दिया गया कि वे मौखिक साक्ष्य के लिए नहीं आएंगे और उन्होंने जो शपथ-पत्र दाखिल किए हैं वे पर्याप्त है। जब यह सूचना आयोग के पास पहुंची तो स्वाभाविक रूप से इसके पक्ष उत्तेजित हुए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि ऐसा आदेश मौजूद है कि इन तीन दिनों में उनकी जांच की जानी हैं। उन्होंने आयोग में अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, उस पर दलील हुई और अंत में आयोग ने आदेश दिया कि उन्हें जिरह के लिए स्वयं को आयोग समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। महोदय, अब जैसा आयोग ने निर्णय लिया है अब जिरह बन्द कमरे में होगी, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके पेश होने का आदेश क्यों बदला गया था और किसने बदला।

जैन आयोग को थोड़ी सी असुविधा होनी तब शुरू हुई जब आयोग के वकील माननीय श्री अरोड़ा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, ने कतिपय कारणों से त्यागपत्र दे दिया। मैं समझता हूँ कि दो महीने तक या एक माह से कुछ अधिक समय तक आयोग का कोई अधिवक्ता नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो जांच आयोग की कार्यवाही से विज्ञ है वह आयोग को सहायता पहुंचाने में आयोग के अधिवक्ता की भूमिका को समझता है। मुझे विश्वास है कि श्री चिदम्बरम को यह बात मालूम थी प्रसिद्ध अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी, महोदय, लेकिन यह नियुक्ति 24 अगस्त, 1995 को की गई थी। ...(व्यवधान)... जी, हां, मैंने तारीख ली है, यह भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकती है, यह परसो की बात है।

अब, मुझे मालूम नहीं है कि यह ठीक 24 तारीख को ही क्यों की गई, लेकिन ऐसा हुआ है। अब यह साधारणत: आयोग को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में किया गया है लेकिन इसमें विलम्ब हुआ है। महोदय, न्यायमूर्ति जैन एक ऐसे मामले की जांच कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उनके लिए सुरक्षा संबंधी बहुत से जोखिम भी हैं। हम सब इस बाम को मानेंगे। सुरक्षा की आवश्यकता है, और यह

स्वीकार भी किया गया है और शायद पहले जैन आयोग या न्यायमूर्ति जैन को एक सुरक्षा सलाहकार दिया गया था। यह पद काफी लंबे समय से रिक्त पड़ा है। मुझे विश्वास है कि श्री चिदम्बरम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है उसमें इस बात को भी शामिल किया जाए।

महोदय, अब मैं उन कुछ दस्तावेजों के बारे में कहना चाहता हूं जो जैन आयोग ने मांगे थे लेकिन जो उसे उपलब्ध नहीं करवाए गए।

[अनुवाद]

महोदय, मेरे पास डा0 सुब्रह्मणगम स्वामी द्वारा आयोग को संबोधित एक पत्र है...(व्यवधान)... मेरे विचार से आप डा0 सुब्रह्मणयग स्वामी को जानते हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य :** मिर्च मसाला लगाइये।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं मिर्च मसाला लगाने का आदी नहीं हूं। मैं फैक्ट के आधार पर बोलता हूं और फैक्ट्स के आधार पर इनफरेंस ड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आप डा0 सुब्रह्मणयम स्वामी को जानते हैं। बस इतना ही कहना ही काफी है।

**श्री अर्जुन सिंह :** इतना मिर्च-मसाला लगाना ही काफी है ... (व्यवधान)... नहीं, महोदय, लेकिन मुझे अत्यंत खेद है कि मुझे माननीय सदस्य के बारे में ऐसा कुछ कहना पड़ा, जिसे कि आप पसंद नहीं करते, लेकिन विषय-वस्तु ही ऐसी है कि मैं इस बात की अनदेखी नहीं करना चाहता।

07.00 म.प.

निस्संदेह इसमें उन्होंने यह कहा है कि वह आयोग के समक्ष पेश होना चाहते हैं और आयोग की सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा है :

"इस पत्र के साथ मैं तमिलनाडु एवं जाफना में लिट्टे के लोगों के बीच हुए वार्तालाप का अनुवाद संलग्न कर रहा हूं, जिसे कि मैं पहले ही एक प्रैस-सम्मेलन में जारी कर चुका हूं।"

यह कोई गोपनीय बात नहीं है। इसे एक प्रैस-सम्मेलन में पहले ही जारी किया जा चुका है। इण्डिया टूडे में भी लगभग डेढ़ वर्ष पहले यह बात प्रकाशित हुई थी, लेकिन महोदय, ये वार्तालाप/संदेश विशेषाधिकृत दस्तावेज हैं। आपकी अनुमति से मैं इन वार्तालापों में से कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप पढ़ कर सुना सकते है परन्तु उद्धरणें के रूप में नहीं।

**श्री अर्जुन सिंह :** इन अंशों को मैं उद्धरणों के रूप में नहीं पढ़ूंगा।

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :** आमतौर पर मैं श्री अर्जुन सिंह जी जैसे किसी वरिष्ठ सदस्य के बीच में नहीं बोलता।

ये वार्तालाप 'ए' और 'बी' व्यक्तियों के बीच हुए गुप्त बेतार संप्रेषण हैं जिन्हें कि खुफिया एजेंसियों ने प्रकट किया था तथा मैं यह उल्लेख नहीं कर सकता कि ये 'ए' और 'बी' व्यक्ति कौन थे। इन्हें डी-कोड किया गया था तथा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही पुण्डामल्ली (मद्रास) में स्थित पदनामित न्यायालय के समक्ष चल रहे मुकदमें में इन्हें 'प्रदर्शित' के रूप में अंकित किया गया है। जैन आयोग ने इन संप्रेषित संदेशों की प्रतियां मांगी थी। इन्हें जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था - जो वस्तुत: विशेषाधिकार का मामला बनता है तथा मुझे विश्वास है कि सभी जानते हैं। मेरा अत्यंत सम्मानपूर्वक यह कहना है कि मैं यह बात नहीं समझ रहा हूं कि किसी ऐसे गुप्त संप्रेषित संदेश पर - जो किसी सुनवाई न्यायालय में दाखिल किया गया महत्वपूर्ण अभियोजन है, न्यायाधीन न्यायिक मुकदमा है, जैन आयोग के समक्ष भी विचाराधीन है, इसकी कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की है एवं न्यायाधीन भी है - यह मुद्दा कैसे आरम्भ हुआ और श्री अर्जुन सिंह - जिन्हें अपने उत्तरदायित्व की पूर्ण जानकारी है - इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के अंश को इस माननीय सभा के समक्ष कैसे पढ़ कर सुनना चाहते हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह दस्तावेज उन्हें कैसे प्राप्त हुआ है। इस समय, मैं यह रहस्योद्घाटन करने की स्थिति में नहीं हूं। चाहे मुझे इस बात की जानकारी है अथवा नहीं तथा किसी समाचार में प्रकाशित कोई संदेश सही है अथवा नहीं, लेकिन उसे मैं यहां प्रकट करने में असमर्थ हूं। यह दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध है।

**श्री हरि किशोर सिंह :** श्री सुब्रह्मणयम स्वामी को बहुत-सी बातों की जानकारी हो सकती है क्योंकि इस सरकार ने उन्हें भी केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। अत:, वह कोई साधारण आदमी नहीं है। इन दस्तावेजों को जारी करने के बाद, उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनके कहने का यही तात्पर्य है।

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी कारणवश बोल रहा हूं। श्री राजीव गांधी हमारे लिए भी उतने ही प्रिय एवं सम्मानयोग्य थे, जितने कि हर किसी व्यक्ति के लिए। हमें यहां कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिये, जिससे कि अभियोजन साक्ष्य को नुकसान होता हो।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी बिल्कुल यही करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

**श्री संतोष मोहन देव :** मैं किसी दस्तावेज के पेश करने के विरूद्ध नहीं हूं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें यहां कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिससे कि अभियोजन को नुकसान होता हो तथा श्रीमती सोनिया गांधी भी इसी बात की मांग कर रही हैं। वह न्याय की मांग कर रही हैं तथा यह सारी सभा भी - चाहे वह किसी

भी दल के सदस्य हो – उनकी इस मांग से सहमत है। इसलिए, कृपया ऐसी कोई बात न कीजिये जिससे कि इस मुकदमें की कार्यवाही में (व्यवधान) उत्पन्न होता हो।

**अध्यक्ष महोदय :** जो बात श्री चिदम्बरम कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसे समझना चाहता हूँ। वह यह कह रहे थे : "इसे पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता। यह एक विशेषाधिकृत दस्तावेज है।

**श्री पी. चिदम्बरम :** यदि श्री अर्जुन सिंह यह दावा करते हैं कि यह एक संप्रेषित संदेश है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि सुनवाई न्यायालय एवं जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत "साक्ष्य" अंकित दस्तावेज को विशेषाधिकृत दस्तावेज के रूप में होने का दावा किया गया था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** उन्होंने इस बारे में क्या निर्णय लिया था?

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इसे समझना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या इस दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया है अथवा उसे इस शर्त के साथ प्रदर्शित किया. गया है कि न्यायाधीश इस दस्तावेज पर बाद में निर्णय लेगा?

**श्री पी. चिदम्बरम :** इसे सुनवाई कार्यालय में प्रदर्शित किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** तब तो यह एक साक्ष्य है।

**श्री पी. चिदम्बरम :** इसे प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर टाडा कानून के अंतर्गत बंद कमरे में मुकदमा चल रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी यही कर रहा हूँ। आपको मुझे बताना चाहिए कि न्यायाधीश महोदय ने इसे प्रकट करने को मना किया है।

**श्री पी. चिदम्बरम :** इस पर बंद कमरे में मुकदमा चल रहा है तथा यह टाडा न्यायालय की कार्यवाही है।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या सभी कुछ बंद कमरे में हो रहा है?

**श्री पी. चिदम्बरम :** इस पर बंद कमरे में कार्यवाही चल रही है। इसमें से कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सुनवाई न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व उस दस्तावेज को देखना चाहता हूँ। इस मामले में कार्यवाही बंद कमरे में हुई थी तथा इन्हें प्रदर्शित किया गया था। यदि इस मामले में कार्यवाही बंद कमरे में न हुई होती और इन्हें प्रदर्शित नहीं किया हुआ होता, तो मैं आपको उस दस्तावेज में से पढ़कर सुनाने की अनुमति दे देता। लेकिन यदि कार्यवाही बंद कमरे में न हुई होती – इससे पूर्व कि आपने इस मामले विशेष का उल्लेख किया है – मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप जिस दस्तावेज को रिकार्ड में लाना चाहता है, वह दस्तावेज क्या है।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री पी. चिदम्बरम ने जो कहा है न तो मैं उस पर कोई विवाद खड़ा करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से न ही उसका खण्डन करना चाहता हूँ, जो आपने कहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह खंडन करना नहीं है। हम बिल्कुल सही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** कृपया मेरी बात सुनें आपकी ऐसी इच्छा है, अत: मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूँ। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, मान लीजिये कि जो श्री चिदम्बरम जी कह रहे हैं, वास्तव में मैं यह महसूस नहीं करता हूँ कि जैन आयोग के समक्ष जो कुछ चल रहा, वह सब कुछ बंद कमरे में चल रहा है।

**श्री पी. चिदम्बरम :** महोदय, यह सब कुछ जैन आयोग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यह मुकदमा पदनामित न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में 41 अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमें की सुनवाई कर रही है तथा इस न्यायालय की कार्यवाही पूर्णतया बंद कमरे में चल रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह कार्यवाही बंद कमरे में चल रही है तथा यदि इसे प्रदर्शित भी कर दिया गया है, तब भी मुझे आपको इसकी कार्यवाही वृत्तान्त/रिकार्ड में लाने के लिए अनुमति देने से पूर्व जांच-पड़ताल करनी होगी।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा है और मैंने अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कहा है कि आपने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ। जहां तक आपका संबंध है, निस्संदेह मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसे कि आपको भी बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर अवश्य ही पूछना चाहिये और वह प्रश्न सरकार से इस दस्तावेज के बारे में पूछने से संबंधित है। मैं इसमें से एक भी वाक्य पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कोई निर्णय लेने से पहले मैं जो आप पढ़कर सुनाना चाहते हैं – उसे जानना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। मैं तो आपको बस इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ कि आपको उनसे यह अवश्य पूछना चाहिये...

**अध्यक्ष महोदय :** किस बारे में?

**श्री अर्जुन सिंह :** सरकार से एक प्रमुख तथ्य के बारे में पूछा जाना चाहिए कि क्या यह दस्तावेज ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन कौन-सा दस्तावेज, मैं यह जानना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, आपको इसके बारे में पता लग जायेगा। इस दस्तावेज को, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मैं इस दस्तावेज को आपको दे दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** अब, इस बात को छोड़िये। यह दस्तावेज मुझे दे दीजिए। मैं इसे पढ़ने के बाद कोई निर्णय ले लूंगा।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैं शब्दों को प्रयुक्त करना नहीं जानता। लेकिन इस संबंध में निर्णय लेने के लिए आप ही बिल्कुल उचित व्यक्ति है। आपके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस बारे में कैसे निर्णय ले सकता है?

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ कहते हैं तथा यह रिकार्ड करने की बात बन जाती है, यदि इसे प्रकट कर दिया जाता है, तो मेरी तरफ से यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा सकता। कम-से-कम इसे इस सभा में तो कहा ही गया है।

**श्री अर्जुन सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को मान लूंगा। परन्तु मुझे अपना कर्त्तव्य समझकर एक बात कहनी है और वह यह है कि इस दस्तावेज में जो तथ्य हैं, जिसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा. ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार :** 'इंडिया टुडे' में है।

**श्री अर्जुन सिंह :** 'इंडिया टुडे' को छोड़िए, हाउस की बात है।

**श्री नीतीश कुमार :** 'इंडिया टुडे' में छपा है। ...(व्यवधान)...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। उसमें केवल एक पहलू और है। क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने अपने व्याख्यान में कहा है, यह चीज 'इंडिया टुडे' में छपी है। इसीलिए अगर 'इंडिया टुडे' में क्या छपा है, उसका वे उल्लेख करें, तो उसकी ऑथैंटिसिटी कितनी है और कितनी नहीं है, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके आधार पर तो आज कम से कम जो चीज वे पढ़ना चाहते हैं, वह जगजाहिर है।

[अनुवाद]

यद्यपि मुकदमे की कार्रवाई कैमरे के सामने चल रही है फिर भी इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है क्योंकि 'इंडिया टुडे' ने जिस सूचना को प्रकाशित किया है वह चाहे सच है या गलत, मैं नहीं जानता क्योंकि हमारे पास इसको जानने का कोई भी तरीका नहीं है ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जो भी कार्यवाही वृत्तान्त में निश्चित रूप से सम्मिलित किया जा सकता है, हम उसको रोकने के पक्ष में नहीं है। लेकिन, साथ ही हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है। यदि मंत्री अथवा सदस्य द्वारा सभा में कुछ भी कहा जाता है अथवा उद्घाटित किया जाता है तो वह सही है अथवा गलत उसका फैसला बाद में होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ पवित्र भावनाएं सम्मिलित हैं और ये भावनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों से कुछ और ज्यादा पवित्र है। यदि यह दो देशों के बीच का मामला है तो मुझे सचेत रहना पड़ेगा। यदि यह उस प्रकार का कोई मामला है तो मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका उत्तर 'हां' या 'ना' में दे रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि पहले मैं यह पढ़ना चाहूँगा कि आखिर यह मामला क्या है और उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिये अथवा नहीं।

यदि न्यायालय की कार्यवाही गुप्त नहीं होती और यदि इसे खुला नहीं रखा जाता तो मैं न केवल इतना कहा होता कि यह न्यायालय के रिकार्ड में एक दस्तावेज है और इसलिए यह एक प्रकार से सार्वजनिक दस्तावेज है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। चूंकि यह कार्य गुप्त रूप से हो रहा है इसलिए, मुझे सतर्क रहना होगा और अर्जुन सिंह जी, मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैंने आपको विनिर्णय आरम्भ में ही स्वीकार कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दस्तावेज को देखने के बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उसके अलावा - मैं दस्तावेज का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ -, सूचना से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मार्च 1991 में ही सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राजीव गांधी की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार की तैयारी की जा रही थी, इसकी व्यवस्था कैसे की जा रही थी और यह हत्या मद्रास में अथवा दिल्ली में, की जानी थी इसके बारे में मैं अब कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। आपके निर्देश के कारण मैं चुप बैठ रहा हूँ। मैं इसे नहीं पढूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** हम सब लोगों की दिलचस्पी सच और सही जानकारी प्राप्त करने में है।

**श्री अर्जुन सिंह :** जी अच्छा। मैं इसे ऐसे समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये प्रश्न, हम सब लोगों को और मुख्यत: देश को व्यथित करते रहेंगे और यही प्रश्न भावी पीढ़ियों का भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम सब लोगों को अपने-अपने ढंग से इसका उत्तर देना होगा। इतना कहते हुए मैं यह बात समाप्त करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, मुझे वह दस्तावेज देखने दीजिए। आप कृपया वहीं पर बैठे रहिए। कोई आकर आपसे वह दस्तावेज ले लेगा। आप दूसरे मुद्दे पर आ सकते हैं और उसके बाद इस बात पर आ सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, कल राज्य सभा में भी यह मुद्दा उठाया गया था और इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी वक्तव्य के दो अथवा तीन सम्बद्ध विशेषताओं को आपके समक्ष रखना मेरे लिए प्रसंगौचित्य होगा।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यहां पर राज्यसभा के वाद विवाद का उल्लेख किया जा सकता है। मैं नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है?

**अध्यक्ष महोदय :** आप इसे या तो व्यवस्था के प्रश्न के रूप में रखिए अथवा आप संबंधित पुस्तक पढ़िये।

**श्री संतोष मोहन देव :** आप उनकी सहायता कर रहे हैं, मेरी भी

सहायता कीजिए। कृपया मेरी भी सहायता कीजिए। मैं केवल यही बात जानना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं बस यही तो कर रहा हूँ। यदि आप को विश्वास है कि इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता तो आप नियम पढ़िए और उसके बाद कहिए कि उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है और फिर उसके बाद आप उसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में रखिए।

**श्री संतोष मोहन देव :** तब तो आपको मुझे उसका अध्ययन करने के लिए समय भी देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूँ कि मुझे पुस्तक भी लाकर देनी होगी। सामान्यत: हम इस चर्चा का उस रूप में उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** हम आमतौर पर इसका उल्लेख नहीं करते है और मैंने सामान्यत: इसका उल्लेख किया भी नहीं होगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** जहां तक मंत्रियों का संबंध है, यह एक अलग मामला है।

**अध्यक्ष महोदय :** तभी तो यह बात रख रहे हैं। मैं यह पढ़ रहा हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं किसी सदस्य का नाम नहीं लूंगा।

महोदय, वह दो बातें कहते हैं :

"एक और मामला है जो कि षड्यंत्र से संबंधित है। न्यायाधीश जैन इस मामले को देख रहे हैं जिसमें, वास्तव में अन्य देश और देश के कुछ लोगों का षड्यंत्र शामिल है।"

उसके बाद मैं वह बातें यहाँ उद्धृत नहीं करूंगा जो कि एक माननीय सदस्य ने पूछा। लेकिन गृह मंत्री का उत्तर था :

"जी, हां। देश के और बाहर के भी कुछ लोग इसमें शामिल है। यह भी आश्चर्य की बात नहीं कि षड्यंत्र के इस मामले में अन्य अभिकरण भी शामिल हो। और षड्यंत्र के मामले में कतिपय ऐसे मुद्दे हैं जिनपर हमें विचार करना है कि क्या कतिपय दस्तावेजों को उद्घाटित करना उचित होगा आदि।"

महोदय, मैंने आरम्भ में यही प्रश्न उठाया था। हम श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के बारे में कितने गंभीर है? रूकावट किस बात की है? वे बाहरी तत्व कौन से हैं जो कि इसके बीच अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वह भी सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई अभिकरण अथवा कोई व्यक्ति शामिल है? हम किसको बचाने जा रहे हैं? हम इस मूल विषय से क्यों हट रहे हैं? और यदि यह बात गृहमंत्री ने नहीं कही होती तो मैं कतई उसका उल्लेख नहीं करता।

और उन्होंने श्री चिदम्बरम के बारे में कुछ कहा था :

"जहां तक गृह मंत्रालय का संबंध है, श्री चिदम्बरम ने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा 'कि इस दस्तावेज की आवश्यकता है। कृपया मुझे यह दस्तावेज दीजिए।' मैं दस्तावेज देने के लिए तैयार हूँ।"

यह बातचीत उनके और श्री चव्हाण के बीच हुई। मैं उस मामले में कतई नहीं पड़ना चाहता।

दूसरी बात जो उन्होंने कही थी और जो कि समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थी वह यही है। मुझे विश्वास है कि श्री चव्हाण जी ने 1987 के बाद की घटनाओं के संबंध में इसका उल्लेख किया क्योंकि जैन आयोग के समक्ष यही विषय-वस्तु थी और 1987 के पूर्व के समय के बारे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अत: वह इसका अवश्य ही उल्लेख कर रहे थे और आगे वह कहते हैं :

"हम यह नहीं चाहते थे कि विभिन्न देशों द्वारा किसी परिवार को भी बदनाम किया जाये और इसलिए मैं स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलने गया था।"

क्या इसका यह मतलब है कि 1987 के बाद के घटना क्रम में, जिस पर अभी जांच चल रही है, ऐसी कोई बात है जो कि गृहमंत्री जी हमें बताना नहीं चाहते हैं, जो कि उनको बाद में हमें बता देना चाहिए था। (व्यवधान) उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।

महोदय, आज जानबूझकर उनका नाम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है और कल भी मेरा कुछ भी कहने का इरादा नहीं था सिवाय उन भावनाओं के जो कि हम सभी ने व्यक्त की थी। मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता था। परन्तु ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है। दुर्भाग्यवश, इससे सारा माहौल ही बिगड़ जाता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यह पूरे प्रकरण का एक छोटा सा हिस्सा है। सभी दस्तावेजों को पढ़ने और उनके विस्तार में जाने का मेरे पास कोई समय नहीं है। लेकिन इससे लोगों के मन में यह धारणा लाई गई कि वे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कहां की जा रही है। वे यह भी नहीं बताना चाहते हैं कि वे उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाये। वर्मा आयोग स्तब्ध है। अब जैन आयोग कार्यवाही कर रहा है। विशेषाधिकार के लिए दावे पर दावे किये जा रहे है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर में क्या होगा।

इतने महत्वपूर्ण गंभीर मामले को निपटाने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं इस देश के लिए गंभीर महत्व शब्दों को दोहराना चाहता हूँ जिसमें इस देश के एक नेता का जघन्य हत्याकांड शामिल है।

अगर इसे हल करने का यही तरीका है तो फिर यह प्रश्न उठाया जायेगा कि क्या हम किसी का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस कार्रवाई में किसी को बचाने की कार्यवाही की जा रही है? यहां तक कि एक इंटरव्यू के दौरान उच्चतम न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश ने भी 'कवर-अप' शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या हम राष्ट्र को यही दिखाना चाहते हैं? यह हमारी मर्यादा, हमारे शौक, जो हमें अत्यधिक दुखी कर देती है, के अनुरूप किस प्रकार हो सकता है?

इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इस सभा में इन प्रश्नों के जवाब

दिये जायें और अगर मुझे और अधिक कुछ कहने की के लिए आपकी अनुमति मिली तो मैं अपने जवाब में इस बात को पूरा करूंगा।

**श्री आर. प्रभु** (नीलगिरि) : महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य कुछ बोलें, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक बजे आज आपको एक पत्र लिखा था इसीलिए लोकसभा के महासचिव महोदय ने मुझे 3 बजे टेलीफोन किया।

**अध्यक्ष महोदय** : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसका उल्लेख करूंगा और निर्णय लूंगा।

**श्री आर. प्रभु** : उन्होने मुझे फोन किया और कहा, "माननीय अध्यक्ष महोदय को आपका पत्र मिल गया है और वह आपको बोलने की अनुमति दे देंगे।" लेकिन अब मुझे पता चला कि सूची में मेरा नाम ही नहीं है। क्या ऐसा कल एक वक्तव्य के लिए श्री चिदम्बरम के विरुद्ध मेरे द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के कारण हुआ है?

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कह रहे हैं? आप इसे फिर दोहराइये।

**श्री आर. प्रभु** : मैं यह कह रहा हूं कि लोकसभा के महासचिव महोदय ने आज मुझे तीन बजे फोन करके बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरा वह पत्र मिल चुका है, जो मैंने उन्हें 1 बजे लिखा था। पत्र में यह कहा गया है कि मैं काफी समय से पिछले कई सत्रों से नियम 193 के अंतर्गत एक चर्चा करवाने का अनुरोध कर रहा हूँ लेकिन यह बात आप तक कभी नहीं पहुंची और इस सत्र में भी नियम 193 के अंतर्गत श्री अर्जुन सिंह ने एक नोटिस दिया है। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किये हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे बोलने की अनुमति दें। अब मुझे पता चला है कि मेरा नाम वक्ताओं की सूची में नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : कौन सी सूची? वह सूची किसके पास है?

**श्री आर. प्रभु** : महोदय, मुझे मार्शल से पता चला है और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरा नाम उसमें नहीं है। अगर मुझे बोलने की अनुमति दी जायेगी, तो मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। मुझे देखने दीजिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा कहा है, जो आपको नहीं कहना चाहिए था।

**श्री आर. प्रभु** : मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका तात्पर्य कौन-सी सूची से है? वह सूची कहां है?

**श्री आर. प्रभु** : वह सूची कहां है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह सूची कहां है? सूची किसने तैयार की है?

**श्री आर. प्रभु** : वक्ताओं की सूची वहां पर है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका वक्तव्य अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। इसकी कोई सूची नहीं है और आपको ऐसा वक्तव्य देने से परहेज रखिए।

**श्री आर. प्रभु** : महोदय, अगर पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध मैंने कोई आक्षेप लगाया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**श्री जसवंत सिंह** : आज की चर्चा शुरू करने से पहले महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की कार्यवाहियों को उद्धृत करना चाहता हूँ। यह माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा दिया गया एक आश्वासन है।

''दिल्ली में हुए दंगों के बारे में कुछ कहा गया है। 1984 के दंगों के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उसे मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कल सुबह ''अर्थात्, आज सुबह - ''मैं सभा पटल पर सम्पूर्ण रिपोर्ट रखूंगा...''

मैं सारी बात नहीं पढूंगा। मैंने यह कहा है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले, जैसा कि माननीय गृह राज्य मंत्री यहां उपस्थित है और चूंकि जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1984 के दंगों का ब्यौरा आज सुबह सभा पटल पर रखा जायेगा - संभवत: उन्हें कुछ और कार्य निपटाने हैं और अगर वे इस कार्य को अभी भी कर दें तो हम कार्यवाही आगे बढ़ा सकते है। मैं उनके लिए अपना भाषण समाप्त करने के लिए तैयार हूं।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : मैंने यह बात कल कही थी। मैंने यह कहा था कि सरकार ने जो सभी कार्यवाहियां की थी, मैं उसकी रिपोर्ट या सूचना सभा में रखने के लिए तैयार हूँ। मैंने यह बात कही थी। मेरे पास यह सूचना है। आज लोक सभा की कार्यवाही मेरे पास संशोधन के लिए आयी थी। मैंने उसे पढ़ा है। यह आज ही मेरे पास संशोधन के लिए पहुंची है। उसी दौरान जब श्री जसवंत सिंह ने कल यह प्रश्न उठाया तो मैंने कहा कि ''हमने, जो लोग दोषी पाये गये, उनके विरूद्ध कार्यवाही की है और सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसकी सूचना मैं सभा को देने के लिए तैयार हूँ।" मैं अपने साथ सूची लाया हूँ। चर्चा समाप्त होने के पश्चात अगर मुझे अनुमति दी गई तो हमने जो सभी कार्यवाहियां की है, उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा।

**श्री जसवंत सिंह** : उसमें कोई न कोई गलती अवश्य होनी चाहिये। मेरे विचार में उसमें कोई न कोई गलती अवश्य होगी। मैं सारी बात नहीं बताना चाहता। मुझे विश्वास है कि मैं गलती पर हूँ। लेकिन क्या आपकी अनुमति से मैं लोक सभा की कार्यवाही पढ़ सकता हूँ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आपकी गलती क्या है?

**श्री जसवंत सिंह** : यह गलती मंत्री महोदय के कथन के कारण हुई है। यह उनके कथन में ही है। मैं यह मानकर चल रहा था कि मैं लोकसभा की कार्यवाही का उल्लेख करने जा रहा हूँ। जब मैं खड़ा था तो माननीय मंत्री ने मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा। तत्पश्चात् उन्होंने कहा और मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"दिल्ली के दंगों के बारे में कुछ कहा गया है। 1984 के दंगों के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, मैं उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कल सुबह मैं उन लोगों के विरूद्ध, जो दोषी पाये गये, क्या कार्यवाही की गई, इसकी संपूर्ण रिपोर्ट सभा में रखूंगा।"

उन्होंने जो कार्यवाही की है, उसकी संपूर्ण रिपोर्ट कल सभा में रखी जायेगी। उन्होंने आगे कहा :

"यहां तक कि हमने एक सांसद, जिनका संबंध हमारे दल से है, के विरूद्ध जांच-पड़ताल करने का आदेश दिया है और हमने न्यायालय को कानून के अनुसार अपनी कार्यवाही आगे चलाने के लिए कह दिया है। हम इसे सभा पटल पर रखेंगे।"

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, मुझे लोकसभा सचिवालय से यह प्रति संशोधन करने के लिए प्राप्त हुई है। इसके बारे में काफी शोर था। मेरे विचार में, मैंने यह कहा था कि मैं सभा को यह सूचित करूंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। मैं ब्यौरा साथ लाया हूं क्योंकि मैंने ऐसा कल कहा था। इस बीच मैंने देख लिया था कि गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही के दौरान मुझे अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसे ही यह समाप्त होगी, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। अगर माननीय सदस्य मुझे इसकी अनुमति दें, तो मैं यह बताऊंगा कि क्या सभी कार्यवाहियां की गई हैं और सरकार ने इसके बारे में क्या किया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, यह उचित नहीं है। आखिरकार, हम यह जानते है कि कोई मंत्री किसी भी क्षण खड़े होकर यह कह सकता है : "मैं स्थिति कल स्पष्ट करूंगा। मैं की गई कार्यवाही के बारे में सभा को सूचित करूंगा।" लेकिन यह एक स्पष्ट वक्तव्य है। इसमें कोई गलती नहीं है। अब वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका कहने का तात्पर्य यह नहीं था। जब उन्होंने यह कहा कि वह सभा पटल पर रिपोर्ट रखेंगे, तो इसका अर्थ स्पष्ट है।

**श्री राजेश पायलट** : की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इसका तात्पर्य यह है कि वह रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखेंगे। वह इसे लोकसभा सचिवालय को संप्रेषित करेंगे और रिपोर्ट की एक प्रति देंगे और जब भी कोई सदस्य इसे प्राप्त करना चाहेगा, उसे यह प्राप्त होगी।

**श्री राजेश पायलट** : जी हां, यह प्रक्रिया सही है।

[अनुवाद]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं कहता हूं कि कोई भी मंत्री यह कह सकता है कि इस संबंध में उनका आशय सभा को की गई कार्रवाई से अवगत कराने का विचार है। यदि उन्होंने केवल इतना ही कहा है तो वह जो कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देने के बाद यह अपने वक्तव्य से पीछे हटने वाली बात है। आपकी अनुमति से वह आपको यह बता सकते हैं कि वह रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं लेकिन वह वक्तव्य देंगे। और उसे भी कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए था कि वह 1984 में हुई हत्याओं के बारे में वक्तव्य देंगे। महोदय, यह गलत है। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को बताएं कि उसे संसद के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : स्पष्ट है कि कल उनकी इच्छा कुछ और थी। उन्हें या तो अपना वक्तव्य बदलने के लिए कहा गया है या . ..(व्यवधान)

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, प्रश्न यह नहीं है।

सभा को सूचित करने का मेरा इरादा बिल्कुल स्पष्ट था क्योंकि कल मुझे यह आभाष मिला था कि 1984 के दंगों के मामलों में कुछ भी नहीं किया गया है। प्रश्नों के उत्तर में हमने यह बताया था। अत: मेरा इरादा यह बताने का था कि हमने क्या कार्रवाइयां की हैं। मैं सभा को यह बताने के लिए तैयार हूं कि ...(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, ऐसा नहीं है कि शब्दों का अर्थ वही निकले सो वह समझाना चाहते हैं। "एलिस इन-वंडरलैण्ड" में ऐसा होता है कि शब्दों का अर्थ वही होता है जो वह कहना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। शब्दों के अपने अर्थ होते हैं।

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, यदि माननीय सभा चाहती है कि वक्तव्य दिया जाना चाहिए तो ब्यौरे मेरे पास हैं, अध्यक्षपीठ का जो भी निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा।

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, वास्तव में मैं इस बारे में कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। हमें जो कुछ कहना है 1984 दंगे उसका मुख्य विषय है, और मैंने 1984 के दंगों का पहले भी ज़िक्र किया है। कुछ भी हो इससे अन्तर नहीं पड़ता है। मैं इस मामले की बारीकी में नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि जो भी जानकारी उपलब्ध है वह अभी आपको देंगे।

**एक माननीय सदस्य** : महोदय सभी सदस्यों को देंगे।

**श्री जसवंत सिंह** : महोदय, जहां तक मेरा संबंध है मेरी ओर से यह मामला समाप्त है।

पहली बात, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि इन गुप्त छलावों ओवरणयुक्त संदर्भों और अनेकों आशयों का मूलतत्व क्या है। चर्चा शुरू करने वाले सदस्य महोदय ने दिखावा शब्द का इस्तेमाल किया। अंत में वास्तव में मैं इस भ्रांति में पड़ गया हूं कि चर्चा शुरू करने वाले माननीय सदस्य का इस सरकार पर आरोप क्या है।

[हिन्दी]

**नगर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : आज आप के.के. तिवारी जैसी अंग्रेजी बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

**श्री जसवंत सिंह** : हमें इस सरकार पर विलम्ब का आरोप लगाने

में कोई संकोच नहीं है। इस सरकार पर आरोप लगाते समय हमने कहा था कि यह सरकार अयोग्य सरकार है, सुस्त सरकार है, ढीली सरकार है और यह स्थिति को बिगड़ने देने की दोषी है। ...(व्यवधान)...

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आप शब्दकोष का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं।...(व्यवधान)...

**श्री जसवंत सिंह :** महोदय, वे मुझे इतना कर्कश नहीं बनने देना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

अत: मेरा कहना है कि उन्होंने सभी मामलों में हमेशा जो कुछ भी किया उससे उनकी सुस्ती और अयोग्यता का ही पता चला। अत: विलम्ब अपरिहार्य नतीजा है। सभी मामलों में ऐसा ही विलम्ब हुआ है। मुझे सभी मामलों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले कई अवसरों पर ऐसा कर चुका हूँ। ...(व्यवधान)...

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** दिन-प्रति-दिन की निगरानी के बावजूद ये हो रहा है।

**श्री जसवंत सिंह :** जी हां, दिन-प्रति-दिन की निगरानी के बावजूद ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिए बोफोर्स को लीजिए हमें अभी तक इसके अनसुलझे रहस्य का पर्दाफाश करना है।

अत: सभा के चिन्तित होने का कारण है और हम अपनी चिन्ता प्रकट करते हैं।...(व्यवधान)... यहां पर मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें जानबूझ कर विलम्ब करने की आदत है। विलम्ब इस सरकार की प्रकृति है। अनिर्णयात्मकता इस सरकार की चारित्रिक विशेषता है।

उसके बाद क्या हुआ? यदि यह विलम्ब जानबूझ कर किया गया है तो मेरा विश्वास है कि इस सरकार पर यही आरोप है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इस सरकार पर तथ्यों को दबाने का भी आरोप है।

**श्री जसवन्त सिंह :** मैं कहने की कोशिश करता हूँ। तीन बातें हैं, इस प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावन, एक वरिष्ठ संसद विद और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि एक समय इस मंत्रिमण्डल में नम्बर दो की हैसियत रखने वाले सदस्य ने इस सरकार पर विलम्ब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था जो कि बहुत गंभीर है। उन्होंने इस सरकार पर किसी को बचाने का आरोप लगाया है। अब यह बहुत बड़ा छलावा है क्योंकि यह आपराधिक मामले में किसी को बचा रही है, आपराधिक मामला जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का बहुत गंभीर अपराध शामिल है जो बहुत बड़ा आरोप है और आपको इसका उत्तर देना है। उन्होंने आयोग के साथ सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है।

अब मुझे जो कहना है उसे मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। आज मैं हैरान हो गया हूँ। मैं इस चर्चा के संदर्भ, प्रासंगिकता और समय से हैरान रह गया हूँ। तथापि, जब आपने यह निर्णय लिया कि इस पर चर्चा होगी, हमने कहा कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम अत्यधिक लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने से नहीं हिचकेंगे। यद्यपि इसके बाद और मैंने कल जो कहा था उसके बाद मेरी यह धारणा बनी है कि इस चर्चा का समय और संदर्भ राजनीतिक दल को विघटित करने का दूसरा उदाहरण है और यह विघटित हो रहा है। यह वास्तव में टूट रही है। यह राजनीतिक संगठन का अपनी ही जड़ों को खाने का प्रयास करने का दूसरा उदाहरण है। मैं इसे और कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यदि आप इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, यदि आप विलम्ब के सहयोग की कमी और संरक्षण के बारे में चिन्तित है तो संरक्षण देना एक बहुत गम्भीर आरोप है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** अमेठी में भाषण समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। ...(व्यवधान)...

**श्री जसवंत सिंह :** मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। तथापि, मुझे कांग्रेस दल के आन्तरिक कलह का दूसरा उदाहरण मिल गया है और यदि कांग्रेस दल के आन्तरिक कलह का यह दूसरा उदाहरण है तो हमें निश्चित रूप से आपके आतंरिक कलह से अथवा राजनीतिक अर्जीण से कोई लेना-देना नहीं है।

महोदय, मैंने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पर भी प्रकाश डाला था। मुझे बताया गया है कि कल जो हवाले दिए गए थे उनके सारांश में कल मैंने जो कहा था या दूसरे लोगों ने कहा था उनका जिक्र नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अर्जुन सिंह जी का भी नाम नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री जसवंत सिंह :** मुझे बताया गया है कि संसदीय सारांश में माननीय श्री अर्जुन सिंह जी का भी जिक्र नहीं है और केवल माननीय श्री चिदम्बरम जी का उल्लेख किया गया है जो सरकार की ओर से कुछ अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़े हुए थे और इसमें यही कहा गया है कि माननीय श्री चिदम्बरम ने अनुक्रिया में वही कहा जो कुछ माननीय सदस्यों को कहना था। मैं उस कुछ चकरा गया। क्या सारांश ऐसे ही तैयार किए जाते हैं? शायद इन्हें ऐसे ही तैयार किया जाता है, मुझे मालुम नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या यह शून्यकाल का सारांश है?

**श्री जसवंत सिंह :** जी हां। यह शून्यकाल का सारांश है। खैर यह एक अलग मामला है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** हो सकता है, क्योंकि यह सरकार का दृष्टिकोण है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। गैर सरकारी सदस्यों के वक्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है।

**श्री जसवंत सिंह :** महोदय मुझे कहना चाहिए और मैं ऐसा कल कह भी चुका हूँ और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है कि माननीय श्री चिदम्बरम का चिन्ता

जाहिर करने के लिए हस्तक्षेप सार के शब्दों का बुनियादी ध्यानपूर्वक किया गया था। अब वह सारे मामले के संचालन की जिम्मेदारी खुद ले रहे है। यह बहुत सावधानी पूर्वक किया गया हस्तक्षेप था। यह बहुत ही सीमित था और वह भी उसके द्वारा लगाये गये आरोप तक ही और मेरा विचार है कि उन्होंने इतने नाजुक विषय के रास्ते पर चलने के अपने व्यक्तिगत गुणों के साथ समझौता कर लिया है जो कि व्यक्तिगत संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक संवेदनशीलता का विषय हैं। उसके बाद, जो कुछ भी उन्होंने सभा में कहा है, उस पर चर्चा करना, हमें मुश्किल में डाल रहा है। तथापि अब चर्चा आरम्भ हो चुकी है.

**श्री अर्जुन सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह जानते है कि यह मेरा निर्णय नहीं हैं कि यह चर्चा होनी चाहिए। यह माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय है।

**श्री जसवन्त सिंह :** जी हां, महोदय। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय स्वयं नहीं लेते है। मामले वे नहीं उठाते है।

**श्री अर्जुन सिंह :** कल यह निर्णय लेने में हम सबने उनकी मदद की और माननीय सदस्य भी उपस्थित थे।

**श्री जसवन्त सिंह :** जी हां, मैं वहां था। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि अध्यक्ष महोदय विषय की शुरूआत नहीं करते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ।

**श्री जसवन्त सिंह :** मैंने बैठक में भी कहा है कि यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम भी चर्चा चाहते है। लेकिन मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का, समय का तथा चर्चा के विषय का हवाला दे रहा हूँ। निश्चय ही मैंने कहा था और मैं पुन: यह मानता हूँ महोदय, कि मैंने कहा था कि यदि सब लोग चर्चा करना चाहते है तो हम उनका साथ देंगे।

महोदय, जो प्रश्न पूछे गए है उनका जवाब वास्तव में सरकार को देना है। उनका जवाब मुझे नहीं देना है। लेकिन मैं वास्तव में देख रहा हूँ कि जहां तक कि जैन आयोग द्वारा कार्य किए जाने का संबंध है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जैन आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है अथवा किस तरह से नहीं कर रहा है। मैं अभी भी उसके कार्यकरण के बारे में भ्रमित हूँ। जो कुछ भी श्री चिदम्बरम ने कहना था उन्होंने कहा और मुझे लगा कि उन्होंने बहुत सावधानी से अपनी बात कहीं।

लेकिन, मैं तो इस मामले को यह समझा है कि यह पूरा विषय आयोगों की राजनीति है और उसके पश्चात् आयोगों के माध्यम से राजनीति के संबंध में है। उदाहरण के लिए मेरे विचार से ठक्कर आयोग के संबंध में अन्तत: सरकार में काफी समय के बाद उगलवाया गया कि हमें ठक्कर आयोग के संबंध में चर्चा करनी चाहिए। महोदय, मैंने ऐसा सभा में भी कहा, था और इसलिए मुझे यह टिप्पणी करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है कि ऐसे घोर अपराध के लिए वह बहुत गलत दस्तावेज है। निश्चय ही, अपराध की जांच की जानी चाहिए। अनेक आयोग स्थापित किए गए है। लेकिन आयोग को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए।

महोदय, अन्य विषय क्या हैं। मैं माननीय अर्जुन सिंह जी द्वारा व्यक्त विचारों से भी पूर्णत: सहमत हूँ, मेरा विचार है कि अगला विषय है शीघ्र न्याय, प्रत्यक्ष न्याय और फिर दयालु और ध्यान रखने वाली सरकार का पहलू। अब हम इस सरकार से दया और ध्यान देने की उम्मीद नहीं कर सकते।

हम शीघ्र न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि अब न्यायिक प्रणाली स्वयं भी अत्यधिक बाधाग्रस्त हो गई है और हम सब आयोग के माध्यम से राजनीति को करने लगे हैं। इसलिए जब पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के संबंध में विरोध चिन्ता व्यक्त की जाती है तो समय और संदर्भ महत्वपूर्ण बन जाते है। हम भी, इस दल में अपने अनेक राजनीतिक साथियों को खो चुके है जिनकी हत्या कर दी गई थी। हमने अपने दल के अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा स्वर्गीय पंडित दीन दयाल उपाध्या को भी इसी तरह खो दिया। उनके मामले भी आज तक सुलझ नहीं सकें। लेकिन रोज हम उस दु:ख को तथा राजनीतिक निष्ठा को प्रदर्शित नहीं करते है अथवा रोज इस विषय को नहीं उठाते हैं क्योंकि यह भा.ज.पा. का अपना मामला है। हम निश्चय ही कांग्रेस दल के राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते है। यदि मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया होता तो मैं उसके साथ बैठता। लेकिन, चूंकि मैं उनके राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं मानता। इसलिए मैं यहां बैठता हूँ और हमेशा यहीं बैठूंगा। हम व्यक्तिगत दु:खों को बयान नहीं करते है। यहां दो प्रसिद्ध नेता मेरे साथ बैठे हैं जो कि इन दोनों स्वर्गीय नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत क्षति को बैज के रूप में हमेशा लगाए नहीं रहते हैं और जनता को यह नहीं दर्शाते कि अब हमारी कितनी साख है। मैं ऐसा बहुत संकोच से कह रहा हूँ। लेकिन मैं यह बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ।

महोदय, मेरे एक राजनीतिक साथी है जो कि यहां इन बैंचों पर बैठते हैं उनके स्वर्गीय पति, जो कि एक कुशल और बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने देश के लिए लड़ते हुए उनमें अपने कार्य के प्रति वचनबद्धता, समपर्ण की भावना थी तथा बहादुरी की भावना थी और इस प्रकार खतरे को जानते हुए भी वे आगे बढ़े। लेकिन हम इस मामले को रोजाना नहीं उठाते है जबकि वे संसद सदस्या हैं। उस बहादुर पुलिस ऑफिसर की मृत्यु से संबंधित कारणों तथा परिस्थितियों को समझा नहीं जा सका। इस मामलों को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका। क्या इसका अर्थ यह है कि हम इस मुद्दे को यहां रोज उठाए कि इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है? इसलिए कल भी मैंने यहीं कहा था। मैं इस व्यक्तिगत

दु:ख तथा सार्वजनिक दु:ख के पूरे मसले से कैसे समझूं, किसका दु:ख अधिक है और किसका दु:ख कम है और मैं इस बात का निर्णय किस आधार पर करूं कि मेरे साथी का दु:ख किसी अन्य साथी से कम हैं? मैं ऐसा किस तरह कर सकता हूं? मुझे रोज उन विधवाओं से मिलना होता है जिनके पति सिपाही थे अथवा जो उत्तर-पूर्व अथवा कश्मीर में अपनी जानें गंवा चुके हैं। महोदय क्या मैं आपको बताऊं कि रक्षा मंत्रालय आपके पैट्रोलियम मंत्रालय को यह लिखकर निराश हो चुका है या थक चुका है कि आपको अपने नौकरों, ड्राइवरों तथा ड्राइवरों के भाइयों को पैट्रोल-पम्प की ऐजेंसी देने की स्वतंत्रता है लेकिन आपको भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पैट्रोल-पम्प अथवा गैस एजेंसी देने की स्वतंत्रता नहीं है जिन्होंनें अपने देश के लिए जान दे दी। क्या मैं इस बात का निर्णय लूं कि मेरे भूतपूर्व सैनिक साथियों तथा विधवाओं का दु:ख किसी अन्य भारतीय नागरिक के दु:ख से कम है? मैं किसी व्यक्ति के दु:ख को अन्य व्यक्ति के दु:ख से कम नहीं समझता हूं। मेरे पास वह योग्यता नहीं है और न ही उसे तोलने के लिए वह पैमाना है। महोदय इसलिए एक बार फिर, मैं यह कहता हूं कि मैं हैरान हूं यदि विघटित कांग्रेस दल की अभिव्यक्ति का यह एक अन्य उदाहरण होगा जो कि अपनी बातों को भूल जाते है फिर, निश्चय ही हम किसी ऐसे मुद्दे पर निरन्तर चर्चा करते रहने वाले दल का साथ नहीं देना चाहेंगे जो कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दु:ख का विषय है।

इस राष्ट्र पर अनेक विपदाएं आई है। इस राष्ट्र का उद्भव 1947 में नहीं हुआ और इस राष्ट्र का कभी अन्त नहीं होगा। विश्व का कब्रिस्तान उन लोगों से भरा हुआ है जो कि यह सोचते थे कि उनकी जानें उनके देश के लिए अपरिहार्य है। इस देश के लिए कोई अपरिहार्य नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जान भारत में गई है वह भारत की क्षति है। पिछले दो अथवा तीन दिनों में जिन विषयों पर चिंता व्यक्त की गई है निश्चय ही मैं उनमें हिस्सा नहीं ले सका हूं।

जो प्रश्न पूछे गए है जो स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, मैं उन पर आगे और चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उनका उत्तर देना सरकार का काम है। आप पर आपके दल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा आरोप लगाए गए है, जो कि किसी समय आपके मंत्रीमंडल के नम्बर दो सदस्य थे। आप पर विलम्ब का आरोप लगाया गया है, आप पर तथ्यों को छुपाने का आरोप है, आप पर अपराधी को संरक्षण प्रदान करने का आरोप है और आप पर सहयोग न देने का आरोप है। इन आरोपों के उत्तर आपको देने है।

**श्री आर. प्रभु :** महोदय, यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं पुन: एक बार आपसे क्षमा याचना करता हूं। मेरी मंशा ऐसी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं। कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने उस बात को मन में नहीं रखा है। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

**श्री आर. प्रभु :** धन्यवाद। माननीय मंत्री ने कल एक लम्बा वक्तव्य दिया था। जिसमें, मेरे विचार से उन्होंने जैन आयोग और अभिहीत न्यायालय से जुड़े कुछ न्यायाधीशों की क्षमता के बारे में उल्लेख किया था। मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि उसे कार्यवाही वृत्तान्त को शामिल किया गया है या नहीं। आप रिकार्ड देख सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिसे न्यायालय में काफी अनुभव है, उसे न्यायिक परमाधिकार तथा न्यायप्रणाली की विस्तृत जानकारी है, और उससे न्यायाधीशों के चरित्र हनन के और में किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए अन्यथा ऐसा अर्थ निकाला जाएगा कि वह न्यायाधीशों को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे है। मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि यह कार्यवाही वृत्तान्त का भाग है अथवा नहीं, लेकिन यदि यह कार्यवाही वृत्तान्त का भाग है तो मेरा वक्तव्य भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए और यादे और कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है तो मेरे वक्तव्य को भी इसमें शामिल करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने जो कहा था उसे मैं दुहराना नहीं चाहता।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे याद नहीं है।

**श्री आर. प्रभु :** क्या आपकी अनुमति से मैं उस वाक्य को यहां उद्धृत कर सकता हूं। हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएं

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। आप इसको उद्धृत कर सकते है और इसको कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा और यदि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसी वैसी बात है तो उसे भी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। कृपया इसका ध्यान रखें।

**श्री आर. प्रभु :** आपकी अनुमति से मैं उस वाक्य को उद्धृत करता हूं :-

"यद्यपि न्यायाधीश, जिसे मैं बहुत साहसी, स्पष्टवादी और ईमानदार समझता हूं, ने 212 दिन सुनवाई की आदि आदि।"

यह एक अभिहीन न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में वक्तव्य है। न्यायमूर्ति जैन के बारे में एक अन्य वक्तव्य यह है :-

"न्यायमूर्ति जैन एक आदरणीय न्यायाधीश है। वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, और वह क्या करना चाहते हैं तथा क्या करना चाहेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायाधीश इससे सारतत्व निकाल पाएंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे अपमानजनक नहीं मानता। साथ ही, पूरा कार्यवाही वृत्तान्त पढ़ने के पश्चात ही मैं कोई निर्णय लूंगा। यदि मेरे मन में तनिक भी संदेह उत्पन्न होता है कि इससे उनकी भावना और उनके गरिमा को ठेस पहुंचेगी तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।.... (व्यवधान)

**श्री आर. प्रभु :** यह दुर्भाग्य की बात है कि वे अपना स्थान

छोड़कर चले जाते हैं और दलों पर आरोप लगाने के पश्चात् फिर यहां आकर बैठ जाते है. . . (व्यवधान)

मुझे यह सुनकर अत्यंत दु:ख हुआ कि श्री जसवंत सिंह जैसे एक वरिष्ठ नेता ने इस चर्चा को कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मुद्दा बताया है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, विशेषकर ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा हो, तथा जो कुछ ही दिनों के भीतर भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारतीयों के चहेते थे, वह कांग्रेस पार्टी की आंतरिक मुद्दा नहीं हो सकता है। हां, कल सर्वसम्मत से पूरा सदन जिसके लिए मैं प्रत्येक सदस्य का आभारी हूँ - श्रीमती सोनिया गांधी के दु:ख में सहभागी थे। लेकिन हमलोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे है।

**एक माननीय सदस्य :** 1984 के दंगों सहित, (व्यवधान)

**श्री आर. प्रभु :** कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। तब आप यदि चाहें तो बोल सकते है। यदि आप लोग चाहते है कि आपके बोलने के दौरान हम (व्यवधान) डाले तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. ..(व्यवधान) तेलगू देशम पार्टी ने अब कांग्रेस पार्टी से सम्पर्क किया है। तेलगू देशम का विभाजन हो गया है। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव** (मछली पटनम) : *

**श्री आर. प्रभु :** मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं एक साहसी आदमी हूँ। . . . (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह अनावश्यक है। कृपया इस तरह (व्यवधान) उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव :** महोदय, उन्होंने मुझे बताया था कि . . . (व्यवधान)

**श्री आर. प्रभु :** मैंने उस सदस्य से अपने जीवन में कभी बात नहीं की।

**अध्यक्ष महोदय :** अब तक उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यदि कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से बाहर निकाल दूंगा।

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव :** उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसी कारण मैं उत्तेजित हुआ। (व्यवधान)

**श्री आर. प्रभु :** हम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस सदन के सभी सदस्यों के प्रिय रहे हैं चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हों अथवा विपक्ष के। भारत के प्रधानमंत्री होने के अलावा वह एक अत्यंत उदार व दयालु व्यक्ति थे। हरेक आदमी यह बात जानता है। हम इस संबंध में बात नहीं कर रहे है। हम एक व्यक्ति अथवा किसी महिला के पति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे है जो धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा देश की एकता व अखंडता का समर्थक था तथा जिसका विश्वास था कि इस देश की गरीब जनता को साथ लेकर ही इस देश का विकास किया जा सकता है। मुझे उनके मंत्रिमंडल में मत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा कई मामलों में मैंने उनके साथ बहुत निकट रह कर कार्य किया था। मैं जानता हूँ कि अब उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। परन्तु उनकी मुख्य चिंता यह थी कि देश की गरीब व ग्रामीण जनता की हमेशा सुरक्षा की जानी चाहिए। यही बात श्रीमती सोनिया गांधी ने अमेठी में कहीं थी परन्तु किसी ने भी यह बात कल नहीं कहीं। इन आदर्शों का परित्याग कर दिया गया है। 'हम यहां राजनीति पर बहस नहीं कर रहे हैं।' परंतु हम, जैसा कि माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह ने कहा है, इस मामले को रफा दफा किए जाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई हत्याएं हुई है। परंतु जांच आयोगों में इन्हें रफा दफा किए जाने के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। हां, इनमें विलम्ब अवश्य हुआ था। मैं श्री अर्जुन सिंह द्वारा कहीं गई सभी बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्होंने विभिन्न जांचों के बारे में अधिकतर सभी मुद्दों का उल्लेख कर दिया है। परंतु मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ तथा यदि मुझसे कुछ छूट जाता है तो भी आप कृपया ध्यान से सुनें क्योंकि मैं कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता।

हम सभी जानते हैं कि तीन प्रकार से जांच चल रही है। पहली मद्रास में अभिहित न्यायालय में। विशेष जांच दल ने दो सालों के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया है। दूसरी वर्मा आयोग में, जिसने 15 जून, 1992 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी तथा तीसरे जैन आयोग के द्वारा जो अगस्त 1991 में गठित किया गया था तथा जिसे इस हत्याकांड के पीछे षड्यंत्र का पता लगाना था।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कल कहा था कि वह 24 मई, 1995 के बाद से इस मंत्रालय के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं। जब श्री अर्जुन सिंह बोल रहे थे, उस समय संभवत: संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री ने कहा था कि वह इससे पहले की घटनाओं से अवगत हैं। महोदय, अब मुद्दा यह नहीं है कि वह अवगत है अथवा नहीं। परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी विभाग या किसी मामले जो अत्यधिक संवेदनशील है का कार्यभार ग्रहण करता है तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते उस व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपना कार्य भार ग्रहण करने की तारीख तक की सभी जांच कार्यों की स्थिति से अवगत होगा। अत: वह जानते होंगे। पिछले चार वर्षों से क्या हो रहा था। उन्होंने इस सम्मानीय सभा को इस जानकारी से अवगत नहीं कराया। मेरी इच्छा है कि वे ऐसा करें।

मैं सबसे पहले जैन आयोग के बारे में कहना चाहुंगा। जैन आयोग

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को वर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार मान कर आगे काम करना था। परन्तु सरकार ने लंबे समय तक वर्मा आयोग की रिपोर्ट की अधिकारिक प्रति जैन आयोग को उपलब्ध नहीं कराई। तथा मैं नहीं समझता कि यह कभी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी अन्य स्रोत से यह रिपोर्ट आई तथा न्यायमूर्ति जैन उसे तभी देख पाए। जैन आयोग के गठन के बाद लंबे समय तक किसी वकील की नियुक्ति नहीं की गई। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी जैन आयोग में आते है तथा कहते है, "आपका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। आपके पास कोई अधिकारिता नहीं है। जैन आयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।" उसके बाद जैन आयोग की सहायता के लिए एक वकील की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने इस्तीफा दिया तथा और भी कई बातें हुई। तब जैसा श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि जैन आयोग को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पत्र आया था। मुश्ताक अहमद नामक वकील ने जैन आयोग को समाप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। वे एक कनिष्ठ वकील हैं। मुझे ये ब्यौरे मालूम हैं क्योंकि मैं उन संसद सदस्यों में से था जिसने उस याचिका पर कार्रवाई न होने देने के लिए दखल दिया था ताकि जैन आयोग समाप्त न होने पाए। लोकहित वादी के रूप में सामान्यतया एक वकील अपने मुकदमों के लिए ही बहस करता है। वह विख्यात बनने का प्रयास करता है लेकिन इस मामले में वकील जो जैन आयोग के समक्ष सरकार की ओर से पेश हो रहा था, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री मुश्ताक अहमद की ओर से भी पेश हुआ और मुझे विश्वास है माननीय मंत्री यह सब जानते हैं क्योंकि वे बहुत वर्षों से उसके सहकर्मी रहे है और वे दोनों संभवत: एक ही पीढ़ी तथा एक ही राज्य के हैं। जैन आयोग की अब तक सात बार अवधि बढ़ायी गयी है और श्री अर्जुन सिंह ने बहुत सी बातें कहीं है जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ।

जहां तक वर्मा आयोग का संबधं था, न्यायमूर्ति वर्मा ने स्वयं कहा है यह सब लीपा पोती करने का प्रयास है। मैंने 5 अगस्त, 1993 को इस सम्मानीय सभा में यह मामला उठाया था। मैंने उसी दस्तावेज से उद्धत किया था जिससे श्री अर्जुन सिंह आज उद्धत किया है और मैंने सरकार से निवेदन किया था कि वह 5 अगस्त, 1993 को इसका जवाब दे। लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सरकार प्र आरोप नहीं लगाया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा है यह मामले पर लीपा पोती करने का एक इस हद तक प्रयास किया गया है कि जो प्रतिवेदन "21" द्वारा गुप्तचर एजेंसियों को उस समय दिये गये थे जब श्री राजीव गांधी तमिलनाडु का दौरा करने वाले थे लेकिन वे तमिलनाडु सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियो को नहीं सौंपे गये।

एस.आई.टी. ने दो वर्ष बाद मद्रास में एक आरोप पत्र दाखिल किया था सामान्तया दो वर्षों में सी.बी.आई. अथवा सी.बी.आई. की कोई शाखा एक हजार से भी अधिक गवाहों से पूछताछ कर सकती थी लेकिन इस मामलें में उन गवाहों में से आधे व्यक्तियों से भी पूछताछ नहीं की गई और दो वर्षों बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। खैर, मैं इस मामले में हुए विलंब के बारे कुछ नहीं कहूँगा। कतिपय अधिकारियों के मामले में कुछ असामान्य बातें घटित हुई है। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ। एक ऐसे पुलिस महानिरीक्षक को पदमश्री दिया गया जो राजीव गांधी की हत्या के समय मौजूद था।

अभी विचार समाप्त नहीं हुआ है और इस दृष्टि से भी विचार नहीं किया गया कि वह षडयंत्र था या नहीं फिर भी किसी व्यक्ति को पदमश्री दिया जाता है। हाल ही में एस.आई.टी. के उप पुलिस महानिरीक्षक को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है और अन्य व्यक्तियों के सिवाय उल्लेखनीय सेवा जो उन्होंने की है वह यह है कि षणयुगम नामक व्यक्ति जो तमिलनाडु में कतिपय लोगों तथा लिट्टे के बीच एक कड़ी का काम कर रहा था वह हथियारों की सप्लाई करता था। उसे तमिलनाडु के एक जिले में निरूद्ध किया गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। ये उप-पुलिस महानिरीक्षक उस कैम्प के प्रभारी अधिकारी थे। बाद में यही उप-पुलिस महानिरीक्षक कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सारे विश्व में जांच पड़ताल करते रहे खास बात यह भी है कि उन्होंने लंदन में कागजात से भरा एक पूरा सूटकेस ही खो दिया और अब उसी उप-पुलिस महानिरीक्षक को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो यह कतिपय असमान्यताएं हैं जिनसे यह सभा स्वयं समझ सकती है कि यहां क्या हो रहा है।

अब मैं 24 मई, 1995 अर्थात उस अंतिम तिथि के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। कल श्री चिदम्बरम ने कहा था और जिस तिथि से उन्होंने कार्यभार संभाला था, उन्होंने अपने वक्तव्य में, यदि आपने पढ़ा हो तो आप यह समझ जायेंगें कि वे अत्यंत पांडित्यपूर्ण भाषण में कह रहे थे कि जैन आयोग को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और वे यह देखने के लिए सभी कदम उठायेंगें कि हर दृष्टि से पूरी जांच की जाये और वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे। लेकिन स्वयं न्यामयूर्ति जैन ने 26 तारीख को कहा था कि सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे अनुमति दे तों तो उन्होंने कहा है कि मैं उसका सारांश देता हूँ। मैं किसी को उद्धत नहीं कर रहा हूँ।

8.00 म.प.

महोदय, न्यायमूर्ति जैन ने कहा है कि उन्हें केन्द्र सरकार से आशा है कि वह स्वेच्छा से इस संबंध में कुछ जानकारी देगी और सूचना तथा कागजात भी देगी लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे रही है। जब तक उनसे आग्रह नहीं किया जाता तब तक उनसे हमें कुछ नहीं मिलता है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवक्ता श्री मित्तल ने इस कार्यवाही के बारे में जो कहा वहां रिकार्ड में दर्ज है कि केन्द्र सरकार कागजात तथा रिकार्ड न देकर सरकार कागजात छिपाने का प्रयास क्यों कर रही है और वह किसे बचाने का प्रयास कर रही है मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यह श्री चिदम्बरम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद हुआ है। मैं वे तथ्य सामने रख रहा हूँ जो मुझे मालूम हैं। यह

तो स्वयं सभा को निर्णय करना है कि जो कुछ हो रहा है अनुचित है अथवा उचित है।

महोदय, कल गृहमंत्री ने दूसरे सदन में इस बारे में बहुत कुछ कहा और आज हमने अखबारों में भी पढ़ा कि न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होता है, जब आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो विलम्ब क्यों होता है, विलम्ब इसीलिए होता है क्योंकि मुवक्किल मामले में विलम्ब करना चाहता है और कुछ न्यायिक अधिकारी भी मामलों में बिलम्ब करना चाहते हैं। इस मामले में मुवक्किल कौन है, अभिहित न्यायालय में पक्षकार कौन हैं? जैन आयोग में पक्षकार कौन हैं? उनमें विलम्ब क्यों हो रहा है? इस प्रकार के न्यायिक विलम्ब क्यों हो रहे हैं? इस बात को महज इस तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि न्यायिक प्रणाली ही ऐसी है इसीलिए विलम्ब होता है, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री, जिन्होंने कल वक्तव्य दिया, की कानून के ज्ञाता के रूप में बहुत आदर करता हूं। क्योंकि वे एनरॉन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भी सलाह दे रहे हैं, महोदय, किंतु विगत चार वर्षों से ..(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** ये सभी बातें, हस्तक्षेप और (व्यवधान) कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किये जायेंगे। कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री आर. प्रभु :** उन्होंने बड़े पांडित्यपूर्ण ढंग से कहा कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी से कुछ व्यक्तिगत बातचीत की यद्यपि मैं यह अवश्य कहूँगा कि व्यक्तिगत बातचीत को उजागर करना शिष्टाचार के विरूद्ध है।

किंतु विगत चार वर्षों से हम इस बात को इस माननीय सभा में उठा रहे हैं, मैंने कई जैन आयोग की कार्यवाही तथा वर्मा आयोग के बारे में विलम्ब किए जाने और कोई कार्यवाही न किए जाने, जिसके बारे में न्यायमूर्ति वर्मा ने भी कहा है, के बारे में कई बार मामले उठाये, मैंने कभी भी इस माननीय सभा या कहीं और स्वयं कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैं इस माननीय सदन को केवल वह बात बता रहा था जो न्यायमूर्ति 'जैन और न्यायमूर्ति' जैन ने कहीं है। विगत चार वर्षों से हमारे मित्र क्या कर रहे थे जबकि वे दो साल तक मंत्री भी नहीं थे? वे क्या कर रहे थे? क्या वे इस माननीय सदन में नहीं आ सकते थे? क्या वे प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते थे? मैं अगस्त, 1993 से प्रधानमंत्री से पत्राचार कर रहा हूँ, इस मामले पर मैंने कई पत्र लिखे है, यदि आप अनुमति दे तो मैं उन पत्रों को सभा पटल पर रखना चाहता हूँ, महोदय, मैंने आपका उत्तर नहीं सुना।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। मेरी अनुमति लेने से पहले आपको मुझे यह बताना चाहिए कि आप सभा पटल पर क्या रखना चाहते हैं आपको सूचना देनी चाहिए और उन दस्तावेजों की प्रतियां देनी चाहिए और उसके बाद आप अनुमति ले सकते हैं उन दस्तावेजों की जांच किए बिना मैं तुरंत कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूं।

**श्री आर. प्रभु :** यह जैन आयोग की कार्यवाही और अन्य विभिन्न जांचों में विलम्ब के बारे में प्रधानमंत्री के साथ हुए पत्राचार से संबंधित है और कोई विषय नहीं है यही एक मात्र विषय है।

महोदय, अन्त में अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं मजबूर था यद्यपि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैंने मजबूर हो कर ही मंत्री महोदय द्वारा कल दिये वक्तव्य के बारे में इस माननीय सदन को गुमराह करने और सूचना छिपाने के लिए उनके विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विशेषाधिकार हनन के मामले पर आप अपना निर्णय जल्दी से दें, और मैं श्री अर्जुन सिंह की इस मांग का समर्थन करता हूँ कि सरकार को राजीव गांधी हत्या के मामले में लीपा-पोती और जानबूझ की गई देरी के लिए इस सभा के माध्यम से देश से माफी मांगनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मणिशंकर अय्यर, श्री अय्यर आप सामने की बैंच पर क्यों नहीं आते?

(व्यवधान)

**श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) :** मेरे विचार से यह उचित होगा कि मैं श्री कुमार मंगलम की सीट से बोलूं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कल जब श्री अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी की हत्या के मामले तथा जांच आयोगों के बारे में हुये विलम्बों के संबंध में यहां शून्यकाल के दौरान चर्चा शुरू की थी तो हमने जो देखा वह मैंने सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में पहली बार ही देखा कि इस समस्या से गंभीरता से निपटने की आवश्यकता के बारे में यह सभा एकमत थी और शून्यकाल में हमारी कार्यवाही के अप्राधिकृत भाग के दौरान स्वयं अध्यक्ष ने भी सभा की यह इच्छा व्यक्त की थी और उसे दस्तावेजों में शामिल किया जा रहा है जिसे अब परिचालित किया जा रहा है।. ..(व्यवधान) अध्यक्ष ने हमें कई दफा यह बताया है कि शून्यकाल वह काल होता है जिसमें हंगामा होता है। ....(व्यवधान)....

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** विधि-विहीन काल...(व्यवधान)

**श्री मणिशंकर अय्यर :** हां, एक विधिविहीन काल होता है। इस काल में सभा का होना महत्वपूर्ण होता है और फिर पीठासीन की राय भी इस बारे में एक खास बात होती है और इसके बाद हमने इस विषय पर चर्चा का कार्यक्रम भी बनाया। मेरा ऐसा विचार था कि शायद जो सूचना हमें उपलब्ध करायी जा रही है उसका उपलब्ध होना हमारे लिए आवश्यक है और उसके बिना पीठासीन अधिकारी का बोलना अपने आप में काफी नहीं है तथा कुछ और किये जाने की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आवश्यकता है। अतः मैं आज सभा में बड़ी आशा और अद्विग्नता लिये हुये आया था क्योंकि मेरा जो संबंध पूर्व प्रधानमंत्री के साथ था उस संबंध के बारे में मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वश्री अर्जुन सिंह तथा प्रभु द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बावजूद जब कल निर्णय ले लिया गया था तो नियम 193 के अधीन यह मुद्दा फिर क्यों उठाना पड़ा? हमने कल क्या निर्णय लिया था?

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था और मैं उसे उस वाद-विवाद सारांश से उद्धृत करता हूँ जिसे परिचालित किया जा रहा है :

"हमें अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये तथा उनको देश के कानून के मुताबिक शीघ्र दण्ड दिलवाया जाना चाहिए।"

दूसरे शब्दों में आपने मद्रास में बंद कमरे में चल रहे विचारण को प्राथमिकता दी थी। हमने उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी और उसी-प्राथमिकता तथा उसी विचारण की परिस्थितियों के मद्देनजर हमें उनका मूल्यांकन करना है जिन्हें विचार-विमर्श के लिए लिया जा रहा है। यह वही जगह है। जहां हम उन अपराधियों के खिलाफ देश के कानून के मुताबिक कार्यवाही करेंगे और उन्हें दण्ड दिलवायेंगे जो श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे।

हमने बड़ी बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिया है और मेरा विचार है कि सभा के सभी-दल इससे सहमत है कि विचारण से शीघ्रातिशीघ्र ढंग से निष्कर्ष पर पहुंचा जाये महोदय, दूसरी जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया वह है 'बंद कमरे में' बैठक किया जाना जरूरी है, मद्रास में चल रहे उस विचारण के माध्यम से तथा कथित उचित तथा शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिये। चाहे वह अन्य जांच आयोग हो अथवा चाहे वह यह सभा ही क्यों न हो।

यह हमारी पहली जिम्मेदारी है और सन् 1991 से अब तक की अवधि में पहली बार कल भारत सरकार के मंत्री ने इस सभा में मंत्री के रूप में बोलते हुए हमें विश्वास दिलाया था कि इस वर्ष के अन्त तक न केवल उस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना सुनिश्चित कराने के लिए यह सरकार एड़ी से चोटी तक का जोर लगायेगी अपितु इन जघन्य अपराधियों की दोष सिद्धि को भी सुनिश्चित करवायेगी और इस बात को हमें सर्वोच्च महत्व देना चाहिये।

इन मामलों में विगत में विलंब हुआ है अथवा नहीं उसके बारे में मेरी यही राय है कि जब श्री चिदम्बरम जिन्हें गृह मंत्रालय अथवा विधि मंत्रालय में कोई प्रभार नहीं सौंपा गया था, को इस मामले में जल्दी कार्यवाही करवाने का विरोध प्रभार लेने के लिए कहा गया तो निष्कर्ष स्वरूप विलम्ब होने को स्वीकार कर लिया गया था। अतः इस कारण हुए विलम्ब के संबंध में कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस मामले में यह नितांत अनुचित विलंब हुआ है, भविष्य में इस मामले को संभावित विलम्ब से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कार्य पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को नहीं अपितु स्वयं श्री चिदम्बरम को दे दिया गया है। मैंने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कहा क्योंकि वे सार्वजनिक रूप में हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और सुप्रसिद्ध वकील हैं तथा निजी तौर से वे श्री राजीव गांधी के निकटतम व्यक्तियों में से भी हैं। अतः हमारे पास एक सक्षम तथा योग्य व्यक्ति हैं जिसे इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कहा जा रहा है। यह कार्य उनके प्रभार में है और वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कल जो यहां वक्तव्य दिया है उसका श्री जसवंत सिंह ने समर्थन करने की कृपा की है। मैंने "कृपा" कहा कि क्योंकि सरकार के मंत्री के प्रति एक विपक्ष के सदस्य का दयालु होना कठिन होता है। मैं भी पूर्णरूप से समर्थन करता हूँ कि कल दिये गये वक्तव्य ने आशय की गंभीरता को प्रदर्शित कर दिया था जिसे हम अब देखते हैं। इस विचारण के दौरान हमें जैन आयोग की कार्यवाही के संबंध में या यहां सभा में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आयोग को परिणाम प्रस्तुत करने में परेशानी हो क्योंकि उसकी मद्रास स्थित विशेष अदालत से हमें बहुत आशा है और यह नतीजा न केवल एक निर्णय हो होना चाहिये अपितु यह इन लोगों की दोषसिद्धि दर्शाने वाला भी होना चाहिये जो इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार थे। अतः अड़चनों को जिम्मेदारी की भावना के साथ सख्ती से टाला जाना चाहिए और इन बातों के मद्देनजर रखते हुए मैं पूछता हूँ कि जो चर्चा यहां शुरू की गई है क्या उससे कोई प्रयोजन पूरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमें वर्मा आयोग तथा जैन आयोग और उनके विचारण के बीच अंतर करना है। जहां तक वर्मा आयोग का संबंध है इस पर कोई आरोप नहीं है और न ही कभी उसकी कार्यवाही के बारे में इस पर किसी विलंब का आरोप लगा है। वर्मा आयोग सन् 1991 में गठित हुआ था और 11 महीनों में ही इसने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया था और इसे सरकार के हाथों में दे दिया था। सरकार ने उस प्रतिवेदन का अध्ययन करने में छह माह लगाए और जैसी कि इस सभा की परम्परा है मंत्रिमंडल द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद वर्मा आयोग का प्रतिवेदन तथा "की गई कार्यवाही" प्रतिवेदन संयुक्त रूप से दिसंबर सन् 1992 में पेश किया गया। यदि मेरी याददाशत सही है तो संभवतः 23 दिसंबर 1992 को हमें वर्मा आयोग का प्रतिवेदन मिला था। मैं सरकार में नहीं हूँ मैं कभी भी सरकार में नहीं रहा हूँ। अतः मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि दिसंबर 1992 में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उस "की गई कार्यवाही" प्रतिवेदन के बड़े महत्वपूर्ण अंश से असहमत हूँ जिसमें उसको मुक्त किया गया है (व्यवधान)* उसे उसके उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया है जबकि वर्मा आयोग के प्रतिवेदन में उस पर स्पष्टतः आरोप लगाया है और तत्संबंधी ब्यौरा सविस्तार दिया हैं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जब मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जब मैंने यहां चिंता व्यक्त की थी और आप ने इसे कृपा कर स्वीकार किया था। आपने मुझे यहां इसे पेश करने का गौरव प्रदान किया था जिसमें मैंने ''की गई कार्यवाही'' प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर अपनी घोर असहमति व्यक्त की थी और जिसका मंत्रिमंडल को समर्थन करना चाहिए था जिसके तत्कालीन कई सदस्य आज मंत्री नहीं है। अत: ''की गई कार्यवाही'' प्रतिवेदन के संबंध में इस सरकार के निर्णय के विरूद्ध मेरा आरोप उन सदस्यों पर भी लागू होता है जो आज मंत्री नहीं है लेकिन वे यहां है। मेरा उसी सज्जन ने समर्थन किया था जो आज राजीव गांधी हत्या के मामले के प्रभारी मंत्री श्री पी. चिदम्बरम हैं और जो मेरी तरह पीछे बैठा करते थे हम दोनों ने ही इस सभा में इस बात की वकालत की जिसे वर्मा आयोग ने खासतौर से हत्या के मूल कारण के बारे में जो कहा था उसका संज्ञान किया जाए, वह मूल कारण था। सुरक्षा गार्डों का हटाया जाना तथा तत्कालीन सरकार द्वारा विकाल्पिक रूप सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहना क्योंकि उस समय की सरकार ने की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में यह कहा था कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी गई है। इस मुद्दे के संबंध में स्वयं वर्मा आयोग भी यह कहता है कि हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और स्वयं मेरे तथा श्री पी. चिदम्बरम द्वारा हुए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हमें गृह मंत्री का एक वक्तव्य उस दिन प्राप्त हो सकता था।

[हिन्दी]

**शरद यादव :** अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के नाते शामिल है। उस सारे सवाल में जो हमारी सरकार के बारे में, श्री वी.पी. सिंह जी के बारे में हैं इसमें असावधानी है, उस पर इनकी डिनेट को जरूर एक्जेस्ट कर लिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्जेट कर लिया जाए। अभी तो ये बोल रहे हैं, बाद में बोलूंगा।

[अनुवाद]

**श्री मणिशंकर अय्यर :** हमने इस बात की वकालत की थी कि कुछ पहचान तो होनी चाहिए और गृह मंत्री ने इस संबंध मे एक वक्तव्य भी दिया और वह वक्तव्य ठीक ही रहा, यदि पूर्ण रूप से ठीक नहीं रहा तो जिस चीज की हम मांग कर रहे थे उसकी कुछ हद तक संतुष्टि तो इस वक्तव्य से हो ही जाती है।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि असंतुष्टि की वह अभिव्यक्ति जो न्यायमूर्ति वर्मा ने व्यक्त की थी, उसका इस चर्चा से संविद्धागत संबंध है। इस चर्चा से इसका क्या संबंध है मैं नहीं जानता। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग का कार्य समाप्त हो चुका है। यह बहुत जल्द समाप्त कर लिया गया और इसका प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। सदन में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। कांग्रेस पक्ष की ओर से की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकार की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। अब हमें देखना है कि वह इस दिशा में क्या करते है। ''की गई कार्यवाही'' प्रतिवेदन तथा तदुपरान्त सदन में दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया कि एक व्यक्ति जिनसे यह पूछा गया था कि उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाए वह व्यक्ति श्री एम.के. नारायणन है जिनके बारे में श्री अर्जुन सिंह ने भी उल्लेख किया था।

श्री एम.के. नारायणन के साथ मेरा काफी लंबे अरसे से संबंध रहा है। मेरे अलावा राजीव गांधी के शासन से जुड़े जो भी लोग थे वह यह उस को जानते है कि वह अधिवासी प्रधानमंत्री के काम से व्यावसायिक रूप से जुड़े थे। उन्हें प्रधानमंत्री का आदर और स्नेह प्राप्त था। चूंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनका संबंध काफी घनिष्ठ था, इसीलिए परवर्ती सरकार ने सबसे पहला यह कार्य किया कि उन्हें उस संवेदनशील पद से हटा दिया। यह पद उन्हें फिर तभी प्राप्त और हुआ जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अपदस्थ हो गई और जब उन्होंने आसूचना ब्यूरों में निदेशक का पद दुबारा संभाला तो श्री एम.के. नारायणन जो वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आक्रोश व्यक्त कर रहे थे उससे भी ज्यादा आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने 20 मई, 1991 को, जब श्री पेरम्बूर में 10.20 म.प. पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, तो अभी श्री एम.के. नारायणन ने सरकार से गुजारिश करते हुए अनुरोध किया था कि श्री राजीव गांधी को यदि वैद्यानिक कारणों से विशेष सुरक्षा ग्रुप उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाए।

इस अधिकारी की चुप्पी के, बारे में न्यायमूर्ति वर्मा ने उल्लेख किया था। उनके चुप्पी के पीछे उनका अपना कारण है। वे क्या है मैं नहीं जानता। इस लगातार चुप्पी के फलस्वरूप सरकार ने उन्हें लिखित रूप में यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस लगातार चुप्पी का कारण क्या है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता की श्री एम.के. नारायणन ने यह चुप्पी क्यों बना रखी है, लेकिन जैसा कि श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि यह सरकार का प्रतीकात्मक लक्षण है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कर्त्तव्यों के प्रति वे प्रतिकात्मक है। आसूचना अधिकारी बनने के पहले वह एक पुलिस अधिकारी थे।

महोदय, मुझे यहां एक व्यक्तिगत बात याद आ रही है। प्रभारी डेस्क अधिकारी ने सुरक्षा के आधार पर भारतीय विदेश सेवा में मुझे नियुक्त होने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की प्रेरणा से एक छात्र नेता हुआ करता था। अत: सिविल सेवाओं में कई महीनों तक मुझे इसलिए तब तक अस्वीकार किया जाता रहा जब तक मैं यह सिद्ध नहीं कर दिया कि मुझमें परिपक्वता आ गई है और मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मेरी यही विचारधारा हुआ करती थी।. ...(व्यवधान)

वह उस समय डेस्क अधिकारी थे। उनका सोचना था कि आसूचना मुद्दे की देखभाल करते समय, पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। यहां, हमने उनसे कुछ कहलवाने

का प्रयत्न किया तथा सरकार इस गलती को दूर करने हेतु उन पर कुछ कार्यवाही करने पर भी सोच रही है। मैं श्री एम.के. नारायणन पर लगाये जा रहे इस आरोप को भी समझने में असफल हूँ कि उनकी यह चुप्पी क्या सरकार की एक प्रतीकात्मक पहल है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। यहां प्रतीकात्मक यही है कि जब हमने वर्मा आयोग का गठन किया और तत्काल बाद जैन आयोग का गठन किया गया तो उस समय हम यह नहीं समझ सके कि जैन आयोग तब तक अपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकती जब तक वर्मा आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध न हो। उस समय श्री प्रभु ने ही इस सभा में यह कहा था कि जैन आयोग का कार्य वर्मा आयोग के कार्य पर ही आधारित होगा। अत:, वर्मा आयोग के कारण जैन आयोग पहले डेढ़ वर्ष कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाया और यह आयोग 1993 में तभी कार्यरत हो सका जब वर्मा आयोग की रिपोर्ट सरकारी दस्तावेज हो गई। जब जैन आयोग ने अपना कार्य करना प्रारम्भ किया तब तुरंत एक सवाल उठा। प्रश्न यह था कि श्री राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे अंतराष्ट्रीय षडयंत्र यदि कोई है, का पता लगाने में कितना वक्त लगेगा तथा यह समस्यों की मामले की जांच जुलाई 1987 के बाद भी चलती रहे अथवा 29 जुलाई, 1987 से आरम्भ की जाए, 1994 के मध्य तक भी समाधान नहीं हो पाया। प्रारम्भ में इस विलम्ब का मुख्य कारण सरकारी में अंदरूनी विवाद, तदुपरान्त आयोग और सरकार के बीच विवाद, कानूनी अधिकारियों के समक्ष यह विवाद कि इस मुद्दे को कितनी देर चलाया जाए। इस मुद्दे को 1994 के मध्य में न्यायालय द्वारा समाधान किया गया। इस मुद्दे के समाधान में हमने डेढ़ वर्ष बर्बाद किया। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि यहां पर बर्बाद शब्द का प्रयोग उचित है या नहीं। मेरे विचार से हम सभी ने 29 जुलाई, 1987 की अंतिम तिथि से सहमत थे लेकिन नि:सन्देह, जब तक अंतिम तिथि को निश्चित नहीं कर लिया जाता तथा इसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता - अब श्री अर्जुन सिंह सहित हम सभी ने इसे स्वीकार कर लिया -है तब तक इस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। मैं श्री अर्जुन सिंह की इस बात से सहमत हूँ तथा श्रीमती सोनिया गांधी की इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूँ कि जून, 1994 तथा मई 1995 के बीच हम और तीव्रता से कार्य कर सकते थे, और इसीलिए मैंने, श्री प्रभु की तरह ही व्यक्तिगत तौर पर भावुक होने के कारण प्रधानमंत्री से बातचीत की तथा मैंने यह भी सुझाव दिया कि इस मुद्दे का सही रूप से देखभाल श्री चिदम्बरम द्वारा किया जा सकता है - यदि मेरे तथा प्रधानमंत्री के बीच हुए विशिष्ट संवाद को प्रकट करने की अनुमति है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह मुद्दा अब एक सक्षम अधिकारी के पास है। दूसरे शब्दों में, इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा की जानी चाहिए था। इस मुद्दे पर पहले चर्चा इसलिए नहीं हो पायी थी क्योंकि जिन महाशय ने अब इस मुद्दे को उठाया है वे उस समय मंत्रिमंडल का सदस्य थे। इसी कारण वह इसे नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए नहीं उठा पाए। इन परिस्थितियों में, मेरे समझ में यह नहीं आता कि जैन आयोग में उन सभी निलम्बित मुद्दों को उठाने का क्या लाभ है, भले ही वे सभी सत्य तथा सुस्पष्ट हों, और यह सभी बातें ऐसे समझ हुआ जब श्री अर्जुन सिंह सहित जिनका भारत सरकार में उस समय नम्बर दो की हैसियत थी, एक मंत्रियों का ग्रुप था जिसके सभापति श्री अर्जुन सिंह थे। उसी वक्त ये सभी बातें ..(व्यवधान).. मुझे दु:ख है।

**श्री अर्जुन सिंह** : आपके भाषण जारी करने के पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। अन्यथा, एक गलत धारणा पैदा हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि माननीय गृह मंत्री के अध्यक्ष थे लेकिन मंत्रियों के दल का जैन आयोग से कोई सरोकार नहीं था।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : स्पष्टीकरण देने के लिये आपको धन्यवाद।

भारत सरकार इस मामले को देख रही है और यह इससे मालूम चलता है कि 10 फरवरी, 1994 को जैन आयोग को खत्म करने हेतु एक प्रस्ताव आया था, एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि भारत सरकार ने इसको नहीं माना था। हां, यह जरूर है कि सरकार में कुछ लोगों को यह विचार बहुत अच्छा लगा था। परन्तु, सरकार ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को न माना जाए और जैन आयोग को बरकरार रखा जाए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि 10 फरवरी, 1994 का एक पत्र हमको दिया गया था, परन्तु महत्वपूर्ण यह है कि हमने संस्था को समाप्त न करने का उचित निर्णय लिया था।

इसलिये, कुछ विलम्ब जरूर हुआ है जो कि मेरे विचार में जानबूझ कर नहीं किया गया है। मेरे श्री राजीव गांधी जी से नजदीकी संबंध थे और इसलिये मैंने बार-बार उठाया कि कुछ किया जाए, मंत्रीपरिषद के लिये 1991, 1992, 1993 और 1994 में प्रभावशाली कार्यवाही करने की गुंजाइश थी।

महोदय, मैं ईमानदारीपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मैं मंत्री परिषद का सदस्य होता तो जिस दिन वर्मा आयोग की रिपोर्ट के ऊपर उत्तरोत्तर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी तो मैंने त्यागपत्र दे दिया होता, मैं इस आधार पर त्यागपत्र देता कि (व्यवधान)*... यह दोषी नहीं करार किया गया था, परन्तु, जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया था, वे सब शक्तिशाली थे.....

**श्री हरि किशोर सिंह** : आपको कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए था।

**श्री मणिशंकर अय्यर** : नहीं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग हम लोगों की अपेक्षा इसका हल ढूंढने में और भी कम अभिरूचि रखते हैं। इसलिये कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने का

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता है। यह अच्छा हुआ कि मुझको मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अगर मुझे मंत्री बना दिया जाता तो मैं कुछ करता। मुद्दा यह है कि मैं और श्री.पी. चिदम्बरम बैक बैंचर्स है और हमने सभा में इसको उठाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। एक भूतपूर्व मंत्री होने के नाते श्री चिदम्बरम की निश्छलता और निष्ठा कुछ ज्यादा है, मेरी पार्टी लोकतांत्रिक है और इसलिये, मैंने विरोध किया और सभा में अपनी बात कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक पश्चासीन इसको सभा में उठा सकता है तो सरकार में नम्बर दो व्यक्ति अथवा राज्य मंत्री, जो विश्व हिन्दु परिषद के साथ वार्तालाप में व्यक्तिगत तौर पर प्रभारी था, वह भी कर सकता था। यह लोग मंत्रिमण्डल में इसको उपयुक्त समय पर उठा सकते थे और उनको अध्यक्ष के निर्देश का इन्तजार नहीं करना चाहिए था।

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम** : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं?

**श्री मणि शंकर अय्यर** : रूकिये, कृपया मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं आज्ञा मानने ही वाला हूं...(व्यवधान)... वे लोग इन्तजार करते रहे जब तक कि अध्यक्ष ने सभा की राय व्यक्त की और नियम 193 के अधीन मामला उठाया गया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्होंने आज्ञा मान ली है और अपनी बात समाप्त कर दी है।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : मैंने सिर्फ सहमति प्रकट की है और भाषण समाप्त नहीं किया है।...(व्यवधान)...

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम्** : मैं विश्व हिन्दु परिषद के साथ की जा रही बातचीत के लिये जिम्मेदार नहीं था। यह कहना उचित नहीं होगा कि मैं इसके लिये जिम्मेदार था। दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर श्री मणि शंकर अय्यर एक पश्चासीन जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा वैसे अब वह अग्रणी हो गए हैं और मेरे स्थान पर बैठ गए हैं, के रूप में अब उठा सकते है तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं उठाया था? मैंने सरकार के समक्ष यह बात रखी थी जो कि मैं सभा में नहीं उठा सकता था और यह कहा था कि उत्तरोत्तर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट मामले मुद्दे पर प्रकाश नहीं डालती है तथा सही भी नहीं है।...(व्यवधान)*... उनकी अभिलिप्त और वर्मा आयोग की उस पर टिप्पणी।

[अनुवाद]

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक तथ्य है कि सरकार के भी इस बारे में सुदृढ़ विचार है। ऐसा नहीं है कि यह केवल पिछली दो सीटों पर बैठने वालों तक ही सीमित है।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले को समाप्त किये जाने की आवश्यकता हैं।

महोदय, यहां अनिवार्य मामला यह है कि जैन आयोग की कार्यवाही न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के साथ-साथ चल रही है और चूंकि प्राथमिकता न्यायालय में दोष-सिद्धि को दी जाती है - हमें यह बात समझनी होगी कि न्यायालय में कार्यवाही गुप्त रूप से चलती है जबकि जैन आयोग की कार्यवाही खुले रूप में चलती है। इसके परिणामस्वरूप एक निर्णय लिया गया है कि अपराधियों की दोष-सिद्धि के लिए जो दस्तावेज अनिवार्य हैं, उन पर सुनवाई के दौरान किसी अलग संगठन द्वारा अलग दर्जा देकर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि श्री चिदम्बरम ने हमें कल स्पष्ट किया था, कल एक अतिरिक्त निर्णय लिया गया है कि अगर न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन अपने लिए या सरकारी वकील की मांग पर कोई विशेष दस्तावेज देखना चाहते हैं लेकिन उसे विशेषाधिकार के आधार पर नहीं दिखाया जा रहा है, तो इस स्थिति में उस दस्तावेज को अगर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं तो 'न्यायमूर्ति जैन को दिखाया जा सकता है'।

इस प्रकार, जो भी जानकारी सामने आती है अथवा जैसी कि मांग की जाती है, उसे अब भी आयेाग से नहीं छिपाया जा रहा है हालांकि यह भी सच है कि इसे इस तरह से भी नहीं दिया जा रहा है कि आयोग से संबद्ध वकील इसे अपने ढंग से उपयुक्त प्रयोग में ला सकें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इंडिया टुडे पत्रिका देखिये।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : मैं उस पर एक मिनट बाद आऊंगा। पहले हमें यह महत्वपूर्ण मामला लेना चाहिए। सुनवाई न्यायालय और जैन आयोग की कार्य-प्रणाली में एक अंतर्निहित विरोधाभास है। यह बात स्पष्ट है कि सुनवाई-न्यायालय की कार्यवाही जैन आयोग की कार्यवाही की अपेक्षा शीघ्र निपटाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि स्वयं सभा भी यह चाहती है कि सुनवाई को प्राथमिकता दी जाये। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि उस सुनवाई को अगले 3 या 4 महीनों में अर्थात् दिसंबर, 1995 तक निपटा लिया जायेगा। मेरे विचार में इस कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उस समय के भीतर ही विशेष रूप से तमिलनाडु, सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए, जो सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, दोष-सिद्धि प्राप्त हो जनी चाहिये।...

**श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा** (रोहतक) : श्री चिदम्बरम ने कहा है कि साक्ष्य वर्ष की समाप्ति तक पूरे कर लिये जायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : चिदम्बरम जी स्वयं यहां पर उपस्थित हैं। हमें क्यों...

(व्यवधान)

**श्री मणिशंकर अय्यर** : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने और उनके पूरा होने पर हम उसके पश्चात् शीघ्र ही दोष-सिद्ध करने की स्थिति में होंगे। अत: मुझे नहीं लगता कि साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण में और जो निर्णय दिया जायेगा, उसमें कोई बड़ा अंतर होगा।...(व्यवधान)... इसके पश्चात्, सुनवाई न्यायालय की प्रक्रियाओं

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में जो कठिनाइयां आती हैं, वे जैन आयोग की कार्यवाही में नहीं आयेंगी और इससे हमें जैन आयोग के कार्य में शीघ्रता लाई जा सकेगी, जो अति महत्वपूर्ण बात है। मुझे आशा है कि जैन आयोग से हमें एक संतोषजनक निर्णय प्राप्त होगा और जैन आयोग के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा जो कार्यवाही की जायेगी, वह वर्मा आयोग की के निष्कर्षों के फलस्वरूप की गई कार्यवाही के मुकाबले अधिक संतोषजनक होगी।

वर्मा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पुन: इस बात पर खेद प्रकट करना चाहूँगा कि वे यह बात समझ लें कि यह सुनिश्चित है कि अगर 30 जनवरी, 1990 को मनमाने ढंग से श्री राजीव गांधी से एस. पी. जी. सुरक्षा वापिस लेने का निर्णय न लिया गया होता या फिर तत्कालीन भारत सरकार को विपक्ष के नेता के सुरक्षा सलाहकार, श्री पी. चिम्दबरम द्वारा संबोधित पत्र का सिर्फ जवाब ही दिया गया होता तो श्री राजीव गांधी की हत्या कभी न हुई होती... श्री राजीव गांधी के जीवन के प्रति यह सरकार का पूर्णत: गैर जिम्मेदाराना रवैया था*

दूसरा चन्द्रशेखर सरकार की ओर से है इन कार्यों के लिए जिनके प्रभारी मंत्री* के अलावा और कोई नहीं थे... जिसका उल्लेख श्री अर्जुन सिंह द्वारा किया है।

महोदय, निष्कर्ष में सदन में इस बात पर विशेष जोर देना चाहूँगा कि जहां श्री चन्द्रशेखर सभा में यह कहा है कि जो कुछ भी हुआ वे प्रधानमंत्री की तरह जिम्मेदारियों को छोड़ते नहीं हैं लेकिन* . . . अथवा दल के किसी अन्य सदस्य के द्वारा इसी तरह के कोई विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं इसलिए भारत सरकार का यह और भी बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि वह मूल गलत निर्णय के लिए आरोप लगाए* और स्वयं पूछे कि इन मामलों के प्रभारी मंत्री ने 21 मार्च 1991* को आगे जांच क्यों नहीं की ताकि यह पता चल सकता कि इस षडयंत्र में उनकी क्या भूमिका थी। मुझे जैन आयोग पर विश्वास है कि वह इस मामले के संबंध में कार्यवाही करे तथा. . . (व्यवधान) . . .

**श्री श्रीकान्त जेना (कटक) :** मेरा एक व्यवस्था के प्रश्न हैं। महोदय।

**अध्यक्ष महोदय :** जी हां।

**श्री श्रीकान्त जेना :** क्या कोई सदस्य तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्यवाही* में यह आरोप लगाते हुए मुद्दा उठा सकता है कि वर्मा आयोग की रिपोर्ट में* और उनकी सरकार पर आरोप लगाया गया है और इसलिए वर्तमान सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। उनके और भी चिदम्बरम के विचार भी एक जैसे ही लगते है। वे उस समय सभा में एक सदस्य थे लेकिन अब वह एक मंत्री है। सदस्य ने कहा था कि यदि वे उस समय मंत्रीमंडल में होते तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया होता जबकि मंत्रीमंडल में की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को पारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चिदम्बरम की भी यही राय है। वे अब जैन आयोग कार्यवाही तथा राजीव गांधी हत्याकांड प्रभारी मंत्री हैं और वे उस सरकार में थे जिसने की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया था. ..(व्यवधान)... मैं नहीं जानता, जब श्री अय्यर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो श्री चिदम्बरम अपना सिर हिला रहे थे। इसका अर्थ यह है कि वे श्री अय्यर के विचारों को स्वीकार करते थे।

जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि* यहां नहीं है इसलिए वह सभा के सदस्य होते हुए भी अपने आपको बचा नहीं सकते। पहला प्रश्न यह है कि...(व्यवधान)... क्योंकि कांग्रेस दल के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया है और यह श्री चिदम्बरम द्वारा स्वीकार किया गया है जो कि प्रभारी मंत्री है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे सरकार को निर्देश दें और प्रधानमंत्री से अनुरोध करें कि वे सभा में उपस्थित रहें क्योंकि केवल प्रधानमंत्री ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में . . .* आरोप क्यों नहीं लगाया गया था। यह ह* उस समय के सरकार के मुख्य सचिव

(व्यवधान)

**श्री मणि शंकर अय्यर :** वे उस निर्णय में भी सहयोगी थे।

**श्री श्रीकान्त जेना :** श्री चिदम्बरम ने उस समय का पत्र पढ़ा। . . . (व्यवधान) . . .

**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि उन लोगों के नामों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा जो कि सभा में अपने आपको बचा नहीं सकते हैं और उनके पद बने रहेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यहां तक कि वे यह बात सहयोगी भी लागू है।

**अध्यक्ष महोदय :** सहयोगी कोई पद नहीं है।

**श्री श्रीकान्त जेना :** मुद्दा यह है कि वर्मा आयोग की रिपोर्ट के मुद्दे पर सभा में भी चर्चा की गयी थी। तब उनको चेतावनी भी दी गई थी और उस समय कार्यवाही से कुछ हवालों को भी निकाल दिया गया था। इसके बावजूद भी वे बार-बार यह दोहरा रहे हैं ताकि असली अपराधी पर परदा डाल सकें।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री श्रीकान्त जेना :** उनका नाम लेकर...* वे अपराधी को छिपाने की कोशिश कर रहे है। वे पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब, यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, अब पूरी दिशा ही बदल गई है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसका कारण यह है क्योंकि वे कह रहे हैं कि वर्मा समिति की टिप्पणी का एक भाग बहुत अच्छा था अर्थात श्री वी.पी. सिंह का अभियोग अच्छा था तथ्यों को छिपाने के बारे में वर्मा आयोग की टिप्पणी अच्छी नहीं थी। आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। महोदय, हमें यहां से कहां जाना चाहिए? हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वास्तव में इस वाद-विवाद से कोई दिशा-निर्देश दे सकते हैं ताकि देश के हित में इसे जल्दी किया जाए या आपने जो टिप्पणी की है उसकी प्राप्ति हो सके। महोदय क्या इस चर्चा का यह उद्देश्य था। ...(व्यवधान)..

**श्री श्रीकान्त जेना** : श्री चिदम्बरम को इसी समय त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जेना जी यह क्या हो रहा है? यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया हमें इसे समझने दीजिए। व्यवस्था के प्रश्न के रूप में एक साधारण सी बात जो ऊचाई जानी चाहिए थी वह यह है। क्या उन लोगों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है जो अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं? यह मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि आप उस पर लंबा भाषण देते हैं और इसे व्यापक बनाते हैं तो इससे मुझे भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अत: यह यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। दोषियों में साजिश करने वाले भी शामिल होते हैं।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आज के बहस की धूरी राजीव गांधी जी की हत्या के संबंध में है। अर्जुन सिंह ने यहां कई सवाल उठाये। राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले अपराधियों को अभी तक सजा नहीं मिल पायी है। यकीनन और सच्चाई के साथ मैं यह मानता हूँ कि इस मामले में विलम्ब हुआ। राजीव जी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। देश के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे प्यार और मोहब्बत करता था। इतने बड़े आदमी के मौत के सवाल को सुलझाने में बिलम्ब हुआ है। आज के बहस की धूरी भी यही है। मेरी ऐसी मान्यता है इसमें विलम्ब हुआ है। सरकार इस सवाल पर न्याय इसलिये नहीं कर पा रही है क्योंकि यह राजनीति में फंसा मामला है। इसमें कांग्रेस पार्टी का आंतरिक दाव-पेच भी लगा हुआ है। इतनी बड़ी हत्या के सवाल पर अपराधियो को पकड़ने में विलम्ब किया गया। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको कवर-अप किया गया है।

8.44 म.प.

**श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए**

हिन्दुस्तान बड़ा लाचार और बेबस मुल्क है। राजीव जी की हत्या को लेकर पूरे देश में व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जब अमेठी के मैदान में खड़े होकर बोलती है तो बहस भूकम्प के समान हो जाती है। सदन के अन्दर और बाहर चारों तरफ और ऊपर जो साथी बैठे हुए है, उनमें इसको लेकर चर्चा जोरो से हो जाती है। 90 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि यहां बैठे हुए है। यह विषय आज के एजेन्डा में 5 वें पन्ने पर है। जब से सोनिया गांधी अमेठी में इस बारे में बोली है, हिन्दुस्तान में भूकम्प जैसे सवाल फैल गया और बहस में आ गया।

बड़े आदमी के साथ-साथ गरीब लोगों की भी कभी-कभी चर्चा होनी चाहिये।

जसवंत सिंह जी और सोमनाथ जी ने जो बात कही कि इस चर्चा के साथ और कौन-कौन सी हत्या है जिनमें ढिले हो गया। नागरवाला भी इसी तरह मार गया था लेकिन आज तक उसके अपराधियों का पता नहीं चला। नागरवाला की हत्या हुई थी। फिर चाहे मलियाना के दंगे हो या भागलपुर के दंगे हो, 1984 में उन दंगों के बीच हम दिन भर खड़े रहें। बहुत लोग उस दिन त्रासदी के शिकार हुए। हम अपनी आंखें से देख रहे थे।

8.46 म.प.

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

लोग जलते हुए मरते रहे। मैंने खुद 10-12 लोगों को तेल डालकर जलाते हुए देखा। टायर गले में डालकर जलाते हुए देखा। हिन्दुस्तान के संविधान में ताजीराते हिन्द की दफा 302 सबके लिए बराबर है। कभी-कभी भावनाएं जुड़ जाती है तो जरूर सतर्कता भी बढ़ जाती है। वह स्वाभाविक है, मैं उसको अस्वाभाविक नहीं मानता। राजीव जी की मृत्यु को मैं अस्वाभाविक मानता हूँ। उनके साथ हमारे जितने मतभेद थे लेकिन मतभेद नहीं था, निश्चित ही उनकी हत्या से हमें ज्यादा दुख हुआ। लेकिन देश में कानून सबके लिए बराबर है। 1984 के दंगों में लोग मकानों में बंद करके जला दिये गए, हमारे पड़ोस में आदमी को जला दिया गया। मणि शंकर अय्यर जी वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट कैबिनेट में आई, उसकी चर्चा कर रहे थे। मैं उसके बारे में भी कुछ कहूँगा लेकिन सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े आदमी है। एक के बारे में पायलट जी ने ठीक कहा। कल वह बोल रहे थे तो दिल से बोल रहे थे। वह रिपोर्ट रखने वाले होंगे। इसमें जरूर कोई न कोई डांट पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने इसको नहीं रखा।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) :** अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कृपया आपको याद होगा कि कल भाषण के बाद आपने विनिर्णय दिया था कि इस पर की जाने वाली कार्यवाई शीघ्र की जानी चाहिए। अत: मैंने इसे एक विनिर्णय माना और अध्यक्ष महोदय चाहते है कि कार्यवाई शीघ्र की जाए। अभी एहतियात के तौर पर मैं सभी ब्यौरे अपने साथ लाया हूं। अध्यक्ष महोदय जब भी मुझे अनुमति देंगे मैं वह सब जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा, आपको दूंगा जो भी आप चाहते है।...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि आप इसे अभी सभा पटल पर रख दें।

**श्री राजेश पायलट :** मैं सभी जानकारी अपने साथ लाया हूं। मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। . . . (व्यवधान) . . .

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव :** मैं यही कह रहा था कि कल यह दिल से बोल रहे थे, ऐसा मैंने महसूस किया। आज जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा घबराये हुए लग रहे है। अब इनके दिल की बात हम कैसे समझ जाएंगे। लेकिन मैं इनको जानता हूं कि कल ये दिल से बोले थे और आज थोड़ा हिले हुए है। अध्यक्ष जी, हाथी के पांव में सबका पांव है। राजीव जी की हत्या क्रूरता से की गई। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में चाहे मलियाना या भागलपुर के दंगे हो या 1984 के दंगे हो और उन दंगों में जिनमें हमारे सामने लोग तेल डालकर मारे गये है, गले में टायर डालकर मारे गये है, 3000 लोगों की हत्या की गई। हत्या ऐसे नहीं की गयी। जैसे तन्दूर कांड है जिसमें हत्या करने के बाद लाश तन्दूर में जलाई गई। लोग खड़े-2 जला दिए गए। डीजल, पैट्रोल डालकर 3 हजार लोगों को जला दिया गया और एक आदमी हमने नहीं पकड़ा। कई नर हत्याओं में से एक आदमी नहीं पकड़ा और जब हम एक आदमी नहीं पकड़ सकते तो क्या उम्मीद कर सकते है। मामूली आदमी के इलाज के बारे में हम असावधान होते है। मुझे याद है जब मैं विश्वविद्यालय में था तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की हृदय गति रूक जाने से मृत्यु हो गयी थी। अखबारों के जरिये पढ़ा कि वे घण्टी बजाते रहे लेकिन डाक्टर नहीं आ पाया। जब हम गरीब आदमी के इलाज में अस्पताल में अपनी आदत बना लेते हैं कि यह इंसान गरीब है, इसके साथ नजर अलग रखनी है तो फिर नजर के संस्कार हो जाते हैं, मन के संस्कार हो जाते हैं और वे संस्कार इतने व्यापक हो जाते है कि राजीव गांधी की हत्या भी हो जाए तो भी हमारी पकड़ में नहीं आते है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोनिया जी ने जब अमेठी में इस सवाल को उठा दिया तो इस सदन में यह सवाल तेजी से उठा। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए, इस मामले में इतने संवेदनशील है कि राज्य सभा में तो लोग रो दिए। मैं मानता हूं कि दु:ख है, तकलीफ है, हर आदमी को तकलीफ है, जिसने सुना है उसको तकलीफ है और यह बात भी पक्की है कि हमारा देश रोने में पक्का है। आदमी जब मर जाता है तो लोग घर बैठे रोते है। गांव को, देहात को, देश को पूरी तरह से जानने वाला जानता है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो लोग रोते रहते है और जैसे ही कोई बाहर का मेहमान पहुंचता है तो पूरा घर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, यानी सारे लोग रोने लग जाते है। रोने की हमारे में अद्भुत क्षमता है। हम चाहे जब हंस सकते है और चाहे जब रो सकते है। कल बहुत से लोग रो रहे थे।

**अध्यक्ष महोदय :** आपकी दूसरी बात सही नहीं है। चाहे जब हंस सकते हैं, यह बात शायद सही नहीं है।

**श्री शरद यादव :** यह बात ठीक है। आपने ठीक बात मुझे समझाई। रोने में इस देश का कोई मुकाबला नहीं है, एक्सपर्ट है। हर बात में रोना अपने को बहुत आता है। इसमें हम आगे है, क्योंकि हमारा देश उदास है, लाचार है, बेबस है, गरीब है। इसीलिए सबसे ज्यादा गम के, दु:ख के गाने चलते है।...(व्यवधान) पहले तो हमने सिनेमा देखा है।

अध्यक्ष जी, एक जबर्दस्त किस्सा है। जब चीन से हम हार गए तो अपने देश में हारने के बाद एक गाना गया गया - ''ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी''। यह अंत की लाइन तो ठीक है। उस समय मैं 13-14 साल का था और मेरे पिताजी कांग्रेसी थे। वे रेडियो सुन रहे थे, सुन कर वे धार-धार रोने लगे। मैं भी धार-धार रोने लगा। मुझे दूसरे दिन पता लगा कि स्वर्गीय जवाहर लालजी भी धार-धार रो रहे थे, ए, मेरे देश के लोगों, रो लो, इसलिए कि हम पिट गए, बहुत पिटे, बहुत ठुके। रोने में हम एक्सपर्ट है।

अध्यक्ष जी, मैं लखनऊ में था। मेरी बदकिस्मती है कि जब सोनिया जी वहां गई थी तो मैं भी वहां था। मेरा भी कार्यक्रम था, लेकिन उनके कार्यक्रम के सामने मेरा कार्यक्रम कहां। कहां राजा भोज और कहां शरद यादव। मैं भी फंस गया। अध्यक्ष जी, मैंने वहां कमाल देखा, अजब हाल था। सोनियाजी का आदर मैं भी करता हूं, राजीव जी का आदर भी करता हूं, जवाहर लालजी की कुर्बानी को भी याद करता हूं। लेकिन देखा कि चापलूसी, गुलामी की हद पार हो गई है। मैंने फोटो देखा, जितेन्द्र जी और तिवारी जी सटे खड़े है। इतने लड़ गए फिर भी सटे खड़े है, यह सोचकर कि सोनिया जी हमारी तरफ ही देख ले तो इस देखने का ही पूरे देश में छपेगा। तिवारी जी के माला पड़ गई तो इसी पर पूरे देश में एडिटोरियल लिखा जा रहा है। अब अंदर के लोगों की बात छोड़ दीजिये। देश में जो सड़कों पर लोग बैठे है, उनमें हमसे ज्यादा दहशत है।

कल अर्जुन सिंह जी ने एक इशारा कर दिया था कि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आये तो ज्यादा अच्छा है। 10 सैकेंड के लिये तो

ऐसा लगा कि जैसे सब शांत हो गया और मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। लेकिन इधर भी दहशत थी। लोग 10 सैकेंड के लिए सन्न रह गए, एकदम जैसे कोई मौत की शांति छा जाती है, ऐसी दहशत हो गयी। मैंने देखते ही कहा कि क्या हो गया, काठ मार गया या लकवा मार गया, आप लोग बोलते क्यों नहीं।

अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर राजीव जी की मौत के कारणों की जांच में विलम्ब हुआ है और विलम्ब इसलिए हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें दांव-पेच किए। अब चिदम्बरम जी आये है। इनका चित्त इस मामले में बहुत साफ है और काबिल आदमी भी है। मैं सोचता हूं कि इनके रिश्ते राजीव जी से बहुत औनैस्ट रहे है। जबसे ये आये है, जांच के काम में तेजी आई होगी। मैं अपील करता हूं कि इस काम में और तेजी लानी चाहिए क्योंकि वे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या बहुत बड़ी बात है।

यहां सरकार के जितने मंत्री बैठे है, वे बहुत थके लगते हैं क्योंकि अब 9 बजने वाले है। मैं उनसे और सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बाकी लोगों की हत्या के मामले हैं, उनमें भी तत्परता से काम होना चाहिए। इंसान चाहे कोई हो, किसी तरह का हो, उन सबकी मौत के प्रति संवेदना में 19-20 का फर्क तो हो सकता है, जैसे उंगलियों में फर्क होता है लेकिन याद रखिये कि हमारी उंगलियां गैर-बराबर नहीं है और वे सभी एक-दूसरे का साथ देती है। उसी तरह से राजीव जी के लिये सबसे बड़ी उंगली हो जाये तो चलेगा लेकिन बाकी उंगलियां इतनी छोटी न हो जाए कि हाथ काम करना ही बंद कर दें। इसलिए ऐसा काम कीजिये कि जो बाकी जघन्य अपराध है, उनके बारे में जो आपने विलम्ब किया है, पूरे देश भर में 1984 के दंगों के बारे में, चाहे वे मलियाना के हो, भागलपुर के हो, किसी हत्यारे को आपने आज तक सजा नहीं कराई। यह मामूली बात नहीं है। चाहे भूतपूर्व भारतीय जनसंघ के नेता की हत्या का मामला हो, जिनका अभी नाम लिया गया। आपने किसी का पता नहीं लगाया। आपके पता न लगाने की आदत के चलते ही इस मामले में भी विलंब हो गया।

आज मणि शंकर अय्यर जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक सवाल राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और वी.पी. सिंह जी के बारे में उठाया। उन्होंने ए.टी.आर. का सवाल उठाया। जो कुछ वे मानते हैं, उनका गुस्सा जायज था। ए.टी.आर. पर वर्मा कमीशन ने हमारी सरकार और वी.पी. सिंह जी के बारे में कहा, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहता हूं कि चाहे किसी की हत्या का मामला हो, हम हो या हमारी पार्टी का कोई आदमी हो, इतना मैं जरूर कहूंगा कि हम लोगों के जमाने में उनकी सुरक्षा की बाबत जिम्मेदारी निभाने का काम चिदम्बरम जी को मिला हुआ था और एस. पी.जी. कवर-अप हटाने के लिए राजीव जी की सरकार ने ही रिकमेंड किया था। वह कानून उनके जमाने में नहीं था। यदि इस पर हम बहस को लंबा ले जायेंगे तो मैंने आपकी बात को कह दिया कि उस बहस को ले लेना चाहिए क्योंकि कोई गुनहगार बचने न पाये। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से और वी.पी. सिंह जी की तरफ से उनकी जान-माल की जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा की गई, इस पर बहुत आ चुकी है।

9.00 म.प.

और उसमें यदि कोई कमी है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ए.टी.आर. को लागू करिए। उसमें जो-जो है, उसे लागू करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं। आप फिर ए.टी.आर. के ऊपर प्रस्ताव पास करवाइए। यदि हम लोगों में से कोई अपराधी है, तो निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और यदि आप में से कोई दोषी है, तो उसे भी सजा मिले नहीं रहना चाहिए।

आपकी तो आदत है, किसी भी बात को किसी भी चीज को टालने की। अभी बोफोर्स के नाम आने वाले है। सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसको मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। हमारा कहना तो यह है कि वे जिस चीज को अपने हाथ में रखते है, उसका सफाया हो जाता है। काश्मीर हाथ में रखा चरार-ए-शरीफ साफ हो गया और रेल हाथ में आई तो फिरोजाबाद में यात्रियों का सफाया हो गया। हर चीज में टालो, झंझट मत करो, यह नीति अपनाने के कारण आज आप यहां पहुंच गए है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है और हम उनका पता भी नहीं लगा पाते हैं और वे लोग पता नहीं लगा पाते है, जो उस समय उनके काफी नजदीक रहे, जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं था, जिनका कोई राजनीति जीवन नहीं था, जिनकी कोई इज्जत, मान-मर्यादा नहीं थी, फिर भी उनको उनकी वजह से उनके जमाने में बहुत बड़े-बड़े ओहदे मिले। वे लोग भी आज बैठे है और उनके हत्यारों का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए है। आज भी आप लोग दांव-पेंच कर रहे हैं। हमारे समय के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप अभी भी दांव-पेंच चला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बदनीयति से नहीं, बल्कि सम्पूर्ण चेतना के साथ खंडन करता हूं कि हमारे समय में राजीव जी की सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई। चूंकि मुझे मालूम है, इसलिए मैं यह बात कहता हूं। श्री कमलापति त्रिपाठी जी से लेकर मैं सब बातों को जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मणि शंकर अय्यर जी आज आप थोड़ा ठीक बोले। आज तो सभी लोग बड़ा संतुलित बोल रहे थे। आज तो इतना संतुलित बोल रहे थे कि जैसे तलवार की धार पर चल रहे हों। यानी की कोई खटपट नहीं। क्योंकि आने वाले कल मान लो जो देश खानदान है, वह कहीं फिर से राजनीति में नहीं आ जाए। इसलिए आज तो आप सभी बहुत संतुलित बोल रहे थे। देश खानदान इसलिए कहा, क्योंकि हमारे देश में तो अब, देश खानदान, प्रदेश खानदान और जिला खानदान, ये चलने लगा है। हमारे यहां भी यह फैल रहा है। तो

अध्यक्ष जी, जो लोगों को खतरा लगा हुआ है। इसलिए आज जो लोग बोले वे बहुत संतुलित बोले, लेकिन उसमें जिनको लगा किस को गाली दे सकते हैं, वह देखा और अब ये किसी को गाली नहीं दे सकते, इसलिए संतुलित बोलें। मणि शंकर अय्यर जी का तो दोनों तरफ काम ठीक चल रहा है इसलिए वे किसी को कुछ नहीं बोले, लेकिन जब इनको लगा कि इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इन्होंने हमें धक्का मार दिया। राष्ट्रीय मोर्चे को, आज इन्होंने वी.पी. सिंह जी, जैसे स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले व्यक्ति को धक्का मार दिया।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : धक्का तो आपके बगल वाले मारेंगे। उनका ही यह नारा है "एक धक्का और दो"।

**श्री शरद यादव** : जब वे देंगे, तब देख लेंगे। लेकिन आज तो आप धक्का मार रहे थे, इसलिए कि आपको आजू-बाजू कोई धक्का नहीं मिला। इसलिए आपने इधर मार दिया।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : माफ कीजिए, मैंने आपको धक्का नहीं मारा है मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि यह ...(व्यवधान)* ने पाप किया है और चूंकि वे यहां माफी मांगने के लिये नहीं है, इसलिये उनकी जानिब से आप माफी मांगिये।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : उन्होंने क्या पाप किया है, क्यों माफी मांगे? उस समय कानून बना था। उसके अनुसार काम किया है।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : यह पाप किया है जो एस.पी.जी. को हटाया है। उसकी वजह से आज राजीव जी हमारे बीच नहीं हैं। वही बुनियादी कारण है। . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : *

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। यह अति आपत्तिजनक है। आपको वह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकांत जेना** : आपके निर्देशों के बावजूद वह इस तरह का आचरण कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। आपको इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

**श्री श्रीकान्त जेना** : कौन? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभा के संचालक नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप हद से बाहर होते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री श्रीकान्त जेना** : अध्यक्ष जी, (व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अपनी राय संसदीय भाषा में व्यक्त करनी चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : मुझे अधिकार है . . . (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले को उचित कार्यवाही हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदय, ठीक है, आप सौंप सकते है। आप अभी सौंप दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कह दिया है कि यह विशेषाधिकार समिति को सुपर्द कर दिया जाएगा और समिति ही कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदय, ठीक है। आप भेज दीजिए, . . . (व्यवधान) . . .

**अध्यक्ष महोदय** : यह अच्छा नहीं है कि हमेशा नियमों का उल्लंघन किया जाए, अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा। आप भी . . (व्यवधान) . . .

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन टिप्पणियों को विशेषाधिकार समिति से वापस नहीं लेने वाला हूं। मैं इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूं।

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदय, आप कृपया भेज दीजिए, मैं, भी यही चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भेज रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : मैं भी यही चाहता हूं। जिस प्रकार से वह आरम्भ से ही आचरण कर रहे है आप उसके साक्षी है। आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा। ...(व्यवधान).. आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा, वह यहां जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। . ... (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ अधिक ही हो गया है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, सभा में उनका इस प्रकार का व्यवहार भी कोई उचित नहीं है, ...(व्यवधान)... मैं कार्यवाही के लिये तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भेज रहा हूँ। आप ऐसा ही चाहते हैं। मैं भेज रहा हूँ और उनसे निर्णय देने के लिये कहूँगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। . . . (व्यवधान)*

मैं संसद में विगत . . . (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप कानून से बाहर नहीं है। आप नियम से ऊपर नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : नियम से ऊपर कौन है?

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं है और आप को यह समझना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें विशेषाधिकार समिति के पास जायेंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव, यदि आप चाहें, तो अब बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था और किसी भी सदस्य के लिए यह ठीक नहीं है कि वह उस भाषा का प्रयोग करें। जिसका प्रयोग सभा में नहीं किया जाना चाहिए। यह संसद है। यह बात समझनी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने जो कुछ कहा हैं उसमें आपत्तिजनक क्या है? मैंने केवल उनका जिक्र् किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : *

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति को करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको जानने की जरूरत नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमें जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट से कहा है जबकि* सदन में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उसको रिकार्ड से निकाल देंगे। आप ही बार-बार उनका नाम ला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ने अन्य लोगों के विरूद्ध कई बातें कह दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उन्होंने कहा है कि* ने पाप किया है . . . . (व्यवधान) . . . जबकि *. . . ऐसा काण्ड नहीं कर सकते थे। ...(व्यवधान)... सदन नियम से चलता है। . . . (व्यवधान) . . . आसन सर्वोच्च है। आप हम लोगों की भावना का अनादर नहीं कर सकते। . . . (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : इसलिए रिकार्ड से निकाल दिया है। आप लोग ही बार-बार उनका नाम रिकार्ड पर ला रहे है। . . .

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इसका बुरा नहीं मानता। यदि मैं गलती पर हूँ तो मैं संसद से त्याग पत्र दे दूंगा। उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं संसद से त्याग पत्र दे सकता हूँ ... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम कहते है कि मणि शंकर अय्यर जी को यह छूट है कि जानबूझकर जो सदन में कहना चाहते थे। . . . (व्यवधान) . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह न सोचे कि यह सभा किसी सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। यदि हम किसी सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करते है तो इसका कारण यह है कि हम यहां मित्रता बनाये रखना चाहते है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : ऐसा कोई प्रीसीडेंट है कि जो सदस्य यहां नहीं हैं, उनके बारे में कुछ कहा जाये?

अध्यक्ष महोदय : वह हम देखेंगे।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि** यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, उसको रिकार्ड से निकाल दिया है। आपकी तरफ से ही वह नाम बार-बार रिकार्ड में आ रहा है। ... (व्यवधान)... उनका नाम जहां भी है, उसको रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया इसको दोहराएं नहीं। मैंने कहा था कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जायेगा।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मणि शंकर जी ने जो कहा, वह बहुत गंभीरता के साथ कहा है। आप उसे रिकार्ड से निकाल दीजिये। लेकिन जो लोग साफ और सच्चे होते है और हम जानते है कि वी.पी. सिंह जी वैसे ही हैं। हमें उनकी सच्चाई पर भी यकीन है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया है। इसलिए हम कहते है कि हमने जो सुझाव दिया है, इस बात पर आपको बहस करानी चाहिए क्योंकि इस पर हमको बहुत कुछ कहना है। जिस दिन बहस आने वाली थी, उस दिन वह राज्यसभा में हो गयी इसलिए हमने इस पर कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष जी, लोगों ने थोड़ी बहुत उत्तेजना में जो कहा है-माथा खराब होना, दिमाग खराब होना, खोपड़ी खराब होना, आगरा पहुंचा दिया जायेगा, दिमागी संतुलन खो दिया-इस तरह से ये शब्द होते है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीकांत जेना जी ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है, उसका कारण यह है कि वी.पी. सिंह जी हमारे पार्टी के नेता है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसी उनकी भावना है, वैसी हमारी भी भावनायें है। जिस तरह से, औथेंटिक तरीके से कहा कि राजीव जी की हत्या हमारी सरकार की नेगलीजेंस से हुई है। यह कोई मामूली आरोप नहीं है।

अपने रिकार्ड से निकाल दिया, वह ठीक है।

**अध्यक्ष महोदय :** जो चीज नहीं जा सकती, उसे निकाल देंगे।

**श्री शरद यादव :** लेकिन जब एक बात इतने लोग सुन लेते हैं तो वह बात गंभीर तो है ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगले सत्र में इस बात पर भी बहस होनी चाहिए, हमारा प्वाइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। आज सत्र का अन्तिम दिन है, आपको अमरीका भी जाना है। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपसे बाद में चैम्बर में बात करूंगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम यहां से अच्छा ट्रीट करते है तो एक्शन नहीं लिया जा सकता, यह नहीं समझना चाहिए।

[अनुवाद]

हमारी कार्यवाही में रूचि नहीं है। हमारी तो मित्रता में रूचि है।

[हिन्दी]

जब नहीं करना है तो हम ऐपोलोजाइस भी करते है। इसका मतलब यह हो जाए कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

लेकिन मैं आप से बाद में बात करूंगा।

[अनुवाद]

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) :** अध्यक्ष महोदय, हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की विधवा के दुःख में भागीदार हैं और दो दिन पहले अमेठी में उनके भाषण के कारण आज यह सभा इस मामले पर चर्चा कर रही है। कल भी सभा में इस मामले पर चर्चा की गई थी। संभवतः, कुछ दलों को वह चर्चा पर्याप्त नहीं लगी और उसी असंतुष्टि के कारण संभवतः, आज आपने चर्चा के लिए अनुमति दे दी है।

महोदय, जिस ढंग से अब तक चर्चा हुई है और इससे जो कटुता उत्पन्न हुई है, वह उस भावना से, जिससे इसे कल शुरू किया गया था, बिल्कुल अलग है। मेरे विचार से जब आज चर्चा शुरू की गयी थी, तो इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आज की चर्चा के परिणामस्वरूप सरकार कुछ ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे भविष्य में प्रधानमंत्रियों अथवा विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुदृढ़ होगी तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जायेगी। लेकिन इस प्रकार का कोई रचनात्मक सुझाव, यहां तक कि कोई प्रश्न भी नहीं उठाया गया कि सरकार ने वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है, सिवाय इसके कि हमें यह बताया गया है - और जिसे हम जानते भी है - कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई थी। यह काम तो दिसंबर या दिसंबर, 1992 के पश्चात हो गया था। लेकिन तब से तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। क्या किया गया है? क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों ने कोई कार्यवाही की है? यह वर्मा आयोग की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश है। इसका की गई कार्यवाही रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है और मुझे आश्चर्य है कि किसी ने भी यह प्रश्न नहीं किया।

महोदय, जैन आयोग और टाडा न्यायालय, जहां अभियुक्तों पर आरोपपत्र दाखिल करके सुनवाई चल रही है, निःसंदेह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां हमें बताया गया है कि इन लोगों की, जिन पर टाडा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, दोष-सिद्धि अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज है। महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यह सच है दाण्डिक न्याय की व्यवस्था है और न्याय अवश्य किया जाना चाहिये ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है और इस मामले में अपराध की व्यापकता तथा भविष्य में इस स्तर के लोगों की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए - यह आवश्यक है कि जैन आयोग यथा संभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट को पूर्ण कर लें। इन दोनों संस्थाओं की कार्यवाही में तालमेल का अभाव नहीं होना चाहिए। हमें श्री अय्यर ने बताया है कि मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि यह टाडा न्यायालय समुचित रूप से कार्य करें और इन अपराधियों को सजा दिलवाये, जिसका दिसंबर, या इसके आसपास आश्वासन दिया गया था। महोदय, मैं इस मामले की गहराई में जाना चाहता हूँ। महोदय, जो कुछ हो रहा है, वह हमें श्री चिदम्बरम के कल के वक्तव्य में बताया गया है कि न्यायालय की बैठक 212 दिन तक

चली है और यह पहले ही 190 से 193 गवाहों से पूछताछ कर चुका है। मुझे सही-सही आंकड़ा याद नहीं है। महोदय, 100 गवाहों से पूछताछ अभी की जानी है। अत: की इस प्रक्रिया में जैसा कि अब विचार किया जा रहा है, इस वर्ष के दिसंबर से अधिक समय लगेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें समन्वय अथवा दूरदृष्टि का अभाव रहा है या फिर जानबूझकर विलंब किया गया है। आरम्भ में, वे 1000 गवाह पेश करने वाले थे लेकिन बाद में उन्हें बाद रूद्बुद्धि आई, और उन्होंने गवाहों की संख्या घटाकर लगभग 250 कर दी। इसकी जानकारी मुझे समाचार पत्रों से मिली है क्योंकि टाडा न्यायालय की कार्यवाही गुप्त चलती है और इसीलिए किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है। दरअसल इस प्रकार की चर्चा में अगर हमें कुछ सही तथ्यों, कुछ मूल तथ्यों पर चर्चा करनी है, तो सरकार को वे मूल तथ्य हमें प्रदान करने चाहिये। लेकिन सरकार इस तथ्य के बावजूद भी कि इस चर्चा की स्वीकृति निश्चित रूप से स्वयं सरकार ने ही दी थी और इसका उत्तर देने के लिए सरकार यहां मौजूद है, फिर भी इसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। लेकिन वह यह उचित नहीं समझती कि इस सभा के सदस्य - जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं - यह देखें कि टाडा न्यायालय की कार्यवाही की सही-सही वर्तमान स्थिति क्या है। मुझे बताया गया है कि टाडा न्यायालय में 700 से भी अधिक दस्तावेज पेश किये गये हैं और इन दस्तावेजों की जैन आयोग को भी आवश्यकता थी। टाडा न्यायालय ने कहा है कि हम ये दस्तावेज जैन आयोग को नहीं दे सकते क्योंकि विशेष-जांच-दल ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने इस पर आपत्ति व्यक्त की है और उनकी आपत्ति को बरकरार रखते हुए टाडा न्यायालय ने कहा है 'हमें खेद है कि हम ये 700 दस्तावेज नहीं दे सकते।' मुझे विश्वास है कि जांच आयोग टाडा न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित जैरॉक्स प्रतियों द्वारा जांच जारी रख सकते हैं। क्या उन लोगों को खोज निकालना आवश्यक नहीं है जो इस षडयंत्र में शामिल हैं? यदि इसमें कोई षडयंत्र है तो उसमें कौन शामिल हैं देश के भीतर और देश के बाहर उसकी क्या सीमा है? क्या जनता के हित में और प्रधानमंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेताओं तथा देश के अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हित में यह उतना ही महत्वपूर्ण अथवा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्हें जल्द-से-जल्द सजा दी जाए जिनमें 26 दोषी वे व्यक्ति हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य तीन व्यक्ति जिनको अभी दोषी ठहराया जाना है। दोषी ठहराए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनको तत्काल सजा दी जाए अथवा उन्हें तत्काल सजा दी जा सकती है क्योंकि इसके लिए अपील की गई है। महोदय, दुर्भाग्यवश, जो कुछ उनकी ओर से कहा गया है, उससे यह आभास होता है कि दोनों मुख्य कांग्रेस और भूतपूर्व कांग्रेस नेता आपसी लड़ाई करना चाहते हैं और उसे संसद में मंच पर लड़ना चाहते है। मेरे विचार में, जिस तरीके से वे अब तक चर्चा कर रहे हैं, यह संसदीय प्रणाली को गाली देने जैसा है। यह एक व्यक्तिगत लड़ाई है जो कि राष्ट्र के हित पर चोट पहुंचाए बिना भी लड़ी जा सकती है। उनके भाषणों तथा अप्रत्यक्ष संकेतों द्वारा अशिष्टता ही प्रतीत हो रही है। उनके भाषणों द्वारा वास्तव में प्रत्येक को यह जानना है कि कांग्रेस की राजनीति क्या है ताकि यह समझा जा सके कि किस पर आरोप लगाया जा रहा है और कौन किसको बचा रहा है तथा इसी तरह की अन्य बातें। श्री जसवंत सिंह द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं नहीं जानता कि श्री चिदम्बरम उनका उत्तर दे पायंगे कि नहीं। आयोग ने निश्चय ही यह कहा है कि किसी को बचाया जा रहा है। कोई किसी को संरक्षण प्रदान कर रहा है और यह कि जानबूझ कर देर की जा रही है और कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए, अनेक बाते हैं और कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इन प्रश्नों को छांट कर वे स्वयं उनका उत्तर दे सकते थे और तब एक ठोस हल के लिए चर्चा हो सकती थी कि भविष्य में क्या होगा। महोदय, वर्मा आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि हमने राज्य सरकार से ऐसा करने के लिए कहा है हमने इन लोगों को कहा लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब, कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्रों में देखा कि अति महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार पुलिस के लोगों को हथियारों तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल तथा अन्य ऐसी चीजों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी। साढ़े तीन वर्ष का समय हो गया हैं और अब सरकार यह करने जा रही है। इसलिए, हमें इस तरह की चर्चा से क्या मिलता है?

इस चर्चा का अर्थ कुछ नहीं है। यह चर्चा का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसमें जनता का कौन सा हित शामिल है, क्या हम कोई सबक सीखने नहीं जा रहे हैं और क्या हम अपने कार्यकारी को यह बता नहीं पा रहे हैं कि वे कौनसी कार्यवाही करें जिससे वे इस निकाय के प्रति जवाब देह हों?

हमें बहुत खेद है कि पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में ऐसा हुआ है। कुछ लोग कहते है कि ऐसा अगले प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि कुछ बातें बहुत देर से घटित होती है। खतरे की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है। यह गतिशील है। यह दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है। यह निश्चय ही माह प्रति माह बदलता रहता है। चुनाव के समय में तथा जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी खतरे की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी को खतरे का ज्ञान चुनावों से पहले सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करने से पहले ही हो गया होगा। उस समय वहां कौन था? मुझे नहीं मालूम कि वर्मा आयोग ने क्या कहा। मैंने सिफारिश देखी है जो कि कुछ-कुछ उसी रूपरेखा पर थी न कि पूर्णत: क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे तमिलनाडु पुलिस की लापरवाही तथा खामियों का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनका ऐसा कोई विचार नहीं था। उन्होंने न तो उसे तमिलनाडु सरकार की जांच ब्यूरों को भेजा और

केन्द्र सरकार के जांच ब्यूरों ने भी यह सूचना तमिलनाडु जांच ब्यूरों को सही तरीके से नहीं दी। इस तरह की बातें है। काफी समन्वय की आवश्यकता है। यह वर्मा आयोग की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि 'हम उसका इंतजाम कर रहे हैं'। लेकिन क्या समन्वय किया गया और किस तरीके से ताकि इस सभा को आश्वासन दिया जा सके कि भविष्य में ऐसे चमत्कार न हो? मेरा विचार है कि इस तरह की चर्चा से आज कुछ नहीं मिला है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि यह मामला भूतपूर्व प्रधानमंत्री का है इसलिए हमें इस पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यदि हम इस बात का पता नहीं लगाते हैं कि इसके पीछे क्या राज था तो देश की साख प्रभावित होती है। यह पहले भी हुआ है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में भी हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों के अन्य मामलों में क्या हुआ? तीन हजार लोग मरे। उन लोगों को दण्डित करने के मामले में क्या हुआ? कुछ नही हुआ। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने अयोध्या में मस्जिद गिराई? लोग मारे गए थे। लोग मरे। यदि न्याय प्रणाली का ठीक से पालन नहीं किया जाता है और यदि इन मामलों पर सभा में इस समय केवल व्यक्तिगत या जातिगत लाभों के लिए चर्चा की जाती है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें इस मूल बात पर ध्यान देना होगा। लोग यह क्यों कहते हैं कि न्यायिक विलंब अवश्यंभावी है? क्या यह अन्य देशों में अवश्यंभावी है? यदि न्यायिक प्रणाली में ही यह अवश्यंभावी नहीं है, यदि यह उन अन्य देशों में नहीं होता है जहां से हमने इसे लिया था जिनका हमने अनुकरण किया है तो यहां पर क्यों होता है? क्या किसी ने इस समस्या पर विचार किया है? केवल इस तरह की बातों के संबंध में ही विलंब के प्रश्न पर चर्चा की जाती है। साधारण आपराधिक मामलों में सात, आठ या दस वर्ष तक कार्यवाही न होने पर चर्चा क्यों नहीं होती हैं? अपील करने पर आपराधिक मामले 20 या 25 वर्ष तक चलते हैं? यह हो रहा है। किन्तु इस विशेष मामले में जब चार वर्ष बीत चुके हैं। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। मैं चिल्लाने की परवाह नहीं करता हूँ। किन्तु इस देश के लोगों के भले के लिए कोई ठोस बात होनी चाहिए। इस देश में मुकदमों में शामिल लोग न्यायालय में जाने से डरते हैं। वे नहीं समझते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा क्योंकि इतने विलम्ब से न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। यह न्याय प्रणाली की वर्तमान स्थिति है।

अतः इस मामले में यह वाद-विवाद और अधिक रचनात्मक माध्यमों से गुजारा जाना चाहिए था ताकि यह समझा जा सके कि इस देश में क्या कमी है और दोष नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार था या भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिम्मेदार था आदि।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने यह बात कह दी है।

**श्री अमल दत्त :** मैंने यह बात कह दी है लेकिन उस बात पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों को सबक नहीं मिला है। यह सुनिश्चित करना बहुत आसान है कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और उस रिपोर्ट से सबक लेना और उसे लागू करना बहुत कठिन है। मुझे आशंका है कि एक भी मामले में जिनमें न्यायिक जांच हुई है, उसमें हमें रिपोर्ट मिली हो और हमने उसे लागू किया हो... (व्यवधान)... अब आप सभा को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या यही बात है?

**अध्यक्ष महोदय :** हमने इस पर साढ़े तीन घंटे तक चर्चा की है।

**श्री अमल दत्त :** जो कुछ हो रहा है मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। सभा में आज की कटुता से मुझे वास्तव में आघात पहुंचा है और मुझे आशा है कि भविष्य में इस तरह के वाद-विवाद की अनुमति नहीं देंगे जिसमें इस तरह की व्यक्तिगत कटुता सामने आती है और जिसमें सभा को गुटों की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :** अध्यक्ष महोदय, जैन कमेटी के सामने कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से डाक्युमेंट देने है। अभी हमारे आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, डाक्युमेंट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन कमेटी के चेयरमैन श्री जैन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अभी तक आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में से केवल दस प्रतिशत दस्तावेज ही उपलब्ध करवाए गए हैं। वे भी बोल रहे है और कांग्रेस पार्टी के जो वकील हैं, वे भी बोल रहे है कि उनको डाक्युमेंटस नहीं मिल रहे है। उन्होंने इसलिए बताया कि डाक्युमेंट सरकार सामने नहीं लाना चाहती है। यह भी उन्होंने बताया कि ये डाक्युमेंट सरकार सामने नहीं लाना चाहती है। यह भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है - उनके पास वृहद तंत्र और संसाधन है। सरकार के पास सब कुछ है। यह आम आदमी के हाथ में नहीं है। श्री जैन ने कहा है। इसका मतलब यह है कि यहां हमारे मणिशंकर अय्यर जी जो बोलते है, वह सच है या हमारे कमीशन ने जो बताया है, वह सच है। मामला इतनी धीमी गति से चल रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी मारे जाते है या किसी नारी का पति मरता है, तो वह एक दम दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी की वेदना कहती है कि कितनी देरी से यह काम चल रहा है।

यह मामला अर्जुन सिंह जी ने उठाया है, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन सिंह जी ने जो यह मामला उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जिस तरह से गम्भीरता से उठाया है, उससे लगता है कि वह पोलिटिकल एंगल से उठाया गया है। क्यों? क्योंकि जब वे कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कैबिनेट मंत्री थे, वे उस समय भी इसको एक्सपिडायट कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय नहीं किया और अभी कर रहे हैं बाहर निकल कर। अभी किसी पिंजरे में खड़ा

करने के लिए उन्होंने ये बातें उठायी हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहां चिदम्बरम जी बैठे हैं, वहां आपके चीफ सैक्रेटरी श्री देशमुख जी ने भी कहा था, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो चिदम्बरम जी ने स्टेटमेंट दी थी कि

[अनुवाद]

स्पेशियल प्रोटेक्शन ग्रुप वापस लिए जाने के बाद श्री राजीव गांधी को प्रदान की गई सुरक्षा पर इसमें संतोष प्रकट किया गया था। यह संतोषजनक थी।

[हिन्दी]

इसलिए जो हमारे चिदम्बरम जी ने यहां कहा था, वह सच था या नहीं सच था, वह भी हमारे सामने आना चाहिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी मारे गए, श्री श्यामप्रसाद मुखर्जी जी भी मारे गए। लोगों के दिल में भावना है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मारे जाते है और लोगों में आशंका होती है, तो कमीशन एन्कवायरी होनी चाहिए। आज लोगों के दिल में यह भावना है और चन्द्रशेखर जी के ऊपर यह इल्जाम है, इसलिए कमीशन का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। जिस तरह से भूतपूर्व प्रधानमंत्री मारे गए और चन्द्रशेखर जी के ऊपर...(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। इसमें उनकी इमेज गलत होगी और उनकी इमेज खराब होगी। मैं यह नहीं कहता हूं, वे एक्चुअली इसमें इन्वाल्व है या नहीं है, लेकिन वह रिपोर्ट बाहर निकलनी चाहिए। 'डर्टी पोलिटीकल गेम प्लेड बाइ डरी पीपल' यह लोगों के दिल में भावना है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी मर गए थे, तब धर्मयुग मैगजीन के अन्दर उनकी पत्नी ललिता देवी शास्त्री जी का ध्यान मैंने पढ़ा था। उनकी पत्नी को उनकी लाश के नजदीक नहीं जाने दिया। लोगों के दिल में यह भावना है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, कि शायद इसके पीछे .. . . (व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :** इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर लोगों के दिल में भावना हो, तो उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए और उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए।

**श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) :** अध्यक्ष महोदय, इतना समय बीत गया है और समय लेना मुनासिब भी नहीं है। वैसे कुछ मित्रों ने कहा है, खास कर शरद जी ने, उससे हम निकालना तो चाहते थे और अमल दत्ता जी भी कह रहे हैं, कल के बाद नई बात नहीं मिल पा रही है। जिस भावना से, जिस एकात्मता से, पूरे सदन में एक मत से आपके जरिए वह निर्णय लिया था, मुझे डर है कि आज की इस बहस से या टकराव से कहीं वह हल्का न पड़ जाएं। आज तो कोई प्रस्ताव नहीं होगा, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि जो कल का प्रस्ताव है वह आज की बहस के चलते धूमिल न हो जाए। उस प्रस्ताव पर कड़ाई से अमल हो, वह प्रस्ताव एकमत से सदन का है और वह प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने सदस्यों की भावना को देख कर लाया था। वह आज की बहस की रोशनी में कहीं नीचे न पड़ जाए, पीछे न पड़ जाए। यह मेरा आग्रह खास कर आपसे और कभी सम्बद्ध लोगों से है। महोदय, दूसरा मामला यह है कि जिस तरह के वातावरण को देश में बनाया गया, मुझे खुशी हुई कि शरद जी ने जो हमारे प्रसार माध्यम के बारे में कहा कि "तिल को ताड़ या ताड़ को तिल"। बरसो तक हमारे देश के करोड़ो-करोड़ लोगों को आकाशवाणी और अखबारों के माध्यम से यह सिखलाया कि सभी सिंहल हमारे दुश्मन हैं, केवल लिट्टे वाले हमारे दोस्त हैं। तब मुझे कहना पड़ता था कि ये सभी भारत से गए हुए है और हमारे दुश्मन नहीं है। उस समय मैं समझता हूं कि सरकार का भी झुकाव था और पूरे प्रसार माध्यम का भी झुकाव था। बाद में जो हत्याएं हुई उस हालत को हम देख रहे है।

महोदय, आज जो स्थिति है, यह जो उस समय की सरकार का जिक्र आया है साथियों ने ठीक कहा है कि उस समय तक कोई कानून नहीं था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो उनको एसपीजी का संरक्षण दिया जाए। मगर सरकार तो नया कानून बना सकती है, यह उस समय बहस में बात आई थी और मैं खुद महसूस करता हूं कि जब एक सरकारी अधिकारी बार-बार जोर दे रहा है वह आज तो अनुभव के बाद हुआ है उसको हम कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से अय्यर जी ने पाप की बात कही तो उसमें नीयत की बात होती है। मैं समझता हूं कि ऐसा बोल करके उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। मैं भी पाप शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई बुरा नहीं होगा, चूंकि -"पातयति इति पापम्, पापाय परपीड़नम्।" जो नुकसान कराए, लोक अहित कराए वह पाप है। लेकिन जब नीयत की बात नहीं है, पहले से कानून नहीं था और उस समय की बहस से भी मैं यह महसूस कर रहा हूं शरद जी तो सरकार में ही थे। यह सरकार नया नियम बना सकती थी और उस पर अमल कर सकती थी। अब जो बीत गया उसके बाद तो नहीं कह सकते है कि आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंगुली डालने की कोशिश की है वह सिवाय दलबंदी के कुछ नहीं है। मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा क्योंकि राजनीति को मैं पवित्र समझता हूं, अपवित्र नहीं समझता हूं कि यहां चोरी करो और वहां पूजा करो, नमाज पढ़ो। लेकिन उन्होंने दलबंदी की बात कही है और उस समय उन्होंने वह बात कर दी इसीलिए आज फिर दोहरा कर सदन के स्वाद को बिगाड़ दिया है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, अब जो स्थिति है उसमें हम जानना चाहेंगे, चिदम्बरम जी ने कल कहा था उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, दिसंबर तक उन्होंने अपनी आरे से सबूत पेश करने के काम को खत्म करने का आश्वासन सदन को दिया था। अगर पूरी मुस्तैदी बरतेंगे तो शायद सफल हो जाएंगे क्योंकि 1993 ईसवी से इस कानून व्यवस्था का जिक्र है जिसके बारे में हमारे मित्र अमल दत्त जी ने कहा कि विदेश में नहीं होता है।

. . . (व्यवधान) यह ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था में तो अनिवार्य है और इसलिए उन्हीं की कहावत है -

[अनुवाद]

विलम्ब से किया गया न्याय, व्यास से वंचित रखना है?

[हिन्दी]

यह हिन्दुस्तान में नहीं कहा गया है, यह वही का है। इसलिए ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली में यह स्वाभाविक है, जो लड़ने में समर्थ हो और साधन भी हो तो फिर अनंतकाल तक लड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि समझ होनी चाहिए। सरकार के लिए जो कल प्रस्ताव हुआ है, हम सभी चाहते है कि एक भी दोषी न बचे मगर एक भी निर्दोष दंडित न होने पाए क्योंकि जान वापस नहीं आएगी। हम सुरक्षा के लिए थोड़ा फाज़िल भी कर सकते हैं मगर ऐसा न हो कि सरकार अपनी विफलता को, अपनी गफलत को ढकने के लिए किसी और को सजा दिला दे और हम कह दे कि दोषी को सजा हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक गलती ढिलाई के चलते हुई है और अब इस ढिलाई के चलते दूसरी भारी गलती न हो जाए। इस काम को न्यायिक व्यवस्था तो करेगी ही, लेकिन मैं चिदम्बरम जी से यह कहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी में कोई भारी गलती न हो जाए। मैं आपको इस बात के लिए कहूँगा कि कल भी निर्दोषों की हत्याकांड का मामला उठाया गया था। राजीव जी के लिए किसी को बहुत गुस्सा था क्योंकि साजिश करके उनकी हत्या की गई, मगर जो दिल्ली में 1984 में हुआ और उसके बाद भागलपुर में 1989 में हुआ उस समय गुस्सा किसी व्यक्ति पर नहीं था कि यह दोषी है इसको मारो। उस समय दोषी का सवाल नहीं था, यह जानते हुए भी कि कौन दोषी है, यह था कि समूह को मारो। अगर इतने बड़े हत्याकांड को हम इस सदन में नहीं जोड़ते, कल के प्रस्ताव में भी वह नहीं आ सका क्योंकि वह विषय नहीं था, आज भी हमारे मित्र अर्जुन सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा है...(व्यवधान)... अगर आज भी उन बातों को नहीं रखा गया तो उसके लिए यह सदन दोषी होगा कि हजारो-हजार निर्दोषों की हत्या के लिए, सामूहिक हत्या के लिए आज तक सरकार पंगु बनी हुई है। सरकारों का परिवर्तन हुआ मगर हम पंगु बने हुए है। सदन में भी आवाज नहीं उठे तो हम बहुत भारी दोषी होंगे। श्रीमती सोनिया जी हमारे देश की नागरिक है उनको दुख होना चाहिए। मगर उनके दुख का प्रकाश पहले-पहल अमेठी में जाकर हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ और वह भी 4 साल बाद चुनााव के क्षेत्र में ही लोकसभा चुनाव के पहले हुआ तो यह स्वाभाविक धारणा बनती है कि यह राजनीतिक ही नहीं दलबंदी का भी मामला है। इस समय उनको दुख प्रकट करने का हक है। उन्होंने 4 साल तक परहेज किया और वहां जाकर दुख जाहिर करना पड़ा। हमारे प्रचार माध्यम का भी देश में अभी एक ही मामला है, दूसरा कोई मामला नही है। इसलिए अभी मेरा आग्रह यही होगा कि इसको दलबंदी से हटा कर कांग्रेस के भीतर जो गुटबंदी है उससे भी बचा कर . . . (व्यवधान) . . .

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, अब यह हो गया है, अब आप इसको खत्म करिए।

(व्यवधान)

**श्री भोगेन्द्र झा :** महोदय, 1984, 1989 में तथा और जो भी हत्याकांड हुए है उनका निपटारा भी शीघ्र कर दें ...(व्यवधान)....

**अध्यक्ष महोदय :** वह बात कल ही कह दी है।

[अनुवाद]

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कल इस माननीय सभा की जो भी उपलब्धि रही, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि आज सभा से उसको वापिस ले लिया गया है। मैं कल भी सारा दिन उपस्थित था और आज भी उपस्थित हूँ। नियम 193 के अन्तर्गत जिस चर्चा की आप ने स्वीकृति दी थी वह चर्चा जैन आयोग की स्थिति के संबंध में 25 अगस्त, 1995 को वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के वक्तव्य से उत्पन्न मामले और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के अभियुक्त पर मुकदमे के बारे में थी।

यह चर्चा कल की गई थी। कल, श्री अर्जुन सिंह ने अपना वक्तव्य यह कहते हुए आरम्भ किया था 'मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि यह न तो कटुता का अवसर है और न ही विवाद का'। तत्पश्चात् श्री चिदम्बरम ने विस्तारपूर्वक एक जवाब दिया और उस पूरे जवाब के बाद श्री अर्जुन सिंह ने स्वयं कहा था 'मैं बार-बार इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने से स्वयं को रोक रहा हूँ क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न होंगे तथा मैं इस समय विवाद उत्पन्न होने नहीं देना चाहता। मैं फिर कहता हूँ, कि मैं किसी बात के लिए जोर नहीं दे रहा हूँ। यह अध्यक्ष पीठ को अपनी बुद्धिमता से करना चाहिए।' मुझे नहीं मालूम कि अचानक क्या हुआ। आज, अचानक ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्री अर्जुन सिंह की बात में राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कल, आपने अपनी बात बहुत संक्षेप में कही थी और यह शब्द थे, 'ठीक है, मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सभा में मामले पर चचा की गई है वह प्रशंसनीय है और समझने योग्य है और ऐसे अवसरों में ऐसा प्रतीत होता है कि सभा काफी ऊंचे

स्तर पर पहुंचे। इसलिए महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे यह कहना चाहिए कि हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएं। जो कुछ भी आज हुआ, उसके बाद जो संदेश कल देशभर में तथा संसद में सभी संबंधित व्यक्तियो के पास पहुंचा मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है जो संदेश कल दिया जाएगा वह इसका उल्टा होगा।

महोदय, हमें यहां कुछ नहीं करना चाहिए और न ही कुछ कहना चाहिए। चाहे यह मामला निर्णयाधीन है अथवा अन्यथा, जिससे दोषी बचकर निकल सकता है। हमारे किसी भी वक्तव्य के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के नियमों, हमारे द्वारा बनाए गए कानून और सभा की परिपाटी के अन्तर्गत हमें संरक्षण प्राप्त हैं। हमने कल एक अच्छी बात की कि हम एकमत थे चाहे कोई किसी भी दल से संबंध क्यों न रखता हो। लेकिन आज कटुता है तथा इस तरह की अन्य बातें। यहां तक कि एक माननीय सदस्य की ओर से हंसी की आवाज आती है और अन्य सदस्य की ओर से मजाक सुनाई देता है जो कि कल अनुपस्थित थे। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर मेरे आपके समक्ष दो निवेदन करूंगा कि पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या करना आवश्यक हैं लेकिन मुझे आज श्री अर्जुन सिंह द्वारा लगाये गये आरोप का भी उत्तर देना चाहिए। विलंब किसमें हैं? कल यह आरोप लगाया गया था लेकिन उन्होंने कहा था कि वे इसे कटुता के कारण उठाना नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि विलम्बित न्याय, न्याय नहीं होता'' लेकिन साथ ही हम यह भी जानते हैं कि ''जल्दबाजी में गलत सही कुछ भी हो सकता है।'' अभियोग न्यायालय ने जो एक मनोनीत न्यायालय है फैसला दिया है उस पर अन्य न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा इसकी उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है।

जल्दबाजी और शीघ्र न्याय पाने का यह रास्ता और यह कहना कि संसद भी यही चाहती है और इसलिए सभी कार्यों को शीघ्र करना - यह सब बातें मुझे हाउस ऑफ लार्ल्डस के न्यायाधीश की कहानी याद दिलाता है जिनकी न्याय व्यवस्था में विलम्ब करने के लिए आलोचना की गई थी। इसलिए, एक दिन वे न्यायालय में आए और उन्होंने पेशकार से कहा कि फाइलों को दो हिस्सों में बांट दो। पेशकार ने 100 फाइलों को 50-50 के दो भागों में बांट दिया। न्यायाधीश ने 50 फाइलों के एक भाग को उसे दिखाया और कहा कि इन 50 मामलों के बारे में स्वीकृति है और इन्हें नामंजूर किया जाता है। इस तरह से उन्होंने मामलों को निपटाया।

अब हम कानून बनाने वाले कहे जाते है और मेरा नम्र निवेदन है कि जल्दबाजी में कुछ न करें। यदि जल्दबाजी की गई अथवा कोई संदेश दिया गया जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है, सभी सदस्य अथवा, जनता के प्रतिनिधि कह रहे हैं अथवा विधायिका कह रहे हैं कि शीघ्रता बरती जाये यह सब जल्द तो गवाहों की परस्पर जांच में भी कमी रह सकती है।

ऐसी स्थिति में, हम किसकी वृद्धि करेंगे? हम दोषियों की वृद्धि करेंगे और वे साफ बचकर निकल जायेंगे। यह बताया गया है कि सौ गवाह और है। उनसे समुचित रूप से पूछताछ की जायेगी। अगर उनसे पूछताछ नहीं की जाती या ऐसे गवाहों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, तो फिर वे साफ बचकर निकल जायेंगे। ऐसे अनगिनत मामले दिखाये जा सकते हैं जहां दोषी साफ बचकर निकल गया हालांकि सभी को यह मालूम था कि 'क', अथवा 'ख' अथवा 'ग' दोषी है।

अतः, मेरा अनुरोध यही है। विलम्ब किसमें किया जा रहा है? अगर हम यह देखें कि विलम्ब किसमें किया जा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें 41 लोग दोषी हैं। मैं एक-एक करके बताऊंगा। उनमें से 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए उनकी गतिविधियों की जानकारी उन्हें नहीं मिलेगी। तीन लोग फरार है, 26 लोगों पर निर्दिष्ट न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मैं एक या दो तथ्य और बताऊंगा। वास्तव में, मुकदमा कब से शुरू हुआ? उन पर अभियोग लगाया गया था और ठीक 24 नवम्बर, 1993 को वास्तव में सुनवाई शुरू हुई थी। पहले गवाह से 19 जनवरी, 1994 को पूछताछ की गई थी। न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने 399 याचिकायें स्वीकार की और निपटायी। 25 याचिकायें उच्च न्यायालय में है और 3 सर्वोच्च न्यायालय में हैं। न्यायालय में उन पर कब तक सुनवाई हुई? वहां 212 दिनों तक सुनवाई चली, उन्होंने 183 गवाहों से पूछताछ की, 908 दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की गई और उन्हें दर्ज किया गया। पांच सौ सत्तवन वस्तुऐ वहां पहले ही दिखाई जा चुकी हैं। मैं 35 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। विश्व में कोई एक ऐसा मामला दिखा दीजिये जहां इस प्रकार के किसी मामले को एक वर्ष या दो वर्ष में निपटा दिया गया हो। भारत के स्वतंत्र होने से लेकर या ब्रिटिश काल का अथवा हाऊस ऑफ लार्ड्स का या किसी अन्य अपीलीय न्यायालय का कोई मामला दिखा दीजिये। आप इस प्रकार के मामले में जिसमें इतनी महत्वपूर्ण हस्ती शामिल हो, न्याय के लिए जल्दबाजी किस प्रकार कर सकते हैं? स्वीकृत तथ्य ये है : (क) प्रधानमंत्री - भूतपूर्व प्रधानमंत्री - की हत्या की गई थी, और (ख) उनकी हत्या ऐसी परिस्थितियों में हुई, जो यह दर्शाती हैं कि वह एक षडयंत्र था। यह काम किसी एक या दो व्यक्तियों का नहीं था। न ही किसी एक महिला ने मानव बम का इस्तेमाल किया था। यह बहुत से लोगों का षडयंत्र था।

इसका पता लगाने और सारी वस्तुस्थिति को शीर्षस्थ खुफिया एजेंसी तक ले जाने में लगभग दो वर्ष लगे। केवल खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि इसमें बाहर के लोग भी शामिल थे। इसमें हमारे पड़ोसी अथवा बाहर के अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। बाहर के लोग वहां मौजूद थे।

अतः, इसे षडयंत्र साबित करने के लिए सभी लोगों का पता

लगाना पड़ेगा और अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति भी छूट गया तो सारे दोषी मुक्त हो जायेंगे और वे साफ बचकर निकल जायेंगे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आयेगी। और इसे जल्दबाजी करने के लिये सारा राष्ट्र न्यायिक प्रणाली के बारे में क्या सोचेगा? यह निर्दिष्ट न्यायालय के बारे में है।

दूसरी बात जैन आयोग के बारे में है। इसकी 65 बैठकें हो चुकी है। श्री जसवंत सिंह सभी प्रकार के अभियोग लगा चुके है। उन्हें इस सरकार में कोई विकृति नजर आती है। मुझे नहीं मालूम कि इस विकृति का पता लगाने के लिए वह किस प्रकार के एक्सरे का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सांसद के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए मेरा उनसे अनुरोध है कि वह कोई एक भी उदाहरण ऐसा दें, जिसमें ऐसी परिस्थिति में मामले को निपटाया गया और दोषियों को प्रभावपूर्ण ढंग से सजा दिलवायी गई हों। कल हम सभी इस बात पर सहमत थे और आप भी यह महसूस कर रहे थे कि दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिये। यही बात श्री अर्जुन सिंह ने भी कही थी। लेकिन आज क्या हुआ, राजनीतिक ड्रामें के सिवाय और कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आपने इस प्रस्ताव को सत्र के अंतिम दिन उस पर चर्चा करने के लिए जाने की अनुमति दी है।

उसके पश्चात् खुफिया विभाग के कुछ शीर्षस्थ गवाहों के बारे में वर्मा आयोग की चुप्पी के बारे में टीका-टिप्पणियां की गई थी।

तत्पश्चात् तीसरी बात यह है जैसा कि मैंने कहा है, 24 नवंबर, 1993 को पहली बार आरोप लगाया गया। सरकार का गठन 1991 में हुआ था और मैंने 1993 तक श्री अर्जुन सिंह को देखा है। उस समय वह कहां थे? उनमें इतना साहस क्यों नहीं था कि वह त्यागपत्र देते और लोगों में जाकर यह कहते 'ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वह राजीव गांधी को इतना अधिक चाहते थे?' हम उन्हें प्यार करते थे। हमने उनका सम्मान करते हैं और हम अभी उन्हें चाहते हैं। हमने अपने महान नेता की विधवा पत्नी सोनिया जी का सम्मान करते हैं। लेकिन वह यह दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ वह ही एक बेकसूर है जो 'कवर-अप', कवर-अप कहते रहें।

मैं श्री अर्जुनल सिंह को न्यायालय में जाने की चुनौती देता हूं। आज उन्होंने जो कुछ कहा, कि वह बहुत से तथ्य जानते हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है। अत:, उन्हें गवाही देनी चाहिये। उन्हें अवश्य ही न्यायालय जाना चाहिये और पूछताछ के लिए खड़ा होना चाहिये और मामले इस में जो कुछ हुआ है, इसका खुलासा विश्व के सामने कर दें। इसी बात की जरूरत है। यही बात उन्होंने इस सभा में शपथ ग्रहण करते समय कही थी। उन्होंने शपथ ली है। हम सभी ने शपथ ली हुई हैं। इसीलिए, उन्हें न केवल जैन आयोग बल्कि विधि न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये और शपथ के अन्तर्गत वहां साक्ष्य देना चाहिए। मुझे उनसे पूछताछ करने का अवसर नहीं मिला है। उनके पास क्या-क्या साक्ष्य हैं? वहां बैठे उस भले व्यक्ति जिन्होंने उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए यह संकल्प पेश किया है, के अलावा कौन बात को छिपा रहा है। मेरा निवेदन 1993 के श्री अहमद पटेल को शपथ पत्र के बारे में जैन आयोग से असहयोग करने, से संबंधित है। क्या श्री अर्जुन सिंह के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है? सम्मान करते हुए जब मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि श्री राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में देश को एक संदेश दिया जा चुका है। हम इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं और दोषी को सजा दी जानी चाहिये। आज हम जिस स्थिति में हैं, वह बहुत परेशानी में डालने वाली है। मेरा यही निवेदन है।

निष्कर्ष के रूप में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये अथवा ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे आयोग अथवा निर्दिष्ट न्यायालय में विचाराधीन लंबित मामले पर किसी भी प्रकार से अभियोजन अथवा बचाव पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि अपीलीय न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में यह कहते हुए इस चर्चा का कोई भाग उद्धृत किया जाये कि देखिये इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाते हैं। और इसीलिए मेरा उल्लेख किया जाये और इसके लिए मुझे सजा दी जाये।

न्यायाधीश को इस बात से यही संकेत मिलता है कि संसद के इस महान शीर्षस्थ लोकतंत्रीय निकाय में यही कुछ होता है। महोदय, यह एक खतरनाक स्थिति है जो आगे चलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और मुझे शक है कि आज जो कुछ हुआ उसमें इस प्रकार से चालाकी बरती जा रही है कि श्री राजीव गांधी का वास्तविक हत्यारा साफ बच जाये। इसका क्या तात्पर्य है? अगर इसका उद्देश्य यही है, तो मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

दूसरे, दोषी को सजा अवश्य दी जानी चाहिये और हमें इन परिस्थितियों में हम जो भी कहते है अथवा करते है उसका सहारा नहीं लेना चाहिये। सिर्फ यही नहीं, एक निर्दिष्ट न्यायालय का गठन किया गया था और इसने किस प्रकार कार्य किया, इसकी जानकारी आपको है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक अथवा अन्य किसी देश का आप कोई अन्य उदाहरण दीजिये जिसमें किसी मंत्री को यह विशेष प्रभार सौंपा गया हो कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मामलें की सुनवाई समुचित रूप से हो। हमें कुछ समय और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री महोदय किसी व्यक्ति को यह कह कर नियुक्त नही कर सकते कि अगले दिन से ही वह मामले पर कार्यवाही शुरू करें और यह नहीं कह सकते कि उन्होंने इस मामले के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दी है। प्रधानमंत्री जी के पास माननीय मंत्री, श्री चिदम्बरम को इसका प्रभार सौंपने का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। और सभी यह भली प्रकार जानते हैं कि वे एक विचक्षण अधिवक्ता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? अत:, यह चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का विलंब न हो, मैं सोनिया जी

के रोष से सहमत हूँ क्योंकि उनका इस प्रकार रोष अभिव्यक्त करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई होती तो मैं भी यही पूछता कि पुलिस और सरकार क्या कर रही है। हम हमेशा ऐसा ही करते है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई अन्य फलां-फलां स्थान पर प्रफुल्लित होगा, फूल-मालायें पहनायेगा और मिठाइयां बांटेगा। क्या इसी उद्देश्य के लिए श्री राजीव गांधी ने अपना जीवन न्यौछावर दिया था? अतः अंत में, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण सभा को इसकी जानकारी है ।पीठासीन अधिकारियों की एक समिति ने यह निर्णय किया है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिये। सबसे पहली बात, जिस पर समिति ने निर्णय किया है, वह कौल और शकधर द्वारा उद्धृत पेज समिति रिपोर्ट के पैरा संख्या 30 पर है। आप सभी को मैं इसकी जानकारी देता हूँ :-

''वाक्र स्वतंत्रता एक प्रमुख अधिकार है, जबकि न्याय-निर्णायाधीन का नियम एक स्वयं लगाया गया प्रतिबंध है। अतः, जहां आवश्यकता हो, वहां इस नियम के स्थान पर पहली बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।''

अतः, मेरा आपसे अनुरोध है कि बाद वाली बात, अर्थात् न्याय-निर्णायाधीन का नियम, जिसे हमने स्वयं लागू किया है - कोई कानून नहीं है - का स्थान सरल किंतु एक बहुत अच्छे कारण से हमारे वाक्र स्वातंत्र्य के अधिकार को दिया जानां चाहिए। नौ या दस सिद्धान्तों में से उन्होंने इसे प्रथम सिद्धान्त के रूप में उद्धृत किया है कि इस मामले पर न तो अभियोजन पक्ष और न ही बचाव पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिये ताकि दोषी न बच सकें। हमारे देश का कानून यह है कि अपराधी बचकर जा सकता है लेकिन बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिये। हम हमेशा भूल जाते है कि अपराधी बच सकता है किंतु बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अतः, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये कि अपराधी बच जाये और बेकसूर को सजा मिले। माननीय सदस्यगण को समझना चाहिये कि यह आपराधिक मामला है। यह एक आपराधिक मामला है। जिसमें संदेह का लाभ भी नहीं उठाया जाना चाहिये। यदि मैं डिफेन्स काउंसल होता तो, मैं जाकर यह कहता, ''केबीनेट मंत्री, श्री अर्जुन सिंह ने यह सभा में बताया है और इसलिए इसमें बहुत संदेह है, समस्त तथ्य आपके सामने नहीं लाये गये है। इसलिए आप मुझे बे-रोक-टोक जाने की अनुमति दीजिए चूंकि इसमें संदेह का लाभ है।'' श्री अर्जुन सिंह भी यही कहना चाहते है और मुझ से करवाना चाहते थे। यह आप किया गया है और कल नहीं किया गया। यह कहते हुए मुझे खेद है। इसलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया समस्त रिकार्ड को देखिए और यदि आप उसमें ऐसा कुछ पाते है जो आयोग अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकें, तो कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। मुझे पता है कि नियम यह है कि सामान्तया इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला नहीं जाना चाहिए और आप यह कह सकते है कि मैं तर्क को सीमित कर सकता हूँ लेकिन यहां आपने असाधारण ढंग से इसकी अनुमति प्रदान की है। इस पर कल चर्चा हुई थी, और फिर आपने आज नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा को अनुमति प्रदान की है।...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय :** सभी इस चर्चा को चाहते थे।

**श्री अजित पांजा :** मुझे पूरा विश्वास है कि सभी इस चर्चा को चाहते थे लेकिन कृपया रिकार्ड का अध्ययन कीजिए। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है ...(व्यवधान)...

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... (व्यवधान)

**श्री अजित पांजा :** मैं नहीं मानता।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपको मानना पड़ेगा।

**श्री हरि किशोर सिंह :** सभा में अपने लंबे भाषण में, मेरे विचार से, वे यह कह कर पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगा रहे हैं, कि आपने नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा की अनुमति प्रदान की। वे पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगा रहे है।

**श्री अजित पांजा :** क्या आक्षेप?

**श्री हरि किशोर सिंह :** महोदय, आप कार्यवाही का अध्ययन कीजिए और यदि आप उसमें ऐसा कुछ पाये तो कृपया उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से वे पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप नहीं लगा रहे है।

**श्री अजित पांजा :** यही समस्या है। वे यह भी नहीं जानते कि आक्षेप क्या है।

**श्री हरि किशोर सिंह :** मुझे पता है। मैं आप जैसा विद्वान नहीं हूँ। मैंने अपनी डिग्री लंदन से प्राप्त नहीं की बल्कि आक्सफोर्ड से प्राप्त की थी।...(व्यवधान)... मैं यह जानता हूँ कि लंदन में पढ़ाई करने के पश्चात आप का कायाकल्प हो गया है।*

**श्री भोगेन्द्र झा :** महोदय, इन बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए?

हम इस मुद्दों पर कैसे चर्चा कर रहे है?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनके बीच हुए वार्तालाप को कार्यवाही * वृत्तांत से निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री अजित पांजा :** महोदय मुझे इस बात की जानकारी है कि

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपने भाषण के अंत में, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ जिस पर वे नाराज होंगे। सभा में कल यह स्थिति नहीं थी। आज ऐसा है।

महोदय, इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि नियमों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, कृपया समस्त कार्यवाही का अध्ययन करे और ऐसी बातों को कार्यवाही सारांश से निकाल दीजिए जिनसे अपराधियों को सहायता पहुंचती हो।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा में दिए गये वक्तव्य का साक्ष्य के संबंध में क्या महत्व है, यह एक भिन्न मुद्दा है इसका निर्णय न्यायाधीश को करना चाहिए।

**श्री हरि किशोर सिंह :** महोदय, मैंने अपनी पार्टी के नेता श्री चन्द्रजीत यादव के माध्यम से इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए एक सूचना भेजी थी।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप बोलना चाहते है?

**श्री हरि किशोर सिंह :** हां, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको एक अवसर दिया जायेगा।

**श्री श्रीकांत जेना :** महोदय, श्री अजित पांजा ने कतिपय मुद्दे उठाये है जिन पर आपके विनिर्णिय की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** कौन सा विनिर्णय?

**श्री श्रीकान्त जेना :** महोदय, श्री अजित पांजा ने यह कहा है कि यह वाद-विवाद निर्दिष्ट न्यायालय की कार्यवाही में अड़चन हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से, इस प्रयोजन के लिए इस तरह का वाद-विवाद किया जा सकता है। लेकिन फिर एक साक्ष्य विधि है जो इस पर लागू होगी। हाँ, श्री हरि किशोर सिंह।

**श्री हरि किशोर सिंह :** महोदय, हमारी श्री अर्जुन सिंह और सत्ता पक्ष के सदस्यों के वाक युद्ध में रूचि नहीं है। हमारी कतिपय मुद्दों में रूचि है जिनको इस सभा में उठाया गया है। प्रथम प्रश्न यह है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर लापरवाही अथवा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पाप के संबंध में आरोप लगाये गये है जसमें कारण दुर्भाग्य से राजीव जी, आप हमारे साथ नहीं है।

महोदय, मैं इसका प्रबल विरोध करता हूँ। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। यदि कोई आरोप है, तो इसे सदैव के लिए दूर किया जाना चाहिए। फिर श्री पी. चिदम्बरम स्वर्गीय राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार थे। श्री चिदम्बरम तथा तत्कालीन सरकार के बीच कुछ पत्राचार हुआ था। मैं श्री कमलापति त्रिपाठी से नियमित रूप से मिलता था - जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता था - और इसके बारे में भी उनसे चर्चा करता था। वे उस समय सरकार द्वारा किए जा रहे सुरक्षा प्रबन्धों से पूरी तरह संतुष्ट थे।

महोदय, श्री बी.जी. देशमुश तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव और जो स्वर्गीय राजीव गांधी के भी मुख्य सचिव रहे थे, जब वे इस पद पर थे, उस समय उन्होंने द टाइम्स आफ इण्डिया में एक लेख में यह कहा था कि स्वर्गीय राजीव गांधी को सुरक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।

10.00 म.प.

अब, महोदय मैं सभा को उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्मरण कराना चाहता हूँ जो उस समय श्री राजीव गांधी के साथ थे और उनके साथ ही मारे गये थे। वह ऐसे सुरक्षा कर्मियों का सर्वाधिक संख्या थी जो विश्व में कही भी हत्या के किसी मामले में मारे गए हों। इस तथ्य को भी नोट किया जाना चाहिए।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात, एक के बाद एक दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रत्येक देश को अपने नेताओं की हत्या को सहन करना पड़ा था और यह सिलसिला हमारे राष्ट्रपिता की हत्या से शुरू हुआ था। उस षडयंत्र - कि राष्ट्रपिता की हत्या के लिए कौन उत्तरदायी था - एक विशेष नाथू राम गोडसे नहीं - जिन्होंने गोली चलाई - का अभी पर्दाफास करना बाकी है।

यह घटना बर्मा में भी हुई थी जहां श्री आंग सांग की हत्या कर दी गयी थी। ऐसी ही घटना श्रीलंका में हुई थी जहां श्री भंडारनायके की हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ, जहां नवाब लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई थी। और हमारे देश में न केवल पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज की मद्रास के निकट हत्या कर दी गई और एक प्रधानमंत्री को उनके सेवाकाल के दौरान उनके घर में ही मौत के घाट उतार दिया गया था।

अत: लोगों के जीवन के प्रति उत्पन्न खतरे से उन्हें बचाने के लिए प्रयास करना एक अति गंभीर समस्या है और मैं यह दुनिया के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की गई हत्या के षडयंत्र के विषय में कोई निर्णयात्मक साक्ष्य अभी तक नहीं सुन पाया हूँ। मैंने सुयंक्त राज्य अमरीका के वारेन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया है, जिसने राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के मामले की जांच-पड़ताल की थी। इसका कुछ भी ठोस, परिणाम नहीं निकला। महोदय, हम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूँ की हत्या के षडयंत्रकारियों का पता लगाने में असमर्थ रहें। हम अन्य अनेक लोगों और अधिकारियों, जिनका श्री जसवंत सिंह जी, श्री शरद जी, श्री भोगेन्द्र झा जी, श्री अमल दत्त जी तथा अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है, की हत्या के षडयंत्रकारियों का पता लगाने में असमर्थ रहे है।'

महोदय, इस संबंध में कुछेक विशेष प्रश्न उठाना चाहूँगा। महोदय, हम दलगत भावना से नहीं बल्कि इस सरकार की अक्षमता के लिए इस पर आरोप लगाते है। महोदय, श्री अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस के प्रधान सचिव श्री अहमद पटेल के एक हलफनामें तथा जैन आयोग को लिखे गये एक पत्र का हवाला दिया है। वह एक सरकारी दस्तावेज है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या वह पत्र अखिल भारतीय

कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया था अथवा नहीं। यदि हां तो सरकार ने वे कागजात जैन आयोग को उपलब्ध क्यों नहीं कराये हैं जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा देश के प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि यह गलती क्यों और किस प्रकार हुई। मैं श्री चिदम्बरम से यह बात जानना चाहता हूँ। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह दस्तावेज अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया था अथवा नहीं। अगर उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया था, तो यह सरकार उन्हें आयोग को सौंपने से इंकार क्यों कर रही हैं?

दूसरे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील श्री मित्तल द्वारा दो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह जी तथा श्री चन्द्रशेखर जी के खिलाफ जैन आयोग के समक्ष विभिन्न आरोप लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या ये आरोप प्राधिकृत हैं अथवा नहीं। यह सभा यह जानना चाहती है कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने इन आरोपों को लगाने के लिए श्री मित्तल को प्राधिकृत किया था। यदि हां, तो इन आरोपों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

महोदय, हम अन्य बातें नहीं, बल्कि सच्चाई जानना चाहते हैं षडयंत्रकारियों का खुलासा चाहते हैं, क्योंकि इससे श्री राजीव गांधी तो फिर जीवित नहीं हो सकते, न ही इससे शोक-संतप्त परिवारों को सांत्वना मिलेगी, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मानवीय चूक की वजह से हमारे देश के अन्य नेताओं के साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

महोदय, हमने इस सभा में राजनीति के अपराधीकरण अर्थात अपराधियों और राजनीतिकों के बीच सांठ-गांठ से उत्पन्न होने वाले हो-हल्ले पर चर्चा की है। अत:, हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा को खतरा है। हमारे देश में जो सुरक्षा की स्थिति है अथवा जिस प्रकार धमकियां दी जाती है, उसे आप स्वयं देख सकते हैं। नि:संदेह आप यह हमारे संसद भवन में ही देख सकते हैं, जहां ब्लैक गार्डों और ब्लैक कैटों सहित अनेक किस्म के लोग प्रतिदिन सुरक्षा की दृष्टि से आते हैं। अत: मैं चाहता हूँ कि भविष्य में किसी दिन इस सभा में इस समस्या पर बारीकी से चर्चा की जाए ताकि भविष्य में हमारे नेताओं की सुरक्षा को यथासंभव सीमा तक सुनिश्चित किया जा सके। मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। मैं यह चाहूँगा कि यहां कल जैसा माहौल रहे और हमें ऐसे माहौल में चर्चा करनी चाहिए जो इस महान सभा की मर्यादा के लिए उपयुक्त हो तथा इसका जवाब श्री चिदम्बरम जैसे अति शिष्ट व्यक्ति की ओर से आना चाहिए ताकि हमारा देश यह जान सके कि यह इस हत्याकांड, मुकदमे की कार्यवाही और जांच-पड़ताल पर जो संदेह घिर रहा है, उसे दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में प्रशासन की उपेक्षा या मानवीय चूक के कारण हमें परेशानी न उठानी पड़े।

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में मेरे कल के वक्तव्य से सरकार के निर्दिष्ट न्यायालय में चल रहे मुकदमे और न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष चल रही जांच के संबंध में सरकार की वचनबद्धता के बारे में सभी शंकाओं का निवारण हो जाना चाहिये था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कम से कम इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को यह विश्वास नहीं दिला सका। इसकी पूर्व सूचना मुझे कल ही मिल गई थी मैंने कहा है कि इसमें सच्चाई है, संकल्पना है। सत्य शाश्वत है अपरिवर्तनीय होती है, सच्चाई को बदला नहीं जा सकता लेकिन संकल्पना को बदला जा सकता है। सच्चाई की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है और हर दिन उसमें परिवर्तन आ सकता है।

महोदय, कल मैंने कहा था कि इसमें सच्चाई का होना ही पर्याप्त नहीं है। विश्व को किसी व्यक्ति की सच्चाई को भांपना चाहिये। अगर मैं कल सरकार की सचेतता, वचनबद्धता और जांच-पड़ताल के तार्किक परिणाम के बारे में जानकारी देने में विफल रहा हूँ तो उस विफलता की जिम्मेदारी मेरी है।

आज सरकार मुझे इन मामलों को समन्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 23 मई, 1995 तक की कार्यवाही और 24 मई, 1995 के पश्चात् होने वाली कार्यवाही जो भी हो मेरे ऊपर सिर्फ इन्हीं कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि श्री अर्जुन सिंह, उनके जैसे अन्य लोगों के साथ-साथ इस सभा और इस देश को सरकार के परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बारे में विश्वास दिलाना भी है।

महोदय, आज बहुत सी बातें कही गई है। इस चर्चा को शुरू हुए चार घंटे और 10 मिनट बीत चुके है। अनेक प्रश्नों के जवाब दिये गये है। भारत के लोग इसके बारे में प्रात-काल पढ़ेंगे। उनमें से अनेक लोग हमें भाषण देते हुए या कम से कम इसके कुछ अंशों को कल देखेंगे। लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेरा कर्त्तव्य दो उद्देश्यों की प्राप्ति है। पहला, तत्कालीन सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद विशेष जांच दल की नियुक्ति की थी जिसने एक रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत की थी कि 41 लोग, जिनमें से 12 मारे जा चुके है, षडयंत्रकारी और हत्यारे थे।

मैं न्यायधीश नहीं हूँ। मेरा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जिनकी निर्दिष्ट न्यायालयों में मुकदमें चल रहे है, उनको कानून के अनुसार न्याय मिलें। मेरा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि वह सुनवाई ठीक से हो, कि अभियुक्त यदि दोषी हों, तो उनको दण्ड दिया जाये, यह कि कल, अगले वर्ष, उससे अगले वर्ष, सुनवाई भले ही न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, अथवा राष्ट्रपति के समक्ष हो रही हो, दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच न पाये। यह मेरा प्रथम कर्त्तव्य है। और मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा और न ही ऐसा कुछ करूंगा

जो उस कर्त्तव्य की कीमत पर हो जो मेरा सर्वोच्च कर्त्तव्य है।

महोदय, सरकार की ओर से मंत्री के रूप में बोलते हुए, मेरा दूसरा कर्त्तव्य जैन जांच आयोग को उसके निदेश पदों के अनुरूप जांच पूरी करने में तथा सरकार को प्रतिवेदन देने में सहायता करना है, जो इस संसद को रिपोर्ट देंगी कि क्या कोई अन्य षडयंत्रकारी थे, या क्या कोई अन्य षडयंत्र था इसके पीछे और फिर यह निर्देश देना है कि उस षडयंत्र तथा उन षडयंत्रकारियों के बारे में क्या किया जायेगा। कृपया न्यायमूर्ति जैन आयोग के निदेश पदों को देखें। महोदय, मंत्री के रूप में मेरा कर्त्तव्य जैन जांच आयोग की सहायता करना है, न कि उनकी जांच अड़चन डालना। मेरा कर्त्तव्य वह सब जानकारी प्रदान करना है जो आयोग को चाहिए, और जो सरकार के पास उपलब्ध है। मेरा कर्त्तव्य सच्चाई का पता लगाने में आयोग की सहायता करना है क्योंकि यह आम जानकारी है कि आयोग के सामने जो कुछ आया है वह सभी सत्य नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ खेद सहित उल्लेख किया था, दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों पर आयोग के समक्ष आरोप लगाये गये है। इसका निर्णय करने वाला मैं कौन होता हूं? मेरा कर्त्तव्य न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग को सच्चाई का पता लगाने और यह पता लगाने में सहायता करना है, कि क्या कोई षडयंत्रकारी है और इसके पीछे कोई और भी षडयंत्र था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा अथवा कहूँगा जो जिससे जिसके लिये मुझे अपने इस कर्त्तव्य की कीमत पर समझौता। इस बात को देखते हुए मुझे संक्षिप्त में बोलना है, मुझे अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करना है, मुझे अपनी सीमा में रहना है, मुझे यह दिये जा रहे तर्कों तथा उन सदस्यों के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करना है जो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। मेरा किसी से विद्वेष नहीं है। प्रथम वर्ष में इस सरकार में मंत्री होने पर मैं खुश था। सरकार में मंत्री न होने पर मैं और अधिक प्रसन्न था।

महोदय, पांच अलग-अलग मुद्दों का उल्लेख किया गया है और मैं उनमें से प्रत्येक का संक्षेप में उत्तर दूंगा। अखिल भारतीय न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष कांग्रेस कमेटी की एक याचिका विचाराधीन है जिसमें कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, श्री अहमद पटेल द्वारा हस्ताक्षर किए गये हैं, जो राज्य सभा के सम्मानीय सदस्य है। उनके वकील ने भी याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। उन याचिका न्यायिक आयोग में विचाराधीन याचिका है और आयोग ने इस याचिका पर आदेश पारित किए है। ये आदेश सार्वजनिक दस्तावेज है। कोई भी इन दस्तावेजों को यह देखने के लिए देख सकता है कि क्या आदेश पारित किए गये थे और उन आदेशों का अनुपालन कैसे हुआ है। मुझे श्री अर्जुन सिंह द्वारा, अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत सुझाई गई इस उत्तेजक का उत्तर देना है कि याचिका का प्रारूप तैयार करने में मेरा भी से कुछ हाथ है। इस याचिका में एक स्थान पर श्री वी. पी. सिंह का प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख किया गया है। मेरे नाम में 11 अक्षर है। इस याचिका में भी मेरे नाम में 11 अक्षर है। 11 में से 2 गलत है। यदि श्री अर्जुन सिंह ने उसे याचिका पर उसकी भाषा, बर्तनी पर कुछ ध्यान दिया होता, जैसा कि वे समान्यतया देते हैं, तो उन्होंने मुझे उस याचिका के लेखक बताकर मुझे जो श्रेय दिया है, उससे कहीं अधिक श्रेय दिया होता।

**श्री जसवंत सिंह** : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने यह किया है।

**श्री पी. चिदम्बरम** : उसने कहा, 'मैंने यह कहा है'...(**व्यवधान**). .. मैं उस भाग पर नहीं बोल रहा हूँ।

**श्री जसवंत सिंह** : फिर, आपका सुझाव क्या है? आप शीघ्रता से अपने सुझाव दें।

**श्री पी. चिदम्बरम** : ठीक है। यदि माननीय अध्यक्ष जी अनुमति दें, तो मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।...(**व्यवधान**). .. कृपया मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। मेरा इस याचिका से कोई संबंध नहीं है। उत्तरदायित्व लेने के पश्चात पहली बार मैंने इसे देखा था और मैंने यह देखने के लिए इस याचिका को पढ़ा कि कितने आदेशों का अनुपालन किया गया है और इनके अनुपालन की क्या स्थिति है।

महोदय, श्री मुस्ताक अहमद के बारे में रिकार्ड से मुझे पता लगा है कि उस नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। उस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कतिपय आदेश पारित किए थे। याचिकाकर्त्ता के तर्काधार पर कुछ प्रतिवादियों ने आपत्ति की है। उक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मुस्ताक अहमद की याचिका पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

मैं अब तीन खुफिया संगठनों के तीन अध्यक्षों की जांच पर आता हूँ। न्यायाधीश जैन आयोग द्वारा जारी किए गये आदेशों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडू सरकार के अतिरिक्त आसूचना ब्यूरों, अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने न्यायाधीश जैन आयोग के आदेशों के उत्तर में शपथपत्र दायर किए है। इन शपथपत्रों के साथ, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए है और जिन मामलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे, वहां उन्होंने शपथ पत्र में दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण बताये हैं और जहां उन्होंने विशेषाधिकार का दावा किया है, तो विशेषाधिकार का दावा किया ही हुआ है। न्यायमूर्ति जैन ने इन में से प्रत्येक शपथपत्रों की जांच की है और उपयुक्त आदेश पारित किए गये है।

ये आदेश सार्वजनिक दस्तावेज हैं और उनकी जांच की जा सकती है। एक चरण पर, जिरह के लिए उक्त तीनों अध्यक्षों को बुलाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस सभा को स्मरण होगा कि उक्त तीनों संगठनों के वर्तमान अध्यक्ष है उस हत्या के समय अथवा

उसके तुरंत पहले अध्यक्ष नहीं थे अत: उनके पास उस दिन या उससे पूर्व हुई घटनाओं की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उन्होंने सरकारी विवरण के शपथ पत्र दिए है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार के एक वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उक्त तीनों अध्यक्षों से जिरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, तो मैंने उस निर्णय के विपरीत यह कहा था, ''नहीं, तीनों अध्यक्ष उपस्थित होंगे और उनसे जिरह की जायेगी।'' वास्तव में, दूसरे दिन मैंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि तीनों अध्यक्ष न्यायमूर्ति जैन आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे और जिरह के लिए उपलब्ध होंगे। वास्तव में, कानून स्वत:पूर्ण है। जो कोई शपथ-पत्र दायर करता है, भले ही वह सरकारी रिकार्ड पर आधारित हो, उसे जिरह के लिए उपलब्ध होना चाहिए। जिरह का स्वरूप क्या है, और किस सीमा तक न्यायाधीश जिरह की अनुमति प्रदान करेगा, ये भिन्न बातें है, लेकिन उसे जिरह के लिए उपलब्ध रहना होगा। अत:, यह स्थिति है। तीनों अध्यक्ष उपलब्ध होंगे। यह बताया गया है कि तीनों अध्यक्ष जिरह के लिए उपलब्ध होंगे। न्यायाधीश ने कनिष्ठ अधिकारियों की जांच करनी प्रारम्भ कर दी है और यह निर्णय न्यायाधीश करेंगे कि कब और किस सीमा तक तीनों अध्यक्षों से जिरह की अनुमति प्रदान करेगें।

आयोग के वकील को संदर्भ भेजा गया था। यह कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि श्री अरोड़ा, जो मेरे विचार से एक बुजुर्ग है, ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसने कुछ समय पूर्व अपना त्याग पत्र दिया, जिसे 24 अगस्त, 1995 को स्वीकार किया गया था। अत:, 24 अगस्त, 1995 का एकमात्र महत्व यह है कि उस दिन पहले दिए गये त्यागपत्र को गृह मंत्रालय में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार करने के पश्चात स्वीकार किया गया था।

सुरक्षा सलाहकार का उल्लेख किया गया था। आयोग का एक सुरक्षा सलाहकार था। वह अपने एक संवर्ग में वापस चला गया। तब से मुझे बताया गया है, उपयुक्त उत्तरवर्ती अधिकारी के चयन के बारे में गृह मंत्रालय तथा आयोग के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था। कुछ नाम सुझाये गये है, कुछ सुझाव दिए गये है, कुछ अधिकारी उपलब्ध नहीं है सुरक्षा सलाहकार का शीघ्र ही चयन किया जायेगा। इस मामले से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर आयोग को परामर्श देने के लिए न कि आयोग की सुरक्षा के लिये, आयोग के पास एक सुरक्षा सलाहकार का होना अहम है। क्योंकि इस मामले में सुरक्षा विषयों के बारे में कुछ विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी की जरूरत है। मैंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र एक सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति सुनिश्चित करें और जहां तक यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एक सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

वर्मा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था। मैं नहीं समझता कि यह चर्चा वर्मा आयोग रिपोर्ट पर की जा रही थी। कल, मेरा उत्तर जैन जांच आयोग तथा आयोग द्वारा की जा रही जांच तथा नामित न्यायालय में मुकदमे चलाने तक सीमित था। वर्मा आयोग पर इस सभा में चर्चा की जा चुकी है, अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है। मंत्रियों के दल ने कुछ कार्यवाहियां करने की सिफारिश की है। मंत्रियों के एक दल द्वारा कुछ अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने की सिफारिश के अनुसार ये कार्यवाहियां भी की जा रही है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।

इन न्यायिक प्रक्रियाओं पर कोई भी पूर्व निर्णय नहीं ले सकता है और न ही कोई अपनी राय जाहिर कर सकता है, अन्यथा अधिकारियों अथवा अधिकारियों के दोषी होने अथवा दोषी न होने के संबंध में विचार कर रहे प्राधिकरण के स्वतंत्र निर्णय के बारे में लोगों की राय पर प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए, निष्कर्ष के तौर पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने कल कहा था मैं उस बात पर अटल हूं। मैं जैन जांच आयोग को सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने का वचन देता हूं। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं, जैसा कि मैंने कल कहा था, यदि भगवान ने चाहा तो अभियोजन पक्ष नामित कोर्ट के सामने दिसंबर तक पूरे साक्ष्य दर्ज करवाने का काम पूरा कर देगा। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि अन्य सभी मामलों में भी जिनमें अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, पूर्ण निष्ठापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी। मैं बिना किसी डर के, अथवा बिना किसी का पक्ष लिए कार्य करूंगा। मैं अपने अन्त:करण की आवाज के अनुसार कार्य करूंगा। मैंने इस सभा में मंत्री के रूप में तथा एक सदस्य के रूप में जो शपथ ली थी उसके अनुरूप कार्य करूंगा। मैं सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से तथा मंत्रियों की ओर से बोलता हूं। मैं कहता हूं कि इस सरकार से कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भिन्न विचार रखता हो। हम सब सामूहिक रूप से और मैं चूंकि प्रभारी मंत्री हूं। यह सुनिश्चित करूंगा कि नामित कोर्ट के समक्ष मुकदमा किसी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे और न्यायमूर्ति जैन आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी जाये जिससे निश्चय ही संसद के समक्ष रखा जाएगा।

कल, मैं स्वयं से यह पूछते हुए कि मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए और किस चीज की आवश्यकता हो सकती है मैं कि अपना कार्य कर रहा हूं, खिन्न मन से और विचारमग्न अवस्था में सभा से चला गया था। आज, महोदय जो बातें इस सभा में कहीं गई है, मैं उनके कारण में आज इस सभा से कल से अधिक उदास मन:स्थिति में सभा से जाऊंगा। लेकिन यदि आप कहें तो मैं आपसे, जो कुछ भी आपने कल कहा था, उसके सारांश को दोहराने का नम्र निवेदन करूं जिससे कि मैं समझता हूं कि प्रदर्शित होती है जिससे सभा द्वारा कल

व्यक्त की गई सर्वसम्मति परिलक्षित होती है और जिस तरीके से इस संसद और भारत की जनता के संकल्प को प्रदर्शित किया था कि उन सभी को, जो षडयंत्रकारियों के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, दण्डित किया जाये।

महोदय, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी टिप्पणी को समाप्त करता हूँ कि यदि इतिहास हमारा आकलन करेगा वह हमारे बारे में यही भी निर्णय लेगा कि हमने अपना कर्त्तव्य का निर्वाहन किया। मैं वचन देता हूँ कि यह सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेगी।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले :** जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, वह ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट रियलिटी को क्यों छिपा रही है? जैन कमीशन के खुद जस्टिस जैन बोल रहे है :

[अनुवाद]

"और यह कहिए कि संगत दस्तावेज छिपाए जा रहे थे और दबाए जा रहे थे।"

[हिन्दी]

ऐसा वह खुद क्यों बोल रहे हैं? इसमें नेशनल हैराल्ड ने क्यों इण्टरवीन किया, डाक्यूमेंट भी उन्हें नहीं दिये, यह रियलिटी सामने आनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप संक्षेप में बोल सकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैं बिल्कुल थोड़ा सा समय लूंगा। मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि मेरे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम और श्री अजीत पांजा द्वारा दिए गए जवाबों के कारण मेरा कार्य बहुत आसान हो गया है। श्री पांजा से मैं एक बात कहना चाहूँगा "मैं जानता हूँ आप बहुत सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं। कृपया कल और आज के मेरे पूरे वक्तव्य को पढ़े यदि एक भी शब्द आपको मद्रास में चल रहे मुकदमे के बारे में मिले तो मैं अपने आपको दोषी मान लूंगा और अपने निर्णयानुसार आप कोई भी सजा मुझे दे सकते है।"

यहां तक कि आज भी जब मैंने दस्तावेज पढ़ना आरम्भ किया तो श्री चिदम्बरम ने आपत्ति उठाई, तो मैंने वह दस्तावेज माननीय अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया और मैं उस पर उनके निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि श्री चिदम्बरम ने कहा था कि उस बारे में यदि कुछ कहा गया तो उसका वहां चल रहे मुकदमें पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आपने स्वयं अपने वक्तव्य को यह कह कर अर्थहीन बना दिया है कि मेरे वक्तव्य से जिन लोगों पर मद्रास में नामित कोर्ट में मुकदमें चल रहे है, उन्हें न्याय से बच निकलने में मदद मिलेगी। जो कुछ भी आपने कहा है मैं उसके लिए आपको कोई खेद व्यक्त करने के लिए नहीं कहूँगा लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी बात कहिए जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबध हो।

आपने तथा श्री चिदम्बरम ने कल सभा में काफी स्वागत योग्य, विचार व्यक्त किए हैं जिनका माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत सुंदर तरीके से सार प्रस्तुत किया था। आपके विचार में आज की चर्चा जान बूझकर कल की बात को चरम सीमा से सामान्य स्थिति में लाने के लिए की गई है। फिर भी आपने उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया, आपके शब्दों की अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट है।

महोदय, कल बार-बार मैंने यह उल्लेख किया कि इस समय हमें विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करनी चाहिए और इससे कटुता पैदा होगी। मुझे नहीं मालूम कि कल श्री चिदम्बरम जी को किसने कहा था कि विस्तारपूर्वक चर्चा करें क्योंकि वह कोई ऐसा अवसर नहीं था, उनको ब्यौरे देने के लिए किसी ने नहीं कहा था। उनसे किसी ने नहीं कहा था कि वे हमें यह बताएं कि वे क्या कर रहे हैं और जैन आयोग क्या नहीं कर सकता और उसकी स्थिति क्या है। लेकिन उनके वक्तव्य के उस भाग में, जिसमें उन्होंने सच्चाई और प्रत्यक्ष अनुभूति की बात की है और जिसे उन्होंने आज पुनः दोहराया है, उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ लोग यह सोचते है कि सच्चाई और प्रत्यक्ष अनुभूति दोनों ही उनके पक्ष में है। मैंने कल कहा था कि एक विभाजन रेखा है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं जबकि अन्य अवबोधन के साथ है और परस्पर जुड़ी हुई ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हुआ है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से यह चर्चा उठाई गई है। आज भी शंकाकुल होने के बावजूद भी मैंने चुनींदा शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया। और स्वयं कुछ नहीं कहा है, मैंने न्यायमूर्ति वर्मा को उद्धत किया है, अगर उनका मानना है कि इसमें लीपा-पोती की गई है, तो मैं भी उन्हीं की बात को दोहराने के लिए स्वतंत्र हूँ। महोदय, यह मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि मंत्रियों के दल की बैठक में आयोग की रिपोर्ट के ऊपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई चर्चा का विषय था। मैंने पूरी कोशिश की भी कि जो बाते न्यायमूर्ति वर्मा को नहीं प्रस्तुत की गई थी और जिनके कारण उन्होंने कहा कि उत्तर टालमटोल पूर्ण हैं, तो उनकी सच्चाई का पता लगाया जाए ताकि अनुवर्ती कार्रवाई में सरकार कुछ कर सकें।

परन्तु, यह सब संभव नहीं था। मेरे सभी पत्रों में यह बात स्पष्ट है, मेरे पास कोई उचित तरीका न होने के कारण मैंने त्यागपत्र दे दिया था। अगर इससे आपको गुस्सा आया है, तो मुझे इसके लिए खेद है। अगर इसी से आपको नाराजगी है, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिये, मैं अपने पूर्ण सद विवेक के साथ उस सरकार में नहीं रह सकता था जो हाल में किये गये सबसे घिनौने अपराध की तह तक जाने के लिए तैयार नहीं है।

दूसरी, बात जैन आयोग के बारे में है। मैंने अपनी ओर से कुछ

नहीं कहा है। कल कहा गया था 'केस डायरी' नहीं दी जा सकती क्योंकि विशेषाधिकार का मामला है, मैं आज यह पूछ रहा हूँ कि क्या न्यायमूर्ति को 'केस डायरी' दिखाई गई थी? किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिये, परन्तु क्या वह माननीय न्यायमूर्ति जैन को दिखाई गई है? मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें नहीं दिखाई गई।

महोदय, आयोग को समाप्त करने की बात उठाई गई थी। महोदय, मेरे विचार से आपने स्पष्ट निवेदन किया था और इसी कारण से आपको याद होगा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि श्री चिदम्बरम ने 90 दिन का समय मांगा था तथा बाकि बातों का कौन उत्तर देगा? जहां तक मैं समझता हूँ। आपने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब कुछ बता दिया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आयोग को समाप्त करने के मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखने का क्या कारण था? महोदय, मैं पूर्ण निष्ठापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट अनुमति के बिना इस मामले को मंत्रिमण्डल के विचारार्थ नहीं लाया जा सकता है। यह कार्य संचालन संबंधी नियम है। कोई भी सचिव, या अन्य कोई भी मंत्रिमण्डल के विचार हेतु कोई कागज चोरी छिपे नहीं ले जा सकता। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। यह अलग बात है कि मंत्रिमण्डल ने इस पर सहमति नहीं दी।

महोदय, इस मामले में न्यायालय में क्या कहा गया है? सरकार को न्यायालय में जाकर यह कहने की छूट थी कि हम नहीं चाहते हैं कि 1987 के पूर्व के मामलों पर आयोग विचार करें, अथवा उन पर चर्चा करें, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई न्यायालय आपके अनुरोध को ठुकरा देता, उनको यह स्वीकारने में खुशी होती। परन्तु, ऐसा नहीं हुआ और बहानाबाजी की गई, एक व्यक्ति ने, जिसका कोई आधार नहीं है, निर्णय ले लिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस सबसे यही पता चलता है कि साजिश का पर्दाफाश करने तथा तथ्यों का पता लगाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया है जिसकी वजह से सुरक्षा में चूक हुई और यह त्रासदी घटित हुई, यह सब आपकी कार्यशैली से ही पता चल जाता है।

मैं शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, और न ही उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिसके दस-दस अर्थ निकले। मैं स्पष्टरूप से सीधे कह रहा हूँ कि न्यायमूर्ति वर्मा ने जो तथ्य छुपाये जाने की जो शंका व्यक्त की है, उसका आधार है और उसका खुलासा किया जाना चाहिये और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिये। हमको दोषी व्यक्तियों को ही सजा नहीं देती है अपितु उनको भी दंडित करना है जो तथ्यों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में शामिल हैं, और जिन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत और सम्मान की यह आड में उनको भी सजा देनी है, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिये यहां यह चर्चा की जा रही है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि श्री चिदम्बरम और उनके साथियों ने प्रमुख उद्देश्य को पूर्ण भुला दिया है और ऐसी बातें कहीं हैं जिनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे जैसा न्यायमूर्ति वर्मा ने भी कहा था, टालमटोल और छलकपट का पता चलता है। मैं नहीं समझता कि उसे सभा में जो कुछ कहा गया है समझ सकती है, निस्संदेह यह समझ नहीं सकती हमसे और संतुष्ट भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस सभा से एक वायदा कर रहे हैं। मैं उनके सदृश विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। परन्तु एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश के करोड़ों लोगों की ओर से एक वायदा करना चाहता हूँ कि हम तब तक शांत नहीं होगें जब तक साजिश का पर्दाफाश नहीं हो जाता। हम उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे जिनका राजीव गांधी जी के हत्याकांड में हाथ है तथा जो इससे जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे है। इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े अथवा कुछ भी परिणाम निकले, परन्तु यह किया जाएगा।

महोदय, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ और आपको सभा में इस मामले को उठाने देने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में विभिन्न उद्देश्यों और कारणों से भाग लिया है। उनको वह सब कहने का अधिकार है।

परन्तु, यह सच है कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी है और जो इसके लिये जिम्मेदार हैं वे सभा में उपस्थित नहीं है। मैं श्री चिदम्बरम जी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके सिर्फ पिछले 90 दिनों की जानकारी है।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे लगता है कि सभा का मानना है कि देश में हुई सभी त्रासदियों की तेजी से छानबीन की जानी चाहिए और सभी मामलों में सभी को न्याय मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए।

मैं सभा में एक बात कहना चाहता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मुझे दुःख है कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, परन्तु आपने कहा था कि आप दस्तावेज को देखकर मुझे सूचित करेंगे। आपका आशय अगले सत्र से था।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने दस्तावेज देखा है, परन्तु, मैं सोचता हूँ कि मुझे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये तभी कुछ करना बेहतर होगा।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, धन्यवाद। ठीक है।

**अध्यक्ष महोदय :** सभी न्यायिक पहलुओं की गहराई में न जाकर, मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि इसे प्रथम दृष्टया आधार पर कार्यवाही वृत्तान्त का अंग बनाना अनावश्यक है। मैं सिर्फ प्रथम दृष्टया कह रहा हूँ, न कि अंतिम निर्णय के रूप में।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैंने सुना नहीं, आप किस प्रथम दृष्टया की बात कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कहा है कि मैंने दस्तावेज के विषय-वस्तु को देख लिया है। सभा में सभी बातों को समझने और न्याय करने

के लिये इसका साथ होना जरूरी नहीं है। परन्तु, यह मेरा अन्तिम निर्णय नहीं है, जब आप सभी बोल रहे थे, तो मैं इसे पढ़ रहा था।

10.42 म.प.

## विदाई उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, दसवीं लोकसभा का चौदहवां सत्र, जो 31 जुलाई, 1995 को आरम्भ हुआ था, आज संपन्न हो रहा है। मैं इस लघु सत्र जिस में 16 बैठकें हुई जो 110 घंटे तक चली, के दौरान निपटाए गए विधायी और अन्य कार्य के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

सूचीबद्ध 340 तारांकित प्रश्नों में से 49 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके तथा शेष 291 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए। 3525 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

मंत्रियों ने महत्वपूर्ण मामलों पर स्वत: 12 वक्तव्य दिए। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में भी दो वक्तव्य दिए गए। माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन 92 मामले उठाए गए।

देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे तथा बाढ़ की स्थिति के बारे में 2 अगस्त, 1995 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिया गया।

पहले की तरह, प्रश्नकाल तथा नियमित सूचीबद्ध कार्य लिए जाने के बीच के अंतराल में, जिसे शून्यकाल भी कहा जाता है, सदस्यों ने अध्यक्ष पीठ की अनुमति से बहुत से गैर-सूचीबद्ध मामले उठाए जिनमें प्रभाव सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्मुख आ रही कठिनाईयों मध्य प्रदेश में बैलाडीला लौह अयस्क खानों का पट्टा एक प्राइवेट कंपनी को अंतरित किया जाना, राजीव गांधी हत्याकांड में जांच की प्रगति आदि महत्वपूर्ण मामले थे। इन अवसरों पर संबंधित मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दिया।

जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की त्रासदी के संबंध में 50 वीं वर्षगांठ तथा 9 अगस्त, 1942 को आरम्भ किए गए 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 53 वीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प भी गृहीत किए गए। फिरोजाबाद के निकट पुरूषोत्तम एक्सप्रेस तथा कालिन्दी एक्सप्रेस के बीच 20 अगस्त, 1995 को हुई दु:खद रेल दुर्घटना के बारे में भी उल्लेख किए गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों की टीम द्वारा हृदय का सफल प्रत्यारोपण किए जाने पर उन्हें बधाई दी गई।

विधायी कार्य के क्षेत्र में, आठ विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए तथा सभा द्वारा कुल मिलाकर 19 विधेयक पारित किए गए जिनमें रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1995, कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995, वक्फ विधेयक, 1995, संविधान (इक्यासींवा संशोधन), विधेयक, 1995, संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995, तथा अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 महत्वपूर्ण है।

वित्तीय कार्य में वर्ष 1992-93 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) और वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगों (जम्मू कश्मीर) पर सभा में चर्चा की गई तथा उन्हें पूरा-पूरा स्वीकार किया गया।

20 अगस्त, 1995 को फिरोजाबाद के पास हुई रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा 21 अगस्त, 1995 को इस सभा में दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन एक अल्पकालीक चर्चा हुई जो 5 घंटे तक चली तथा इसमें 24 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस चर्चा का उत्तर दिया।

राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में वोहरा समिति की रिपोर्ट पर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध करने से संबंधित एक प्रस्ताव 23 अगस्त, 1995 को स्वीकार किया गया। स्वीकार करने से पहले इस प्रस्ताव पर आठ घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई जिसमें 20 सदस्यों ने भाग लिया।

14 मई, 1993 को सभा पटल पर रखे गए "प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपांतरित)" के संबंध में एक अन्य प्रस्ताव पर 12 घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई जिसमें 39 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में भी सदस्यों का उत्साह जारी रहा। सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर 15 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक, जिस पर विचार करने का प्रस्ताव श्री के.पी. रेड्डय्या यादव द्वारा पिछले सत्र के दौरान पेश किया गया था, पर पांच घंटे तक चर्चा होने के पश्चात भी इस सत्र की समाप्ति तक विधयेक पर चर्चा अपूर्ण रही।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के बारे में श्री सत्यदेव सिंह द्वारा पेश किए गए संकल्प का सभा में विभिन्न दलों का व्यापक समर्थन मिला है। बाद में सभा की अनुमति से संकल्प वापस ले लिया गया था, मेरे विचार से हमें नीतियां बनाने, कानून बनाने और बजट, राजनीतिक नीति संबंधी मामले, राजनीतिक मामले, वित्तीय नीतियां, सामाजिक नीतियां और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करने पर अधिक समय बिताना चाहिए, यह हमारी शासन प्रणाली जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, को अधिक स्पंदनशील और उपयोगी बनाएगा तथा हमारे देश और समाज को अधिक सशक्त, सभ्य और स्पंदनशील बनाएगा।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को मुझे और मेरे साथियों, माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों को कुछ अपवादों, जो हमारे दिलों में मन मुटाव पैदा नहीं करेगे तथा नहीं करने चाहिए, को छोड़कर सभा के कार्य को सरलता पूर्वक करने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से सदन के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं तथा हिंदी सचिवालय के अधिकारियों तथा पत्रकारों को उनके अत्यधिक सहयोग और के लिए धन्यवाद देता हूं जिस के बिना मेरा कार्य सरल नहीं होता।

**प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव)** : आपने सत्र की कार्यवाही के बारे में संक्षेप में बताया है उससे यह स्पष्ट है कि हमने काफी अधिक और काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति यह मुश्किल से कहेगा कि यह प्रत्येक मद पर विचार किए बिना हुआ है, मुझे प्रसन्नता है कि यह सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस सत्र में योगदान दिया है तथा सभा के कार्य को जिस तरीके से आपने सम्पादित किया, उसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, यद्यपि हमेशा की भांति कभी कभी कठिनाइयां भी आई है, आपने सभी संकटों से निपटने की कला में निपुण हो गए है तथा हम इसे काफी महत्व देते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि ऐसा सदैव होता है।

**श्री जसवंत सिंह** (चित्तौड़गढ़) : महोदय, यह बहुत ही असाधारण सत्र कह रहा है, यह बहुत छोटा सत्र था, तथा इसमें बाधायें भी आई तथा यह वाद-विवाद में समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं सभा के धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। सत्तापक्ष की आलोचना करने के लिए इतने अधिक अवसर देने के लिए मैं सत्तापक्ष को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी सत्रों में भी सत्तापक्ष इस भावना को बनाए रखेगा ...(व्यवधान)... इस विकट स्थितियों में सत्र चलाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। किंतु हमने फिर भी उनका सामना किया है।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इस सत्र का यह अंतिम दिन है और बहुत रात हो गयी है। सुबह घर से निकले थे खाना-वाना भी आज नहीं हो पाया है, इसलिए हालत पस्त है। इस सत्र में आपने सब बहस और मुद्दे अपनी तरफ से रख दिए है। इस पर ज्यादा वक्त और समय लेना मैं नहीं चाहता। इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जब सवाल उठते है तो फिर अपनी-अपनी नजर से चीजें तनाव में भी आ जाती है। अध्यक्ष जी, कभी-कभी आपको भी कष्ट हो जाता है और इतने बड़े सदन में इतनी बड़ी संख्या है उसके तनाव में और हम लोग भी अपने सवालों के लिए अधीर रहते है। और सवालों को रखने में कुछ हम लोगों की तरफ से भी दबाव बढ़ जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके प्रति, सत्ता-पक्ष के सब भाईयों के लिए भी यह सत्र काफी बहस से भरा हुआ था और मैंने पहले ही कहा कि हालत पस्त है। तो कल ठीक से सुबह हो इसलिए जल्दी यहां से छुटकारा पाना है, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सबको साथ में ले करके चलने की आपकी कुशलता की और आपके धैय की मैं प्रशंसा करता हूँ। यहां एक बहुत बड़ा इंसीडेंट हुआ था। हमारे बड़े भाई शरद यादव जी... लेकिन आपने बड़प्पन रखा। आपके दिल में अच्छी भावना थी इसलिए वह मामला मिट गया। सर, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी-अभी जो श्रीकांत जेना जी ने अपने दिल से बात उठाने की कोशिश की तो मामला प्रोविलेज कमेटी को न भेंजे, यह आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम तो नये थे। यह आखिरी दिन दुःख भरा दिन रहता है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। जाते जाते दिल भर आता है। हम आलोचना करते हैं और क्या-क्या करते हैं लेकिन हम यहां आकर बहुत सीखें है। हमारे बड़े भाई शरद यादव, जी श्रीकांत जैना जी, सैफुद्दीन चौधरी जी।

**अध्यक्ष महोदय** : मिस्टर रावले, सब ठीक होगा, दूसरे प्वाइंट पर आ जाइये।

**श्री मोहन रावले** : इनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। सर, तेलुगूदेशम के राव है, जर्नादन जी, नारायण, जी, हमारे जसवंत सिंह जी, आडवाणी जी, इंद्रजीत गुप्ता जी, सोमनाथ चटर्जी जी, जार्ज फर्नान्डीज जी, रविराय जी, भोगेन्द्र झा जी, अर्जुन सिंह जी, अमल दत्ता जी से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मिल के राष्ट्रीयकरण का प्रयोजल लाने के लिए मैं सरकार का भी आभारी हूँ। आपने मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : प्रधानमंत्री और मित्रों ने जैसा कहा उस भावना के साथ मैं अपने को जोड़ते हुए इतना जरूर चाहूँगा कि जो समय हम सभी ले लगाया, जो मेहनत हमने की, हम सभी आगे भी इस संसदीय जनतंत्र को परिणाम के मामले में देश के लिए, संसद के लिए और कारगर बना सकें ताकि हम कह सकें कि हमने कुछ हासिल भी किया है। मैं समझता हूँ अनुभव से सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी विदेश यात्रा के लिए हमारी सद्भावनायें और शुभकामनायें है। आप सकुशल वापस आयें, हमारी बस यही कामना है।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य खड़े हो जायें क्योंकि वंदेमातरम की धुन बजाई जाएगी।

10.45 म.प.

## राष्ट्र गीत

**राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई।**

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है

10.56 म.प.

**तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**

पी एल एस. 48/44/16 (एन.)
250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, ए-51, सराय पीपलथला एक्सटेंशन, आर्दश नगर, दिल्ली - 110033, द्वारा मुद्रित।